लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

Preservation
4-8-92
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 5 अगस्त, 1970/14 श्रावण, 1892 (शक)

No. 8, Wednesday, August 5, 1970/Sravana 14, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
212. प्रतिरक्षा मंत्री का भारतीय सेना में जाति संबंधी वक्तव्य	Defence Minister's statement regarding caste in the Indian Army	1—6
213. वर्ष 1970-71 में पाकिस्तान के बजट में प्रतिरक्षा के लिये की गई व्यवस्था	Pakistani budget Provisions for Defence during 1970-71	6—8
214. हिन्द अरब सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के सहयोग से अड्डों की स्थापना	Setting up of bases of Russian Naval Fleet in Indian Arabian Sea in Collaboration with Pak. Navy ..	9—13
215. कंट्रोल के कपड़े का मूल्य	Price of controlled cloth ..	13—17
अ०सू०प्र०संख्या **S. N. Q. No.**		
2. भूमि पर जबरन कब्जा करने के अभियान सम्बन्धी वृत्त चित्र	Documentary on Land Grab Movement ..	17—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
211. उत्पादन में कमी का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव	Impact of decreased production on the prospects of Exports ..	26
216. रूस से पनडुब्बियां तथा अन्य नौसैनिक जलयानों का आयात	Submarines and other Naval Vessels from U. S. S. R. ..	26
217. भारत में सांप्रदायिक दंगों के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्यों से पाकिस्तान को भारत की निन्दा के लिये आधार मिल जाना	Prime Minister and Home Minister's Statement on Communal riots in India providing handle to Pakistan to malign India ..	27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
218. श्रीलंका में भारतीय श्रमिकों के स्थान पर सिंहला श्रमिकों को लगाना	Replacement of Indian labour in Ceylon ..	27
219. रूस से प्रक्षेपणास्त्र वाली नौकाएं खरीदना	Purchase of Missile boats from USSR ..	27—28
220. जम्मू तथा काश्मीर में तैनात सैनिक अधिकारियों की रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या	Mysterious murder of Military officers posted in Jammu and Kashmir ..	28
221. हांगकांग में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय का खोला जाना	Opening of a S. T. C. Office in Hongkong ..	28—29
222. हिन्द-चीन के राज्यों के लिये रूस की शांति योजना	Soviet Peace Plan for Indo-China States ..	29
223. पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for the Development Projects to West Bengal ..	29—30
224. समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products ..	30
225. नागा मिजो और कुकी विद्रोहियों के साथ हुई मुठ-भेड़ों में मारे गये जवान और अधिकारी	Jawans and Officers Killed in Encounter with Rebel Nagas, Mizos and Kukis ..	31
226. विस्कोस फिलोमेंट यार्न के मूल्य निश्चित करने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission's Report re. Pricing of Viscose filament yarn ..	31—32
227. देश में बेरोजगारी के बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक	Meeting of Chief Secretaries of States regarding unemployment in the country ..	32—34
228. विदेश यात्रा के लिये यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों में उदारता	Liberalisation of travel restrictions to Foreign Countries ..	34
229. जाम्बिया के साथ व्यापार	Trade with Zambia ..	34—35
230. हमीदाबाद और फकीरगंज में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि के कटाव का प्रभाव	Effect of Erosion by Brahmaputra in Hamidabad and Fakirganj ..	35

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**			
231. उत्तर तथा दक्षिण भारत में आदर्श चाय कारखाने खोलना	Opening of Model Tea Factories in North and South India	..	35—36
232. श्रीलंका में भारतीयों पर वीसा कर	Visa Tax on Indians in Ceylon	..	36—37
233. 1980 तक 450 से 500 लाख किलो वाट बिजली का उत्पादन	Production of 45 to 50 Million KW of Power by 1980	..	37—38
234. कानपुर आयुध कारखाने से चोरी-छिपे बाहर निकाले गये हथियारों की बिक्री	Sale of Weapons Smuggled out from Kanpur Ordnance Factory	..	38
235. पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के निष्क्रमण के बारे में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त का वक्तव्य	Indian High Commissioner's Statement at Dacca on exodus of Hindus from East Pakistan	..	39
236. अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिये बड़े एककों का लगाया जाना	Installing bigger Units for Generating more powers	..	39—40
237. पश्चिम कोसी नहर, गण्डक नहर और राजस्थान नहर की खुदाई के काम को पूरा करना	Completion of Digging work of Western Kosi Canal, Gandak Canal and Rajasthan Canal	..	40
238. कम्बोडिया सम्बन्धी त्रिराष्ट्रीय एशियाई कार्य दल	Three-nation Asian Task Force	..	40—41
239. हथकरघा वस्तुओं के जहाजों द्वारा भेजे जाने पर प्रतिबंध	Embargo on Shipments of Handloom Goods		41
240. जनरल नेविन का दौरा	General Ne Win's Visit		41
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**			
1401. उगांडा से रुई का आयात	Import of Cotton from Uganda	..	42
1402. मोकोकचुंग के निकट एक नागा नेता से हथियारों का पकड़ा जाना	Seizure of Weapons from a Naga Leader Near Mokokchung	..	42
1403. डा० तेजा के प्रत्यर्पण के लिये भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल पर हुआ व्यय	Expenditure on Delegations sent to Secure Release of Dr. Teja	..	43
1404. भारतीय वायुसेना के वायुयानों की दुर्घटनाएं	I. A. F. Planes Accidents		43—44

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

1405. काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	..	44
1406. आस्ट्रिया से औजार और मिश्रित इस्पात का आयात	Import of Tool and Alloy Steel from Austria	..	44—45
1407. आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये भारत और श्रीलंका में बातचीत	Indo-Ceylon Talks for Furthering Economic Ties		45
1408. प्रतिरक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, नई दिल्ली	Institute of Defence Studies and Analysis, New Delhi	..	46—47
1409. कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (भारत) की हितकारी निधि / तदर्थ निधि का उसके कार्यकर्ताओं में वितरण	Disbursement of CSD (India) Benevolent Fund/Ad Hoc Fund among its Employees	..	47
1410. कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (भारत) के लिए महाप्रबन्धक की नियुक्ति	Appointment of General Manager for Canteen Stores Department (India)	..	47—48
1411. कैंन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) की पंसारी की दुकान का वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थानान्तरण	Shifting of Grocery Shop of Canteen Stores Department (India) at A. H. Q. New Delhi	..	48
1412. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) द्वारा गृह निर्माण कार्य	Housing Construction Works by Canteen Stores Department (India)	..	49
1413. भारत में अमोनिया भारी जल सन्यन्त्र स्थापित करने के सम्बन्ध में डेनमार्क सरकार का प्रस्ताव	Offer by Danish Government for setting up Ammonia Heavy Water Plan in India	..	49
1414. आसाम के चाय बागानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Tea Plantations in Assam	..	50
1415. मद्रास में टेलीविजन सेट बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Plant in Madras for the Manufacture of T. V. Sets	..	50
1417. सोयाबीन तेल का आयात	Import of Soya Bean Oil	..	50—51
1418. प्रेषण और ग्रहण उपकरणों (ट्रांसमिटिंग एण्ड रिसीविंग इक्विपमेंट) का देश में निर्माण करना	Manufacture of Indigenous Transmitting and Receiving Equipment	..	51

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
1419. राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against certain Officers of National Botanical Gardens, Lucknow for indulging in Corrupt Practices	..	51—54
1420. ग्रविल विन द्वारा लिखित ब्रिटिश पुस्तक "दि मैन फ्राम मास्को" पर प्रतिबन्ध	Ban on a British Book "The Man from Moscow' by Grevill Wynne	..	55
1421. भारत संघ सन्दर्भ वार्षिकी में भारत के क्षेत्र के सम्बन्ध में असंगति	Discrepancy about the Area of India in Indian Union Reference Annual	..	55—56
1422. हिमालय पर्वतारोहण संस्था	Himalayan Institute of Mountaineering	..	56—57
1424. केन्द्र में पृथक न्याय मंत्रालय की स्थापना	Creation of a Separate Ministry of Justice at the Centre	..	57—58
1425. पत्रापोल झील से पाकिस्तान के खेतों का सिंचाई के लिए जल	Water from Patrapole Lake to Irrigate Pak Fields	..	58
1426. सैनिक स्कूल	Sainik Schools	..	58—59
1427. भारत द्वारा अणु बम का परीक्षण करने के लिए विस्फोट	Atomic test explosion by India	..	59
1429. जाम्बिया में गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन	Non-aligned meet in Zambia	..	59—60
1430. भारत स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र को ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा स्वीकार न किया जाना	Disregard to permits issued by British High Commission in India by British authorities	..	60
1431. पश्चिम बंगाल को आवंटित किये गये विद्युत चालित करघों का वितरण न किया जाना	Non-distribution of powerlooms allotted to West Bengal	..	60—61
1432. सरकार द्वारा रुई के आयात को अपने हाथ में लिये जाने का कपास के व्यापारियों द्वारा विरोध	Cotton traders against taking over of cotton imports by Government	..	61—62

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1433. उत्तर गुजरात में कलोल स्थित नवजीवन कपड़ा मिल्स को पुन: चालू करना	Restarting of Navjivan textile mills at Kalol in North Gujarat	..	62
1435. लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का निर्यात	Export of iron ore and other minerals	..	62—63
1436. ओसाका के एक्स्पो 70 में प्रदर्शित भारतीय उत्पादों के लिये निर्यात के आदेश	Export Order for Indian Products Exhibited in the Expo-70 at Osaka	..	63—64
1437. खनिजों की सप्लाई के क्रयादेश	Orders for Supply of Excavators	..	64
1438. अभ्रक विकास सलाहकार समिति की सिफारिश	Recommendation of Mica Development Advisory Committee	..	64—65
1439. सन्तापन समिति के प्रतिवेदन पर विचार	Consideration of Santapan Committee Report	..	65
1440. पूर्वी भारत में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करना	Setting up of a Nuclear Power Plant in Eastern India	..	65
1441. सिंचाई की चालू योजनाओं पर व्यय में वृद्धि	Increase in the cost of Continuing Irrigation Schemes	..	65—66
1442. भारत एवं यूगोस्लाविया के बीच भुगतान शेष	Balance of Payment between India and Yugoslavia	..	66
1443. जलाशय में पानी कम होने के कारण तिलैया के पन बिजली स्टेशन पर प्रभाव	Effect on Hydel Staion at Tilaiya due to drying up water in Reservoir	..	66—67
1444. दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक का घेराव	Gherao of Director, Defence Science Laboratories, Metcalfe House, Delhi	..	67—68
1445. उत्तरी सीमा सड़कों पर कार्य की धीमी गति	Slow Work at Northern Border Roads	..	68
1446. दिल्ली में कोट और धौज जलाशयों का निर्माण	Construction of water Reservoirs at Dhauj and Kot in Delhi	..	68
1447. श्रीलंका में भारतीयों के व्यापार का समाप्त होना	Winding up of Indian Business in Ceylon	..	69
1448. कागज बनाने वाली मशीनों का आयात	Import of Paper Manufacturing Machines	..	69—70
1449. लातीनी अमरीकी देशों को सिंचाई के लिए सहायता	Assistance to Latin American Countries for Irrigation	..	70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1450. बिहार में लू चलने के कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा की जा रही बिजली की सप्लाई पर प्रभाव	Effect on Power supply by D.V.C. due to Heat Wave in Bihar ..	70—71
1451. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में पाये गये यूरोनियम के निक्षेप	Uranium Deposits Found in Kulu region of Himachal Pradesh ..	71
1452. 1972 में बिजली का अभाव होने की संभावना	Likelyhood of Power Famine in 1972 ..	71
1453. नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के गेट से पुलिस का हटाया जाना	Removal of Police Guards from Gates of Chinese Embassy, New Delhi ..	72
1454. प्रधान मंत्री की उद्योगपतियों के साथ बैठक	P.M.'s Meeting with Industrialists ..	72
1455. पंखों का निर्यात	Export of Fans	72—73
1456. रूसी दूतावास द्वारा प्रकाशन संहिता का उल्लंघन	Violation of publications code by Soviet Embassy ..	73
1457. रूस तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of arms to Pakistan by Russia and other countries ..	73—74
1458. भारत में हथियारों तथा शस्त्रास्त्रों के लिए गोला-बारूद बनाने में आत्म-निर्भरता	Self Sufficiency in Manufacture of ammunition for arms and armaments in India ..	74—75
1459. जामनगर (गुजरात) में वायु सेना के एक प्रशिक्षक विमान की दुर्घटना	Crash of an I.A.F. Trainer Aircraft in Jamnagar (Gujarat) ..	75—76
1460. दुर्गापुर परियोजना के अंतर्गत बिजली उत्पादन केन्द्र	Power generation Centres under Durgapur Project ..	76—77
1461. जलढाका (उत्तर बंगाल) पन-बिजलीघर का बन्द होना	Closing down of Hydel power Station at Jaldhaka (North Bengal) ..	77—78
1462. कच्चे पटसन की कमी	Shortage of raw Jute ..	78
1463. कीनिया में रह रहे भारतीयों के पारपत्रों की अवधि का न बढ़ाया जाना	Non-renewal of passports of Kenyan Indians ..	78—79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

1464. कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम (कलकत्ता इलेक्ट्रिक कारपोरेशन) के अधीन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता	Power generating capacity of Plants under Calcutta Electric supply Corporation ..	79—80
1465. भारतीय सेना में सैनिक शिक्षण दल	Army educational corps in the Indian Army ..	80—81
1466. जलढाका पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना	Submission of the report by the Committee on Jaldhaka Hydro Electric Project ..	81—82
1467. हांक कांग में भारतीय राजनयिकों को रात्रि भोज	Dinner to Indian Diplomats in Hong-Kong ..	82
1468. ब्रिटेन सरकार द्वारा 1947 में भारत को सत्ता का हस्तान्तरण करने सम्बन्धी एक श्रृंखला का प्रकाशन	Publication of a Series of Volumes on Transfer of Power to India in 1947 by British Government ..	82—83
1469. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विषमता	Disparity in the Development of urban and Rural Areas ..	83—84
1470. नदियों को जोड़ कर एक जलग्रिड का बनाना	Setting up of a water Grid by linking Rivers ..	84
1472. स्वीटजरलैंड के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade relation with Switzerland ..	84—85
1473. ब्रिटेन में स्थित भारतीय राजदूतावास का भारतीयकरण	Indianisation of Indian Embassy in U.K. ..	85—86
1475. राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष का अफ्रीकी देशों का दौरा	S.T.C. Chairman's Visit to African Countries ..	86
1476. निर्यात व्यापार	Export Trade ..	86—87
1477. औद्योगिक कच्चे माल के लिए सहायक केन्द्र	Industrial Raw Materials Assistance Centre ..	87—88
1478. अधिक बिजली बनाने के लिये आधुनिक तरीकों का अपनाया जाना	Adoption of Modern Methods for Generating more Power ..	88
1479. ट्रैक्टर आयात नीति	Tractor Import Policy ..	88
1480. उत्तरी भारत नहर अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Northern India Canal Act ..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1481. हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in Himachal Pradesh ..	89
1482. उत्तर क्षेत्र की बिजली बोर्ड की बैठक	Meeting of Northern Regional Electricity Board ..	89—90
1483. छिपे नागाओं और बर्मा की कुचीन राज्य की स्वतंत्र सेना की संयुक्त बैठक	Joint Meeting of Underground Naga and Kuchin State Independent Army of Burma ..	90
1484. भारत आने वाली एक महिला विद्यार्थी को विदेश स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई गलत जानकारी	Misleading Information given by an Indian Embassy Abroad to a Girl Student coming to India ..	91
1485. अहमद वूलन मिल्स, अम्बरनाथ, कल्याण (महाराष्ट्र) को लाइसेन्स दिये जाना	Licences granted to Ahmed Woollen Mills, Ambarnath, Kalyan (Maharashtra) ..	91
1486. श्री आर० के० सोनी द्वारा कमी को पूरा करने के लिये दिये गये लाइसेन्स के उपयोग में अनियमितताएं	Irregularities with regard to replenishment licence by Shri R.K. Soni ..	92
1488. प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Defence Research ..	92—93
1489. राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद	Purchase of Jute by the State Trading Corporation ..	93
1490. नेपाल में बहुप्रयोजनीय परियोजना का निर्माण	Construction of Multi-Purpose Project in Nepal ..	94
1491. हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि से हटाना	Eviction of Ex-servicemen from their lands in Haryana ..	94
1493. चमड़े का निर्यात	Leather Export ..	94—95
1494. तिब्बत में चीनियों की गतिविधियां	Chinese Activities in Tibet ..	95
1495. सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न किया जाना	Non-utilization of Irrigation Facilities ..	96
1496. ब्रिटिश पार-पत्र प्राप्त भारतीयों द्वारा काहिरा में भूख-हड़ताल	Hunger Strike by Indians holding British passports in Cairo ..	96

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**			
1497. सिंचाई परियोजना कार्यों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Submission of Report of Committee on Irrigation Project Works	..	97
1498. सांख्यिकीय विभाग में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work in Department of Statistics	..	97
1499. भारत-बर्मा सीमा वार्ता	Indo-Burma Boundary Talks	..	97—98
1500. भारत-पाकिस्तान पार पत्र और वीसा व्यवस्था समाप्त करना	Removal of Indo-Pak Passport and Visa System	..	98
1501. अमरीका द्वारा पाकिस्तान को परोक्ष रूप से विमान तथा टैंक सप्लाई किया जाना	Indirect Supply of Aircrafts and Tanks by U. S. A. to Pakistan	..	98
1502. हिन्द महासागर में चीन के जहाजों की गश्त	Patrolling by Chinese Ships on Indian Ocean	..	98—99
1503. भूटान तथा सिक्किम में चीन का प्रभाव	Chinese influence in Bhutan and Sikkim	..	99
1504. कावेरी नदी के जल के बारे में तमिलनाडु, मैसूर तथा केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक	Meeting between Chief Ministers of Tamil Nadu, Mysore and Kerala on Cauvery Waters	..	99
1505. मद्रास और केरल में परमवीकुलम और एलियार नदियों के पानी का बंटवारा	Sharing Water of Parambikulam and Aliyar Rivers by Madras and Kerala	..	99—100
1506. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का व्यापार	Trade in Steel through MMTC	..	100
1507. चौथी पंचवर्षीय योजना का दोबारा छापा जाना	Reprinting of Fourth Five Year Plan	..	100
1508. भूटान को सहायता	Aid to Bhutan	..	100—101
1509. पाकिस्तान को पश्चिम जर्मनी से हथियारों की सप्लाई का न मिलना	Non-supply of West German Arms to Pakistan	..	101
1510. रूपड़, हरिके और फीरोजपुर बांधों का भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को हस्तान्तरण	Taking over Rupar, Harike and Ferozepur Dams by Bhakra Control Board	..	101—102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1511. गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति का प्रतिवेदन	Report by Expert Committee of Engineers of Ganga River Commission ..	102
1512. पाकिस्तान के साथ नहरी जल करार की समाप्ति पर जल का उपयोग	Utilisation of Water on Expiry of Canal Water Agreement with Pakistan ..	102
1513. बिहार से लीची का निर्यात	Export of Lichi from Bihar ..	103
1514. चीन के साथ व्यापार संबंध	Trade relations with China	103
1515. डिफैन्स कालोनी, चण्डीगढ़	Defence Colony, Chandigarh ..	103—104
1516. गुलाबों का निर्यात	Export of Roses ..	104
1518. भारतीय प्रशासन सेवा की सूची में प्रथम आने के लिये कुमारी अनुराधा मजूमदार को प्रधान मंत्री द्वारा भेजा गया बधाई-पत्र	Congratulatory message sent by the Prime Minister to Miss Anuradha Mazumdar for topping the I. A. S. list ..	104—105
1519. नेपाल से व्यापार	Trade with Nepal ..	105—106
1520. निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of export licences ..	106—107
1521. भारत से निर्यात की गई वस्तुओं की कथित घटिया किस्म	Alleged poor and inferior quality of merchandise exported from India ..	107—108
1522. एक्सपो 70 के एक मण्डप में भारत को गरीबी तथा भूख से पीड़ित दिखाया जाना	India shown as suffering from poverty and hunger in a pavilion at Expo'70. ..	108
1523. त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां	Pak activities on Tripura border ..	108—109
1524. कुटियाड्डी और कन्हीरपूजा सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्थिति	Working Conditions of Kuttiyadi and Kanhirapuzha Irrigations Schemes ..	109
1525. पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत-विरोधी वक्तव्य के बारे में भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया जाना	Pak High Commissioner in India Summoned to foreign Ministry Reg. anti-India statement by President of Pakistan ..	109—110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता॰ प्र॰ संख्या
U. S. Q. Nos.

1526. केन्द्र तथा राज्यों द्वारा विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के सव्रण क्षेत्र तथा (कमान्ड एरिया) का अध्ययन	Study of Catchment and Command areas of various river valley Project by Centre and States ..	110—111
1527. कृषि विद्युतीकरण के लिये बिजली का आरक्षण	Reservation of Power for Agricultural electrification ..	111—112
1528. कृषि कार्यों के लिये बिजली के (आपटीमम लोड सेंटर)	Optimum load Centres for power for Agriculture ..	112
1530. स्टेनलैस स्टील और कृत्रिम धागे के आयात के लिये नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal for import of stainless steel and synthetic fibres ..	113
1531. सेवा निवृत्ति के पश्चात् प्रतिरक्षा के उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक वक्तव्य	Public statements made by high Defence Officials after retirement ..	113—114
1533. हिन्द महासागर में अमरीकी तथा रूसी नौसेना यूनिट	American and Russian Naval Units in Indian Ocean ..	114—115
1534. केरल की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री तथा केरल के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक	Meeting between Prime Minister and a delegation from Kerala regarding problems of Kerala ..	115—116
1535. अमरीकी पुस्तकालयों के बंद किये जाने के बारे में अमरीका के राजदूत कीटिंग की टिप्पणी	U. S. Ambassador Keating's Comments on closure of American Libraries ..	116
1536. राजघाट बिजलीघर, दिल्ली के ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन	Violation of terms by contractor of Rajghat Power Station, Delhi ..	116—117
1537. सूडान के साथ व्यापार	Trade with Sudan	117
1538. राज्यों के केन्द्रीय सहायता के आवंटन के बारे में पंजाब के साथ कथित भेदभाव	Alleged Discrimination against Punjab in Allocation of Central Assistance to States ..	118
1539. बारसिलोना में अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नमूना प्रदर्शन (सैम्पल) मेला	International Samples Fair at Barcelona ..	118—119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1540. लुधियाना के श्री आर० के० सोनी को दिये गये आयात लाइसेंस	Import Licences issued to Shri R. K. Soni of Ludhiana ..	119
1541. मैसर्स आर० के० मशीन टूल्स को 81 एम० एम० बम शैलों की सप्लाई	Supply of 81 MM Bomb Shell to M/s. R. K. Machine Tools ..	119—120
1542. इथोपिया में भारतीय अधिकारी पर अभियोग चलाया जाना	Indian Officials Facing Trial in Ethopia ..	120
1543. विजयन्त टैंक तथा लड़ाकू विमान के लिये आयातित पुर्जे	Imported Components for Vijayant Tanks and Fighter Planes ..	120—121
1544. बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis ..	121
1545. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना	Providing Electricity to Rural Areas ..	121—122
1546. भारत के आयुध कारखानों में हड़तालें	Strikes in Ordinance Factories of India ..	122
1547. व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade ..	123—124
1548. रावतभाटा (राजस्थान) स्थित आणविक विद्युत परियोजना को पूरा किया जाना	Completion of Atomic Power Project at Rawatbhata (Rajasthan) ..	125
1549. श्रीलंका से भारतीयों की परिसम्पति को वापिस स्वदेश लाना	Repatriation of Indian assets from Ceylon ..	125
1550. गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियारों का निर्माण	Manufacture of Arms in Private Sector ..	126
1551. उत्तर भारत में आणविक विद्युत कारखाना स्थापित करना	Setting up of an Atomic Power Plant in North India ..	126
1552. इसरायल में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिये निमंत्रण	Invitation to participate in the International Fair to be held in Israel ..	126—127
1553. पेरू के भूकम्प पीड़ितों को सहायता	Assistance to Quake Victims of Peru ..	128

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1554. कलकत्ता गन फैक्ट्री पर लाल झण्डे के फहराये जाने का समाचार	Red Flag Fluttered over Gun Factory, Calcutta ..	128
1555. पाकिस्तान और चीन की तुलना में पनडुब्बियों के मामले में भारत की स्थिति	Indian's position in submarines vis-a-vis Pakistan and China ..	128—129
1556. हिन्दी में कार्य न करने वाले दूतावासों के नाम	Names of Embassies where work is not being done in Hindi ..	129
1557. भारत-फ्रांस सहयोग	Indo-French Cooperation ..	129—130
1558. नेपाल द्वारा भारत से आयातित सामान का पुन: निर्यात	Re-export of goods of Indian origin by Nepal ..	130—131
1559. माल का आयात	Imports of Materials ..	131—132
1560. लोकटक परियोजना की प्रगति	Progress of Loktak Project ..	132—133
1561. मनीपुर के लिये योजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Plan for Manipur ..	134
1562. मनीपुर के लिये एक अलग विद्युत ग्रिड संगठन	Separate Electricity Grid Organization for Manipur ..	134—135
1563. काफी बोर्ड में काफी क्यूररों की नियुक्ति	Appointment of Coffee Curers in the Coffee Board ..	135
1564. मैसूर राज्य में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Ex-Army Personnel in Mysore State ..	135—136
1565. सूडान से रुई का आयात	Import of Cotton from Sudan ..	136
1566. नेपाल से आयात	Imports from Nepal ..	137
1569. गंडक परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Gandak Project ..	137—138
1570. कम्बोडिया में लड़ने वाले चीनी स्वयं सेवक	Chinese volunteers fighting in Cambodia ..	138
1571. भारत में हुये साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान द्वारा प्रचार अभियान	Pak. advertisement campaign over communal riots in India ..	138—139
1572. नर्मदा परियोजना सम्बन्धी विवाद को हल करना	Settlement of the Narmada Project dispute ..	139

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1573. हलाली बांध परियोजना की निर्माण क्षमता	Construction capacity of Halali Dam Project ..	139
1574. मध्य प्रदेश की पन-बिजली की क्षमता	Hydro-electric Power Potential of Madhya Pradesh ..	140
1575. संयुक्त अरब गणराज्य को वस्तुओं का निर्यात	Export of Goods at U. A. R. ..	140—141
1576. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-servicemen ..	142—143
1577. तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	Investments in Public Sector during Third and Fourth Five Year Plans ..	143—144
1578. कानपुर में मिलों को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Mills at Kanpur ..	144
1579. समीक्षकों की सेवा शर्तों और उनके ग्रेडों की जांच करने के लिए समिति	Committee to investigate service conditions and Grades of reviewers ..	144—146
1580. काडना बांध (गुजरात) की ऊंचाई के बारे में निर्णय	Decision on the height of Kadna dam (Gujarat) ..	146
1581. पूर्व अफ्रीका के देश मलावी में भारतीयों के प्रवेश पर रोक	Ban on Indians to enter Malawi in (East Africa) ..	146—147
1582. मध्य प्रदेश की स्वीकृत परियोजनायें	Sanctioned Schemes of Madhya Pradesh ..	147—148
1583. नदी-घाटी पन-बिजली परियोजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच समझौता	Agreement between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in regard to River Valley Hydro-electric Schemes ..	149
1584. रसायनिक उत्पादों का निर्यात	Export of Chemical Products ..	149—151
1585. दक्षिण वियतनाम में भारतियों की आस्तियां तथा आय	Assets and Income of Indians in South Vietnam ..	151
1586. सेना के इंजीनियरों द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड नियंत्रण कक्ष का कार्य-भार अपने हाथ में लेना	Taking over charge of Assam State Electricity Board Control Room by Army Engineers ..	151—152
1587. आयात-कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में कमी	Reduction in training period of ECOS. and RCOS. ..	152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

1588. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश सम्बन्धी नियम	Rules regarding admissions in National Defence Academy ..	153
1589. राज्य व्यापार निगम के गोदाम में आग लगने की घटनायें	Incidents of fires in STC godown ..	154
1590. भारतीय मिल्स लिमिटेड पांडिचेरी के अंशधरियों द्वारा की गई शिकायतें	Complaints made by share-holders of the Bharati Mills Ltd. Pondicherry ..	154—155
1591. भारती मिल्स लिमीटेड, पांडिचेरी का परिसमापना	Liquidation of Bharti Mills Ltd. Pondicherry ..	155—156
1592. भारती मिल्स लिमिटेड पांडिचेरी के कर्मचारियों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to the employees of the Bharati Mills Ltd., Pondicherry ..	156
1593. देश के सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats for S. C. and S. T. Students in Sainik Schools in the Country ..	156—157
1594. देश के आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for S. C./S. T. in Ordnance Factories in the Country ..	157
1595. पान्डियन पुनोमपुझा परियोजना का कार्यान्वित न किया जाना	Non-execution of Pandian Punnaumpuzha Project ..	157
1596. उच्च शक्ति वाले वायु-मार्ग निगरानी राडार	High Power Air-route Surveillance Radars ..	158
1597. पाकिस्तान द्वारा तीस्ता बांध परियोजना का निर्माण	Construction of Teesta Barrage Project by Pakistan ..	158
1599. सायगोन के राजदूत का दिल्ली से प्रस्थान	Saigon Envoy leaving Delhi ..	159
1600. भाखड़ा में आणविक विद्युत प्रजनक स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Nuclear Power Generator at Bhakra ..	159
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices ..	160—167
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	160

विषय	Subject		पृष्ठ/Pag
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	160—163
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	167
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	..	167
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	..	167
पैंसठवां प्रतिवेदन	Sixty-fifth Report	..	167
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—		
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	..	168
(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	..	168—169
संसद के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill—Introduced	..	169
संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill	..	169—188
खण्ड 5 से 35 और 1	Clauses 5 to 35 and 1	..	169—188
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	..	188
दिल्ली दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक	Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill	..	188—191
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	..	188
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	..	188
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	..	188—189
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	189—190
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	..	190
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	..	190—191
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	..	191
आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour discussion—		
लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ करार	Contract with Japan for Iron ore Export	..	191—195
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	..	191—194
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	..	194—195

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 अगस्त, 1970 / 14 श्रावण, 1892 (शक)
Wednesday, August 5, 1970/Sravana 14, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा मंत्री का भारतीय सेना में जाति सम्बन्धी वक्तव्य

+
*212. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिये गये एक भाषण के दौरान उन्होंने भारतीय सेना के वर्तमान ढांचे के जाति तथा धर्म पर आधारित होने की बात कही थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस टिप्पणी का क्या महत्व है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना का कोई पुनर्गठन करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री, (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः 11 जुलाई, 1970 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर इंगित कर रहे हैं। सही स्थिति यह है कि प्रेस सम्वाददाताओं के एक सीधे प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि भर्ती लगातार जातियों या वर्ग के आधार पर सेना की कुछ यूनिटों में होती है तथा सेना में अधिकांश मिली-जुली होती है तथा जाति या वर्ग का प्रश्न सेना की कार्य प्रणाली में नहीं उठता है।

(ग) सरकार की सामान्य नीति है यथा सम्भव सेना में भर्ती बड़े आधार पर हो तथा सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जावें बिना जातिपंथ या अधिवास का विचार किए। तथापि ऐतिहासिक कारणों से तथा परम्परा के आधार पर कुछ वर्ग के लिए रचना की अनुमति चालू रहेगी। इस व्यवस्था के समिति ढ़ंग से भी चलते रहने की आवश्यकता को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता रहेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि मंत्री महोदय द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो लोग यही सोचते हैं कि यह सरकार की नीति है। अत: मंत्री महोदय को प्रेस संवाददाताओं को उत्तर देते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और यदि वह इसी ढ़ंग से उत्तर देंगे तो एक बहुत ब़ड़ी उलझन पैदा हो जायगी। जहां तक सैनिकों का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि जातियों के नाम पर कुछ यूनिटों के नाम रखे गये हैं जैसे राजपूताना राइफल्स, सिक्ख-रेजिमेंट तथा गोरखा रेजिमेंट और इन जातियों के लोगों की भर्ती ही इसलिये की जाती है क्योंकि वे मार्शल जाति के लोग हैं उनमें शौर्य है और साहस है। इसलिये मेरे विचार से इस प्रकार की सेना का होना उत्तम है क्योंकि गोरखा रेजिमेंट में नैपाल के सभो गोरखों को भर्ती नहीं किया जाता है बल्कि मार्शल जाति के कुछ लोगों को ही कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से लिया जाता है। राजपूताना राइफल्स तथा सिक्ख रेजिमेंट में भी इसी प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं। केवल साहसी क्षेत्रों के वे लोग जो बहादुर हैं, भर्ती किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री चेंगलराया नायडू : वर्तमान समय में इन सभी रेजिमेंटों में जाति और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं की जाती है। लोग अपनी योग्यता, साहस और शौर्य के आधार पर भर्ती किये जाते हैं।

श्री जगजीवन राम : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्तव्य के विषय में मैं बहुत सावधान रहता हूं और मेरे वक्तव्य के कारण कोई उलझन पैदा नहीं हुई हैं। माननीय सदस्य के मस्तिक में कोई उलझन हो सकती है। यदि मेरे वक्तव्य से कोई गलतफहमी हुई है तो जब मैंने वक्तव्य का स्पष्टीकरण कर दिया है तो गलतफहमी के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

ऐतिहासिक तथा परम्परागत कारणों से जो सेना का संगठन किया जाता है, वह तीन पहलुओं पर आधारित है। सेना की कुछ यूनिटों का नामकरण, क्षेत्र और राज्यों के *नाम पर* किया गया है। कुछ यूनिटों का नामकरण जाति या वर्ग के नाम पर किया गया है और अन्य दूसरी यूनिटों का नामकरण ना ही किसी क्षेत्र तथा राज्य और ना ही किसी जाति तथा वर्ग के

नाम पर किया गया है। जिन यूनिटों को क्षेत्र अथवा राज्य के नाम से जाना जाता है, उनमें भर्ती उन्हीं क्षेत्रों तथा राज्यों के निवासियों तक ही सीमित है। जिन कुछ यूनिटों को जाति अथवा वर्ग के आधार पर नाम दिये गये हैं। उनमें पूर्णरूप से अथवा अधिकांशतः उन्हीं जाति तथा वर्ग के लोगों को भर्ती किया जाता है। अन्य यूनिटों में सभी नागरिकों के लिए भर्ती खुली है, यदि वे निर्धारित शारीरिक योग्यता मानकों तथा चिकित्सक परीक्षा के अन्तर्गत ठीक उतरते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन रेजिमेंन्टों में जिनका नामकरण जाति के नाम पर किया गया है, भर्ती सभी नागरिकों के लिए खुली है। **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी : सभी के लिए है। आप भी जा सकते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मछेरे तैराकी में विशेषज्ञ हैं। नौ सेना में उनकी भर्ती की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री चेंगलराया नायडू : श्रीमान जी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गत पांच वर्षों से एक भी मछेरे को भर्ती नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है ? ये लोग तैराकी में विशेषता रखते हैं, क्या आप यह चाहते हैं कि उन लोगों को भर्ती किया जाय जो तैरना नहीं जानते ? क्या मंत्री महोदय अब ऐसे अनुदेश देंगे कि भर्ती के समय मछेरों को प्राथमिकता दी जाये ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक नौ सेना तथा वायु सेना में भर्ती का सम्बन्ध है, किसी भी जाति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। निर्धारित अर्हता प्राप्त व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का है, भर्ती किया जा सकता है।

श्री लोबो प्रभु : यह भर्ती इन लोगों के हित में होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य में कहा गया है, "ऐसा होने पर भी ऐतिहासिक कारणों से तथा परम्परा के आधार पर कुछ वर्ग के लिए रचना की अनुमति चालू रहेगी। इस व्यवस्था के सीमित ढंग से भी चलते रहने की आवश्यकता को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता रहेगा।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या आगामी वर्षों में इस सीमित ढ़ंग को समाप्त करने की दिशा में तथा सेना यूनिटों का देश के वीरों के नाम पर नामकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगजीवन राम : जब मैंने ऐतिहासिक कारण कहा है तो उनका ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परम्परायें चलती रही हैं और उन रेजिमेंटों और यूनिटों को इन परम्पराओं पर गर्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति और वर्ग के आधार पर किये जाने वाले संगठन में परिवर्तन करने के लिये प्रयत्न किये गये परन्तु यह सब धीरे-धीरे और सावधानी पूर्वक ही सम्भव हो सकता है।

श्री ए० श्रीधरन : 22 वर्षों के शासन के उपरान्त भी सरकार इन बाधाओं को समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है, यह बहुत बुरी बात है। अब एक नयी विचारधारा आगई है। जब केरल के युवक भर्ती के लिये आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि उन्हें भर्ती नहीं किया

जायगा क्योंकि उनके साम्यवादी अथवा नक्सलवादी होने की आशा है। क्या सरकार ने भर्ती करने वाले अधिकारियों को कोई ऐसा निर्देश दिया है कि केरल के युवकों को भर्ती नहीं किया जायगा।

श्री जगजीवन राम : यह आधारहीन आरोप है।

श्री लोबो प्रभु : गत सप्ताह मैंने एक प्रश्न किया था कि गत पांच वर्षों में एक भी मछेरे को भर्ती क्यों नहीं किया गया है—मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 90 मील लम्बा समुद्र तटीय प्रदेश है, वहां ये लोग काफी संख्या में हैं और वे मेरे मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि जाति अथवा व्यवसाय के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई है। आप ने अभी-अभी स्वीकार किया है कि कुछ रेजिमेंटों में जाति और क्षेत्र के आधार पर भर्ती की जाती है। मेरा निवेदन है कि नौ सेना में भर्ती के लिये मछेरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह अच्छा नहीं होगा कि यदि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को समुद्र में जाना पड़े जब कि तटीय प्रदेशों के लोगों को भर्ती तक न किया जाय।

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न नहीं है बल्कि कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संगत प्रश्न है ?

श्री लोबो प्रभु : यह पूर्णरूप से तर्क संगत है। सेना के एक भाग को दूसरे की गति-विधियों के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। भारतीय नौसेना में मछेरों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह संगत प्रश्न है ?

श्री जगजीवन राम : क्षेत्रीय और वर्ग संगठन की जो बात मैंने कही है, वह केवल सेना के विषय में है। जहां तक नौसेना तथा वायु सेना का सम्बन्ध है, देश के किसी भी नागरिक को भर्ती करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है यदि उस नागरिक में निर्धारित अर्हताएं उपलब्ध हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, the Hon. Minister has just now said that certain regiments have been composed on the caste basis. Is it a fact that the Mahar Regiment, which showed a greatdeal of valour in Kashmir at the time of Pakistani aggression, has been disbanded and if so, the reason therefor ?

Shri Jagjiwan Ram : Mahar Regiment still exists.

श्री क० लकप्पा : कुछ समय पहले मुख्यमन्त्रियों जैसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा देश के विभिन्न भागों से यह धारणा व्यक्त की गई थी कि सेना में भर्ती के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिये दक्षिण के कुछ क्षेत्रों का नाम लिया जा सकता है। जहां से सेना में बहुत कम लोगों को भर्ती किया जाता है और बहुत से प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र रद्द कर दिये जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भर्ती के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये कुछ नये निर्देश देंगे ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक दक्षिणी राज्यों से भर्ती का प्रश्न है, मद्रास रेजीमेंट में दक्षिणी राज्यों के लोग हैं और नागरिकों के किसी भी वर्ग की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं

है। साथ सेना में क्षेत्रीय सन्तुलन रखना अपेक्षित नहीं है। देश के सभी क्षेत्रों से सेना में भर्ती करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे नागरिकों के अन्दर यह धारणा न आने पाये कि उन्हें देश की प्रतिरक्षा में योगदान देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जी० विश्वनाथन : सेना में भर्ती के सम्बन्ध में क्या किसी क्षेत्र अथवा जाति को प्राथमिकता दी जाती है ? ऐसा सन्देह करने के लिये कारण उपलब्ध हैं कि कुछ क्षेत्रों अथवा जातियों को गुप्त रूप से कुछ प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। क्या यह सच है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है। कुछ रेजीमेंट ऐसी हैं जिनमें देश के सभी भागों से लोग भर्ती किये जाते हैं। यदि क्षेत्र अथवा जाति के आधार पर कोई प्रतिबन्ध हैं तो वे केवल 30 प्रतिशत सेना पर लागू होते हैं।

श्री बि० प्र० मण्डल : क्या यह सच नहीं है कि जाति अथवा क्षेत्र के नाम में रेजीमेंटों को नामकरण पद्धति धर्मनिर्पेक्षता विरोधी है और दूसरी जातियों के प्रति जो सेना में अधिक संख्या में हैं उनके प्रति पक्षपातपूर्ण है ? क्या सरकार ऐसे नामों को समाप्त करना चाहती है अथवा इस द्वेष और पक्षपात पूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिये क्या सरकार बहुसंख्यक जातियों के नामों के आधार पर रेजीमेंटों का नामकरण करने के बारे में विचार कर रही है ? उदाहरण के लिये सेना में अहीरों की बहुत बड़ी संख्या है और यह जाति बहुत दिनों से अहीर रेजीमेंट बनाए जाने की मांग कर रही है। क्या यह मांग पूरी की जाएगी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं जो आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि कुछ ऐसी यूनिट हैं जहां पर चर्चा कुछ ही जातियों तक सीमित है, जहां तक दूसरी जातियों का प्रश्न है वे दूसरी यूनिटों में जा सकते हैं जहां जाति और वर्ग के प्रतिबन्ध के अभाव में सभी के लिये भर्ती खुली हुई है, यदि भर्ती होने वाले लोग अन्य दूसरी निर्धारित योग्यताएं रखते हैं।

श्री बि० प्र० मण्डल : अहीर रेजीमेंट के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री जगजीवन राम : मैं बता चुका हूं, प्रश्न के दोनों भाग परस्पर विरोधी हैं।

श्री बसुमतारी : सरकार ने जो यह आधार चुना है कि सेना में भर्ती किसी जाति वर्ग अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं की जायेगी, निश्चय ही प्रसंशनीय हैं। क्या इस आधार के फलस्वरूप भर्ती के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण में कोई बाधा आयेगी ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा प्रतीत होता है कि सभा सेना में जाति वर्ग अथवा क्षेत्र के आधार पर भर्ती के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरुद्ध है। सब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के विषय में किस प्रकार विचार किया जा सकता है ?

श्री मनुभाई पटेल : यदि सेना में जाति वर्ग अथवा क्षेत्र के आधार पर भर्ती की जाती है तो यह सरकार की नीति विरोधी बात होगी। परन्तु आज भी डोगरा रेजीमेंट, राजपूताना

राइफल्स, मराठा रेजीमेंट जैसे नाम चल रहे हैं । क्या सरकार इन सभी नामों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या इन रेजीमेंटों को संख्या वार पुकार जायेगा जिससे जाति और वर्ग और क्षेत्रीय भावनाएं समाप्त हों और हमारा देश धर्म निरपेक्ष कहला सके ? ये क्षेत्रीय, जाति वर्ग की विचारधाराएं समाप्त होनी चाहिये । दूसरे क्या गुजरात से कोई ऐसा प्रस्ताव आया है कि गुजरात रेजीमेंट बनाई जाय, और यदि हां, तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने बड़ी उल्टी-सीधी बात कही है । वह एक तरफ अवांछनीय प्रक्रिया को समाप्त करने की बात करते हैं, साथ ही एक अवांछनीय चीज की स्थापना के भी इच्छुक हैं ।

श्री मनुभाई पटेल : जाति समुदाय या क्षेत्र के आधार पर नहीं, आप सारे भारत से भर्ती करिये ।

श्री जगजीवन राम : इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है ।

श्री समर गुह : बंगाल रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने उसकी देश भक्ति पूर्ण कार्यवाहियों के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भंग कर दिया था । इस समय जाति, समुदाय, प्रदेश तथा धर्म के आधार पर सेना का नाम रखा गया है, जैसे-जाट, डोगरा, गोरखा, पंजाब तथा सिख रेजिमेंट । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार बंगाल रेजिमेंट को पुनर्गठित करने और पूर्वी बंगाल से चली आ रही युद्ध की परम्परा को बनाये रखने वाली युद्ध प्रिय नामशुद्र समुदाय की भर्ती किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : सदन के विचारों को दृष्टिगत रखते हुये मैं नहीं समझता कि जाति, समुदाय, प्रदेश या धर्म के आधार पर सेना में नया यूनिट बनाया जाना चाहिये ।

श्री समर गुह : बंगाल रेजिमेंट को ब्रिटिश सरकार ने भंग किया था ।

श्री जगजीवन राम : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सशस्त्र सेना में बंगाल के लोगों की भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

वर्ष 1970-71 में पाकिस्तान के बजट में प्रतिरक्षा के लिये की गई व्यवस्था

*213. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान 1970-71 में अपने प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी रक्षा तैयारियों में उपर्युक्त कारण ध्यान में रखे गये हैं ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : सरकार की ओर से इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि हमारी रक्षा तैयारियों में इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है । पाकिस्तान राजस्व का 60 प्रतिशत भाग

रक्षा तैयारियों पर व्यय करता है। वह अपनी सीमा सड़कों को मजबूत कर रहा है। वह खाइयां और सुरंगें बना रहा है और सेना तथा उपकरणों को बढ़ा रहा है। सीमा क्षेत्रों से अर्थात् पूर्वी क्षेत्र में समस्त भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों से और विशेषकर उत्तरी बंगाल के जिलों से चिन्ताजनक रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं और इनसे आगामी महीनों में पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने का भय है। इस बात को ध्यान में रखते हुऐ मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले जिलों को और विशेषरूप से कुच बिहार और उत्तरी बंगाल जिलों को मजबूत बनाया है और क्या सीमा सड़कों को अधिक सुगम्य बनाया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में उनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सके। दूसरे, यदि ऐसी बात है, तो पूर्वी पाकिस्तान-पश्चिमी बंगाल सीमा की सड़कों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : सीमा सड़क संगठन की कुछ क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने की योजना एक है। इसके लिये आप अलग से सूचना दें। जहां तक उस प्रदेश में रक्षा तैयारियों का प्रश्न है, पाकिस्तान के किसी अचानक हमले के पूर्वोपायों के रूप में पर्याप्त कार्यवाही की गई है। **(व्यवधान)**

श्री बे० कृ० दासचौधरी : आप कृपया विस्तार से बताएं कि वे योजनाएं कौनसी हैं। अब अकेले कूच बिहार जिले में पाकिस्तान की सीमा को मिलाकर 270 मील की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है और सीमा सड़क संगठन ने वहां कोई सड़क नहीं बनाई है। कुछ सड़कें पहुंच से बाहर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुरोध करता हूं कि सीमा सड़कों और रक्षा के मामलों की चर्चा परामर्शदात्री समिति में करना बेहतर होगा।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अच्छा होगा कि माननीय सदस्य अपने विचार लिखकर भेजें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, आपने प्रश्न तो कर ही लिया है, इतना ही पर्याप्त है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : अध्यक्ष महोदय, वह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के निकट है। हम यह मांग करते आए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से मनशाई नदी पर पुल बनाया जाना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये मनशाई नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : कोई भी पुल या सड़क, यदि वह सामरिक महत्व की है या सशस्त्र सेना अनुभव करती है कि सुरक्षा के लिये इसकी आवश्यकता है, तो वह अवश्य बनाई जाएगी। यदि उस उद्देश्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है तो प्राय: वह नहीं बनाई जायेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, just now the Hon. Minister stated that Pakistan's Defence Budget is of the order of Rs. 300 crores which means that Pakistan's per capita defence expenditure is much more than India's per cupita defence expenditure. Besides this, Pakistan also gets aid from other countries. It gets materials and arms at lower rates. Pakistan is in possession of sophisticated aircrafts like Mirage which we are not having. Similarly Pakistan has transport planes which we are not having. Our night fighters are not as good as their's. In view of this may I know whether any arrangements have been made for counter

balancing the sophisticated arms that Pakistan are in possession of? Have any protests been lodged with America and Russia that supply of arms to Pakistan by them will escalate war in this region and if so, their reaction ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : पाकिस्तान सरकार के बढ़ते हुए रक्षा बजट के बारे में हम सतर्क हैं। माननीय सदस्य ने आंकड़े पूछे हैं। इस सम्बन्ध में युद्ध अध्ययन संस्थान, लंदन ने आंकड़े दिये हैं, जो इस प्रकार हैं। पाकिस्तान ने 1964-65 में रक्षा पर 126.23 करोड़ रुपये व्यय किये थे और उसने 1970-71 के लिए 300 करोड़ रुपये का रक्षा बजट बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर उसी मामले पर खुले आम चर्चा कर रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे देश के नहीं, पाकिस्तान सरकार के रक्षा-बजट सम्बन्धी आंकड़े बता रहे हैं।

श्री क० ना० तिवारी : प्रश्न कुछ और है और उत्तर कुछ और दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान और भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान भारत की अपेक्षा रक्षा पर अधिक व्यय कर रहा है। माननीय सदस्य को आंकड़े नहीं चाहिए।

श्री जगजीवन राम : सरकार को इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि पाकिस्तान किस मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और उपकरण प्राप्त कर रहा है। हम यह जानकारी रूस और अमरीका के ध्यान में ला रहे हैं। जहां तक सूचना का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में पहले ही हमारे विचार उन तक पहुंचा दिए होंगे। हमने अपने विचार पहले ही प्रकट कर दिए हैं कि पाकिस्तान को अधिक हथियार सप्लाई करने का भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री स० कुन्दू : अधिकांश आयुद्ध सामग्री, लोहे का सामान, हथियार तथा गोला बारूद पूर्वी क्षेत्र में पड़े हैं। हमने सुना है कि अधिकांश विमान पुर्जों के अभाव में बेकार पड़ें हैं। इनमें से कुछ देश पुर्जे सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अकेले तेजपुर में हमारे 50 प्रतिशत विमान पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा अचानक हमले किए जाने के लिये पूर्णरूप से तैयार हैं। पुर्जों के अभाव में विमानों के बेकार होने के कारण हथियारों एवं गोला-बारूद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस देश से हमें विमान प्राप्त हुए हैं, वह देश हमें वे आवश्यक पुर्जे सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कहां से आ गया ? प्रश्न कुल व्यय के बारे में है।

श्री जगजीवन राम : सामान्य अवस्था में भी कुछ प्रतिशत विमान वर्कशाप में पड़े रहते हैं या मरम्मत के लिये रखे होते हैं। यह सामान्य स्थिति है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे पास काम करने के लिये विमान नहीं हैं। हम पुर्जों को प्राप्त करने तथा उनकी मरम्मत करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है।

हिन्द अरब सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के सहयोग से अड्डों की स्थापना

*214. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि रूसी नौसैनिक बेड़े ने पाकिस्तानी नौसेना के सहयोग से हिन्द अरब सागर में हाल में नौसैनिक अड्डे स्थापित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भारतीय नौसैनिक बेड़े को मजबूत बनाने तथा किसी भी देश को हिन्द महासागर में अड्डे स्थापित न करने देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी नहीं । लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष इस बारे में रिपोर्टें देखी थीं कि पाकिस्तान सोवियत संघ की सहायता से गवादार को एक बड़ी बन्दरगाह के रूप में विकसित कर रहा है ।

(ख) स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाये गये हैं ।

डा० सुशीला नैयर : पिछले एक वर्ष से ऐसा हो रहा है । चाहे यह पाकिस्तान है जो सोवियत संघ की सहायता से नौसैनिक अड्डों को बढ़ा रहा है अथवा यह सोवियत संघ है जो पाकिस्तान की मदद से इसे बढ़ा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । हमारे लिये यह कोई अधिक अन्तर नहीं रखता है । यह सत्य है कि इस नौसैनिक अड्डे से भारत की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और एक वर्ष बीत गया है । भारत सरकार ने इस सदन को भरोसा दिलाया है कि हिन्द महासागर को विदेशी प्रभावों से मुक्त रखा जायेगा ।

अत: मैं भारत सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार की नीति का क्या परिणाम निकला है और भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ताकि भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे नौसैनिक अड्डों को हिन्द महासागर में बनाने दिये जायें ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : अरब सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े द्वारा पाकिस्तानी नौसेना के सहयोग से एक अड्डा बनाये जाने की जानकारी तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय को ही और न ही नौसैनिक मुख्यालय है । हमारी नौसेना भली भांति तैयार है और घूम रही ('रोमिंग अबाउट') है ।

श्री रंगा : रोमिंग अबाउट क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस कथन में कोई गलती नहीं है । मेरे विचार से उनके कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी नौसेना बड़े आराम से चक्कर लगा रही है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : 'रोमिंग अबाउट' एक ऐसी पदावली है जो नौसैनिक शब्दावली में प्रयुक्त की जाती है । इसका अर्थ है कि हम शत्रु के जलयान की खोज में हैं । नौसेना द्वारा यह शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : ठीक शब्दावली 'रोमिंग अबाउट' है न कि 'रोमिंग अबाउट' ।

डा० सुशीला नैयर : माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारी नौसेना शत्रु के जहाजों की खोज में चक्कर लगा रही है । शत्रु कौन है ? रूसी लोग हमारे बहुत अच्छे सहयोगी और मित्र हैं । अतः उनके जहाजों को शत्रु के जहाज वह कैसे कह सकते हैं ? इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान से हमारा युद्ध भी नहीं हो रहा है । इसलिये शत्रु के जहाजों का प्रश्न ही कहां उठता है ?

सुरक्षा मांग करती है कि हमारा हिन्द महासागर इन सभी जहाजों की मौजूदगी से मुक्त हो और इस बात का आश्वासन माननीय मंत्रियों द्वारा ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर में दिया गया था । जब हम इस बारे में पूरे आश्वस्त हो चुके हैं तो अब हम पाते हैं कि हिन्द महासागर में सोवियत संघ की सरकार पाकिस्तान नौसेना के सहयोग से चुपके से एक नौसैनिक अड्डा स्थापित कर चुकी है । इस स्थिति में मैं जानना चाहती हूं कि हमारी सरकार भारत की समुद्री सीमा की तटस्थता को सुरक्षित बनाने के लिये क्या कर रही है ? यदि हमारे समुद्री जहाज जो चक्कर लगा रहे हैं वे नौसैनिक अड्डे की स्थापना को रोक नहीं सकते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को किस तरह सुरक्षित रखेंगे ? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको महसूस करते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : माननीय सदस्य अपने दिमाग में उलझन है और वह मेरे वक्तव्य को भी उलझा रहे हैं ।

डा० सुशीला नैयर : श्रीमान् मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं **(व्यवधान)** यह मंत्री महोदय हैं जो उलझे हुए हैं और अपनी उलझन का दोष दूसरों पर थोप रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मेरी आदत किसी को भी गुमराह करने की नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री स्वर्ण सिंह उत्तर दिया करते थे तो माननीय सदस्य कहा करते थे कि वह सदन को कुछ भी नहीं बताते हैं लेकिन अब माननीय मंत्री सभा को सब कुछ बता रहे हैं तब भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैंने अपने मूल उत्तर में बताया था कि सरकार को पिछले वर्ष इस बारे में ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान सोवियत संघ की सहायता से गवादार को एक बड़ी बन्दरगाह के रूप में विकसित कर रहा है । हमने इसे ध्यान में रख लिया था । तत्पश्चात् मैंने कहा था कि न तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय को और न ही नौसेना मुख्यालय को इस बात का पता है कि रूसी नौसेना दल ने पाकिस्तान नौसेना के सहयोग से अरब सागर में अड्डे बनाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल ठीक है ।

डा० सुशीला नैयर : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मुझे आपका संरक्षण चाहिए । 'शत्रु' समुद्री जहाजों से मंत्री महोदय का क्या आशय है ? वे समुद्री जहाज कौन से हैं जिनकी खोज हमारी नौसेना कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार हैं कि मंत्री महोदय का अभिप्राय 'घुसपैठ' करने वाले समुद्री जहाजों से है । कभी कभी मुंह से गलत बात निकल जाती है ।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय सदन के बाहर परस्पर विरोधी वक्तव्य देते हैं और सदन में भी भ्रम उत्पन्न करते हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : यह गुजरात की राजनीति है !

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न समुद्री जहाजों के घुसपैठ करने अथवा गुजरने का था, 'शत्रु' समुद्री जहाजों का नहीं—वे नये मंत्री हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमने 'शत्रु' समुद्री जहाज इसलिये नहीं कहा क्योंकि किसी देश से हमारी लड़ाई नहीं है ।

श्री एस० कन्डप्पन : भारत पाक संघर्ष के बाद सरकार यह समझने लगी है कि उसे अपनी नौसेना को और मजबूत बनाना चाहिए । लेकिन हमारा और अंशत: समग्र देश का यह अनुभव रहा है कि सरकार ने अपनी नौसेना शक्ति को सुधारने और विशेषकर पंनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई अधिक काम नहीं किया है । यदि सरकार ने इस ओर प्रयत्न किया भी है तो उसमें कितनी सफलता मिली है और कितनी सफलता प्राप्त करना शेष है और इस बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है ? हमारी नौसेना की शक्ति क्या है ? इसके अतिरिक्त रूस के जहाज हमारे समुद्र में हैं । हमें इस तथ्य से परिचित रहना चाहिए कि चीन के समुद्री जहाज हमारे समुद्र में हैं । अभी हाल में, मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है कि अंदमान समुद्र के पास चीन की मछली पकड़ने वाली एक नौका पकड़ी गई थी परन्तु हमारे लोग उस पर निगरानी नहीं कर सके क्योंकि उसके बाद चीनी नाविक नौका सहित फरार हो गये । यदि हमारी नौसेना की यही शक्ति और योग्यता है तो हम माननीय मंत्री के वक्तव्य को संतोषजनक नहीं मान सकते हैं ।

दूसरे हमारे पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर बड़ा समुद्र है । परन्तु दोनों के बीच कोई सीधा मार्ग नहीं है और बड़े-बड़े जहाजों को लंका से होकर जाना पड़ता है । क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस पहलू का अध्ययन किया है और यदि हां तो उसकी प्रतिक्रिया या निष्कर्ष क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : माननीय सदस्य को पता होगा कि सरकार ने दो डिवीजन या विभाग बनाये हैं, एक पूर्वी समुद्री तट पर और दूसरा पश्चिमी समुद्री तट पर ।

श्री एस० कन्डप्पन : दोनों तटों के बीच सीधा रास्ता नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : नौसेना की क्षमता को मजबूत बनाने के लिये और किसी भी समुद्री हमले से देश की रक्षा करने के लिए ये उपाय किये गये हैं ।

माननीय सदस्य ने विशेषरूप से नौसेना की शक्ति के बारे में प्रश्न पूछा है । हमने पहले ही प्रतिरक्षा सेवाओं के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया है जहां हमने पूरा ब्यौरा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चीनी समुद्री जहाजों का हिन्द महासागर में आने तथा हमारे दो यूनिटों के बहुत अधिक गतिशील न होने के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यहां तक कि मछली पकड़ने वाली नौका भी भाग जाती है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : जहां तक मुझे पता है हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि चीनी नौका हमारे समुद्र के निकट आई थी ।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : समुद्र कोई छोटा सा तालाब तो नहीं कि हम समुद्र में घुसने वाले सभी जहाजों का ध्यान रख सकें।

श्री एस० कन्डप्पन : यदि माननीय मन्त्री को पूरी जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी प्राप्त करके हमें बताना चाहिए। मैं ऐसे उत्तर नहीं चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं मामले की जांच करूंगा और तब उन्हें बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पिछले कुछ वर्षों से नौसैनिक शक्ति के बारे में सभी चर्चा हिन्द महासागर में रिक्तता हो जाने पर आधारित है। ऐसा दक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटेन सैनिकों की कथित घोषित वापसी के कारण है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि हमें अब अपने विचारों और योजनाओं को बदलना होगा क्योंकि ब्रिटेन में नये चुनावों के तथा 'टोरी' सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद उन्होंने घोषणा की है कि वे 'लेबर' सरकार की पहली नीति को बदल रहे हैं और उनकी मौजूदगी दक्षिण-पूर्व एशिया अथवा अरब समुद्र तट के अड्डों से नहीं हटायी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रिक्तता जो मेरे मित्रों रूस और चीन द्वारा भरी जानी है परन्तु यह ब्रिटिश नौसेना द्वारा अपने मूल अड्डों से भरी जा रही है जहां से अब वे अपनी सेना हटाने का विचार नहीं रखते हैं और संयुक्त राज्य जिसे वियतनाम में पराजय का सामना करना पड़ रहा है, अन्ततः इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य के पास अड्डे स्थापित करने की बजाय और कोई विकल्प नहीं होगा।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हिन्द महासागर के बारे में हमारी सम्पूर्ण नीति को सभी संभावित विपदाओं के बारे में विचार करना है और इस उद्देश्य के लिए हम अपनी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that one or two months back a Chinese vessel laden with arms—some arms were taken out also from the vessel, came in the Andamans waters before the Navy Police could intercept it, it had disappeared? The Hon. Minister has stated just now that our Navy is in strength enough. How is it that the vessel could not be intercepted despite the might and strength of the Indian Navy?

Secondly, what is our military strength in comparison to Pakistan and China. Because of the people having been kept in the dark for the last 22 years we had to suffer reverses at the hands of China and Pakistan also captured 200 square miles of our territory while we captured 700 square miles of Pakistani territory which is in the ratio of 1 : 4. I would like to know from Shri Jagjiwan Ram on whose shoulders rests the responsibility of our Defence Ministry and who is the oldest congressman, as to how this vessel fled away.

श्री जगजीवन राम : मुझे यह कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ है। मैंने इसको पहले कभी नहीं सुना।

Shri Prakash Vir Shastri : It has already appeared in the Press.

श्री जगजीवन राम : मैंने कहा है कि मैंने यह पहली बार सुना है मैं इस बारे में जांच करूंगा कि इसका आधार क्या है।

डा० राम सुभग सिंह: उन्होंने पाकिस्तान तथा चीन की नौसैनिक शक्ति की तुलना हमारी नौसैनिक शक्ति के बारे में पूछे गये प्रश्न के भाग दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री जगजीवन राम : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमें अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना है।

Shri Om Prakash Tyagi : How far it is true that our Government have approached Russia and Russia have assured that they are prepared to strengthen our navy provided some facilities were extended in exchange and that Government of India have assured them that they will provide some facilities to their naval fleet ?

श्री जगजीवन राम : इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री नारायण दाण्डेकर : माननीय मन्त्री को यह स्पष्टरूप से बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई है अथवा नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi : That is true but the Hon. Minister is deliberately giving the wrong answer.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The question consists of two parts. Has the Soviet Russia given any assurance for providing assistance to strengthen our navy ? Submarines are being procured from there but he is denying that here. If the second part of the question is not correct, he should clearly clarify that.

श्री जगजीवन राम : जहां तक सशस्त्र सेनाओं के लिए उपकरण अथवा गोलाबारूद लेने का सम्बन्ध है तो हम रूस सहित विश्व के विभिन्न भागों से ये वस्तुएं खरीदने के लिए सहायता ले रहे हैं। प्रश्न का मुख्य भाग यह था कि क्या हम रूस की नौसेना को कुछ सुविधायें देने जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या हिन्द महासागर में सिचिलीज द्वीप तथा अन्य द्वीपों में अमरीका तथा यूनाइटिड किंगडन ने संयुक्तरूप से हाल में कुछ नौसैनिक केन्द्र स्थापित किये हैंऔर यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन स्थानों पर यूनाइटिड किंगडम तथा ब्रिटेन द्वारा कुछ नौसैनिक केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाहो के विरुद्ध भारत सरकार ने उनको विरोध पत्र भेजे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को समझे (**अन्तर्बाधा**) हमारी जलसीमा केवल 12 मील तक है...

डा० रानेन सेन : क्षमा कीजिए। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी बजट रूल में यह कहा गया है कि सरकार की नीति हिन्द महासागर में किसी शक्ति का कोई अड्डा न स्थापित करने देने की है। इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महीडा का परामर्श है कि यदि वह स्थिति के बारे में निश्चित रूप से न जानते हों तो वह प्रश्न का उत्तर वरिष्ठ मंत्री को देने दिया करें।

श्री जगजीवन राम : इस बारे में मेरे पास इस समय विशिष्ट जानकारी नहीं है। अत: मैं इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं देना चाहता।

कन्ट्रोल के कपड़े का मूल्य

+

*215. **श्री जगेश्वर यादव** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा निर्माता संघ ने कन्ट्रोल के कपड़े का मूल्य बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने नियंत्रित कपड़े के मूल्यों को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक अभ्यावेदन किया है और उनके अनुरोध पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

Shri Jageshwar Yadav : The present position is that the prices of cloth are rising at a time when the prices of foodgrains are going down. May I know the reasons as to why this is happening that when the prices of foodgrains were high the prices of cloth were low and now when the prices of foodgrains are going down the prices of cloth are rising ?

Mr. Speaker : This question is not related to the original question. The Hon. Member can ask a question about raising the prices of the controlled cloth.

Shri Jageshwar Yadav : The price of foodgrain effects the prices of all other Commodities. I therefore, want to know as to why the prices of cloth are rising at this juucture when the prices of foodgrains are going down ? The prices of all other commodities are influenced by the prices of foodgrains.

Mr. Speaker : If the Hon. Minister is prepared to answer this question I have no objection. This is true that the prices of other commodities are influenced by the price of foodgrains. I simply said that this question is not related to the original question. But if the Hon. Minister is prepared to answer it I have no objection.

Shri Ram Sewak : Many factors constitute to the rise in the prices of cloth. They are price of cotton, increased wages and cost of power and fuel etc. Keeping all these things in mind we are considering as to whether the prices of cloth should be raised or not ?

श्री वासुदेवन नायर : मुझे माननीय मंत्री को यह कहते सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान परामर्शदात्री द्वारा सर्वसम्मति से अथवा लगभग सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय की ओर जब यह मामला वहां पर उठाया गया था, दिलाना चाहता हूं कि नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने का बिल्कुल भी कोई मामला नहीं है । ऐसे निर्णय के पश्चात भी…

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं भी उस परामर्शदात्री समिति का सदस्य था । अभी परसों ही आप ने मना किया था कि समिति की बातों का यहां पर उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए अत: हम इस मामले पर आप का विनिर्णय चाहते हैं ।

श्री नम्बियार : आपका निर्णय यह था कि परामर्शदात्री समिति का कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए परन्तु वहां पर लिए गये निर्णय का उल्लेख यहां पर किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । उसका उल्लेख यहां पर नहीं किया जा सकता । मैं श्रीवासुदेवन नायर से सीधा प्रश्न करने का अनुरोध करूंगा । परामर्शदात्री का समिति में जो कुछ हुआ उसका उल्लेख उन्हें यहां पर नहीं करना चाहिए । यह कोई स्वस्थ प्रथा नहीं है ।

श्री नम्बियार : सिफारिश का उल्लेख किया जा सकता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : ऐसा कोई विनिर्णय नहीं दिया गया था। पहले भी एक दिन हम बंगाल के बारे में सलाहकार समिति में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहते थे तो आपने हमें ऐसा करने से रोक दिया था। अतः महोदय आप इस बारे में दो भिन्न मापदण्ड नहीं अपना सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : सलाहकार समिति की बैठक के पश्चात् कई बातें समाचार-पत्रों में छप जाती हैं तथा बहुत से व्यक्तियों को सलाहकार समिति में हुई बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि कुछ निर्णय जनता के हित में हों तो क्या हमें उनका उल्लेख करने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में उनके उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सामान्यतः बैठकों के पश्चात सरकारी सम्वाददाताओं को सूचना दी जाती है। यह राजफाश होना नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं निवेदन करता हूं कि श्री वासुदेवन नायर ने जिस निर्णय के बारे में कहा है ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था। मैं भी उस बैठक में उपस्थित था और मैं इस बात का दावा करता हूं। महोदय ! आप जांच करके स्थिति का पता लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव देता हूं कि वे सलाह कार समिति की कार्यवाही का उल्लेख न करें। किन्तु यदि समाचार-पत्रों में कोई समाचार प्रकाशित हुआ है अथवा सभापति द्वारा सम्वाददाताओं को कोई सूचना दी गई है, तो मेरे विचार से उसका उल्लेख करने में कोई हानि नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want a clarification. These informal consultative committees are not our Parliamentary Committees.

एक माननीय सदस्य : यह अनौपचारिक नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether they are informal or formal but they are not Parliamentary Committees. When these committees are not Parliamentary Committees how can it be objectionable to refer to what transpired at the meetings of these committees ? It is a serious matter. You should take some decision on it after due consideration. Opposition to making references to the proceedings of the Parliamentary Committees is however understandable. You should kindly think over it.

अध्यक्ष महोदय : इस बात के लिये मैं आपका वास्तव में आभारी हूं। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि इसे संसदीय समिति में बदल दिया जाये।

डा० राम सुभग सिंह : आपने यह सुझाव कल भी दिया था और आज भी दिया है। यह सराहनीय बात है। आशा है सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : So long as they are not Parliamentary Committees their proceedings can be referred to in the House.

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय इस बात पर विचार कर सकता है।

श्री वासुदेवन नायर : सलाहकार समिति की बैठकों की वर्तमान प्रक्रिया यह है कि बैठक के पश्चात सम्वाददाता को सरकारी तौर पर सूचना दे दी जाती है। मैंने यह निवेदन

किया था कि बैठक में लगभग मतैक्य अथवा आम राय थी। किन्तु मैं जानता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी इन बातों का अवश्य विरोध करती है। हमारा विचार था कि मंत्री महोदय भी इस बारे में सहमत थे। इसके पश्चात् मंत्री महोदय सभा के समक्ष यह क्यों कहते हैं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है यद्यपि केवल तीन या चार महीने पहले हमने इस पर विचार विमर्श किया था।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सरकार को भारतीय कपड़ा मिल संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा हम सोच रहे हैं कि इसे जांच के लिये शुल्क दर आयोग को अथवा औद्योगिक लागत और मूल्य व्यूरों को भेजा जाये। हम इस ज्ञापन, अनौपचारिक सलाहकार समिति के बारे में विचारों और दोनों निकायों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को वहां भेजेंगे।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has stated just now that Government is considering to raise the prices of cloth. The prices of all commodities like soap, Dalda, oil, cloth, etc., have been raised by the Government in every part of the country. It is argued by the Government that the cost of production of each of the items has risen. When the labour goes on strike they are victimised. No Mill owners pay him the bonus. To what extent will the prices shoot ? It has been stated by the Hon. Minister that the prices of foodgrains are going down while the prices of rest of the commodities are rising. May I know the limit of this increase ?

Shri L. N. Mishra : I agree with the Hon. Member that the prices of the cloth have risen considerably. During the recent past the prices of cloth were raised on six occasions. It is not a happy development. Therefore, we want to refer it for examination by the Tariff Commission, which is a quasijudicial Body or the Bureau of Industrial costs and Prices. After examining the suggestions made by them, the Government would formulate a policy under which any change, if necessary, would be made by the Government.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या यह सच है कि देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत गत पांच वर्षों में कम हुई हैं तथा इसमें लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई है ? यदि यह सच है तो, क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि यदि कपड़े के मूल्यों में और अधिक वृद्धि की गई तो कपड़े की खपत में और भी कमी होगी। सरकार का इस बारे में क्या विचार है ? क्या सरकार भारतीय कपड़ा मिल संघ जैसी संस्थाओं द्वारा डाले गये दबाव को मानने के लिये विवश है ?

श्री ल० ना० मिश्र : भारतीय कपड़ा मिल संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा जायगा। हम इस मामले में कोई निर्णय नहीं करेंगे। हम इस मामले को शुल्क दर आयोग को भेजेंगे अथवा औद्योगिक लागत और मूल्य व्यूरों के पास भेजेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या खपत में गिरावट आई है या नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसके लिये मुझे सूचना चाहिए। इस मामले की जांच इन दोनों निकायों में से किसी एक द्वारा की जायेगी तथा सरकार इसके बाद कोई निर्णय करेगी। आज मैं यह नहीं कहता कि मूल्यों में कोई वृद्धि की जायेगी।

श्री एस० आर० दामानी : सलाहकार समिति का मैं भी सदस्य था और मैं निवेदन करता हूं कि उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया था। नियन्त्रित किस्म का कपड़ा उन मिलों

उत्पादित होता है जो छोटे कस्बों में स्थित हैं। रुई के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण वर्ष में कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। ये मिलें संकट का सामना कर रही है। यदि कोई निर्णय नहीं किया गया, तो कुछ मिलें बन्द हो जायेंगी तथा इससे हजारों श्रमिक बेकार हो जायेंगे। सरकार ने यह आश्वासन दिलाया है कि मूल्यों को पुनरीक्षित किया जायेगा। सरकार ने जब आश्वासन दिलाया है तो मूल्यों को पुनरीक्षित करने के बारे में कोई निर्णय करने में क्या बाधा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ये बातें मूल्यों में हुई वृद्धि के पक्ष में हैं तथा कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्यों में वृद्धि के विपक्ष में भी बातें कहीं हैं। सरकार इस बारे में स्वयं कोई निर्णय नहीं करना चाहती अपितु इसे उन दोनों निकायों में से एक को सौंपा जायेगा। उनकी सिफारिशों के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जायेगा।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भूमि पर जबरन कब्जा करने का अभियान सम्बन्धी वृत्त चित्र

+

अ०सू०प्र०सं० 2. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री नंजा गौडर : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री समर गुह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भूमि पर जबरन कब्जा करने के अभियान के बारे में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार किया गया एक वृत्त चित्र अभी हाल ही में दिल्ली के छविगृहों में प्रदर्शित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त वृत्त चित्र में भूमि पर जबरन कब्जा करने के अभियान को सहानुभूति पूर्ण ढंग से पेश किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उक्त वृत्त चित्र के बारे में देश के अनेक राजनीतिज्ञों द्वारा की गई आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित 17 जुलाई, 1970 को रिलीज किये गये भारतीय समाचार चित्र संख्या 1136 की एक न्यूज रील में पश्चिमी बंगाल में भूमि पर जबरन कब्जा करने के आन्दोलन सम्बन्धी एक संक्षिप्त समाचार चित्र था।

(ख) जी, नहीं। समाचार चित्र में समाचार का केवल निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय समाचार चित्रों में समाचार योग्य घटनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, इसे संसद सदस्यों को दिखाया जाये ।

श्री नम्बियार : यह हम सबको दिखाया जाना चाहिये, जो नहीं देखना चाहते वे न देखें ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं नहीं चाहता कि कोई आपत्तिजनक चल चित्र यहां दिखाया जाये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनका समय न छीने ।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि वह समाचार योग्य घटनाओं का निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण था, यदि मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, तो मेरे विचार से मंत्री महोदय तुलसीदास के बहुत बड़े अनुयायी हैं और मुझे एक चौपाई याद आ रही है जो इस प्रकार है :

खलन्ह हृदय अति दाह विसेखी ।
जरहिं सदा पर सम्पत्ति देखी ।'

इस संदर्भ में, वे इसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण कैसे कह सकते हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि इस दृश्य को कितने समय के लिए दिखाया गया था और मंत्री महोदय का "संक्षिप्त" से क्या तात्पर्य है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस दृश्य में यह बात बार बार नहीं बतायी गई थी कि यह भारतीय साम्यवादी दल की नीति थी और कि भारतीय साम्यवादी दल इस भूमि छीनो आन्दोलन को चला रहा था ; और कि इस वृत्तचित्र में भारतीय साम्यवादी दल के, इस आन्दोलन का कुछ श्रेय भी दिया जा रहा था ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश में गत दो वर्षों में अन्य राजनीतिक आन्दोलन तथा प्रदर्शन नहीं हुए हैं तथा उनमें से किन को भारतीय समाचार समीक्षा (रिव्यू) में दिखाया गया, उदाहरणार्थ, कच्छ आन्दोलन । अन्यथा, उसकी कसौटी क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस भूमि छीनो आन्दोलन का समर्थन कर रही है और यदि नहीं, तो इसे वृत्तचित्रों में क्यों दिखाया जाता है, और क्या सरकार प्रधान मंत्री की उस बात से सहमत हैं जो उन्होंने हाल में कही, कि यह आन्दोलन गैर-कानूनी है और इसे बन्द किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनसे चौपाई का उत्तर भी चाहते हैं ?

Shri Satya Narayan Sinha : I think several Members have not understood the meaning of the **'Chaupai'** uttered by Hon. Member. It means that the bad people are jealous of other's property. If this will be the criterion the majority of the House will be on the other side.

Shri Atal Bihari Vajpayee : They have the majority. (**Interruptions**).

One Hon. Member : What has happened in Samastipur ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं भूमि छीनो आन्दोलन के पक्ष में नहीं है । मैं माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, यह वैसा वृत्त चित्र नहीं है, इस शब्द का गलत प्रयोग किया गया है, प्रश्नाधीन मद को लगभग 52 सेकेन्ड तक दिखाया गया, मैंने स्वयं इसे देखा है, हो सकता है कि यह दृश्य एक अथवा दो सेकन्ड अधिक रहा है । लेकिन इसका समय एक मिनट से कम था, अब दूसरा प्रश्न उन्होंने जो पूछा है वह यह है कि क्या ऐसी ही अन्य घटनाओं को भी दिखाया गया है ? माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं कुछ घटनाओं की सूची देना चाहूंगा जिनको सरकार के लिए बहुत परेशानी दायक समझा जा सकता है लेकिन उन पर वृत्त चित्र

दिखाये गये थे, माननीय सदस्य हमेशा यह चाहते हैं कि हम समाचारों में हस्तक्षेप न करें, समाचारों में हम कैसे दखल दे सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री रंगा : यह आपराधिक कार्य है, क्या मेरे मित्र ने कभी इसका प्रचार किया ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरे विचार में आप सूची देखने पर अपना मत बदल देंगे। पहला प्रदर्शन वह था जबकि 1966 के जो, आन्दोलन में प्रदर्शकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया था। **(व्यवधान)**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : समस्तीपुर में वे अपनी भूमि तथा मकान छीनने जा रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। आप भूमि सुधार नियमों को क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं ? हरिजनों और आदिवासियों को भूमि दिलवाइये।

श्री सत्य नारायण सिंह : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये, सभा जान ले कि किन घटनाओं को समाचार में शामिल किया गया है, जो आन्दोलन एडन गार्डन, कलकत्ता में क्रिकेट दर्शकों द्वारा उग्र रूप धारण किया जाना, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल **(व्यवधान)** इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की हड़ताल, तेलंगाना में अशान्ति, को भी समाचारों में शामिल किया गया था।

श्री हरि कृष्ण : संयुक्त समाजवादी दल के आन्दोलन के बारे में क्या है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : स्टेट बैंक आफ इन्डिया में हड़ताल, अहमदाबाद में दंगे, कलकत्ता में सामूहिक भूख हड़ताल, बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, कलकत्ता बन्द तथा बंगाल बन्द को भी समाचार में शामिल किया गया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : गंगानगर आन्दोलन के बारे में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं यह कहना चाहता था कि हम उन्हें किसी 'समाचार रील' को शामिल करने के लिये नहीं कहते। यह इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यह उसी प्रकार है जैसे कि आकाशवाणी में समाचार सम्पादक को स्वतंत्रता प्राप्त है।

Shri Rabi Ray : There was a demonstration organised by S. S. P. on 6th April. There was no mention of it. It was not covered deliberately. This happened in the case of Orissa bundh also. About 15,000 people from all over India took part in that but that was not covered in the news. Even then they say that they have got independence in the matter.

Mr. Speaker : He has given the information which he possessed. You can ask more supplementaries. In this way nothing will come out.

Shri Lakhan Lal Kapoor : A demonstration was held by 75,000 railway workers on 27th, what to talk of documentary it was not even covered in the news.

श्री शिवनारायण : मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवनारायण ने आरोप लगाया है। मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश बाकी रह गई है।

श्री हरि कृष्ण : 6 अप्रैल को आकाशवाणी के सामने संयुक्त समाजवादी दल का आन्दोलन हुआ था। उसे समाचार में नहीं लिया गया है।

श्री एस० कन्डप्पन : सभा के हंगामे को भी शामिल किया जाना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैंने कई घटनाएं बताई हैं जो सरकार को परेशान करती रही हैं । उन्हें समाचार चित्रों में लिया गया है और हम इस मामले में बिल्कुल नहीं आते वे अपने स्वविवेक पर ही सब कुछ करते हैं । मेरे विचार से सभा हमसे ऐसी आशा नहीं रखेगी कि हम समाचारों का संचारेक्षण करें और उनसे कुछ समाचारों की वृत्तकारिता करने तथा कुछ समाचारों को दबाने के लिये कहें । यह कार्य हम नहीं कर रहे हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह समाचारों में शामिल करने का प्रश्न नहीं है । यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा एक विशिष्ट अनुमोदनात्मक ढंग से प्रस्तुतीकरण का प्रश्न है, यदि आप इसे अनुमोदनात्मक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो, क्या इससे अग्रेतर मांगों में वृद्धि नहीं होगी, सेन्सर का क्या कार्य है ? भारत सरकार का क्या कर्तव्य है ? यदि उनको कोई दृश्य अथवा घटना दिखानी ही है तो उन्हें ऐसा वास्तविक रूप से कहना होगा और न कि अनुमोदनात्मक ढंग से जैसा कि उन्होंने साम्यवादी दल के भूमि छीनो आन्दोलन संबंधी दृश्य के बारे में किया । मैं जानना चाहूंगा कि सेन्सर का क्या कार्य है ? जहां तक वृत्त चित्रों का सम्बन्ध है, अश्लील दृश्यों तथा अवांछनीय और हिंसात्मक गतिविधियों को नहीं दिखाना चाहिये । यदि आप इन दृश्यों को एक अनुमोदनात्मक ढंग से दिखाएंगे तो क्या यह सरकार की नीति तथा सेन्सर नीति का उल्लंघन नहीं होगा ? पश्चिम बंगाल में लोगों ने इस चलचित्र को हटाने की मांग की है ?

श्री स० मो० बनर्जी : वह बंगाल के प्रतिनिधि नहीं हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेई : आप भी बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उस दल से संबंध रखता हूं, जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन स्वतंत्र दल बंगाल में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्ययवाही में बाधा न डालें मैंने आप से कई बार निवेदन किया है कि सभा की शान्ति को भंग न करें ।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभा की तथा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं वृत्तचित्र के साथ-साथ जो टिप्पणी की गई थी, उसे पढ़कर सुनाना चाहूंगा । उसमें यह कहा गया था :

> भारतीय साम्यवादी दल की पश्चिम बंगाल यूनिट, 24 परगना में नाल्बान में, अपने भूमि छीनों अन्दोलन के भाग के रूप में एक जलूस का नेतृत्व कर रही है । इस आन्दोलन का उद्देश्य छोटे कृषकों द्वारा कृषि करने के लिये बेनामी और फालतू भूमि पर कब्जा करना है । हिंसात्मक तरीकों का भर्त्सना करते हुए राज्य सरकार भूमि सुधार नियमों पर शीघ्र वैधानिक कार्यवाही करती है ।

श्री वासुदेवन नायर : यह सच नहीं है कि यह भूमि छीनो आन्दोलन है । यह भूमि छीनो आन्दोलन नहीं है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस टिप्पणी के साथ उसे दिखाया गया था ।

श्री समर गुह : मैंने सरकार को बधाई दी होती, यदि उन्होंने ऐसा निर्णय लेने का साहस

किया होता कि तीन महीने के भीतर सारी फालतू तथा बेनामी भूमि भूमिहीन लोगों में वितरित की जाएगी और न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी । पश्चिम बंगाल में भूमि के नाम पर हिंसात्मक प्रदर्शन तथा हिंसात्मक गतिविधियां जारी हैं। अनेक व्यक्तियों की हत्या की गई है तथा उससे भी अधिक हताहत हुए हैं और सैंकड़ों मकानों को लूटा गया है तथा उनमें आग लगा दी गई है। मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जिसमें एक स्त्री के साथ बलात्कार किया गया । अपने चुनाव क्षेत्र में मैं इस अभागी महिला से मिला हूं। इस समय मेरे पास उस स्त्री के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र है। इस भूमि हथियाओ आन्दोलन में केवल दो या तीन एकड़ भूमि वाले लोगों की बरगादारों की तथा साझी खेती करने वालों की भूमि को हथिया लिया गया। यदि वे किसी विशिष्ट राजनैतिक दल से संबंधित नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : बरगादारों को विशिष्ट भूमि दी गई है···

श्री समर गुह : यह तथ्यों के विरुद्ध बात है । वहां इस प्रकार का भूमि हथियाओ आन्दोलन चल रहा है। इस राजनैतिक दल ने भूमि हथियाओं के नाम में गरीब किसानों से अवैध रूप से 2 करोड़ रुपया एकत्रित किया है। मुझे राज्यपाल की ओर से एक लम्बा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस भूमि हथियाओं आन्दोलन की निन्दा की गई है । क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हिंसात्मक अवैध तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने के विषय पर बने वृत्त चित्र के प्रदर्शन पर अपना विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : जो अन्य बातें उन्होंने कही हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि वे सत्य हैं अथवा असत्य, परन्तु जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न है, यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है ।

श्री रंगा : बहुत दिनों बाद उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are no two opinions about it that the land problem is a serious one. It pinches the poor people more because they find that the most of the Ministers of the Central Government have acquired big farms in their names as well as in the name of their wives and children.... (**Interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह विषय से परे है। माननीय सदस्य मुख्य विषय से संबंधित रहें । यह प्रश्न केवल उस वृत्त चित्र से संबंधित है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister has opposed this land grab movement but the Hon. Minister's Department is exhibiting a film on the issue. On 24th July, 1970 ; The All India Radio broadcast under the item **"Spotlight"** the commentary of **Patriot** correspondent in which the land grab movement was fully endorsed. In this way this Government is deliberately adopting a double faced attitude because the Communist Party and Moscow have a complete hold on this Government and therefore the Government is following this policy to continue in power.

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न करने के लिये कोई भूमिका बांधने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि वह कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो वह किसी उपयुक्त समय पर ऐसा करें। अब तो वह प्रश्न पूछें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Such Commentary and Newsreel create lawlessness and anarchy in the country. May I know whether the Government of West Bengal as well as the

Delhi Administration have written letters in this regard, and if so, whether the Hon. Minister will lay those letters on the Table of the House? Will he also state the action taken on those letters?

Would the Hon. Minister appoint a Parliamentary Committee to examine and ensure that the AIR, Television or any other mass-media of communication are not used for wrong purposes or the party-ends of any political party?

Shri Satya Narain Sinha : I very much regret the very 1st sentence spoken by Shri Kanwar Lal Gupta. It appears as if the Ministers are the weakest people these days. It has become the fashion that whosoever stands, he speaks of the Ministers acquiring land or something else.... **(Interruptions)**

Smt. Tarkeshwari Sinha : Shri Chandrajit Yadav and Shri Mohan Dharia who are members of working committee of his party, have supported the land grab movement. Let him first see to his own partymen and then speak as a Minister here. Shri Jagjiwan Ram of your cabinet had also said the same thing long ago.

श्री वासुदेवन नायर : हम चाहते हैं कि माननीया सदस्या भी हमें समर्थन दें ।

Shri Satya Narain Sinha : As regards the question of acquisition of land by the Minister in his or in some others' name is concerned, I will submit that when one realises ones own sins, one finds no sinner in the world.

As regards the second point, I have repeatedly stated that the news regarding land grab movement or this particular news broadcast by the AIR does not mean that we ask the people to grab the land. How does it mean so? There are a numbers of Seminar, symposia being held everyday, and also there are many editorial articles, news etc. in the newspapers and the people are not upset on hearing or reading them, then how do they get upset when they hear some news for half or three quarter of a minute on All India Radio? If you do not take notice thereof none cares for it. Therefore please leave this topic.

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been answered. May I know whether he will lay on the Table of the House what has been written by the Delhi Administration and the Government of West Bengal, and also, whether he would constitute a Parliamentry Committee?

श्री रंगा : पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपना मत व्यक्त किया है तथा इस अभियान की भर्त्सना की है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार के पत्र की प्रति सभापटल पर रखेंगे ?

श्री रंगा : जो प्रश्न पूछा गया क्या बार-बार दोहराया गया था वह यह था कि क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार के पत्र को सभापटल पर रखेंगे ? इस वृत्त चित्र की निन्दा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कहा है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : संसदीय समिति के बारे में भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । यदि वह उत्तर नहीं देते तो हमारे लिऐ आगे बढ़ना बड़ा कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्नों की संख्या नहीं बढ़ाते जा सकेंगे ··· ***(व्यवधान)***

श्री नम्बियार : भूमिहीनों को भूमि देने के लिए एक समिति अवश्य गठित की जानी चाहिए । ··· **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह चाहते हैं कि उस पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने आरम्भ में ही इसकी मांग की थी।

Shri Satya Narain Sinha : I have stated that we have received a protest from the West Bengal Gavernment we have not received any letter in this connection from the Delhi Administration.

Shri Rabi Ray : On a point of order. The Hon. Minister is not replying to question. We want to know what the Government of West Bengal have written anything. He is not stating whether he is prepared to lay that letter on the Table of the House ?

Shri Satya Narain Sinha : I have said that we have received a protest from Bengal. We cannot lay that letter on the Table of the House—**(interruption)**

Shri Atal Behari Vajpayee : Sir, I rise on a point of order. The hon. Minister can refuse to lay only such letters/documents on the Table of the House as may provide him with the excuse of danger to the public interest. In this case, he has not put any such excuse. Therefore you please instruct him to lay a copy of that letter on the Table of the House.

Shri Rabi Ray : They cannot act arbitrarily.

Dr. Ram Subhag Singh : I support it and what the Hon. Minister has stated is quite wrong. They should not behave in this way.

Mr. Speaker : He has stated that after checking it up he will let you know.

Several hon. Members : No, no. He has not said that.

Shri Rabi Ray : He is refusing to lay it on the Table. He is not submitting to your authority and also the authority of the House. He is challenging the House. He is contravening the rules. Such an arbitrary action cannot be tolerated in the House.

श्री पीलू मोडी : यह तो बड़ा ही साधारण मामला है। आप मंत्री महोदय से कहिये कि वह उस पत्र को सभा पटल पर रख दें।

श्री दाण्डेकर : जिस भी पत्र का हवाला दिया जाये, उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

Shri Satya Narain Singh : Mr. Speaker, Sir, these so many people speak all to simultaneously and therefore neither we can hear them nor can they hear us—**(interruption)**.

Mr. Speaker. We have to develop a faculty so that we may hear twenty people at a time.

Shri Satya Narain Sinha : I have only said that a protest has been received from Bengal Government and that we have not received letter from Delhi Administration. Now they want that the copy of the letter from West Bengal should be laid on the Table of the House. So if you permit. We will lay it on the Table.

Mr. Speaker ; My permission is there. If you want to lay it, I have no objection.

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री पीलू मोडी : मैं समझता हूं कि यदि मंत्री को यह बताया जाये कि यदि वह पहले ही मान जाते तो सभा के 10 मिनट नष्ट होने से बच जाते।

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker Sir, we have nothing to do with what the Delhi

Administration or the West Bengal Government have written in their letters. We have to realise what the former is saying after seeing all that...(**interruptions**). The point is that I have myself seen this documentary of 52 seconds. No such thing, has been exhibited that one should grab the benami or any other land. Scenes of Grabbing of unutilized land of big people and the movement led by C. P. I. has been shown therein. I therefore, want to know that as all these things have been shown in documentary, similarly when certain conferences are held by our Jan Sangh and Swatantra brothers.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Holding of conferences is a different thing than violating of law.

Shri S. M. Banerjee : Their conferences are shown. Their procession are shown. The riots, which take place, are also shown. So we want to know whether the Government is prepared to exhibit this documentary film in every village or not. So that the ownership of land may be regularised there ?

Shri Satya Narain Sinha : You may attribute it bad or not but many people have seen it. We do not want to exhibit it further.

Shri Randhir Singh : If the fence starts eating its fields then what will remain therein ? What will happen if the law makers become law breakers ? Mr. Bannerjee is a law-maker. If these law makers start breaking law then what will be its impact on the Common man ? Surplus lands should be taken from their owners whether it may pertain to Tatas or Birlas. The land may be distributed and the ceilings etc. may be enforced. But I want to say through you that gradually it may not assume big proportion. Today they are grabbing lands of Birlas and Tatas and tomorrow they will start grabbing five bigha's land. To day they are grabbing big buildings and tomorrow they may start grabbing huts.

Mr. Speaker : Please do not make a speech.

Shri Randhir Singh : I want to say clearly that such tendency or bad habit may not develop which vitiate the morale of the public and such picture may not be shown by which lawlessness prevail.

I want to ask from him whether he will make such arrangement by which this movement may not result in law breaking and it may become difficult to maintain law and order in the Country.

Shri Satya Narain Sinha : The Prime Minister as well as other people have expressed their views on this subject that the Government cannot tolerate the attempt to bring somethings by lawlessness. The point is that comments were expressed on the events which were shown in the newsreel. If such things are published in the newspapers then it does not mean that the Government agree with them. The Prime Minister as well as others do not want such things which are against the law because today it is land and tomorrow it may come to turban.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सेन्सर कानून तथा नियम के अन्तर्गत कुछ बातें दिखाना निषिद्ध है। ये नियम सरकार ने बनाये हैं। क्या यह सच नहीं है कि उन नियमों के अन्तर्गत कानून तथा व्यवस्था को तोड़ना सेन्सर संहिता का उल्लंघन करना है और मैं जान सकती हूं कि क्या यह विशेष दृश्य कानून तथा व्यवस्था को भंग करने तथा सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्य की अवहेलना का सूचक है क्योंकि जनता सरकार से कम से कम इस बात के लिए संरक्षण की आशा करती है कि वह कानून तथा व्यवस्था बनाये रखे तथा जनता की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। यह कोई प्राथमिक शिक्षा देने का प्रश्न नहीं है। भूमि सुधार के प्रश्न को इसके साथ न मिलाया *जाये,* यह स्पष्ट हिंसा सम्बन्धी मामला है। "छीनना" शब्द किसी सुधार का सूचक नहीं *है।* भूमि सुधार और भूमि छीनने में अंतर होना चाहिए। छीनने का तात्पर्य किसी विशेष भूमि पर

अनधिकृत, अवैध कब्जा करना है, यह प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न नहीं है। किसी सभ्य सरकार की न्यूनतम आवश्यकता कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना है। क्या यह चित्र का दिखाना सरकार द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना नहीं है जबकि विशेषकर यह फिलम सूचना मन्त्रालय द्वारा प्रदर्शन हेतु दी गई है। यह समाचार चित्र है। यह गैर-सरकारी फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा बनाया नहीं गया है। सरकार ने इसको बनाया है और यह कर्त्तव्य की अवहेलना है और यह सेन्सर संहिता का उल्लंघन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा सेन्सर संहिता है या नहीं जो यह कहता है कि सेन्सर को ऐसे फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कानून तथा व्यवस्था के भंग करने को चित्रित करता है। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सत्य नारायण सिंह : सेन्सर बोर्ड ने इसको दिखाने की अनुमति दी थी। जैसे कि मैंने कहा है···(**व्यवधान**) कि जहां तक इसका सम्बन्ध है, हमें वह स्वतन्त्रता नहीं मिली है। उन्होंने सोचा था कि यह समाचार प्रदर्शित करने योग्य है। (**व्यवधान**)

श्री नम्बियार : यह अच्छी बात है कि आपने फिलम दिखाया है, कृपया इसे बार-बार दिखाइये।

श्री पीलू मोडी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति को दण्ड दिया गया है जिसने यह फिल्म बनाई है।

श्री नम्बियार : सभा को उसे बधाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री मोडी और श्री नम्बियर से अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री नम्बियार : वे उनके पक्ष में चिल्ला रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दिया। हम तब चुपचाप रहे परन्तु उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि हममें कोई भाव नहीं हैं। हममें भाव हैं। उन्होंने मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दिया। हमारी अपनी भावनायें हैं और मुझे उन्हें व्यक्त करना है ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सुनेंगे ? मेरे विचार में श्री नम्बियर का आक्षेप पूर्णतया ठीक है। परन्तु यदि आप एक दूसरे को बोलने से रोकोगे तो दूसरों को भी ऐसा करने को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे विचार में आप एक दूसरे को बोलने से न रोकें। मंत्री महोदय को उत्तर देने दिया जाये तथा इस कार्यवाही को शान्तिपूर्वक चलने दिया जाये। यह एक सदन है। आपको दोनों के विचार सुनने होंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : फिल्म डिवीजन का नियंत्रक समाचार चित्र के विषय का निर्णय करने वाला अन्तिम अधिकारी होता है। उन्होंने उनके अन्तर्गत ऐसा किया है, फिल्म को प्रदर्शन करने के लिए दिये जाने से पूर्व वे सरकार से सलाह-मशविरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

Shri Lakhan Lal Kapur : As far as the Land grabbing movement is concerned, it is the result of the conditions of the landless persons created by the non implementation of land reforms. So the land grabbing movement is legal and not illegal. I want to know from the Hon. Minister whether it is true that Shri Lakkappa an Hon. Member of this House started land grabbing movement in the country. 1500 persons were arrested on that account and 500 acres of land was grabbed. May I know when the Hon. Member started this movement on the ques-

tion of landless labourers and whether your Film Division took a film of it at that time? If not, the reason for making this difference ?

Shri Satya Narain Sinha : I do not know about 1959 but since 1966 such events, which have been against the Government, have been covered.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्पादन में कमी का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव

*211. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन में होने वाली कमी हमारे निर्यात की सम्भावनाओं में गम्भीर रूप से बाधक बन रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले उपायों की मोटी रूपरेखा निर्यात नीति संकल्प में दी गई है जो 30 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था।

रूस से पनडुब्बियां तथा अन्य नौसैनिक जलयानों का आयात

*216. **श्री जे० मुहम्मद इमाम** : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रूस से और अधिक पनडुब्बियां तथा अन्य प्रकार के नौसैनिक जलयान खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). पनडुब्बियों सहित अतिरिक्त नौसैनिक जलयानों को अर्जित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

भारत में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्यों से पाकिस्तान को भारत की निन्दा के लिए आधार मिल जाना

*217. **श्री बलराज मधोक :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रधान मंत्री और गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों से पाकिस्तान को भारत की निन्दा करने के लिए एक आधार प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिस समय पाकिस्तान का प्रचार विभाग प्रधान मंत्री के ऐसे वक्तव्यों को प्रकाशित कर रहा था जिनमें कहा गया था कि भारत में अल्प-संख्यक सुरक्षित नहीं हैं, उस समय हमारे राजनयिकों ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा किस हद तक गिरी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान ने इन वक्तव्यों के इस्तेमाल का प्रयास किया था, लेकिन उसका यह प्रयास असफल रहा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार की यह धारणा है कि भारत की प्रतिष्ठा गिराने के प्रयास में पाकिस्तान असफल रहा है ।

श्री लंका में भारतीय श्रमिकों के स्थान पर सिंहला श्रमिकों को लगाना

*218. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका के बागान उद्योग मंत्री के हाल ही के इस आशय के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि श्रीलंका सरकार शीघ्र ही भारतीय बागान श्रमिकों के स्थान पर सिंहली श्रमिकों को लगायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को यहां स्थान देने के लिये कोई प्रबन्ध किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने अखबार की ये खबरें देखी हैं ।

(ख) तथा (ग). माननीय सदस्य कृपया दिनांक 30 जुलाई, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 614 के उत्तर में दी गई सूचना देखें ।

रूस से प्रक्षेपणास्त्र वाली नौकायें खरीदना

*219. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपनी नौसेना के लिये प्रक्षेपणास्त्र वाली नौकाएं, वायु

सेना के लिये लड़ाकू विमान हैलिकोप्टर और परिवहन विमान तथा थल सेना के लिये प्रक्षेपणास्त्र मीडियम तोपें तथा टैंक खरीदने के लिये रूस के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका मन्त्रालय इन को भारत में बनाने की स्थिति में नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिये हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सोवियत संघ और अन्य देशों से कुछ सैनिक सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं। ब्यौरे को बताना लोकहित में नहीं है।

(ख) और (ग). हमारी नीति देश में ही महत्वपूर्ण रक्षा आवश्यकताओं को उत्पादित करने की है। फ्रिगेट, लड़ाकू विमान, हैलीकाप्टर और परिवहन विमानों का उत्पादन पहले से ही देश में किया जा रहा है। देश में ही उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाने के लिये अथवा ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका निर्माण आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है, कुछ आयात आवश्यक है। हथियारों में बढ़ती हुई जटिलता के होते हुए भी आत्म निर्भरता की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है।

जम्मू तथा कश्मीर में तैनात सैनिक अधिकारियों की रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या

*220. **श्री राम गोपाल शालवाले** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर में तैनात कुछ सैनिक अधिकारियों की गत कुछ महीनों में रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों में रहस्यपूर्ण ढंग से मारे गये सैनिक अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

हांगकांग में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय का खोला जाना

*221. **श्री बाबू राव पटेल** :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, हांगकांग में एक कार्यालय खोलने के संबंध में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला जायेगा और उस कार्यालय को चलाने पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) उस स्थानीय कम्पनी का क्या नाम है जिसके साथ राज्य व्यापार निगम सहयोग करेगा और सहयोग करार का मुख्य ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हांगकांग की फर्मों के साथ सहयोग करार के लिये बातचीत चल रही है और अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

हिन्द-चीन के राज्यों के लिये रूस की शांति योजना

*222. **श्री सूरज भान :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के विदेश उपमंत्री ने हिन्द-चीन के राज्यों में पुनः शांति स्थापित करने के लिये मास्को योजना की मुख्य रूप-रेखा प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सरकार को किन-किन देशों से इस क्षेत्र में पुनः शान्ति स्थापित करने के प्रस्ताव मिले हैं और उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार का इस मामले पर क्या रुख है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार के अधिकारियों तथा मंत्रियों के साथ उन्होंने अपनी बातचीत में, हिन्द-चीन की वर्तमान स्थिति पर भी विचार किया था, लेकिन उन्होंने कोई योजना अथवा प्रस्ताव नहीं रखा था और न उसकी कोई मोटी रूप-रेखा ही बताई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्द-चीन में पुनः शांति स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार बहुत से देशों के साथ बराबर सम्पर्क बनाये हुये है जिनमें सोवियत संघ भी शामिल है। विभिन्न देशों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। ऐसे गोपनीय विचार-विमर्श का ब्योरा बताने की प्रथा नहीं है।

(घ) सरकार विभिन्न अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, जिसे सभी जानते हैं।

पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं के लिये धन का नियतन

*223. **श्री गणेष घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के पास 30 योजनाएं तैयार हैं और यदि केन्द्रीय सरकार धन देने के बारे में अश्वासन दे तो उन पर तत्काल कार्य आरम्भ किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक आवश्यक धन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 322.5 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है जिसके ब्योरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) और (ग). यह ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य के मन में कौन सी विशेष स्कीमें हैं । अनुमानतः कलकत्ता महानगर के क्षेत्र की स्कीमों की ओर संकेत है । 28 स्कीमें पहले से ही चल रही हैं जलपूर्ति (7), मल-व्यवस्था और जल-निकासी (10), यातायात और परिवहन (7) और प्रकीर्ण (4) ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

*224. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1974 तक समुद्री उत्पादों का निर्यात दुगुना हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वालों तथा उन्हें तैयार करने वालों को सहायता देने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि समुद्री उत्पादों को तैयार करने वाले तथा उनका निर्यात करने वाले व्यक्तियों को साधनों तथा सुविधाओं के अभाव के कारण काफी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात के लिये समुद्री उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये अपेक्षित निवेशों जैसा कि मछली पकड़ने के लिये जलपोत, समुद्री डीजल इन्जन और प्लेट फ्रीजरों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, एक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी गठित करने का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यातकों तथा साधकों के सामने पेश आने वाली कठिनाइयों का सरकार को पता है । उनकी वित्त जुटाने की कठिनाई को सुलझाने, पानी, विद्युत, बर्फ, आदि की उपयुक्त व्यवस्था करने और जहाजी सुविधाओं को नियमित रूप से तथा समय पर उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नागा मिजो और कुकी विद्रोहियों के साथ हुई मुठभेड़ों में मारे गये जवान और अधिकारी

*225. **श्री शारदा नन्द :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से अब तक नागा मिजों और कुकी विद्रोहियों के साथ हुई मुठभेड़ों में भारतीय प्रतिरक्षा बलों के कितने जवान और अधिकारी मारे गये हैं ;

(ख) उक्त तिथि से अब तक कितने नागा मिजो और कुकी विद्रोही मारे गये हैं तथा पकड़े गये हैं और कितनों ने आत्मसमर्पण किया है ; और

(ग) सरकार का इस समस्या को शीघ्रता से सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने का का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1 जनवरी, 1967 से 27 जुलाई, 1970 तक के आंकड़े इस प्रकार हैं :

15 अधिकारी
9 जे० सी० ओ०
217 अन्य कार्मिक
241

		मृत	पकड़े गये	आत्मसमर्पित
(ख)	विद्रोही नागा	118	2873	2940
	मिजो/कुकी	595	2911	3774

(ख) सरकार अधिक उग्रतावादी तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाहियों को क्षेत्र में ही सीमित रखने के लिये और बड़ी संख्या में शांतिप्रिय नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये उन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विकास परियोजनाओं में भाग लेने के योग्य बनाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने शांति से उत्पन्न होने वाले लाभों को समझा है और सिविल प्राधिकारियों और सुरक्षा सेनाओं को सहयोग दे रहे हैं। सामान्यरूप से नागालैंड में शांति है और राज्य सरकार का आदेश सारे राज्य में चलता है।

विस्कोस फिलोमेंट यार्न के मूल्य निश्चित करने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

*226. **श्री को० सूर्यनारायण :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री 13 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'विस्कोस फिलोमेंट यार्न' के मूल्य [निश्चित करने के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन की जांच इस बीच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार के संकल्प को कब जारी किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : जी नहीं ।

(ख) इस समय निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है ।

देश में बेराजगारी के बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक

*227. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मोलहू प्रसाद : **श्री एम० मेघचन्द्र :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन हाल में दिल्ली में हुआ था उसमें देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में अनेक सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श करने के लिये नई दिल्ली में 26 तथा 27 जून, 1970 को समस्त राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों का संलग्न विवरण में संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया है ।

इनमें से अनेक योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं, सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार इन योजनाओं को तैयार करने में राज्यों को सलाह तथा मार्गदर्शन और उन्हें कार्यान्वित करने में सहायता देते हैं । ग्रामीण विकास तथा रोजगार के समन्वय के लिये योजना आयोग ने एक केन्द्रीय समिति का गठन किया है जो ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण जन-संख्या के पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए ग्रामीण विकास तथा कार्यक्रम सम्बन्धी वर्तमान स्कीमों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विशेष योजनाओं के समन्वय, समीक्षा तथा मूल्यांकन से सम्बद्ध है ।

विवरण

इस सम्मेलन में देश में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेश से तैयार की गई विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया । इनमें से कुछ योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और अन्य योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं । प्रायः इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि जिन योजनाओं पर सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया, राज्य सरकारें उनको उच्च प्राथमिकता देंगी और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी । केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन योजनाओं को सफलता-

पूर्वक कार्यान्वित करने के उद्देश्य से समन्वय एवं सम्पर्क के लिए कार्य-प्रणाली भी स्थापित करेंगी ।

2. इन योजनाओं की सफलता राज्यों द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने में प्रदर्शित रुचि एवं तत्परता (पहलशक्ति-नेतृत्व) पर निर्भर करती है ।

3. व्यावहारिक रूप से सभी योजनाओं में पर्याप्त लचीलापन है जिससे उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समंजित किया जा सके और साथ ही साथ उनके मूल उद्देश्य तथा आवश्यक रूपरेखा को बनाये रखा जा सके । इसमें अनेक योजनायें मार्गदर्शी कोटि की हैं और उनको कार्यान्वित करने में प्राप्त अनुभव इस बात को निर्धारित करेगा कि किस प्रकार उन्हें भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए विस्तारित किया जा सके ।

4. इन चर्चाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे :—

(1) छोटे तथा मुख्य रूप से व्यावहारिक किसानों के विकास की योजना ।

(2) आंशिक रूप से किसान तथा खेतिहर मजदूर के लिये योजना ।

(3) लगातार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण-कार्य तथा श्रम-साध्य कार्य के लिए योजना ।

(4) परम्परागत सेवा/ट्रेक्टरों तथा अन्य मशीनों का अनुरक्षण और मरम्मत, भूमि विश्लेषण, खाद, बीज आदि के विक्रय की व्यवस्था के लिए कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना विषयक योजना ।

(5) वाणिज्यिक बैंकों से कृषि ऋण देना ।

(6) जल-विहीन खेती की योजना, इन केन्द्रों के साथ जुड़े हुए निदर्शन क्षेत्र तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना ।

(7) ग्रामीण बाजार, सहायक सड़कों आदि सहित छोटी-मोटी सुविधाओं का विकास, बाजार सर्वेक्षण, नियमित बाजारों का विकास तथा बाजार समितियों के कार्य, बाजार समितियों के लिये सांस्थानिक वित्त-व्यवस्था ।

(8) कच्चे माल के वितरण, साख-सहायता तथा मशीनों का किराया-खरीद के विशेष सन्दर्भ में लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों का विकास ।

(9) इन्जीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधिपत्र धारी व्यक्तियों में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सुविधाएं ।

(10) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार तथा उपस्थापन (स्थिति निर्धारण), इंजीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधि/पत्रधारियों को सम्मिलित करने के लिये शिक्षार्थी अधिनियम का संशोधन, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का उपस्थापन तथा इंजीनियरिंग स्नातकों उपाधिपत्रधारियों तथा तृतीय श्रेणी के प्रमाण-पत्र धारी व्यक्तियों तथा प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण जिससे वे स्वयं काम करके अपनी जीविका चला सकें, तारमिस्त्री तथा विद्युत-विशेषज्ञ का प्रशिक्षण, छोटे कारीगरों के कार्यक्रम का गठन ।

(11) जीवन-वृत्ति तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में जीवन-वृत्ति विषयक अध्ययन केन्द्र की स्थापना, रोजगार सेवा को सुदृढ़ करना, रोजगार बाजार सूचना को सुदृढ़ करना, व्यावसायिक मार्ग-दर्शन सुविधाओं का विस्तार, क्षेत्रीय दक्षता सर्वेक्षण, रोजगार की नवीन संभावनाओं के बारे में जिला सर्वेक्षण ।

(12) राज्यों में जनशक्ति प्रशासन तथा योजना सम्बन्धी कार्य का गठन, केन्द्र के साथ सम्पर्क के लिए व्यवस्था ।

विदेश यात्रा के लिये यात्रा सम्बन्ध प्रतिबन्धों में उदारता

*228. **श्री उमानाथ : श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री के० रमानी : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार भारतवासियों के श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, मलेशिया और अफगानिस्तान जैसे विदेशों की यात्रा के लिये यात्रा सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में संबद्ध देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा 6 जुलाई, 1970 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिये कर दी गई थी, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3848/70]**

(ग) हमें उम्मीद है कि वे लोग इस सुविधा का स्वागत करेंगे जिससे हमारे लोगों को मित्र देशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

जाम्बिया के साथ व्यापार

*229. **श्री जनार्दनन :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जाम्बिया को उसके आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में सहायता देने के लिए उपकरण और विशेषज्ञ देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जाम्बिया के व्यापार तथा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में जाम्बियाई शिष्टमण्डल की यात्रा के दौरान जाम्बिया तथा भारत के बीच

अधिकाधिक आर्थिक सहयोग के मामले पर चर्चा की गयी थी । हमने जाम्बिया को उसके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करने की पेशकश की ।

(ख) तथा (ग). जाम्बियाई सरकार से ठोस प्रस्थापनाएं प्रतीक्षित हैं।

हमीदाबाद और फकीरगंज में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि के कटाव का प्रभाव

*230. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

श्री दे० अमात :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोलपाड़ा जिले के धुब्री सब-डिवीजन में हमीदाबाद और फकीरगंज बाजार क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि के कटाव के परिणामस्वरूप लगभग 1,500 व्यक्ति बेघर हो गये हैं और अन्य 1,500 व्यक्ति सुरक्षित स्थानों में जाने की तैयारी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष इस भूमि के कटाव को, जो कि बार-बार होता है रोकने के लिए कई बार अनुरोध किए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि ग्वालापाड़ा जिले के धुबड़ी उपमंडल के हमीदाबाद और फकीरगंज बाजार क्षेत्रों में भू-क्षरण के कारण लगभग 3,000 लोग बेघर हो गए हैं ; पीड़ित लोगों को अहेतुक सहायता दी गई है । उनको बसाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण भी किया जा रहा है । राज्य सरकार 73,000 रु० की लागत के अस्थायी सुरक्षा उपाय पहले ही प्रारम्भ कर चुकी है ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया ।

उत्तर तथा दक्षिण भारत में आदर्श चाय कारखाने खोलना

*231. **श्री हेमराज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर तथा दक्षिण के छोटे चाय उत्पादकों के लिये आदर्श चाय कारखाने खोलने के बारे में चाय बोर्ड ने कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण में ऐसे कितने चाय कारखाने स्थापित किये जायेंगे और उनको किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) ऐसे प्रत्येक कारखाने के लिए चाय बोर्ड कितना अंशदान करेगी और राज्य सरकार तथा चाय उत्पादकों का अंशदान कितना-कितना होगा ; और

(घ) यह अंशदान अनुदान के रूप में होगा अथवा ऋण के रूप में और यदि ऋण के रूप में होगा, तो इस पर कितना ब्याज लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). चाय बोर्ड ने उत्तर तथा दक्षिण के लघु चाय उत्पादकों के लिये माडल चाय फैक्टरियां खोलने का कोई विनिश्चय नहीं किया है। परन्तु चाय बोर्ड की सहायता से लघु चाय-उत्पादकों के लाभ के लिये उत्तर तथा दक्षिण भारत में आधुनिक ढंग की अनेक सहकारी चाय फैक्टरियों की स्थापना की गई है।

नौ सहकारी चाय फैक्टरियों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से एक उत्तर भारत के कांगड़ा क्षेत्र में, एक दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र में और सात नीलगिरी क्षेत्र में हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत में दो अन्य फैक्टरियां—एक बिकट्टी और दूसरी गुड्लर में शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक और फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनके अलावा चाय बोर्ड की सहायता से तीन सहकारी चाय विपणन समितियां—दो हिमाचल प्रदेश में और एक नीलगिरी में स्थापित की जा चुकी हैं।

चाय बोर्ड द्वारा ऋणों तथा अनुदानों के रूप में इन सहकारी चाय फैक्टरियों को सहायता दी गई है। अब तक इन फैक्टरियों और विपणन समितियों को 49.70 लाख रुपये का कुल ऋण और लगभग 1.90 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। नौ सहकारी फैक्टरियों की योजना में सम्बद्ध राज्य सरकारों की भागीदारी 15.26 लाख रुपये है जो आउट राइट ऋण अथवा शेयर पूंजी ऋण के रूप में है। उर्वरक उपदान और अमला उपदान के रूप में दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में चाय बोर्ड और राज्य सरकारों का भाग 50 : 50 है। राज्य सरकारों द्वारा उपदान के रूप में 1.90 लाख रुपये का अनुदान किया गया है। लघु चाय उत्पादकों ने इन सहकारी फैक्टरियों के शेयर खरीदे हैं।

चाय बोर्ड द्वारा पहले दिये गये ऋणों पर सहकारी चाय फैक्टरियों को 3% ब्याज देना पड़ता था। चाय बोर्ड द्वारा अब दिये जा रहे ऋणों पर ब्याज की दर 5% है।

श्रीलंका में भारतीयों पर वीसा कर

*232. **श्री नारायणन** :
श्री स्वामिनाथन् :
श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने उन भारतीयों पर वार्षिक वीसा कर लगाने का निर्णय किया है जो अस्थाई निवास परमिटधारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भूतपूर्व सरकार ने इस कर को समाप्त कर दिया था ; और

(घ) क्या श्रीलंका सरकार, श्रीमावो-शास्त्री करार के अन्तर्गत भारतीयों के आवेदन-पत्रों पर शीघ्र निर्णय करने के लिये सहमत हो गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सरकार ने अखबारों में ये खबरें देखी हैं परन्तु अभी तक उसे श्रीलंका की सरकार के किसी ऐसे प्रस्ताव की आधिकारिक

सूचना नहीं है कि वह ऐसे लोगों पर वीजा कर अधिनियम फिर से लागू करेगी जोश्रीलंका में रहते हैं किन्तु वहां के नागरिक नहीं है। 1961 का वीजा कर अधिनियम न केवल भारतीयों के लिये था अपितु श्रीलंका में रहने वाले सभी विदेशियों के लिये था। जब यह लागू था तब भी अस्थाई निवास परमिट वाले इसके अन्तर्गत नहीं आते थे।

इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि अगर श्रीलंका सरकार वीजा कर अधिनियम फिर से लागू करती है तो उसका क्या स्वरूप होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। यह कर 1965 में समाप्त कर दिया गया था।

(घ) भारत सरकार एवं श्रीलंका सरकार, दोनों ही भारत-श्रीलंका समझौते के सभी चरणों को शीघ्र लागू करने के लिये उत्सुक हैं।

1980 तक 450 से 500 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन

*233. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री अदिचन :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में हाल के एक सम्वाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि अगर भारत 1980 तक 450 से 500 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करने में असफल रहा तो देश की स्थिति बिगड़ जायेगी ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां हैं;

(ग) यदि हां, तो वे कौनसी कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सरकार इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करना चाहती है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1980 तक लगभग 500 लाख किलोवाट का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रमुख सीमाएं ये हैं :

1. इस बात को देखते हुए कि जल विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में पत्त-प्राप्ति काल 5 से 8 वर्ष तक, ताप विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में 4 से 6 वर्ष तक और अणु-विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में 7 से 8 वर्ष तक, होता है, स्कीमों को तैयार करने और क्रियान्वित करने में पर्याप्त समय लग जाता है।

2. वित्तीय साधनों की तंगी।

(घ) 1980 तक लगभग 500 लाख किलोवाट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. 1973-74 के अन्त तक 230 लाख किलोवाट, और यदि सम्भव हुआ तो इससे भी 20 से 30 लाख किलोवाट अधिक, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

2. 33.7 लाख किलोवाट के अलावा जिसे पांचवीं योजना में प्राप्त करना होगा, विद्युत् सम्बन्धी कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना में विचार करने के लिये, कुल 150 लाख किलोवाट की नयी स्कीमों की एक सूची तैयार की है ।

3. विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और परियोजना अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पांचवीं योजना के दौरान अत्यधिक विद्युत उत्पादन के लिये स्कीमें शीघ्र तैयार करें ।

विशिष्ट स्कीमों को अन्तिम रूप प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन स्कीमों की क्रियान्विति के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपेक्षित धन प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न किये जाएंगे ।

कानपुर आयुध कारखाने से चोरी छिपे बाहर निकाले गये हथियारों की बिक्री

*234. **श्री बीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर आयुध कारखाने में निर्मित नवीनतम किस्म के स्वचालित हथियारों की कारखानें से कथित तस्करी की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने हाल ही में ऐसे तस्करी करने वाले गिरोह में से सात व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट के कथानानुसार यह गिरोह इन हथियारों और गोला बारूद की अपेक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उतने जितने वह व्यक्ति लेना चाहता हो, हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर सकता था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि गिरोह ने चम्बल घाटी के डाकुओं को हथियारों की सप्लाई की थी ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो आयुध कारखानों के सुरक्षा प्रबन्धों में जो गम्भीर कमियां दिखाई देती हैं उनको दूर करने के लिये क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के निष्क्रमण के बारे में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त का वक्तव्य

*235. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने अपनी हाल की ढाका यात्रा के दौरान इस आशय का कोई व क्तव्य नहीं दिया था कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के निष्क्रमण के बारे में बढ़ा चढ़ा कर समाचार दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के हाल के निष्क्रमण के कारणों के बारे में सरकारी-तौर पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । हाई कमिश्नर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन लोगों के छोड़ कर जाने की वजह यह है कि वहां आमतौर से असुरक्षा की परिस्थितियां हैं, उनमें आर्थिक निराशा है तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है । पूर्व पाकिस्तान की साम्प्रदायिक पार्टियां भी कुछ क्षेत्रों में घातक प्रचार कर रही हैं जिसकी वजह से वहां के अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना और बढ़ गई है ।

अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिये बड़े एककों का लगाया जाना

*236. **श्री लताफत अली खां** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में नई दिल्ली में प्रेस सम्मेलन में बताया था कि जब विकसित देश 500 किलोवाट के पावर जनित्र लगा रहे थे तब हम भारत में छोटे-छोटे एकक ही लगा रहे थे ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि बड़े एकक ना केवल अधिक बिजली ही उत्पन्न करते हैं बल्कि उन पर खर्चा भी कम आता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में बिजली उत्पन्न करने वाले बड़े-बड़े एकक स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय देश में जिन विशालतम विद्युत् उत्पादन यूनिटों का निर्माण हो रहा है वे इस प्रकार हैं :-

ताप विद्युत्	120 मैगावाट
जल विद्युत्	165 मैगावाट

अब अधिक बड़े आकार के यूनिट प्रतिष्ठापित करने का विचार है। औद्योगिक विकास विभाग ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है जो चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान और पांचवीं योजना के दौरान प्रतिष्ठापित होने के लिये 200 मैगावाट ताप विद्युत् यूनिटों के अपने देश में ही निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी।

Completion of digging Work of western Kosi Canal, Gandak Canal and Rajasthan Canal

*237. **Shri Bhogendra Jha:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether complete arrangements have been made for completing the digging work of Western Kosi Canal, Gandak Canal and Rajasthan Canal and commissioning these projects during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the complete details in this regard; and

(c) if not, the difficulties being experienced in doing so and the measures proposed to be taken to remove them?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Gandak Project:

The barrage has been completed. Part of the Canal System in U. P. and Bihar has already been completed and is in operation. Provision has been made in the Fourth Plan to complete the remaining works of the Canal System and the States are asking for greater financial assistance to complete the works early.

Rajasthan Canal:

The adequate administrative and technical machinery to effectively and efficiently deal with the construction of Rajasthan Canal Project already exists. The Government is trying to provide optimum funds for the speedy completion of the Phase—I of the Project consistent with the available resources. During 1968-69 an additional assistance of Rs. 3.5 crores was given to the Government of Rajasthan for this Project. During 1969-70, also a non—plan assistance of Rs. 3.2 crores have been arranged for the Project.

During the Fourth Plan, the original outlay of Rs. 27 crores provided for the Rajasthan Canal Project in the draft Plan has been increased to Rs. 40 crores which will enable completion of Stage I of the Project substantially during the Fourth Plan and Stage II in the subsequent plans.

Western Kosi Canal:

The approval of His Majesty's Government of Nepal to the alignment of the first 22 miles of the Canal lying in their territory is awaited, and they have been expedited at the highest level.

कम्बोडिया सम्बन्धी त्रिराष्ट्रीय एशियाई कार्य-दल

*238. **श्री क० मि० मधुकर :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिराष्ट्रीय एशियाई कार्य-दल दिल्ली आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सरकार से क्या बातें हुईं ; और

(ग) उनके प्रस्तावों के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत का ब्यौरा गोपनीय है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता । यह बात-चीत नि:संकोच, सौहार्दपूर्ण और उपयोगी रही ।

(ग) भारत सरकार द्वारा प्रकट किये गये कुछ विचारों को जकार्ता सम्मेलन से जारी की गई विज्ञप्ति में स्थान मिला है । शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से भारत सरकार सम्बद्ध पक्षों, जकार्ता में भाग लेने वाले सभी देशों की सरकारों से तथा दूसरों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है ।

हथकरघा वस्तुओं के जहाजों द्वारा भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

*239. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में हथकरघा वस्तुओं के जहाजों द्वारा भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध किन परिस्थितियों में लगाया गया है ; और

(ग) इसके फलस्वरूप गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान व्यापार संतुलन पर समूचे तौर से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जनरल नेविन का दौरा

*240. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की क्रांतिकारी परिषद् के अध्यक्ष, जनरल नेविन ने 8 जुलाई, को भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री से अनेक बार भेंट की थी ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों के मध्य किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बर्मा संघ की क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष, जनरल नेविन ने 8 से 10 जुलाई, 1970 तक यात्रा की थी । इस बीच प्रधान मंत्री की उनसे कई बार भेंट हुई तथा उन्होंने सौहार्द और मित्रता के वातावरण में भांति-भांति के विषयों पर विचार-विनिमय किया । इस तरह के विचार-विनिमय की विषय-वस्तु को सार्वजनिक रूप से बताने की प्रथा नहीं है ।

उगांडा से रुई का आयात

1401. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को उगांडा से प्रति वर्ष कितनी रुई मिल रही है ; और

(ख) क्या उगांडा से आयात होने वाली रुई की मात्रा बढ़ाने की कोई योजना सरकार के समक्ष है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) लगभग 35,000 से 40,000 गांठें ।

(ख) किसी भी देश से रुई के आयात बढ़ाने की कोई योजना नहीं है । आयातों की व्यवस्था यथावश्यक न्यूनतम सीमा तक की जाती है ।

मोकोकचुंग के निकट एक नागा नेता से हथियारों का पकड़ा जाना

1402. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकोकचुंग के निकट एक विद्रोही नागा नेता ने, 100 अन्य व्यक्तियों तथा बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ 8 जून, 1970 को अपने आपको अधिकारियों के हवाले कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे हथियार कहां के बने हुए थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) छिपे नागाओं के तथाकथित क्रान्तिकारी दल के एक छिपे नागा नेता, निवितो सेमा ने 6 जून, 1970 को नागालैण्ड के असैनिक अधिकारियों को अपने 99 साथियों एवं 100 हथियारों सहित समर्पण किया था ।

(ख) समर्पित हथियारों का ब्यौरा यहां नीचे दिया जा रहा है :

1. लाइट मशीन गन	3
2. राइफल	87
3. स्टेन गन	5
4. टोमी गन.	1
5. राकेट लान्चर	1
6. दो इंच मोर्टर	1
7. पिस्टल	1
8. पिस्टल सिगनल	1

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

डा० तेजा के प्रत्यर्पण के लिए भेजे गये प्रतिनिधिमंडल पर हुआ व्यय

1403. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में डा० तेजा के प्रत्यर्पण के लिये कितने प्रतिनिधि मंडल कोस्टारीका भेजे गये तथा उनके सदस्यों के नाम क्या थे;

(ख) क्या कोस्टारीका सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए सरकार ने डा० तेजा को लाने के लिये और प्रयत्न करना समाप्त कर दिया है;

(ग) डा० तेजा के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय राजनैतिकों को कोस्टारीका भेजने पर कितना रुपया व्यय हुआ; और

(घ) प्रत्यर्पण कार्यवाही पर अब तक कितना रुपया व्यय हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी के प्रत्यर्पण के लिए, पिछले दो वर्षों में ऐसा कोई प्रतिनिनिधि मंडल कोस्टारीका नहीं भेजा गया है। डा० पी० के० बनर्जी जो मई 1969 तक तक कोस्टारीका में भारत के राजदूत के रूप के प्रत्यायित थे और श्री वी० के आहूजा, जो कोस्टारीका में राजदूत के रूप में डा० बनर्जी के बाद आए, समय-समय पर सान जोस जाते रहे और कोस्टारीका से उनके प्रत्यर्पण के प्रश्न पर विचार-विमर्श करते रहे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य अधिकारी भी इस सम्बन्ध में कोस्टारीका गये।

(ख) भारत सरकार तेज दम्पति को प्रत्यर्पित कराने के प्रयत्न कर रही है। जैसा कि सदन को मालूम है डा० धर्म तेजा को पिछले महीने लन्दन में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यू० के० से यथाशीघ्र प्रत्यर्पित कराने के सभी उपाय सरकार कर रही है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे राजनयिकों की कोस्टारीका यात्रा पर जो खर्च हुआ, वह (लगभग) 71,250 रुपये है। यह खर्च आंशिक रूप से तेजा के मामले के सम्बन्ध में हुआ और आंशिकरूप से कोस्टारीका में हमारे राजदूत के सहप्रत्यायन के कारण, तथा उनके द्वारा उस देश की समय-समय पर यात्रा करने पर। ऐसे मामलों में अलग से हिसाब रखना मुश्किल है कि क़िसी एक व्यक्ति के मामले पर कितना खर्च हुआ।

(घ) डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी के प्रत्यर्पण पर, 30 जून, 1970 तक (लगभग) 5,01,500 रुपये की कुल राशि खर्च हुई है।

भारतीय वायु सेना के वायुयानों की दुर्घटनाएं

1404. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से जून, 1970 तक भारतीय वायु सेना के वायुयानों की कितनी दुर्घटनाएं हुईं, दुर्घटनाग्रस्त वायुयान कौन-सी किस्म के थे, यह दुर्घटनाएं कहां हुईं तथा मारे गये अथवा घायल हुए चालकों के नाम क्या हैं;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की अधिकता को देखते हुए क्या सरकार एच० एफ०-24 वायुयान की उड़ानें बन्द करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा। ऐसी सूचना दूसरे देशों द्वारा भी प्राय: नहीं दी जाती। तदपि अन्य देशों में सैनिक विमानों की दुर्घटनाओं की सीमित प्राप्य सूचनाओं के अनुसार हमारे यहां दुर्घटनाओं की दर, समयात: दूसरे अधिकतम देशों की तुलना में निम्नतर है। हाल के वर्षों में हमारी कुल दुर्घटना दर प्रगतिशीलता से नीचे आती रही है।

(ख) तथा (ग). जनवरी, 1969 और जून 1970 के बीच भारतीय वायु सेना की स्क्वाडन सेवा में एच० एफ०-24 को अन्तर्ग्रस्त करने वाली कोई गम्भीर दुर्घटना नहीं हुई। इस लिए इस विमान की उड़ानें बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

काली मिर्च का निर्यात

1405. **श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 में काली मिर्च के निर्यात में बड़ी तेजी से कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डोनेशिया और ब्राजील ने अमरीका, आस्ट्रेलिया और जापान में भारतीय बाजार पर आंशिक रूप से कब्जा कर लिया है;

(घ) क्या सरकार खाद्य तथा कृषि संगठन के द्वारा मूल्य स्थरीकरण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने पर विचार कर रही है; और

(ड) यदि हां, तो प्रस्तावित समझौता किस प्रकार का होगा और वह कब लागू होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया से औजार और मिश्रित इस्पात का आयात

1406. **श्री बाबू राव पटेल : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र ने भारतीय उद्योगों को आयात लाइसेंसों के आधार पर बेचने के लिए आस्ट्रिया से कितने औजार और मिश्रित इस्पात खरीदा है *तथा उसका* मूल्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र का एक दल श्री बी० बी० गुजराल के नेतृत्व में छोटे उद्योगपतियों की इस योजना का समर्थन करने को प्रोत्साहित करने के लिये कलकत्ता और मद्रास गया था;

(ग) सरकार ने औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र में कितनी पूंजी लगा रखी है; और

(घ) औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र का विचार निकट भविष्य में कौन-कौन सा कच्चा माल आयात करने का है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1785 मे० टन।

(ख) औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र द्वारा कच्चे माल के आयात करने की योजना की मुख्य बातों की व्यापार तथा उद्योग को जानकारी करवाने के लिए राज्य व्यापार निगम का एक दल कलकत्ता और मद्रास गया था।

(ग) शून्य।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार तथा उद्योग से परामर्श करके औद्योगिक कच्चे माल की एक सूची तैयार की जा रही है।

आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये भारत और श्रीलंका में बातचीत

1407. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत श्रीलंका के घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्धों को और बढ़ाने हेतु हाल ही में कोई बातचीत हुई है अथवा होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो किस विशिष्ट विषयों पर चर्चा की गई अथवा की जायगी; और

(ग) श्रीलंका को किन विशिष्ट मदों के निर्यात अथवा वहां से आयात की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है अथवा लगाया जायेगा और यदि इस बारे में कोई वार्ता हुई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग). आर्थिक सहयोग विषयक भारत-श्रीलंका समिति (आई० सी० सी० ई० सी०) द्वारा स्थापित व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्यशील दल ने कुछ पहले, दोनों देशों के बीच पारस्परिक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विस्तार से सम्बन्धित मामलों का अध्ययन किया था। इसकी सिफारिशें भारत-श्रीलंका समिति की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ रखी जायंगी। समिति की बैठक के लिये दोनों देशों के लिये सुविधाजनक तिथि तय करने के लिये हम कोलम्बो में हमारे उच्चायोग के माध्यम से श्रीलंका के प्राधिकारियों से सम्पर्क रखे हुए हैं।

अब श्रीलंका को भारत के निर्यातों में विविधता आ गयी है और निर्मित माल की बहुत सी नई मदें श्रीलंका के बाजार में पेश की जा चुकी हैं, पर जब तक इन सिफारिशों पर, दोनों सरकारों द्वारा स्थापित उपरोक्त भारत-श्रीलंका समिति द्वारा विचार न कर लिया जाये और स्वीकृति न दे दी जाए तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि कार्यशील दल के प्रयत्नों के फलस्वरूप व्यापार विनिमय की कौन-कौन सी मदें सामने आयेंगी।

प्रतिरक्षा अध्ययनों और विश्लेषण संस्था, नई दिल्ली

1408. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, नई दिल्ली का संगठन और उसके कार्य क्या हैं;

(ख) संस्था की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) संस्था पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय क्या है; और

(घ) संस्था का वित्तीय पोषण किस प्रकार होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका 1860 के अधिनियम III (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत किया गया जिसे केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में भी लागू किया गया है। इस संस्थान का प्रबन्ध तथा प्रशासन एक कार्यकारी परिषद करती है जिसमें संस्थान के अध्यक्ष तथा 8-10 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव सभा के द्वारा वार्षिक सभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष में किया जाता है।

संस्थान के निदेशक प्रशासन अध्यक्ष हैं जिनको कार्यकारी परिषद् के द्वारा नियुक्त किया जाता है जिनकी सहायता के लिए सहायक कर्मचारी होते हैं।

संस्थान को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है।

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र की समस्यायों के अध्ययन, चर्चा तथा अनुसंधान को पहल करने के लिए।

(2) सूचना के आदान-प्रदान युद्ध, के तरीकों को प्रभावी करने के लिये रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण में रक्षा तकनीकी की समस्याओं के लिए तथा निशस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वृद्धि करने तथा चर्चा करने के लिए।

(3) ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों के ग्रुप को बनाना जो इस प्रकार के अध्ययन कर सकें।

(4) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेण के क्षेत्र में संस्थान के ठोस विचारों को आवधिक पत्रिका के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से प्रकाशित करना।

संस्थान को वित्त रक्षा बजट के सरकारी अनुदानों से मुख्यतया तथा सदस्यों के चन्दों से तथा प्रकाशनों की बिक्री इसके अन्य स्रोत हैं।

संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय तथा सरकार के द्वारा दी गई अनुदानों की राशियां निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	कुल बताया गया व्यय	सरकारी अनुदानों की राशि
	रुपए	रुपये
1967-68	1,86,320	2,00,000
1968-69	3,39,120	3,00,000
1969-70	5,53,839	4,95,000

अनुदानों से अधिक व्यय की पूर्ति 1966-67 की बची राशि को आगे ले जाकर तथा अन्य साधनों से प्राप्त साधनों के द्वारा की गई ।

कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (भारत) की हितकारी निधि/तदर्थ निधि का उसके कार्यकर्ताओं में वितरण

1409. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वित्तीय वर्षों में भारत सरकार ने कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (भारत) के कर्मचारियों में बांटने के लिये कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट हितकारी निधि/तदर्थ तिथि को 1650 लाख रुपयों का नियतन किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समस्त कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों में बांट दिया गया है और क्या पाने वालों तथा उनको दी गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ;

(ग) यदि नहीं ; तो अब समस्त राशि का वितरण न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उसकी वितरण की कसौटी क्या है तथा वह कब तक वितरित कर दी जायगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां । 1966-67 से 1968-69 वर्षों के सम्बन्ध में 16.50 लाख रुपये की एक राशि आवंटित की गई थी ।

(ख) से (घ). समस्त राशि की अदायगी कर दी गई है । राशि के निर्धारण के लिए मुख्य कसौटी प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होने वाला वेतन है । लगभग 2,500 प्राप्तिकर्ता हैं और उनमें से तीन वर्षों में प्रत्येक को अदा की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा ।

कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (भारत) के लिये महाप्रबन्धक की नियुक्ति

1410. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के एक जनरल ने बम्बई में कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) का महाप्रबन्धक का कार्यभार सम्भाल लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किन शर्तों पर की गई है ;

(ग) क्या इस प्रकार का कोई "सदाशयता पूर्ण समझौता" कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) बोर्ड में कभी था कि महाप्रबन्धक का यह पद सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों को बारी-बारी से दिया जायगा ;

(घ) यदि हां ; तो क्या वायु सेना के अधिकारियों ने वर्तमान नियुक्ति पर तथा इस बार कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) के महा-प्रबंधक के रूप में वायु सेना के अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) के पद पर वायु सेना के अधिकारी को भी अवसर देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। नए जनरल मैनेजर एक सेवानिवृत्त सेना जनरल हैं।

(ख) शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ). उपरोक्त (ग) के समक्ष प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सी एस डी (आई) के नए महा प्रबन्धक की मुख्य सेवा शर्तें

(क) प्रारम्भिक नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष है। इसे नियंत्रक मंडल के स्वविवेक पर एक बार में एक वर्ष के आधार पर 5 वर्ष तक या 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) प्रारम्भ में नियुक्ति एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होगी तथा इसके उपरान्त पद को स्थायी करने का विचार नियंत्रकमंडल करेगा।

(ग) वेतन 2000-100-2500-125/2-2750 रुपए है। तथापि प्रारम्भ में वेतन का निर्धारण दुबारा सेवा में लगाए गए पेंशनरों के सम्बन्ध में लागू किए आदेशों के आधार पर किया जायगा। वेतन के अतिरिक्त, बम्बई में सी एस डी (आई) के सिविलियन अफसरों को ग्राह्य शहर प्रतिकर भत्ता, सम वेतन राशि के आधार पर ग्राह्य होगा।

(घ) छुट्टी आवास की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता तथा सेवा मुक्ति के नियम जो सी एस डी (आई) अफसरों को लागू हैं।

(ङ) महा प्रबन्धक सी एस डी (आई) के कर्मचारी भविष्य निधि में मूल वेतन का 8½ प्रतिशत जमा करेंगे तथा यदि नौकरी एक वर्ष से अधिक की हो जायगी तो सी एस डी (आई) समान योगदान करेगी।

कैंटीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (भारत) की पंसारी की दुकान का वायु सेना मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थानान्तरण

1411. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) की वायु सेना मुख्यालय, दिल्ली में स्थित पंसारी की दुकान को शीघ्र ही किसी अन्य जगह स्थानान्तरित कर दिया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसके लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चुनाव कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वह कहां है तथा नए भवन आदि की लागत समेत तत्सम्बन्धी अन्य व्यौरा क्या है ; और

(ङ) स्थानान्तरण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) से (ङ). उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न नहीं उठते।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) द्वारा गृह निर्माण कार्य

1412. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1968-69 में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (भारत) द्वारा विभिन्न स्थानों पर किये गये गृह-निर्माण-कार्य का ब्योरा क्या है, जिस पर 5.74 लाख रुपये की धन-राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इस विभाग द्वारा निकट भविष्य में आवास के लिए निश्चित रूप में अपनाई जाने वाली अन्य मुख्य परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रश्न गत लगभग 574 लाख रुपये की राशि बम्बई में सी० एस० डी (आई) की घटकोपार सम्पत्ति में तृतीय श्रेणी के 16 और चतुर्थ श्रेणी के 24 क्वार्टरों के निर्माण पर खर्च की गई थी ।

(ख) मैनेजर, एक अकाउंटेंट एक वरीय स्टोर कीपर और सुरक्षा इन्चार्ज पर समलित चुने चुने सेविवर्ग को एक प्रावस्थित कार्यक्रम में प्रत्येक संस्थान में वास्य भवन प्राप्य करना प्रस्तावित है और अधिक विस्तार तैयार नहीं किए गए ।

भारत में अमोनिया भारी जल संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में डेनमार्क सरकार का प्रस्ताव

1413. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री अदिचन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क की सरकार ने भारत में अमोनिया भारी जल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावाना है ;

(ग) यह संयंत्र कहां स्थापित किया जायेगा ;

(घ) इसमें डेनमार्क की सरकार किस-किस हद तक सहायता करेगी ; और

(ङ) इस संयंत्र की स्थापना से भारत को कितना लाभ होगा ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । लेकिन भारी पानी संयंत्र की स्थापना के विभिन्न विकल्पों का अध्ययन परामर्श-दाता के रूप में करने की पेशकश डेनमार्क की एक फर्म ने की है ।

(ख) से (ङ). जो एक अन्य भारी पानी संयंत्र स्थापित किया जाना है उसका ब्योरा अभी तैयार नहीं हुआ है ।

आसाम के चाय बागानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

1414. **श्री जि० मो० विस्वास :** **श्री अदिचन :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री नंजा गौडार :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने राज्य में चाय बागानों को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :(क) और (ख). आसाम सरकार ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ चाय बागानों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये उससे अनुरोध किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मद्रास में टेलीविजन सेट बनाने के कारखाने की स्थापना.

1415. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास की एक फर्म को टेलीविजन बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) प्रस्तावित कारखाने की क्षमता क्या होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मद्रास की एक कम्पनी को प्रति वर्ष 10,000 टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर में एक कारखाना लगाने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है ।

सोयाबीन तेल का आयात

1417. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा देश में कितना सोयाबीन तेल आयात किया गया ;

(ख) तेल का प्रति दिन आयतित मूल्य क्या है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम अथवा आयात करने वाली अन्य एजेंसी ने उसे किस मूल्य पर बेचा ; और

(घ) सोयाबीन तेल के व्यापार पर राज्य व्यापार निगम को कुल कितना लाभ हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक):

(क) वर्ष	मात्रा (मे० टन)
1967-68	91,579
1968-69	73,479
1969-70	85,558

(ख) तेल की लागत बीमा भाड़ा सहित लागत की सीमाएं (औसत भार) नीचे दी गई हैं:

वर्ष	सीमाएं (रु० लागत बीमा भाड़ा सहित प्रति मे० टन)		
1967-68	1968.10	—	2223.67
1968-69	1929.22	—	1790.79
1969-70	1959.57	—	2539.92

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा बेचे गये तेल के मूल्यों की सीमाएं नीचे दी गई हैं :

वर्ष	रु० में मूल्य-सीमाएं (प्रति मे० टन)		
1967-68	3150	—	2700
1968-69	2145	—	2850
1969-70	2200	—	8-5-69 से

(घ) राज्य व्यापार निगम को पत्तन पर उतरने का 2 प्रतिशत सेवा प्रभार अनुमत था ।

Manufacture of Indigenous Transmitting and Receiving Equipment

1418. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the **Prime Minister** be pleased to state the details of arrangements being made in the direction of manufacturing indigenous transmitting and receiving equipment?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): At present, Bharat Electronics Ltd., Bangalore, a public sector undertaking, are engaged in the manufacture of these equipments. They are by and large meeting the requirements of the Defence Services and the other Government Departments for trans-receiving equipment. They are producing radio transmitting equipment required by the All India Radio and are also taking necessary steps to establish production of TV transmitting equipment.

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1419. **श्री मु० अ० खां :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के दो वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी काफी समय से सभी प्रकार के भ्रष्ट और नियम विरुद्ध कार्य करते आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से एक वैज्ञानिक के खिलाफ जबकि वह क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में कार्य कर रहा था, मैसर्स स्टुडैन्ट स्टोर्स, जम्मू द्वारा सप्लाई की गई एक पुस्तक 'फर्म्स आफ सदर्न इण्डिया' के 1812 रुपये के जाली मूल्य की जबकि वह पुस्तक केवल 82 रुपये की थी, स्वीकृति देने पर तथा इस आशय का झूठा प्रमाण पत्र देने पर कि कोटेशन मंगाये गये थे, जबकि कोटेशन नहीं मंगाये थे, भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ; और

(ङ) प्रशासन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू के एक जूनियर लाइब्रेरियन (जो जून सन् 1964 में नियम विरूद्ध कार्य करने जैसे रिकार्डस में हेराफेरी करने आदि के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया था) से कुछ लिखित शिकायतें राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के एक वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी जो पहले आर० आर० एल० जम्मू में कार्य करते थे, के खिलाफ प्राप्त हुई थीं।

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के दो वैज्ञानिकों और इसके प्रशासन अधिकारी (ए० ओ०) के विरुद्ध कतिपय गुमनाम एवं उपनाम की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

(ख) से (घ). भूतपूर्व जूनियर लाईब्रेरियन की शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि ये अधिकारी आर० आर० एल० जम्मू में कार्य करते हुए भ्रष्ट तथा नियम विरुद्ध कार्यों में शामिल थे।

पुस्तकालय खरीद में नियम विरुद्ध कार्यों की कुछ रिपोर्टें सी० एस० आई० आर० की जानकारी में आई थीं। जब उक्त दोनों अधिकारी आर० आर० एल० जम्मू में थे और एक विशेष आडिट (लेखा-जोखा) ए० जी० सी० आर० द्वारा व्यवस्थित किया गया था। आडिट रिपोर्ट के विचारानुसार विशेष पुलिस संस्थापन को जांच करने के लिये निवेदन किया था।

उनकी जांच पड़ताल के आधार पर विशेष पुलिस संस्थापन ने उक्त भूतपूर्व जूनियर लाइब्रेरियन और दूसरे अधिकारियों अथवा एक वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी, आर० आर० एल०, जम्मू, जो कि आजकल राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, के खिलाफ पांच केस दर्ज कराये जिसमें से एक भाग (ग) भी था।

5 केसों में से 4 केसों की अंतिम रिपोर्ट विशेष पुलिस संस्थापन ने भेज दी है। पांचवे केस के सम्बन्ध में, विशेष पुलिस संस्थापन ने केवल इतना ही बताया है कि जम्मू न्यायालय में भूतपूर्व जूनियर लाइब्रेरियन और अन्य लोगों के विरुद्ध चालान दायर कर दिये गये हैं। अन्य चार केसों के विवरण संलग्न ब्यौरे में दिये गये हैं।

(ङ) तब से आर० आर० एल० जम्मू ने खरीददारी इत्यादि के स्वीकृत नियम व विधियों का पालन करने के उचित प्रबन्ध कर दिये हैं, और कार्य हेतु हिसाब किताब रखने का तरीका निश्चित कर दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप तब से अब तक कोई गबन, या अनियमित कार्य का कोई केस इस अनुसंधान-शाला में नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम-संख्या	केस नं० और तारीख	की गई कार्यवाही
1.	आर० सी० न० 52/65 ए० एम० बी० दिनांक 15-6-65	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर, अन्य लोगों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और प्रशासन अधिकारी को भविष्य में अधिक सावधानी बरतने को चेतावनी दे दी गई थी।
2.	आर० सी० नं० 1/65—जे दिनांक 13-12-65	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अन्य लोगों के अतिरिक्त उस वैज्ञानिक को भविष्य में अधिक सावधानी रहने के लिये चेतावनी दी गई और उसकी गल्तियां उसकी जानकारी में लाई गईं।
3.	आर० सी० नं० 53/65 ए० एम० बी० दिनांक 15-6-65	(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श पर विशेष पुलिस संस्थापन ने उस वैज्ञानिक सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ दण्डिय - कार्यवाही निर्धारित की थी। केस की अभी जांच हो रही है। (2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर कतिपय अन्य अधिकारियों के खिलाफ जो इस केस में शामिल थे, विभागीय कार्यवाही तब तक स्थिगित कर दी गई जब तक आपराधिक केस का नतीजा मालूम न हो। उक्त प्रशासन अधिकारी का इस केस से कोई सम्बन्ध नहीं था।

क्रम संख्या	केस नं० और तारीख	की गई कार्यवाही
		(3) विशेष पुलिस संस्थापन की सिफारिश पर सी० एस० आई० आर० द्वारा पुस्तक सप्लायर के खिलाफ रु० 5,600 जो उसने जालसाजी से प्राप्त किये थे, उन्हें वसूल करने के लिये एक मुकदमा दीवानी में अदालत में दायर कर दिया गया है।
4.	आर० सी० नं० 33/65 ए० एम० बी० दिनांक 7-4-65	(1) विशेष पुलिस संस्थापन ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग के परामर्श पर भूतपूर्व कनिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष (जूनियर लाई-ब्रेरियन) आर० आर० एल०, जम्मू और किताब सप्लायर के खिलाफ दण्डिय कार्यवाही का नियोजन किया गया। केस की अभी जांच चल रही है।
		(2) कतिपय अन्य अधिकारियों उक्त प्रशासनिक अधिकारी और उस वैज्ञानिक सहित जो इस केस में शामिल थे उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही को केन्द्रीय सर्तकता आयोग की सलाह पर स्थगित कर दिया गया है जब तक आपराधिक केस का कोई नतीजा मालूम न हो।
		(3) सी० एस० आई० आर० ने विशेष पुलिस संस्थापन की सिफारिश पर किताब सप्लायर के खिलाफ रु० 3,857.50 जो उन्होंने जालसाजी से लिये थे, वसूल करने के लिये एक मुकदमा भी दिवानी अदालत में दायर कर दिया है।

ग्रेविल विन द्वारा लिखित ब्रिटिश पुस्तक 'दि मैन फ्राम मास्को' पर प्रतिबन्ध

1420. **श्री श्रीगोपाल साबू : श्री शिव शरण लाल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री राम चरण :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लन्दन में छपी ग्रेविन विन द्वारा लिखित एक पुस्तक 'दि मैन फ्राम मास्को' पर भारत में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुस्तक में स्तम्भित कर देने वाला रहस्योद्‌घाटन किया गया है कि भारत रूस मैत्री संघ जैसी संस्थाओं में अधिकतर व्यक्ति के० जी० बी० और जी० आर० यू० के हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ग्रेविल विन की पुस्तक 'द मैन फ्राम मास्को' का भारत में आयात करने का निषेध कर दिया गया है ।

(ख) किसी ऐसी पुस्तक की विषय वस्तु पर विचार-विमर्श करने की प्रथा नहीं है जिसे देश में मंगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो ।

(ग) उस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की जा रही है जिसमें उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा था, इसमें इस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण भी बताये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3849/70]**

Discrepancy about the Area of India in Indian Union Reference Annual

1421. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact in the India Reference Annual of 1953, the area of Indian Union has beeen shown as 1269640 square miles (3299795 kilometres) ;

(b) whether it is also a fact that in the "United Nations at Twenty" of 1965 the area of Indian Union has been shown as 3046322 kilometres only ;

(c) whether it is also a fact by this the area of Indian Union has been reduced by 2,58,243 kilometre ;

(d) whether Government have sent any protest note against this publication of United Nations and have requested them to carry out necessary corrections ; and

(e) if so, whether necessary corrections have since been carried out, and if not, the steps Government propose to take in this regard in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) According to Surveyor General of India the area of India as on 1.1.1966 is 3268090 square kilometres.

(b) The area as mentioned in the "United Nations at Twenty", which was a USIS publication, is 3046232 square kilo metres.

(c) The area mentioned in (b) above excludes the entire area of Jammu and Kashmir. The area, as mentioned in the USIS publication, is the same as published in Table No. 19 of the U.N. Statistical Year Book 1965.

(d) and (e). The US Embassy was told at the time about this inaccuracy and asked to take corrective action. Representations have also been made to the United Nations about such inaccuracies.

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

1422. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय पर्वतारोहण संस्था ने युवकों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देने में कितनी प्रगति की है ;

(ख) संस्था के आरम्भ होने से लेकर अब तक कितने युवकों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर कितना रुपया व्यय हुआ ; और

(घ) यह प्रशिक्षण किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). हिमालय माउंटेनीयरिंग इंस्टीट्यूट नवम्बर, 1954 में दार्जलिंग में स्थापित किया गया था। प्रारम्भ में इंस्टीच्यूट में प्रतिवर्ष 4 प्रारम्भिक और 2 अग्रिम कोर्स आरम्भ किये गये थे, प्रत्येक प्रारिम्भक कोर्स में 24 और प्रत्येक अग्रिम कोर्स में 6 छात्रों की क्षमता की व्यवस्था की गई थी। बाद में इसकी संख्या प्रत्येक प्रारम्भिक कोर्स में 30 और प्रत्येक अग्रिम कोर्स में 10 तक बढ़ा दी गई। प्रत्येक वर्ष में प्रारम्भिक और अग्रिम कोर्सों की संख्या भी 5 तक बढ़ा दी गई। 1961 से प्रत्येक वर्ष में लड़कियों के लिये एक प्रारम्भिक और एक अग्रिम कोर्स चलाया गया है।

2. इन्स्टीच्यूट 15—19½ वर्ष की आयु के लड़कों के लिये प्रत्येक वर्ष में 2 साहस कर्म कोर्स भी चलाती है जिसमें प्रत्येक कोर्स में 40 छात्र हैं। ऐसा पहला कोर्स 1964 में शुरू किया गया था।

3. सामान्य कोर्सों के अतिरिक्त, इंस्टीच्यूट अपने अनुदेशकों को देश के विभिन्न भागों में 'एक क्लाइम्बिंग कोर्स' चलाने के लिये भेजता है जोकि बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं।

4. इन्स्टीच्यूट के प्रारम्भ से पर्वतारोहण के सामान्य कोर्सों में प्रशिक्षार्थियों की संख्या नीचे दी गई है :

प्रारम्भिक	1942	—	239	लड़कियों सहित
अग्रिम	337	—	54	,, ,,
साहस कार्य	538	लड़के		

5. इंस्टीच्यूट पर होने वाले व्यय को केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार निम्नलिखित अनुपात में वहन करती हैं :

	केन्द्रीय सरकार	**पश्चिमी बंगाल सरकार**
आवर्ती/अनावर्ती	50%	50%
पूंजी	70%	30%

केन्द्रीय सरकार का भाग रक्षा मंत्रालय और शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय द्वारा 2 : 1 के अनुपात में वहन किया जाता है ।

पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण शुल्क आदि को घटाने के बाद इंस्टीच्यूट का वास्तविक बजट प्राक्कलन और रक्षा बजट का हिस्सा नीचे दिया गया है :

	इंस्टीच्यूट का वास्तविक बजट प्राक्कलन	**रक्षा बजट का हिस्सा**
1967-68	4,53,951.00 रु०	1,55,000.00 रु०
1968-69	5,11,920.00 रु०	1,68,845.00 रु०
1969-70	4,37,053.00 रु०	1,46,153.00 रु०

6. पर्वतारोहण प्रशिक्षण ने साहस योग्यताओं, दलीय भावना, आत्म निर्भरता अनुशासन और साहस कार्य को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है । एक बड़ी संख्या में हमारे राष्ट्रीय लोग अब पर्वतारोहण अभियान और हिमालय के चढ़ाईयों में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से एक बड़ा भाग हिमालय माउंटेनीयरिंग इन्स्टीच्यूट, दार्जलिंग के भूतपूर्व छात्र हैं । 1965 में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले 8 भारतीयों में से 7 हिमालय माउंटेनीयरिंग इन्स्टीच्यूट के भूतपूर्व छात्र थे और आठवां हिमालय माउंटेनीयरिंग इंस्टीच्यूट के फील्ड ट्रेनिंग का उप निदेशक था ।

केन्द्र में पृथक न्याय मंत्रालय की स्थापना

1424. **श्री नाथ पाई :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने केन्द्र में एक पृथक न्याय मंत्रालय की स्थापना की वकालत की है ; और

(ख) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्तिमंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिये गये सुझाव का भारत सरकार के शासन-तन्त्र एवं कार्य प्रणाली विषयक प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिश से

घनिष्ट सम्बद्ध है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि नियुक्तियों सहित न्याय प्रशासन सम्बन्धी गृह मंत्रालय के कार्यों को विधि मंत्रालय के विधि कार्य विभाग को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई इस सिफारिश पर तथा प्रशासन विषयों को एक में मिलाने के सम्बन्ध में अन्य सिफारिशों पर भी सरकार विचार कर रही है।

Water from Patrapole Lake to Irrigate Pak Fields

1425. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that up to May, 1970, Pakistanis used to draw water from village Patrapole and its lake to irrigate their fields ;

(b) whether it is a fact that both Patrapole and the lake are within Indian territory ;

(c) whether it is also a fact that Pakistanis have removed border pillars also ;

(d) if so, the steps proposed to be taken to check these actions and whether the drawal of water by Pakistanis has been suspended during this period ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The Patrapole village and its shallow lake named Patrapole lake both are in Indian territories. But in certain places, water from the lake flows on excessively to the lower lands in Pakistan region. Till May, 1970, the Pakistanis have been utilising water from one of such places with the help of pumps to irrigate their fields. After May, 1970, they stopped utilising this water since the rainy season started by then. The place where the pump was installed and water was drawn is in Pakistan.

(c) As far as the Government understand, the Pakistanis have not removed the border pillars. But some of them are submerged in water.

(d) and (e). Do not arise.

Sainik School

1426. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the specific difference between the courses and curricula of Sainik Schools and that of other ordinary schools ;

(b) the system of inspection provided for the Sainik schools in order to ensure that standard of education ;

(c) the rules governing the admission, fees and scholarships in these schools ; and

(d) whether the scholarships and remission of fees are given on the basis of marks obtained in the examination or on the basis of financial position of guardians as well ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Sainik Schools are affiliated to the Central Board of Higher Secondary Education, New Delhi, and follow the syllabus prescribed by them like many other schools in the country. However, in Sainik Schools the education is imparted with a military bias and special attention is paid to NCC, Mountaineering, Horse-riding, Swimming, games and similar activities. The main aim of these schools is to prepare boys academically and physically for entry into the NDA.

(b) Sainik Schools are periodically inspected by a team consisting of the Principal of a Sainik School and the Principal of a Public School who are selected by Government. This team looks into the courses, curricula, scientific equipment, the method of teaching etc. and offer suggestions with a view to keeping the standard of education at a high level.

(c) Every boy admitted to a Sainik School has to pay a fee of Rs. 2150 per annum. However, if the income of parent/guardian is less than certain specified limits the boy is granted full, three fourths or half fee concession. These concessions are met by Central and State Governments by way of grants to the schools.

(d) Scholarships and remission of fees are given on the basis of the income of the parent/guardian.

Atomic Test Explosion by India

1427. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Sharda Nand :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement made by Shri Atal Bihari Vajpayee recently to the effect that preparations are being made for an atomic test explosion secretly and an announcement in this regard would be made by the Prime Minister just before the General Elections in order to attract the voters ;

(b) whether he has also stated that Government should take Parliament and the public into confidence in this regard right from now ; and

(c) if so, the reaction of the Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). Government have seen the newspaper reports attributing to Shri Atal Bihari Vajpayee a statement referred to by the Hon'ble Members. However, the policy of the Government of India on the utilisation of atomic energy for peaceful purposes has been repeatedly stated in the House.

Non-Aligned Meet in Zambia

1429. **Shri Bibhuti Mishra : Shri Beni Shanker Sharma : Shri Sheo Narain :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Third Non-Aligned summit Conference is going to be held in Zambia in September, next ;

(b) if so, the main subjects to be discussed thereat ;

(c) the countries to which invitations are being sent ; and

(d) the extent to which India would be benefited by the aforesaid conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Summit Conference would adopt its own agenda. However, the Preparatory Meeting of the Non-Aiigned States held in Dar-es-Salaam in April 1970 recommended a general discussion on the international situation for the safeguarding and strengthening of national

independence, sovereignty, territorial integrity and equality among States and for furthering economic development and self-reliance.

(c) Zambia as host country will issue invitations to all countries invited to the Preparatory Meeting of Non-Aligned States at Dar-es-Salaam, on the basis of principles of non-alignment laid down in 1961 and 1964.

(d) The Government of India considers that the Summit Conference of Non-Aligned countries would promote peace, freedom and economic development, and strengthen cooperation among non-aligned countries.

भारत स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र को ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा स्वीकार न किया जाना

1430. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंग्लैण्ड में जाने वाले वास्तविक यात्रियों को भारत के ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा दिये जाने वाले अनुज्ञा-पत्रों का ब्रिटेन के आप्रवास प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यूनाइटेड किंगडम के आप्रवास प्राधिकारी नई दिल्ली स्थिति ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण-पत्रों को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिनमें इस प्रकार के प्रवेश पत्र जारी करने के बावजूद, ब्रिटेन आने वाले भारतीयों की तलाशी ली गई थी और उनसे पूछताछ की गई थी।

(ख) हमारे लंदन स्थित हाई कमीशन ने ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामले उठाये हैं जिससे ऐसी घटना फिर नहीं हो।

पश्चिम बंगाल को आवंटित किये गये विद्युत-चालित करघों का वितरण न किया जाना

1431. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो 6000 विद्युतचालित करघे पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सरकार ने आवंटित किये थे, वे बेकार पड़े हैं क्योंकि उनके वितरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके वितरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच की है और पता लगाया है कि विद्युत चालित करघों का वितरण न किये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). विभिन्न सरकारों को आवंटित विद्युतचालित करघों के वितरण का विषय वस्तुत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने बताया है कि 1966 में उन राज्यों को आवंटित 6,000 विद्युत-चालित करघों के वितरण के लिये उस वर्ष अगस्त में एक राज्य स्तर की प्रवरण समिति गठित की गई थी। परन्तु प्रवरण समिति आवेदनपत्रों का अन्तिम चयन नहीं कर सकी। जून, 1967 में समिति पुनर्गठित की गई। 1968 में क्रमश: जिलों से प्राप्त आवेदनपत्रों के चयन के लिये नई जिला-स्तरीय समितियां गठित की गईं। ये समितियां औपचारिक रूप से कुछ जिलों में गठित की गई थीं और बाकी जिलों के लिये समितियां गठित करने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा था, तभी मार्च, 1969 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि जिला-स्तरीय समितियां आगामी आदेशों तक आस्थगित रखी जाएं। 1968 में यह निर्णय किया गया कि विद्यमान विद्युतचालित करघा सहकारी समितियों को 8 अतिरिक्त करघे आवंटित किये जाने चाहिए ताकि ये एकक आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर हो जायें, बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करती हों। 264 करघे 33 विद्यमान सहकारी समितियों को वितरित किये गये।

2. इस समय पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा जिला-स्तरीय समितियों के फिर से चालू करने तथा ऐसे जिलों में प्रवरण समितियों के गठित किये जाने पर, जहां पर ऐसी समितियां गठित नहीं की गई थीं, विचार किया जा रहा है और आवेदन-पत्रों का चयन कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है।

3. पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया है कि उपर्युक्त कंडिका 1 में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए विद्युतचालित करघों के वितरित न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार द्वारा रूई के आयात को अपने हाथ में लिए जाने का कपास के व्यापारियों द्वारा विरोध

1432. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री वेंकटस्वामी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती व्यापारियों ने रूई के आयात को और अन्तिम रूप से उस तमाम व्यापार को सरकार द्वारा लिये जाने के प्रयत्न को अस्वीकार किया है तथा इसका विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ख). रुई व्यापारियों ने सरकारी क्षेत्र में एक रूई निगम स्थापित करने की प्रस्थापना के विरुद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापनों, अभ्यावेदनों तथा सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन करके विरोध प्रकट किया है। व्यापारियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर विचार करने के बाद ही, रुई के आयात अपने

अधीन लेने तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिये घरेलू रुई का कारोबार आरम्भ हेतु भारत के रूई निगम की स्थापना का विनिश्चय किया गया है। इस विनिश्चय पर फिर से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर गुजरात में कलोल स्थित नवजीवन कपड़ा मिल्स को पुनः चालू करना

1433. **श्री द० रा० परमार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर गुजरात में कलोल स्थित नवजीवन कपड़ा मिल्स जो बन्द पड़ी है, को बम्बई के कोहिनूर मिल्स के प्रबन्ध में फिर से चालू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक चालू किया जायेगा;

(ग) कोहिनूर मिल्स प्रबन्धकों और राज्य वस्त्र निगम ने क्या शर्तें नियत की हैं; और

(घ) कादी, सिद्धपुर, पेटलैण्ड, भावनगर और राजकोट की अन्य मिलों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). मे० कोहिनूर मिल्स लि० बम्बई ने नवजीवन टैक्सटाइल्स मिल्स लि० कलोल के विलय की एक योजना गुजरात के उच्च न्यायालय में पेश की थी और न्यायालय ने उसका अनुमोदन कर दिया है। सरकार को योजना के व्यौरे का ज्ञान नहीं है परन्तु यह पता लगा है कि नवजीवन टैक्सटाइल्स मिल्स लि०, कलोल को चलाने के लिये बैंक आफ इंडिया अपेक्षित नई सुविधाओं की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं था उसके बाद, गुजरात राज्य वस्त्र निगम ने, इस मिल को नई पेशगियां मंजूर करने के लिये इस बैंक को 45 लाख रु० की गारंटी देने का निश्चय किया है और इस गारंटी के आधार पर बैंक आफ इंडिया ज्यों ही नई सुविधाएं देने को तैयार हो जायेगा त्यों ही मिल पुनः चालू हो जायेगी।

(घ) गुजरात राज्य में जून, 1970 के अन्त में समाप्त कर देने योग्य समझी जाने वाली तीन मिलों के अतिरिक्त 8 और मिले बन्द पड़ी थीं। इन सभी में से राजकोट में एक मिल का प्रबन्ध पहले से ही सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को इसका प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है। भावनगर में एक अन्य मिल के सम्बन्ध में एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश शीघ्र ही जारी होने की आशा है उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पेटलाड तथा अहमदाबाद की दो मिलों की जांच पहले से हो की जा चुकी है और जांच समितियों को रिपोर्ट विचाराधीन हैं। पेटलाड तथा अहमदाबाद की तीन मिलों के परिसमापन सम्बन्धी मुकदमे उच्च न्यायालय में निलम्बित हैं। अहमदाबाद में एक मिल के मामले भी, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई जांच समिति द्वारा, जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों का निर्यात

1435. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1970 तक विश्व के अनेक देशों में लौह-अयस्क तथा अन्य खनिजों के निर्यात में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चालू वर्ष 1970-71 में कुल कितनी मात्रा में लौह्-अयस्क तथा अन्य खनिज पदार्थों का निर्यात किया जायेगा, तथा गत तीन वर्षों में उक्त खनिज पदार्थों का जो निर्यात किया गया था, उसकी तुलना में इस वर्ष का निर्यात कितना है; और

(ग) सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है कि निर्यात के कारण खनिज स्टाक में कमी न पड़े एवं हमारे इस्पात कारखानों का विकास बना रहे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में लौह्-अयस्क तथा अन्य खनिजों के निर्यात और 1970-71 के लिये निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :

मूल्य करोड़ रु० में
मात्रा लाख मे० टन में

	1967-68		**1968-69**		**1969-70**		**1970-71 (लक्ष्य)**	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह्-अयस्क	14.1	79.33	15.9	89.60	17.7	100.45	23.0	133.0
मैंगनीज अयस्क	1.0	11.3	1.2	11.9	1.2	11.50	1.34	14.0
कोयला	0.36	3.43	0.45	4.5	0.3	2.38	0.62	6.25
अभ्रक (हजार किग्रा में)	23.631	16.18	20.9	4915.49	24.250	17.5	24.500	18.0

(ग) इन खनिजों के उत्पादन तथा निर्यात की योजना, आरक्षित भण्डारों का सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद ही तैयार की गई है, ताकि हमारे अपने बढ़ते हुए इस्पात उद्योग की आवश्यकताएं तो पर्याप्त रूप से पूरी हो ही जायें, साथ ही उन मदों के निर्यात से हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा की अधिकतम आय भी हो सके ।

ओसाका के एक्स्पो 70 में प्रदर्शित भारतीय उत्पादों के लिये निर्यात के आदेश

1436. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ओसाका के एक्स्पो 70 में उत्पादों को प्रदर्शित किये जाने के फलस्वरूप विदेशों में उनकी बिक्री के लिये ऋयादेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष में प्राप्त निर्यात आदेश कितने हैं या कितने आदेश प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) इन उत्पादों में से किस उत्पाद को अधिक पसन्द किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). एक्स्पो 70, 1928 के पेरिस अभिसमय के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है और वह व्यापार मेला नहीं है । एक्स्पो के मुख्य विषय मानवता के लिये प्रगति और सामंजय के अनुरूप भारतीय मण्डप में किये गये प्रदर्शन द्वारा भारत की कला, संस्कृति और परम्पराओं की थाती की पृष्ठभूमि में

उदीयमान भारत की झांकी प्रस्तुत की गई है। इस अवसर का लाभ उठाकर भारत के निर्यात योग्य उत्पादों तथा निर्मित माल का प्रदर्शन किया गया है।

निर्यात की विभिन्न मदों के बारे में प्राप्त व्यापारिक पूछताछ के विषय में सम्भरकों को सूचना दे दी गई है ताकि वे आगे बातचीत कर सकें। एक्सपो में भारतीय मण्डप के तत्वावधान में जो दुकानें तथा रेस्तरा खोले गये उनमें बिक्री 23 जुलाई, 1970 तक 116.40 लाख रुपये की हुई। इन दुकानों में हुई कुल बिक्री में प्रमुखतः हस्तशिल्प के उत्पाद थे।

खनिजों की सप्लाई के क्रयादेश

1437. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक इंजीनियरिंग एकक को विश्वव्यापी कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद 30 खनिजों के लिये 3 करोड़ रुपये के मूल्य के तुर्की के रेलवे और पत्तन विभाग से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन खनिजों की सप्लाई की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि तुर्की सरकार शर्तों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिये जाने पर बल दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सौदे के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार ने सौदे की शर्तों को स्वीकृति दे दी है, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). तुर्की के रेलवे और पत्तन विभाग को 3 करोड़ रु० मूल्य के 30 खनिजों (एक्सकवेटरों) की पूर्ति करने के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पेशकश पर तुर्की के प्राधिकारियों द्वारा अभी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ). तुर्की के प्राधिकारी 10 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत के ब्याज की दर से अस्थगित भुगतान की व्यवस्था चाहते हैं। हिन्द मोटर्स ने भारत के औद्योगिक विकास बैंक से सम्पर्क स्थापित किया था जो इस सौदे के लिये पुनर्वित्त व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गया है।

अभ्रक विकास सलाहकार समिति की सिफारिश

1438. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त अभ्रक विकास सलाहकार समिति ने अभ्रक का निर्यात शुल्क पूर्णतः समाप्त करने तथा अभ्रक उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या निर्यात शुल्क तथा न्यूनतम मूल्य का अधिक होना अभ्रक के निर्यात में हानिकारक साबित हुआ है; और

(ग) इन सभी सिफारिशों पर सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय लिया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख). अभ्रक सलाहकार समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संतापन समिति के प्रतिदेदन पर विचार

1439. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** 20 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष ने सन्तापनसमिति के प्रतिवेदन पर विचार किया था और संबद्ध निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा था; यदि हां तो क्या उक्त निदेशक का स्पष्टीकरण इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पूर्वी भारत में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करना

1440. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री झारखण्डेराय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंचाई की चालू योजनाओं पर व्यय में वृद्धि

1441. **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई की चालू योजनाओं पर व्यय एक वर्ष के अन्दर 240 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चौथी योजना के मसौदे से मालूम होता था कि संतत् बृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों की अनुमानित लागत 2215 करोड़ रुपये थी। उस समय कुछ परियोजनाओं का संशोधन होना था, परन्तु विभिन्न राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं की संशोधित लागतें नहीं बताई थीं । परियोजना के प्राक्कलनों को अद्यतन बनाने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुये, संतत स्कीमों की अनुमानित लागत अन्तिम रूप प्राप्त चौथी योजना में 2460 करोड़ रुपये आंकी गई है ।

लागतों में वृद्धि का मुख्य कारण प्रौद्योगिक रूप से व्यवहार्य निर्माण की इष्टतम गति पर परियोजना का निर्माण करने के लिये पर्याप्त साधनों का अभाव रहा है जिससे निर्माण की एक लम्बी अवधि ऐसी आ गई है जिसके दौरान श्रम और सामग्री की लागतें बढ़ गई हैं ।

भारत एवं यूगोस्लाविया के बीच भुगतान शेष

1442. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **श्री झारखण्डे राय :**
श्री लताफत अली खां : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और यूगोस्लाविया के बीच भुगतान शेष की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया भविष्य में दुर्लभ मुद्रा पर आधारित व्यापार शर्तों पर जोर दे रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जनवरी-सितम्बर, 1969 की अवधि के अधुनातन उपलब्ध आंकड़े के अनुसार चालू लेखे में 8.8 करोड़ रुपये का अधिशेष है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि मामले पर दोनों सरकारों द्वारा 1971 में विचार किया जाना है ।

जलाशय में पानी कम होने के कारण तिलैया के पन बिजली स्टेशन पर प्रभाव

1443. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलाशय में पानी कम होने के कारण तिलैया के पन बिजली स्टेशन पर असर पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). तिलेय्या जलाशय की प्रचालन अनुसूची के अनुसार तिलेय्या का पन-बिजली केन्द्र (40 मैगावट) मुख्यतः मानसून के महीनों में और उसके तुरन्त बाद इस विचार से चलाया जाता है कि तिलेय्या में संचित जल को वाष्पीकरण हानियों को और माइथौन जलाशय, अनुप्रवाह, को जाते हुए नदी में पारेषण हानियों को कम किया जा सके। अतः तिलेय्या बांध में जल के सूखने के कारण तिलेय्या के पन-बिजली केन्द्र के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक का घेराव

1444. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, मेटकाफ हाउस के निदेशक का जून, 1970 में उग्र सम्यवादी मजदूरों ने घेराव किया था एवं उनसे हाथापाई की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विस्तृत कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सच है कि निदेशक का घिराव किया गया था। इस बात का पता नहीं है कि औद्योगिक कर्मचारी किसी राजनैतिक दल के थे या नहीं।

(ख) 24 जन, 1970 को सरकार के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार एक रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला का कर्मचारी अनुशासनिक कारणों से निलम्बित कर दिया गया। 25 जून को लगभग 13.00 बजे कुछ औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कहा जाता हैं कि वर्कशाप में प्रभारी अधिकारी के कमरे में घुसे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि उनके एक साथी कर्मचारी के विरुद्ध अनुसाशनिक कार्यवाही क्यों की गई। प्रभारी अधिकारी ने कारण बताने में अपनी असमर्थता प्रगट की तथा उनसे वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर से संबंध स्थापित करने को कहा। इस उत्तर से कर्मचारी कुछ क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अफसर के कमरे में शोर सुनकर अन्य कर्मचारी उनके कमरे की ओर दौड़े। गड़बड़ी के दौरान टेलीफोन तथा शीशा टूट गया बताया गया तथा कुछ लोग घायल हो गए। निदेशक जो कि मेटिंग में थे इस घटना को सुनकर बाहर आ गए तथा उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर तथा सुरक्षा अफसर को उस गड़बड़ी वाले स्थान पर जाने के लिए कहा तथा पुलिस को भी सूचित करने के लिए कहा। तदुपरान्त तत्काल ही निदेशक वर्कशाप की ओर स्टाफ कार में गए किन्तु वह 50 गज जा पाए होंगे जबकि कहा जाता है कि नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कार को रोक लिया तथा लगभग 40 औद्योगिक कर्मचारियों ने घेर लिया। अतः निदेशक उस घटना वाले स्थान में नहीं जा सके। यह खेंचातानी 10-12 मिनट तक चलती रही तब तक कुछ वैसानिक तथा लिपिकीय स्टाफ ने निदेशक को बचाया।

कहा जाता है कि प्रदर्शनकारी निदेशक के साथ गए और कार्यालय के बाहर कोरीडोर को रुक गए। लगभग आध घण्टे में दिल्ली पुलिस के फलाइग स्क्वाड की एक यूनिट प्रयोगशाला पहुंची तथा यथास्थान मामले की जांच करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी।

(ग) मामला दिल्ली पुलिस ने ले लिया है तथा दस औद्योगिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा बाद को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया जिसने जमानत पर छोड़ दिया।

कर्मचारियों को नियमानुसार निलम्बित कर दिया गया है।

मामला अब न्यायाधीन है।

उत्तरी सीमा सड़कों पर कार्य की धीमी गति

1445. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में उत्तरी सीमा सड़कों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सीमित निर्माण समय को देखते हुए 1970-71 के वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान सीमा सड़कों के निर्माण की गति संतोषजनक है।

दिल्ली में कोट और धौज जलाशयों का निर्माण

1446. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कोट और धौज में दो जलाशयों के निर्माण की अनुमति न देने के हरियाणा सरकार के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से बीच-बचाव करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने धौज तथा कोट परियोजनाओं के प्रस्तावित निर्माण के लिये, जिनका उद्देश्य दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धि करना है, हरियाणा सरकार की सहमति प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है। केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री का यह विचार है कि इस मामले पर हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ आगे विचार-विमर्श किया जाए।

श्रीलंका में भारतीयों के व्यापार का समाप्त होना

1447. **श्री सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण वहां के भारतीय व्यापारी वहां पर अपने व्यापार को समाप्त कर भारत लौटने को उत्सुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने भारत सरकार को तत्संबंधी सूचना दी है ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार उन भारतीय व्यापारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को अब तक ऐसी सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कागज बनाने वाली मशीनों का आयात

1448. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में छपाई के कागज की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कागज की कमी को पूरा करने के लिये कागज बनाने वाली मशीनों के आयात सम्बन्धी नियमों में छूट देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). छपाई के कागज की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें 56 जी० एस० एम० के छपाई के कम वजनी कागज के बारे में हैं जोकि अधिकांशत: अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है । छपाई के कागज का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में किसी अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि नहीं हुई है, तथापि कागज उद्योग इसके लिये सहमत हो गया है और वह देश के विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों को अप्रैल, मई, व जून, 1970 के दौरान 56 जी० एस० एम० के लिखाई तथा छपाई के कागज की 5,000 टन प्रति माह की दर से पहले ही अतिरिक्त पूर्ति कर रहा है, वह आने वाले महीनों के दौरान भी ये पूर्तियां करते रहने के लिये भी सहमत हैं । इन पूर्तियों के कारण और जब सन्तुलन उपकरणों की व्यवस्था द्वारा वर्तमान क्षमता में 10.15 प्रतिशत की वृद्धि लाने की योजना अमल में आ जायेगी तब यह आशा है कि लिखाई तथा छपाई के कागज के साधारण ग्रेडों की पूर्ति अवस्था में पर्याप्त सुधार होगा ।

(ग) पल्प तथा कागज बनाने वाली ऐसी मशीनों, के आयात की अनुमति दी जाती है जिनका निर्माण देश में नहीं होता है। इस समय आयात नीति में और अधिक छूट देना अपेक्षित नहीं है।

लातीनी अमरीकी देशों को सिंचाई के लिये सहायता

1449. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री जनार्दनन : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लातीनी अमरीकी देशों को सिंचाई सम्बन्धी विशिष्ट तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या लातीनी अमरीकी देशों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव बनाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जल और विद्युत विकास सलाहकारी संस्था (भारत) लि० का पंजीकरण संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और एशियन बैंक समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ करा दिया गया है ताकि इसकी सलाहकारी सेवाएं विदेशों को प्रदान की जा सकें। विदेश में भारतीय मिशनों से कह दिया गया है कि वे सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियन्त्रण के क्षेत्र में इस संस्था के पास उपलब्ध विशेषज्ञतापूर्ण सेवाओं के आकार-प्रकार और परिसीमाओं का खूब प्रचार करें। जहां तक लातीनी अमरीकी देशों का संबंध है, यह संस्था अन्तः अमरीकी विकास बैंक के साथ भी पंजीकृत है। जून, 1970 में अर्जेंटाइना और कोलम्बिया के हाल ही के अपने दौरों के दौरान, मैंने वहां पर बताया कि सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में भारत में कितना विकास हुआ है और इन क्षेत्रों में क्या-क्या काम किये गये हैं। इस सम्बन्ध में हुये भारत के विकास और हमारे इंजीनियरों की सामान्यतः सराहना हुई। सिंचाई, विद्युत और बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्रों में हमारे इन्जीनियरों की सेवाओं से लाभ उठाने के विशिष्ट प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

बिहार में लू चलने के कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा की जा रही बिजली की सप्लाई पर प्रभाव

1450. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री झारखंडे राय :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बिहार तथा छोटानागपुर इलाके में लू चलने के कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा की जा रही बिजली की सप्लाई पर उसका असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में पाये गये यूरेनियम के निक्षेप

1451. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री इसहाक सम्भली :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में हाल में यूरेनियम के निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गये निक्षेपों की सम्भावना और मात्रा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में से यूरेनियम अयस्क निकालने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रधानमंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज विभाग द्वारा इस इलाके में किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में यूरेनियम की विद्यमानता के कुछ संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में धातुक के भण्डारों के व्यावसायिक महत्व का पता लगाने का काम चल रहा है। भण्डारों के स्वरूप तथा आकार के बारे में पूरी जानकारी इस काम के पूरा होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।

1972 में बिजली का अभाव होने की संभावना

1452. **डा० रानेन सेन :**
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में जल्दी ही 1972 में बिजली का अभाव होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो अभाव की ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार, 1972-73 के दौरान पश्चिमी बंगाल में विद्युत की कमी 63 मेगावाट तक प्रत्याशित है। बहरहाल, उस वर्ष के दौरान सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में लगभग 78 मैगावाट फालतू विद्युत उपलब्ध होना संभावित है। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में प्रत्याशित विद्युत की कमी पूरी हो सकती है।

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के गेट से पुलिस का हटाया जाना

1453. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के दरवाजों से पुलिस गार्डों को हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार और नक्सलपन्थी आन्दोलन की उत्साहजनक प्रशंसा करने के विरोध में चीनी सरकार को कोई ज्ञापन अथवा चेतावनी देना बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब कभी जरूरी होता है, सरकार समुचित विरोध प्रदर्शन करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की उद्योगपतियों के साथ बैठक

1454. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के दो चोटी के उद्योगपतियों ने 6 जुलाई, 1970 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी ;

(ख) क्या इस बैठक में औद्योगिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंखों का निर्यात

1455. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पंखा उद्योग अपनी विश्वसनीयता और उत्तम प्रकार की तकनीक के लिये विदेशी बाजारों में प्रसिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत से किन-किन देशों को पंखे भेजे जा रहे हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय पंखों की विश्वसनीयता, डिजाइन तथा तकनीकी निष्पादन के कारण विदेशी बाजारों में उनकी कद्र होती है।

(ख) अदन, आस्ट्रेलिया, बर्मा, श्रीलंका, कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सूडान प्रमुख देश हैं जहां भारतीय पंखे निर्यात किये जाते हैं।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान 2.13 करोड़ रु० मूल्य के पंखों का निर्यात हुआ।

Violation of Publications Code by Soviet Embassy

1456. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Virendra Kumar Shah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news-item published in the Statesman of the 7th June, 1970 to the effect that the Ministry have found after conducting an enquiry into the publications brought out by the various foreign Embassies that the Soviet Embassy has violated the Code regulating to such publications ;

(b) if so, the details of the facts in this regard and since when these violations of the Code have been taking place, their nature and number ; and

(c) the action taken in this regard and the results thereof and action proposed to be taken in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Government have seen the news-item in question, which, by speaking of the publications of only one specific Embassy, gives a distorted picture. Under the Vienna Convention most Governments can, and do, prescribe certain broad guidelines for the publicity literature produced and disseminated by diplomatic missions. We keep this matter under constant review. Whenever necessary the attention of various Embassies is drawn by us to the guidelines in this behalf and any violations thereof.

रूस तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

1457. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री रा० बरुआ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पाकिस्तान ने रूस तथा अन्य देशों से क्या क्या और कितने कितने हथियार प्राप्त किये हैं ; और

(ख) भारत सुरक्षा तथा इस बारे में भारत की प्रतिक्रिया पर रूस के रवैये को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों में शस्त्रादि उपलब्ध करने के प्रयासों के बारे में सदन को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है। 1965 के संघर्ष से पूर्व पाकिस्तान ने अमरीका से पारस्परिक रक्षा सहायता समझौते के अंतर्गत भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की थी। अमरीका द्वारा भेजे गये उपस्करों में मुख्यत: पैटन और चाफी टैंकों, एफ–86 और एफ–104 विमान आधुनिक तोपों और नापाम बम्ब आदि जैसे आक्रामक शस्त्रास्त्र शामिल थे तथा उसमें काफी बड़ी संख्या में फौज खड़ी करने और उसके रख-रखाव के लिये नगदी के स्वरूप में सहायता भी शामिल है। सन् 1965 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान को जिन विभिन्न देशों से सैनिक उपस्कर प्राप्त हुए हैं, वे मुख्यत: इस प्रकार हैं :—

चीन	दो इन्फैन्ट्री डिवीजन के लिये पूर्ण उपस्कर टी-59 टैंक, आई एल 28 बम्ब-वर्षक, तोपे, गोला-बारुद राकेट, टैंकों और विमानों के फालतू पेच-पुर्जे।
फ्रांस	माइरेज 3ई विमान, मातरा 530 आसमानी मिजाइल, दफने क्लास सबमैरीन, हैलीकाप्टर, और गोला-बारूद।
सोवियत संघ	टी–54/55 टैंक, 130 मि० मी० गन, गोला-बारूद, रेडार, हैलीकाप्टर टैंकों और विमानों के फालतू पेच-पुर्जे और अन्य विविध उपस्करण।
संघीय गणतन्त्र जर्मनी	'कोबरा' टैंक नाशक मिसाइल भूमि से हवा में मार करने वाले मिसाइल, इलेक्ट्रानिक काउन्टर मेजर इक्विपमेंट।

(ख) पाकिस्तान ने जो शस्त्रास्त्रों का जमाव किया है उससे उत्पन्न स्थिति और उससे हमारी रक्षा-जिम्मेदारियों पर पड़ने वाले प्रभाव से सरकार पूरी तरह सचेत है और उसने हमारे देश की सुरक्षा के लिये समुचित व्यवस्था कर ली है। सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में हमने अपना दृष्टिकोण हाल ही में मास्को में आयोजित द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पुन: स्पष्ट कर दिया था। सोवियत संघ ने हमारी स्थिति को समझ लिया है और हमें आश्वस्त किया है कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो भारतीयों की अहित में हो।

भारत में हथियारों तथा शस्त्रास्त्रों के लिये गोला-बारूद बनाने में आत्म-निर्भरता

1458. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से मंगाये गये सभी प्रकार के हथियारों तथा शस्त्रास्त्रों के लिये गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में भारत में ही तैयार किया जा रहा है ;

(ख) क्या युद्ध काल में इसके लिये भारत को रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). हमारी नीति है कि जहां तक आर्थिक रूप से ऐसा निर्माण हो, हथियारों और गोला बारूद की महत्वपूर्ण मद्दों के देशी निर्माण को स्थापित किया जाना चाहिये । जहां निर्माण के ऐसे अधिकार को न दिया जा रहा हो, वहां वैकल्पिक मद्दों को चुना जाता है । यह सामान्य नीति सोवियत संघ से प्राप्त होने वाले हथियारों और गोला बारूद पर भी लागू होती है । कई मामलों में आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिये गए हैं और परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है । जब तक देशी निर्माण से कोई मदद प्राप्त नहीं होती तब तक के लिये उसे आयात करने के प्रबन्ध भी कर दिये गये हैं ।

जामनगर (गुजरात) में वायु सेना के एक प्रशिक्षक विमान की दुर्घटना

1459. **श्री सूरज भान :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अदिचन :
श्री शारदा नन्द :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13-7-70 को गुजरात में वायुसेना का एक विमान दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया ;

(घ) क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ). 13 जुलाई, 1970 को जामनगर रेलवे स्टेशन के पास भारतीय वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ । दुर्घटना की जांच के लिये जांच अदालत बैठाने का आदेश दिया गया है । जांच अदालत के निष्कर्षों और सिफारिशों के उपलब्ध हो जाने के बाद ही आवश्यकता होने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

(2) विमान का भारतीय वायुसेना का पाइलट दुर्घटना में मारा गया । इस दुर्घटना में 15 सिविलियन और मारे गये, 44 सिविलियन जख्मी हुये और सिविलियन सम्पत्ति को भी कुछ क्षति पहुंची ।

(3) जहां तक दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे की अदायगी का प्रश्न है, सर्विस अफसरों का निकटतम सम्बन्धियों को सर्विस नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य मृत्यु उपदान, आश्रय-पेंशन और अनुग्रहपूर्वक अनुदान की स्वीकार्य 667.50 रु० है जिसको 75% अर्थात 500.60 रु० निकटतम सम्बन्धियों को पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा एयर फोर्स बेनोवलेन्ट फंड से 1,000 रु० भी दिये जा चुके हैं। दुर्घटना में मारे गये सिविलियनों के सम्बन्ध में अथवा सिविल सम्पत्ति की क्षति की प्रतिपूर्ति राशि का जायजा केवल तब लिया जाएगा जब कि जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान दुर्घटना में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के लिये 350 रु० अन्तरिम अनुग्रहपूर्वक अनुदान (15 में से 14 सिविलियनों को) निकटतम सम्बन्धियों को दिया जा चुका है जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। दुर्घटना में मारे गये एवं सिविलियन के निकटतम सम्बन्धी ने अन्तरिम अनुग्रह पूर्वक अनुदान लेने से मना कर दिया है। गुजरात सरकार ने भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को जिला क्लेक्टर के जरिए तात्कालिक सहायता दी है।

दुर्गापुर परियोजना के अन्तर्गत बिजली उत्पादन केन्द्र

1460. **श्री गणेष घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि० के अन्तर्गत बिजली उत्पादन केन्द्र के कितने एकक हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक वर्ष-वार प्रत्येक एकक का बिजली का वास्तविक उत्पादन और कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या थी ;

(ग) क्या बिजली के उत्पादन में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिजली की कुल कितनी बिक्री हुई और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार बिजली के उत्पादन पर प्रति यूनिट कितनी लागत आई ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रति यूनिट औसत बिक्री मूल्य क्या रहा और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हानि/लाभ लेखा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विद्युत केन्द्र 75-75 मैगावाट के तीन यूनिट और 30-30 मैगावाट जो दो यूनिट हैं।

(ख) कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 285 मैगावाट है। जबकि बिजली का यूनिट-वार उत्पादन

सम्बन्धी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, गत तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न कुल ऊर्जा निम्नलिखित है :—

वर्ष	ऊर्जा उत्पादन (लाख यूनिट)
1966-67	9945.2
1967-68	8056.2
1968-69	9423.0

क्योंकि सारी संविदात्मक मांगें दुर्गापुर बिजली केन्द्र से पूरी गई थीं, बिजली की कमी का प्रश्न नहीं उठता । प्रत्यक्षत: इस केन्द्र पर उत्पादन इसलिये कम है क्योंकि व्यस्ततम और अव्यस्ततम घन्टों के दौरान प्रणाली की मांग के अनुपात के फलस्वरूप संयत्र का समुपयोजन कम रहा ।

वर्ष	कुल बेची गई ऊर्जा (लाख रुपयों में)	राजस्व (लाख रुपयों में)	प्रति यूनिट बेची गई बिजली की औसत दर पैसे/यूनिट	उत्पादन की औसत लागत पैसे/यूनिट	लाभ (लाख रुपयों में)	हानि (लाख रुपयों में)
1966-67	8803.9	466.06	5.29	4.82	51.39	—
1967-68	7029.0	385.40	5.48	7.14	—	113.00
1968-69	8129.0	459.50	5.65	6.75	—	102.00

जलढाका (उत्तर बंगाल) पन-बिजलीघर का बन्द होना

1461. **श्री गणेश घोष :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल का जलढाका पन-बिजलीघर को जिसमें 2 जून से बिजली उत्पादन कार्य बन्द हो गया था, बरसात के शेष मौसम के लिये बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के प्रभागीय आयुक्त के अनुसार बिजलीघर को बन्द किये जाने के निर्णय से उत्तर बंगाल के जन-जीवन और अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो यदि इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वाहक्षेत्रों में भारी वर्षा और फलस्वरूप गम्भीर बाढ़ों के कारण टनल में अधिक मात्रा में गाद जा रही थी।

(ग) और (घ). विद्युत केन्द्र को बन्द करने के कुप्रभावों को न्यूनतम करने के लिये, डीजल उत्पादन सैट चालू करके उत्तरी बंगाल में वैकल्पिक सप्लाई का प्रबन्ध किया गया है और लगभग 50 प्रतिशत मांग पूरी की जा रही है। घरेलू और लघु विद्युत उपभोक्ता प्रभावित नहीं हुए हैं। जिन थोक बिजली उपभोक्ताओं के पास अपने-अपने उत्पादन संयंत्र हैं, वे स्वयं ही बिजली उत्पन्न कर रहे हैं ; अन्य औद्योगिक मांगें बारी-बारी से विशिष्ट समयों में पूरी की जा रही हैं।

कच्चे पटसन की कमी

1462. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री के० रमानी : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1970 के अन्त तक पटसन उद्योग में कच्चे पटसन की अत्यधिक कमी हो जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1970 को आयोजित भारतीय पटसन मिल संघ के अध्यक्ष की कथित प्रेस कान्फ्रेंस के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी अत्यधिक कमी का क्या कारण है ; और

(घ) उद्योग को कच्चा पटसन उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). सरकार को कच्चे पटसन की भारी कमी होने की आशंका नहीं है। भारतीय पटसन मिल संघ के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था कि थाइलैंड से मैस्टा के आयात के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। आयातों के प्रश्न पर विचार, वर्तमान स्वदेशी पटसन फसल तथा मिलों द्वारा मांग को देखते हुए, उचित समय पर किया जाएगा।

कीनिया में रह रहे भारतीयों के पार-पत्रों की अवधि का न बढ़ाया जाना

1463. **श्री गणेश घोष :** **श्री शिवकुमार शास्त्री :**
श्री श्री गोपाल साबू : **श्री शिवचरण लाल :**
श्री रामचरण : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री के० रमानी : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन हजारों भारतीयों की शोचनीय दशा की ओर दिलाया गया है जिन्हें आगामी दो या तीन महीनों में कीनिया की सरकार ने उनके पारपत्रों की अवधि न बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने कीनिया सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो विरोध किस प्रकार से किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को प्राप्त, वर्तमान सूचना के अनुसार, इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हाल ही में कीनिया सरकार ने इस आशय के विनियम पारित किए हैं कि जिन लोगों ने अपने को कीनिया के नागरिक के रूप में पंजीकृत कराया था, किन्तु 90 दिनों के अन्दर, अपने द्वारा धारित किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं छोड़ी, जैसा कि कीनिया अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित था, वे कीनिया की नागरिकता से वंचित रहेंगे। बताया जाता है कि इन विनियमों से कुछ एशियाई और ब्रिटिश लोग प्रभावित हुये हैं। यह ज्ञात नहीं हो सका है कि इन लोगों को कीनिया छोड़ना पड़ेगा या नहीं।

(ख) अपने नागरिकता-सम्बन्धी नियमों को नियमित करने के प्रभुसत्तात्मक अधिकार के अनुरूप कीनिया सरकार ने ये निर्णय लिए हैं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम (कलकत्ता इलेक्ट्रिक कारपोरेशन) के अधीन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता

1464. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के अधीन संयंत्रों की मेगाटन में कुल कितनी विद्युत् उत्पादन क्षमता है ;

(ख) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्षवार कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम ने प्रत्येक स्रोत से मेगाटन में कुल कितनी विद्युत् खरीदी ;

(ग) उक्त अवधि में वर्षवार इस निगम द्वारा मेगावाट टनों तथा यूनिटों में कुल कितनी विद्युत वितरित की गई ;

(घ) उक्त अवधि में वर्षवार इस निगम को विद्युत् वितरण से कितनी आय हुई या उसने कितने रुपये की विद्युत बेची ;

(ङ) उक्त अवधि में वर्षवार इस कारपोरेशन ने अपनी पितृ कम्पनी को लाभांश, जमा लाभ, ब्याज तथा अन्य प्रभारों के रूप में कितनी राशि दी ; और

(च) यदि उक्त अवधि में वर्षवार पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड को कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को विद्युत बेचने से घाटा हुआ है, तो कितना ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम लि० की विद्युत उत्पादन क्षमता 321 मैगावाट है।

(ख) दामोदर घाटी निगम से 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में क्रमश: 120.8, 107.6 और 107.5 एम० वी० ए० थोक बिजली खरीदी थी। इन वर्षों में पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से क्रमश: 120.1, 192.2 और 153.3 एम० वी० ए० थोक बिजली खरीदी गई थी।··

(ग) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में वितरण का पीक लोड क्रमश: 519 और 520 मैगावाट था। इसके मुकाबले में बिजली को बिक्री क्रमश: 25010, 25646 तथा 25944 लाख किलोवाट तक थी।

(घ) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में वार्षिक राजस्व क्रमश: 28,20,07, 455/-रुपये, 29,69,15,233/- रुपये और 29,79,05,538/- रुपये था।

(ङ) लाभ की वितरणार्थ स्वीकृत राशियां निम्नलिखित थीं :—

1967-68	1,78,09,441/- रुपये
1968-69	1,77,92,184/- रुपये
1969-70	इस वर्ष के लिये अब तक लाभ की कोई राशि वितरणार्थ स्वीकृत नहीं हुई है।

(च) 1967-68 से 1969-70 तक कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम लि० को पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा थोक बिजली सप्लाई करने में कोई हानि नहीं हुई है।

भारतीय सेना में सैनिक शिक्षण दल

1465. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में एक सैनिक शिक्षण कोर (ए० ई० सी०) है ;

(ख) यदि हां, तो इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ;

(ग) उक्त कोर के शिक्षकों द्वारा क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(घ) कौन-कौन उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं ;

(ङ) इस कोर पर प्रतिवर्ष क्या खर्च आता है ; और

(च) क्या यह सच है कि सैनिक शिक्षण कोर और अराजादिष्ट अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाने का भी काम सौंपा जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). विवरण संलग्न है।

(च) जी नहीं।

विवरण

सैनिक शिक्षण कोर एक लड़ाकू कोर है जो कि संगठन करने, निदेशित करने तथा पर्यवेक्षण तथा शिक्षा के प्रशिक्षण की जांच सेना के जे० सी० ओज० तथा जवानों, रंगरूटों तथा गैर लड़ाकू को करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था करती है। जवानों तथा जे० सी० ओज० को

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सब विषयों में शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि आम तौर पर सिविलियन स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं।

आवधिक रूप में परीक्षाएं ली जाती हैं तथा जो अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें सेना शिक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं, जिन्हें अनेकों शिक्षा मंडलों की मान्यता प्राप्त है।

2. सैनिक शिक्षण कोर यूनिट के शैक्षिक इन्सट्रक्टरों के प्रशिक्षण की कला का प्रशिक्षण देती है। यह चुने हुये तीनों सेनाओं के अभ्यर्थियों को बी० ए० उपाधि परीक्षा के लिए सागर विश्वविद्यालय के लिए तैयार करती है।

3. कोर अपने सदस्यों को सागर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए तैयार करती है।

(क) आडियो विजुअल तथा मौलिक शिक्षा।

(ख) पुस्तकालय विज्ञान।

(ग) बैचलर आफ एजूकेशन (बी० एड०)।

(घ) मास्टर आफ एजूकेशन (एम० एड०)।

4. कोर के अफसरों को राष्ट्रीय रक्षा एकादमी, खरकवासला, इन्डियन मिलिटरी अकादमी, देहरादून आर्मी कैडेट कालेज पूना और अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास प्रशिक्षण देने की ड्यूटी पर लगाया जाता है।

5. 1970-71 के दौरान सैनिक शिक्षण कोर का वार्षिक अनुमानित व्यय लगभग 2.95 करोड़ रुपये होगा।

जलढाका पन बिजली परियोजना संबंधी समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना

1466. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग ने, जलढाका पन बिजली परियोजना की क्रियान्विति से सम्बन्धित सभी बातों पर जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये श्री श्रीसुधांगशेर मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में 26 अगस्त, 1969 को एक आयोग नियुक्त किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन पहले ही सरकार को पेश कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो (i) आयोग की सिफारिशें और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और (ii) यदि सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) समिति के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(i) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की टैंडर उप-समिति टैंडरों के मामले में और ठेकेदारों को वृहत कार्य आवंटित करने में उचित सावधानी बरतने में असफल रही।

(ii) सलाहकारों की सलाह का हमेशा पालन नहीं किया गया।

(iii) विलम्ब के कारण निम्नलिखित थे :

(1) अपर्याप्त अनुसंधान ;

(2) उस फर्म को ठेका दिया गया जिसको इस कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं था और जिसने पूरी संख्या में मजदूरों और उपस्कर का प्रयोग नहीं किया ; और

(3) सलाहकारों द्वारा डिजाइन को प्रस्तुत करने में विलम्ब।

महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(क) बराज का शेष कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।

(ख) उत्तरी बंगाल में अतिरिक्त वैकल्पिक उत्पादन क्षमता का प्रबन्ध किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार इस समय रिपोर्ट की जांच कर रही है। भारत सरकार द्वारा कोई और कार्यवाही करने का प्रश्न राज्य सरकार की टिप्पणियों के प्राप्त होने के पश्चात् ही उठेगा।

हांगकांग में भारतीय राजनयिकों को रात्रि भोज

1467. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की ओर से कार्य करने वाले कुछ संगठनों को हांगकांग में हमारे राजनयिकों को निमंत्रण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ;

(ख) इस प्रकार के सद्भावना प्रकाशन द्वारा भारत और चीन के सम्बन्धों को मित्रतापूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में चीन ने कुछ अन्य प्रस्ताव भी किए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को नहीं मालूम कि हांगकांग के कुछ संगठनों को चीन की ओर से निमंत्रण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हांगकांग चाइनीज चैम्बर आफ कामर्स ने हाल ही में अपनी सामाजिक गतिविधियां बढ़ाने के लक्षण दिखाये हैं तथा हांगकांग स्थित मिशनों के वाणिज्यिक अधिकारियों के साथ-साथ उन्होंने दो अवसरों पर हमारे वाणिज्यिक सचिव को भी आमंत्रित किया है।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

ब्रिटेन सरकार द्वारा 1947 में भारत को सत्ता का हस्तान्तरण करने सम्बन्धी एक शृंखला का प्रकाशन

1468. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह '1947 में

भारत को सत्ता के हस्तान्तरण' से सम्बन्धित दस्तावेजों को ग्रंथ-माला के रूप में प्रकाशित करेगी ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिये कुछ दस्तावेज भारत से मांगे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विषमता

1469. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे पता लग सके कि देश में ग्रामों तथा नगरों सम्बन्धी योजनाओं पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ;

(ख) क्या नगरीय समाज द्वारा स्वार्थपूर्ण तथा चतुरतापूर्ण ढंग से कार्य करने के कारण इन ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें भारत की अधिकांश जनता रहती है शिक्षा, खाद्य, वस्त्र, रोजगार, संचार तथा औषधियों के मामलों में उन्हें यथोचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ग) क्या द्वितीय विश्व खाद्य सम्मेलन की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने के लिये ग्रामों सम्बन्धी विकास कार्यों की ओर ध्यान देगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) माननीय सदस्यों का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1969 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 2796 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। विकास सम्बन्धी परिव्यय का बड़ा भाग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को समग्र रूप में सुदृढ़ करने के लिए रखा गया है। अतः योजना के परि-व्यय को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में दिनांक 19 मार्च, 1969 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3626 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर किये गये परिव्यय की राशि में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) दिनांक 1-4-1970 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 4671 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। परिवर्धित योजना व्यवस्था और संस्थागत वित्त की सहायता से ग्रामीण विकास के जिन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायगा उनका निर्देश चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74, 24 मार्च, 1970 को सभा पटल पर रखे गये संशोधित परिव्यय और

18 मई, 1970 को सभा पटल पर रखी गई चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74, इन प्रपत्रों में किया गया है । इस सम्बन्ध में बजट-प्रपत्रों के साथ माननीय सदस्यों में प्रचारित किये गये "सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि की ओर" ("टुवर्ड्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस") शीर्षक ज्ञापन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

नदियों को जोड़कर एक जल-ग्रिड का बनाना

1470. **श्री राम चरण :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री **श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :**
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तरी और दक्षिणी सभी नदियों को जोड़ कर एक जल-ग्रिड स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मानसून के महीनों में गंगा में व्यपवर्तन के लिए, सभी सम्भव प्रतिप्रवाह विकास तथा अनुप्रवाह की अवश्यकताओं के लिए गुंजाइश रखने के पश्चात, बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध होगा । जबकि अन्य अधिकांश नदियों में, विशेषकर प्रायद्वीप में, पानी अपर्याप्त तथा अनियमित है, ये अधिकतर दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती हैं, जो अक्सर या तो देर से आती हैं अथवा शीघ्र ही वापस हो जाती हैं या फिर बीच में काफी समय के लिए बन्द हो जाती हैं, जिससे इन बेसिनों में कमी की स्थिति हो जाती है ।

अतः गंगा के फालतू पानी के एक छोटे भाग को मोड़ने की सम्भाव्यता पर, गंगा को काबेरी और आगे दक्षिण तक फीडर नहरों द्वारा जोड़ने से राजस्थान तथा प्रायद्वीप के क्षेत्रों को सेवित करने के लिये प्रारम्भिक ढंग से जांच की गई है । पटना के समीप से निकलने वाली गंगा की लिंक नहरों को मेटूर बांध तक देश के विभिन्न बृहत नदी बेसिनों, जैसे सोन, नर्वदा, गोदावरी तथा कृष्णा, और छोटे वेसिनों, जैसे पलार, पैंनार आदि को, पार करना होगा । इन लिंक नहरों के लिये पानी का संचय करने हेतु विभिन्न उप-बेसिनों पर एक बड़ी संख्या में बांधों तथा बराजों का, क्रास ड्रेनेज कार्यों सहित 2000 मील से अधिक नहरों का, पर्याप्त संख्या में पम्पिग केन्द्रों आदि का निर्माण करना अपेक्षित होगा । यह कार्य काफी विशाल है और इसके लिये काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी । प्रथमतः परियोजना का गहन रूप से, और यदि आवश्यक हुआ तो चरणों में, अनुसंधान करना होगा और इसमें लगभग 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं ।

निकट भविष्य में केवल कार्यालयीय अध्ययन करने ही प्रस्तावित हैं ।

स्विटजरलैंड के साथ व्यापार सम्बन्ध

1472. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्विटजरलैंड से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये विशेष रूप से

भारतीय राष्ट्रपति के उस देश के हाल ही के दौरे के पश्चात क्या कार्यवाही की है ;

(ख) स्विटजरलैंड को अधिक निर्यात करने और वहां से आयात कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति इस पहलू की जांच कर रही है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ग). भारत और स्विटजरलैंड के बीच 1959 में एक व्यापार प्रबन्ध हुआ था। दूसरे विषयों के साथ इसमें एक संयुक्त आयोग की भी व्यवस्था की गई थी। अब यह विनिश्चय किया गया है कि इस संयुक्त आयोग को फिर से सक्रिय बनाया जाय तथा भारत और स्विटजरलैंड के साथ बेहतर वाणिज्यिक आर्थिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उसका अधिकाधिक उपयोग किया जाये।

(ख) स्विटजरलैंड के साथ हमारे व्यापारिक घाटे को उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। 1966-67 के 14.17 करोड़ रु० से कम होकर यह 1969-70 में 3.41 करोड़ रु० रह गया है। स्विटजरलैंड को हमारे निर्यात बढ़ाने और उनका विविधीकरण करने से सम्बन्धित एक कार्यक्रम का सुझाव स्विटजरलैंड सरकार को दिया गया है। स्विटजरलैंड के बाजारों में हमारे परम्परागत और अपरम्परागत दोनों प्रकार के उत्पादों के प्रवेश से लाभ उठाने के लिये भी यहां आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

ब्रिटेन में स्थित भारतीय राजदूतावास का भारतीयकरण

1473. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय में 350 में से 150 कर्मचारी विदेशी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन भारतीय कर्मचारियों में से एक तिहाई कर्मचारियों की पत्नियां विदेशी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के भारतीयकरण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 30-7-1970 को इस हाई कमीशन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 710 थी (भारत-आस्थानी 176 और स्थानीय 534, जिसमें छोटे और दस्तकार वर्ग भी शामिल हैं) भारत आस्थानी सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय राष्ट्रिक हैं। स्थानीय भरती के 534 कर्मचारियों में से 189 या तो विदेशी हैं अथवा भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और शेष 345 भारतीय राष्ट्रिक हैं।

(ख) किसी भी भारतीय आस्थानी कर्मचारी की पत्नी विदेशी नहीं है। भारतीय राष्ट्रिकता के स्थानीय भरती के 345 लोगों में से 44 ने विदेशियों से विवाह किया है।

(ग) लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन का भारतीयकरण करने की दिशा में निम्न-लिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) स्वेच्छा योजना के अन्तर्गत स्थानीय भरती के स्थानीय कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्ति लाभ देना।

(ii) स्थानीय पदों को भारतीय स्थानीय पदों में बदलना ;

(iii) लन्दन स्थानीय संवर्ग योजना के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरती की जाती है जो भारत में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है ; और

(iv) स्थानीय भरती के पदों में कमी।

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष का अफ्रीकी देशों का दौरा

1475. **श्री जनार्दनन :** **श्री झारखण्डे राय :**
श्री लताफत अली खां : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने भारतीय निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया था और इस दौरे पर कितना व्यय हुआ था और इसके क्या परिणाम निकले थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). 24 मई से 28 जून, 1970 तक की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने कुछ अफ्रीकी देशों जैसे तंजानिया, कीनिया, उगांडा, मलावी, जम्बिया कांगो तथा नाइजीरिया का तथा कुछ यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, हालैंड, इगलैंड तथा सोवियत संघ का भी दौरा किया था। अफ्रीकी देशों की यात्रा के दौरान 13,447 रु० का व्यय हुआ।

जहां तक अफ्रीकी देशों का सम्बन्ध है, अध्यक्ष के दौरे का सम्बन्ध भारतीय उत्पादों की विपणन सम्भावनाओं तथा अफ्रीका के कुछ विकासशील राष्ट्रों के सरकारी क्षेत्रों के व्यापारिक अभिकरणों और भारत में ऐसे ही अभिकरणों के बीच संस्थागत स्तर पर निकटतर सहयोग की सम्भावना का पता लगाने से था। अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

निर्यात व्यापार

1476. **श्री जनार्दनन :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री कं० हाल्दर :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से इस समय कौन-कौन सी वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं ; और

(ख) गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). उन वस्तुओं को छोड़कर जिनका निर्यात राज्य अभिकरणों के माध्यम से होता है, सभी वस्तुओं का निर्यात गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाता है। राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से निर्यात के लिये मार्गीकृत वस्तुओं की एक सूची संलग्न है।

विवरण

(क) **राज्य व्यापार निगम—**

1. प्राउन, शार्कफिन्स, फिशमाव्स, बीच-डे-मेर तथा बाम्बे डक्स को छोड़कर सूखी मछली।
2. मानव-बाल, विग तथा विगलैट तथा मानव बालों से अंशतः तथा पूर्णतः बनी हुई अन्य वस्तुएं।
3. सेल्यूलोसिक कृत्रिम रेशम वस्त्र
4. नायलान वस्त्र
5. अगियाघास का तेल
6. कत्था
7. हर प्रकार का नमक
8. जूते, जिनका ऊपरी भाग पूर्णतः या अंशतः चमड़े का बना हो।

†9. सीमेंट

†10. निट वियर (ऊनी तथा मिश्रित)

(ख) **खनिज तथा धातु व्यापार निगम**

1. गोआ मूल के अयस्क को छोड़कर लौह अयस्क
2. मैंगनीज अयस्क (मैंगनीज ओअर (इंडिया) लि० द्वारा उत्पादित / प्राप्त किये गये अयस्क को छोड़कर)।
3. कोयला और कोक (विभिन्न श्रेणियां)
4. लौह मैंगनीज तथा लौह मैंगनीज स्लैग

औद्योगिक कच्चे माल के लिए सहायक केन्द्र

1477. **श्री जनार्दनन :**　　　　**श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री लताफत अली खां :　　　　**श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने औद्योगिक कच्चे माल के लिये एक सहायक केन्द्र की स्थापना की है ;

† वर्ष 1969-70 के दौरान मार्गीकृत

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या हैं ; और

(ग) यह किस हद तक सहायक सिद्ध होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके आयात लाइसेन्स के मूल्य के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल विद्यमान भण्डार से प्राप्त करने में सहायता देगा ।

(ग) वास्तविक उपयोक्ता, निर्यात आदेशों को शीघ्रता से क्रियान्वित कर सकेंगे और अपने उत्पादन तथा निर्यात के निष्पादन में सुधार कर सकेंगे ।

अधिक बिजली बनाने के लिये आधुनिक तरीकों का अपनाया जाना

1478. **श्री जनार्दनन : श्री झारखण्डे राय : श्री क० मि० मधुकर : श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री अदिचन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में हुए एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि अधिक बिजली बनाने के लिए भारत को उन आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाना होगा, जिनका अमरीका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में इस समय प्रचलन है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में अधिक विद्युत पैदा करने के लिये उन आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के लिये क्या कोई योजना तैयार की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) नई स्कीमों के बनाते समय उन सभी आधुनिक तकनीकों की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे देशों में सफल रही हैं ।

ट्रैक्टर आयात नीति

1479. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "केन्द्र की ट्रैक्टर आयात नीति की आलोचना की गई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तरी भारत नहर अधिनियम का लागू किया जाना

1480. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 6 जुलाई, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' के छठें पृष्ठ पर प्रकाशित इस आशय के समाचार का पता है कि उत्तरी भारत नहर अधिनियम एक निरर्थक कानून बनकर रह गया है और यदि हां, तो नहर अधिकारियों के गलत निर्णयों के विरुद्ध सरल समाधान सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल

1481. **श्री हेम राज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि हिमाचल प्रदेश एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपना यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है और केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

उत्तर क्षेत्र की बिजली बोर्ड की बैठक

1482. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर क्षेत्र की बिजली बोर्ड की हाल ही में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से किन-किन क्षेत्रों पर विचार किया गया था और क्या-क्या निर्णय लिए गये ; और

(ग) क्या यह सच है कि गोविन्द सागर में जल स्तर नीचा होने के कारण पर्याप्त बिजली नहीं बन पाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की गत बैठक हाल में ही 3 और 4 जुलाई, 1970 को हुई थी ।

(ख) जिन मुख्य मदों पर विचार-विमर्श किया गया वे ये हैं—उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये उठाए जाने वाले पग, उत्तरी क्षेत्र में एक केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करने की स्कीम, उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड में परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रतिनिधित्व, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों और उत्तरी क्षेत्र में विद्युत विकास स्कीमों के निर्माण और उनको चालू करने में हुई प्रगति ।

निम्नलिखित मुख्य निर्णय किये गये :—

(1) भाखड़ा कांप्लेक्स की गोविन्द सागर झील में पानी के कम अन्तः प्रवाह और परिणामस्वरूप भाखड़ा से उत्पन्न बिजली पर पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि कुछ डीजल उत्पादन सैटों का आयात किया जाय और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र से उत्पन्न बिजली के पूर्ण समुपयोजन की भी व्यवस्था की जाय ताकि उत्तरी क्षेत्र को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके ।

(2) विशेषज्ञों का एक दल क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की स्कीम की जांच करे ताकि इस क्षेत्र की विद्युत प्रणालियों के समेकित परिचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र में विद्युत का एक कारगर सामुहिक केन्द्र बन सके । विशेषज्ञों की सिफारिशों की रोशनी में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिये स्टाफ के सम्बन्ध में भी जांच की जाएगी ।

(3) चौथी योजना के दौरान राजस्थान में राणाप्रताप सागर परमाणु विद्युत केन्द्र को चालू करने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्रीय बोर्ड में परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जाए ।

(4) गांधी शताब्दी के अन्त, अर्थात् 2 अक्टूबर, 1970 तक एक लाख गांवों में बिजली लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के देशव्यापी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यथासम्भव अधिकाधिक गांवों में बिजली लगाने के लिए पग उठाए जाएंगे । हिसार बल्लभगढ़ लाइन 5 मई, 1970 तक पूरी हो जाय, इस बात को सुनिश्चिन करने के लिये पग उठाए जाएं (यह लाइन उक्त तारीख तक तैयार हो गई थी और वह अब चल रही है) ।

(ग) भाखड़ा जलाशय में इस वर्ष पानी का अन्तः प्रवाह कम हुआ है और गत वर्ष लगभग इस समय झील का जो स्तर था, वह इस वर्ष उससे 90 फुट कम है । पानी के अन्तः प्रवाह का जो पैटर्न इस समय है, यदि वह चलता रहा तो बिजली के उत्पादन में 30 से 40% कमी हो जाएगी ।

छिपे नागाओं और बर्मा की कुचीन राज्य की स्वतंत्र सेना की संयुक्त बैठक

1483. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री मीठा लाल मीना :
श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूमिगत नागाओं और बर्मा के कुचीन राज्य की तथा कथित स्वतंत्र सेना के बीच अपर बर्मा में हुकूर घाटी में बातचीत हुई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बर्मा की हुक्वांग घाटी में हाल ही में ऐसी कोई बैठक हुई थी ।

भारत आने वाली एक महिला विद्यार्थी को विदेश स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई गलत जानकारी

1484. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री भारत आने वाली एक महिला विद्यार्थी को विदेश स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई गलत जानकारी के बारे में 22 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक पूछताछ कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पूछताछ के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई उचित कार्यवाही का जिसका वचन दिया गया था ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जांच से पता चला है कि रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है । तथ्य ये हैं : (i) एक विदेशी महिला छात्रा ने अपनी ही प्रार्थना पर बम्बई के एक कालेज में एम० ए० पाठ्यक्रम में पूर्ण कालिक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था, (ii) इसके बाद वे स्वेच्छा से पूना विश्व-विद्यालय के एक कालेज में चली गयीं और (iii) बाद में व्यक्तिगत कारणों से अपना अध्ययन पूरा किये बिना ही वे भारत से चली गयीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Licences granted to Ahmed Woollen Mills, Ambarnath, Kalyan (Maharashtra)

1485. **Shri Shashi Bhushan :** With the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total number of licences granted to Ahmed Woollen Mills, Ambarnath, Kalyan Maharashtra during the last three years for importing wool and woollen yarn from abroad ;

(b) whether Government have made any investigation to ascertain that the said wool has been utilised by the Mill itself ;

(c) whether Government have received any complaint that the said mill did not go into production at all and the wool imported the mill has been utilised elsewhere ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Since import of raw wool is canalised through STC with effect from 25. 11. 67, the question of giving any direct licence to Ahmed Woollen Mills did not arise. The following releases were however made by the STC during the last three wool licensing years in accordance with the existing policy :

1. October 1967/Sept. 1968 : Rs. 14,85,271.20
2. October 1968/Sept. 1969 : Rs. 15,67,300.00
3. October 1969/Sept. 1970 : Rs. 16,25,484.00

(b) Yes, Sir. The Textile Commissioner has utilisation of the wool allotted to verified the M/s. Ahmed Woollen Mills as mentioned above.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्री आर० के० सोनी द्वारा कमी को पूरा करने के लिये दिये गये लाइसेंस के उपयोग में अनियमिततायें

1486. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के अनुसार यदि दो एककों का प्रबन्ध एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो एक एकक का कच्चा माल दूसरे एकक में स्थानान्तरित किया जा सकता है, परन्तु कमी को पूरा करने के लिए दिए गए लाइसेंस, जो बेचे नहीं जा सकते, हस्तान्तरणीय नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राजकुमार सोनी को आर० के० मशीन टूल्स के कच्चे माल को कबीर वूलन मिल्स और आर० के० मशीन काम्बर्स में उपयोग करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आर० के० मशीन टूल्स पीतल की वस्तुएं तथा बर्तन बनाने के लिये पंजीकृत नहीं था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मैसर्स कबीर वूलन मिल्स के केवल 120 तकले हैं और इसलिये सूत कातना उनकी क्षमता से बाहर है ; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं और कदाचारों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक एकक को, 'वास्तविक उपयोक्ता' शर्त के साथ दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल को लायसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति के बिना उसी प्रबन्ध के अधीन किसी अन्य एकक को अन्तरित नहीं किया जा सकता। तथापि, एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे एककों के समूह द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति लायसेंसों के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल का विगत में उनमें से किसी भी एकक द्वारा प्रयोग किया जा सकता था। प्रतिपूर्ति लायसेंस भी अन्य संगठनों को हस्तान्तरणीय नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ). मैसर्स कबीर वूलन मिल्स की 1860 वर्स्टेड तकुओं तथा 2,000 ऊनी तकुओं की लायसेंस प्राप्त क्षमता है। आर० के० मशीन टूल्स फर्मों के समूह को दिये गये प्रतिपूर्ति लायसेंसों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये धन का नियतन

1488. **श्री लताफत अली खां** : **श्री जि० मो० बिस्वास** : **श्री सरजू पाण्डे** : **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये 18 करोड़ रुपये नियत करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में यह कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। 1970-71 के लिये वास्तविक विभाजन 18.8132 करोड़ रुपये हैं ; राजस्व के अन्तर्गत 17.5632 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत शीर्षक के अन्तर्गत 1.25 करोड़ रुपये हैं।

(ख) रक्षा सेवाओं के लिए जटिल हथियारों तथा उपस्करों का देश में विकास करने के आधार बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान में कुछ वर्षों में क्रमिक प्रगति देने के लिए पूंजी लगाई गई है।

1958 में इसके प्रारम्भ होने के समय से संगठन ने सशस्त्र सेनाओं के लिए भारी तादाद में हथियारों तथा उपस्करों का विकास किया है तथा इसके साथ ही बहुत सी बड़ी परियोजनाएं विकास की अग्रिम स्थिति में हैं।

आयात किए जाने वाले माल, प्रोपेलेंट्स, तथा स्वदेशी उत्पादन के प्रयत्नों में आवश्यक पुर्जों का भी विकास किया गया है।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप इस तारीख तक पक्के आदेशों में लगभग 160 करोड़ रुपए की विदशी मुद्रा में बचत होने का अनुमान है तथा यह राशि क्रमश: बढ़ती जायगी जैसे जैसे दूसरे उपस्करों का जो पूर्णता पर हैं, निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा। इस प्रकार से रक्षा अनुसंधान संगठन रक्षा उपस्करों में क्रमशः आत्म निर्भरता बढ़ती जायेगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद

1489. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री पटसन के उत्पादन, खपत तथा खरीद के बारे में 20 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10327 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में विशेषकर बिहार में, राज्य व्यापार निगम द्वारा बहुत कम पटसन खरीदे जाने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1967-68 में बहुत कम पटसन खरीदे जाने के कारण पटसन के मूल्य गिर गये थे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1968-69 में उत्पादन बहुत कम हुआ था और इस कारण आयात में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीदारी मूल्य समर्थन योजना तक सीमित थी। निगम ने तदनुसार बिहार की सभी मंडियों में खरीद करने की व्यवस्था की और इस योजना के अन्तर्गत पटसन की जो भी मात्रा पेश की गयी उसको खरीद लिया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

नेपाल में बहुप्रयोजनीय परियोजना का निर्माण

1490. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री नेपाल में बहुप्रयोजनीय निर्माण के बारे में 20 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1758 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाली पन-बिजली परियोजना के कार्य में इस बीच कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो मूल प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या बागमती, कमला और कोसी की एक शाखा के झरनों के निकट एक पन-बिजली बहुप्रयोजनीय परियोजना का कोई प्रस्ताव इस बीच प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). नेपाल में करनाली पन-बिजली परियोजना के विकास से संबंधित प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ). नेपाल में कोसी की एक शाखा कमला तथा बागमती के प्रपातों के समीप जलविद्युत/बहूद्देश्यीय परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Eviction of Ex-servicemen in Haryana from their Lands

1491. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many ex-Servicemen have been making fallow land productive in Karnal District of Haryana for the last twenty years ;

(b) if so, the number of such ex-servicemen as have been cultivating land under the ownership of Government, Panchayats and individual landlords ;

(c) whether it is a fact that the Government of Haryana has tried her best to evict these ex-servicemen resulting in arrests, lathi charges, confiscation etc.; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) 30 ex-servicemen's cooperative societies were allotted land in Karnal District in 1951-52, for 20 years, under the East Punjab Utilization Act.

(b) 420.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

चमड़े का निर्यात

1493. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1970 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित चमड़े के निर्यात सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को नये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार तैयार चमड़े, चमड़े से बने माल, जिसमें चमड़े के जूते शामिल हैं, का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में पूर्णत: जागरूक है। एक विवरण सलंग्न है जिसमें इस सम्बन्ध में किये गये महत्वपूर्ण उपाय दिये हैं।

विवरण

तैयार चमड़े, चमड़े से बने माल, जिसमें चमड़े के जूते शामिल हैं, का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) मद्रास स्थित चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् और (2) कानपुर स्थित तैयार चमड़े तथा चमड़े से बने माल हेतु निर्यात संवर्धन परिषद् नामक दो निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है। ये दोनों परिषदें संवर्धनात्मक कार्यकलाप करती हैं, जैसे कि विदेशी बाजारों का दौरा करने के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और बिक्री-सह्-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशी मांग को हूबहू पूरा करने के लिये नये डिजाइनों और नमूनों का विकास करना, बाजार-जानकारी एकत्र करना और नये निर्यातकों का पथ-प्रदर्शन करना आदि।

(2) इस उद्योग के लिये अपेक्षित आधारभूत कच्चे माल यथा कच्ची खाल तथा चमड़ियां और चमड़ा कमाने की छाल तथा निस्सारण सामग्री का निर्बाध व्यापक लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है।

(3) 'चमड़ा तथा चमड़े का सामान' प्राथमिकता प्राप्त 59 उद्योगों में से एक है। अत: इस उद्योग के एकक वास्तविक खपत के आधार पर आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

(4) चमड़े तथा चमड़े से बने विभिन्न उत्पादों के निर्यात के बदले ऐसे निर्यातों में प्रयुक्त आयातित माल की प्रतिपूर्ति हेतु आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(5) ब्लू क्रोम कमाई हुई बकरी की चमड़ियों और वेजीटेबल टेन्ड चमड़े के निर्यात पर शुल्क वापसी की भी व्यवस्था है। चमड़े से बने माल और तैयार चमड़े पर शुल्क वापसी की दरों का रूपायन सुकर बनाने के लिये आधार सामग्री तैयार की जा रही है।

तिब्बत में चीनियों की गतिविधियां

1494. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को 7 जुलाई, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' पृष्ठ 5 पर प्रकाशित 'चीनियों द्वारा तिब्बत में राजमार्ग पर तीव्र गति से कार्य' विषयक समाचार का पता है और यदि हां तो यह समाचार कहां तक सत्य है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत सरकार को इस समाचार के बारे में मालूम है, किन्तु इस बारे में कोई प्रत्यक्ष अथवा प्रामाणित जानकारी नहीं है।

सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न किया जाना

1495. **श्री रवि राय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि सिंचाई सुविधाओं के बहुत बड़े भाग का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुविधाओं का उपयोग न करने के कारणों की जांच की है ; और

(ग) सिंचाई परियोजना से लाभान्वित क्षेत्रों का विकास करने के लिये कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और उनका व्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ण समुपयोजन के लिए विकासात्मक अवधि, किसानों द्वारा क्षेत्रीय नदियों का निर्माण, भूमि को ठीक करना इत्यादि, स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 10 वर्ष हुआ करती थी । अन्न उत्पादन के हित में समय में इस देरी को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये समस्या पर विचार किया गया और राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि किसानों को, ऋण सुविधाएं, उन्नत बीज, खाद, किटाणुनाशक, बाजार केन्द्रों को जाने वाली सड़कों तथा कृषि के वैज्ञानिक तरीकों (शष्य पद्धति) पर मार्ग दर्शन और जल के उपयोग, जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को शुरू करें । सिंचाई विभागों को भी कहा गया था कि वे वहां 2 क्यूसेक्स तक जल मार्ग खोदें तथा क्षेत्रीय नालियां खोदें जहां किसान उनमें देरी करते हैं । किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, समुपयोजन की प्रतिशतता जो कि प्रथम योजना के अन्त में 50% थी, अब बढ़ कर 88 प्रतिशत हो गई है ।

ब्रिटिश पार-पत्र प्राप्त भारतीयों द्वारा काहिरा में भूख-हड़ताल

1496. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटिश पार-पत्र प्राप्त उगांडा के 13 भारतीयों ने 8 जुलाई को काहिरा में दो दिन तक भूख-हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भूख-हड़ताल के कारणों की जांच की है ; और

(ग) उनके मामले के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका व्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों ने इन लोगों को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया था और इसी के विरोध में इन लोगों ने भूख-हड़ताल की थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । बाद में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अपने राष्ट्रिकों को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी ।

Submission of report of committee on irrigation project works

1497. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether according to news item published in Daily (Hindustan) on the 6th July, 1970, it is correct that Committee on Irrigation Project Works constituted under the chairmanship of Union Deputy Minister for Irrigation and Power has submitted its report to the Government ;

(b) if so, whether a copy of the said report would be placed on the Table of the House ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) On the recommendations of the Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Nainital on 26th and 27th May, 1969, a Committee of Ministers was constituted to recommend measures for elimination of delays in the procurement of construction equipment and spare parts required for irrigation and power projects. The Union Deputy Minister of Irrigation and Power who presided over the deliberations of the Committee, has submitted its report to the Government.

(b) and (c). The report of the Committee is to be placed before the forthcoming Conference of State Ministers of Irrigation and Power. It is, therefore, not proposed to lay a copy of the report on the Table of the House.

Use of Hindi in Official Work in Department of Statistics

1498. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 543 on 25th February 1970 and state :

(a) the progress made by the Department of Statistics with regard to the progressive use of Hindi in the official work as per orders of Government through the Implementation Committee from time to time ; and

(b) the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Hindi Implementation Committee of the Department of Statistics met twice and made a number of recommendations. Based on these recommendations help literature in Hindi also a booklet containing administrative and technical terms commonly used in the Department, have been circulated to most of the officers and members of staff. Hindi knowing officers and members of staff are encouraged to note in Hindi. Circulars of a general nature are issued in a bilingual form and most of the correspondence with Class IV staff is undertaken only in Hindi. Action has been taken to recruit staff for the Hindi Unit, and one Hindi Officer, one Senior Investigator (Hindi)/and Hindi Typist are now in position. Apart from helping in the translation of important forms and some of the letters and orders, this staff has also taken up the translation of some of the important publications of the Central Statistical Organisation.

भारत-बर्मा सीमा वार्ता

1499. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1970 के अन्तिम सप्ताह में भारत और बर्मा सरकार के अधिकारियों के बीच भारत और बर्मा सीमा विवाद के संबंध में हुई वार्ता के परिणाम क्या हैं ; और

(ख) भारत-बर्मा सीमा विवाद का विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सीमा के बारे में भारत और बर्मा में कोई झगड़ा नहीं है। मणिपुर क्षेत्र में सात सीमा स्तम्भों की ठीक-ठीक स्थिति के बारे में कुछ मतभेद अवश्य है। रंगून में 24 मई, 1970 से 30 मई, 1970 तक संयुक्त सीमा आयोग की जो बैठक हुई थी, उसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि 1969-70 के क्षेत्र कार्य मौसम में सीमांकन का जो काम शेष रह गया था वह 1970-71 के क्षेत्र कार्य मौसम में पूरा किया जायगा। इस सिलसिले में दोनों सरकारों में उक्त सात सीमा स्तम्भों की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस मामले का जल्दी ही कोई ऐसा हल निकल आयगा जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे।

Removal of Indo-Pak Passport and Visa System

1500. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government would take initiative to move Pakistan for removing Indo-Pakistan Passport and Visa system ;

(b) if so, the time by which the initiative is likely to be taken ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) We have more than once suggested to the Pakistan Government to liberalize passport and Visa system.

(b) and (c). It depends on the response from Pakistan.

Indirect Supply of Aircrafts and Tanks by U. S. A. to Pakistan

1501. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has received or is likely to receive American aircraft and tanks of latest model through Iran and Iraq in the name of old aircrafts ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check the supply of arms etc. by U. S. A. indirectly ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The House has been kept informed of the efforts made by Pakistan to acquire US equipment through third countries, the last occasion being the request for supply of 100 US made M-47 tanks to Pakistan through Turkey, on which the Minister of External Affairs made a statement on 3rd April, 1970. Government have no further definite information in this regard.

(b) Government have explained to the US Government, through diplomatic channels and also at high levels, that the supply of military equipment to Pakistan, will have seriously repercussions in regard to both our defence responsibilities and the objective of maintenance of peace in the sub-continent.

Patrolling by Chinese Ships on Indian Ocean

1502. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese ships patrol the Indian Ocean posing a danger to our naval security at our territorial waters ;

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) (a) and (b). No Chinese ships have been observed in our territorial waters. Government are not aware of any Chinese ships patrolling the highseas in the Indian Ocean.

Chinese influences in Bhutan and Sikkim

1503. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chinese influence is very much increasing in Bhutan and Sikkim ; and

(b) if so, the concrete steps proposed to be taken by Government to curb the activities of China there ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. There is no evidence that the Chinese influence is increasing in Bhutan and Sikkim.

(b) Does not arise.

कावेरी नदी के जल के बारे में तमिलनाडु, मैसूर तथा केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक

1504. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री लकप्पा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कवेरी नदी जल के विभाजन के बारे में तमिल नाडु, मैसूर तथा केरल के मुख्य मंत्री की मई, 1970 में कोई वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, मद्रास में ।

(ख) राज्यों के बीच मतभेदों को काफी हद तक कम कर दिया गया था । यह स्वीकार कर लिया गया था कि अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तीनों राज्यों के संबंधित मुख्य इन्जीनियरों के साथ सलाह करके हेमावती और काबिनी जलाशयों के कतिपय तकनीकी ब्यौरों का हिसाब लगायें ।

मद्रास और केरल में परमबीकुलम और एलियार नदियों के पानी का बंटवारा

1505. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिल नाडु और केरल सरकारों में 29 मई, 1970 को परमबीकुलम और एलियार अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के बंटवारे के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते के ब्योरे का विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3850/70]**

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का व्यापार

1506. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्पात का पूर्ण आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से होना चाहिए और क्या इस प्रस्ताव का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय द्वारा विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अलग-अलग दावे क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). यह प्रशासनिक मामला है और इस प्रकार के मामले सदैव परस्पर परामर्श द्वारा तय किये जाते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना का दोबारा छापा जाना

1507. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिये भेजे जाने से पूर्व उस पर योजना आयोग के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना को मुद्रण के लिये दोबारा भेजा गया था क्योंकि इसके प्रथम प्रिंट में अनेक गलतियां थीं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 तैयार की थी और स्वीकार की थी और उपाध्यक्ष ने उसे प्रधान मंत्री एवं अध्यक्ष के पास संसद् में प्रस्तुत करने के लिये अग्रसारित किया था। प्रधान मंत्री ने उसे अधिप्रमाणित किया था और संसद् में प्रस्तुत किया था।

(ख) यह वांछनीय था और संसद् में बजट अधिवेशन की समाप्ति के पहले अन्तिम चौथी योजना प्रस्तुत कर दी जाये। यह कार्य दिनांक 18.5.1970 को किया गया। इसलिये 480 पृष्ठ का यह प्रपत्र कुछ जल्दी में छापा गया और उसमें कुछ अशुद्धियां रह गईं। दूसरी बार की छपाई में उन्हें ठीक किया जा रहा है।

भूटान को सहायता

1508. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री की हाल ही की भूटान यात्रा के दौरान भारत द्वारा भूटान को दी जाने वाली सहायता के ब्योरे पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भूतपूर्व विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भूटान को भारतीय सहायता के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया था । श्री दिनेश सिंह ने भूटान सरकार से फिर यही कहा कि भारत सरकार चाहती है कि भूटान के विकास से उसका सम्बन्ध बना रहे तथा इस प्रयोजन के लिये भूटान जो भी सहायता मांगे वह, जहां तक मुमकिन हो सके, उसे दी जाय । लेकिन, इनके ब्योरों पर विचार नहीं किया गया था ।

पाकिस्तान को पश्चिम जर्मनी से हथियारों की सप्लाई का न मिलना

1509. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी सरकार ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनके द्वारा पाकिस्तान को सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों से कोई हथियार सप्लाई नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्य देशों से भी बातचीत की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, जर्मन संघ गणराज्य द्वारा 1965 में लिये गये इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि वह तनाव वाले क्षेत्रों में कोई हथियार नहीं भेजेगा और न जर्मन फर्मों को हथियार भेजने के लिये लाइसेंस ही जारी करेगा ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान को हथियार देने के सम्बन्ध में राजनयिक माध्यमों से विदेशी सरकारों को भारत के सुविदित विचारों से निरन्तर अवगत रखा जाता है । सम्बन्धित सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने अगर और हथियार एकत्र किये तो वह भारत की सुरक्षा के लिये खतरा बन जायेगा, इससे इस उप-महाद्वीप में तनाव पैदा होगा और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के अवसर कम हो जाएंगे ।

रुपड़, हरिके और फिरोजपुर बांधों का भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरण

1510. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा रुपड़, हरिके तथा फिरोजपुर बांधों को अपने नियंत्रण में लिये जाने के बारे में 25 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपड़, हरिके तथा फीरोजपुर बांधों को पंजाब सरकार से लेने तथा इनको

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के नियन्त्रणाधीन करने के बारे में औपचारिक रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय के कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मामला अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है और इस वर्ष के अन्त तक निर्णय हो जाने की संभावना है ।

गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति का प्रतिवेदन

1511. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इन्जीनियर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में 18 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इन्जीनियर समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अभी रिपोर्ट के आने की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ नहरी जल करार की समाप्ति पर जल का उपयोग

1512. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री पाकिस्तान के साथ नहरी जल करार की समाप्ति पर जल के उपयोग के बारे में 18 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ नहरी-जल करार की समाप्ति पर भारत को उपलब्ध होने वाले फालतू पानी के उपयोग के बारे में हरियाणा सरकार की याचिका पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पंजाब और हरियाणा राज्यों में नदी प्रवाह, सिंचित क्षेत्र, इत्यादि के सम्बन्ध में तथ्यों को और ऐसे अन्य तथ्यों को एकत्र करने के लिये, जो भूतपूर्व पंजाब को आवंटित फालतू रावी-व्यास जल में अपने-अपने राज्यों के भागों को सुनिश्चित करने के लिये होने वाले विचार-विमर्श हेतु संगत हैं, तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है । समिति का कार्य चल रहा है ।

Export of Lichi from Bihar

1513. **Shri Ram Avtar Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Lichi has been exported from Bihar this year ;

(b) if so, the names of the countries to which it was exported and the quantity in each case ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by Government of India as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The item Lichi is not separately classified in the Revised Indian Trade Classfication and as such export statistics of the same are not available. However a total quantity of 8,029 Kgs. of Lichi was exported by the State Trading Corporation of India, Ltd., during this year from Bihar to the following countries and an amount of Rs. 26,000/- earned as a result thereof :

	Qty. in Kgs.
U. K.	6,577
West Germany	475
Switzerland	497
France	480
	8,029

चीन के साथ व्यापार संबंध

1514. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध जोड़ने के कोई प्रयत्न किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ; और

(ग) उस देश की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

डिफेंस कालोनी, चंडीगढ़

1515. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थित डिफेंस कालोनी में कितने परिवार बसाये जायेंगे ;

(ख) क्या सभी प्लाट प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को अलाट किये गये हैं ;

(ग) क्या कुछ प्लाटों को अभी अलाट किया जाना है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा) : (क) 3000.

(ख) बस्ती में भूमि प्लाट सेवा कर रहे और भूतपूर्व सैनिकों दोनों को अलाट किये गये हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुलाबों का निर्यात

1516. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ से कितने मूल्य के गुलाबों का निर्यात किया गया ; और

(ख) चण्डीगढ़ में गुलाबों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में "गुलाब के फूल" अलग से वर्गीकृत नहीं हैं ।

(ख) चण्डीगढ़ में 6 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जहां पर निर्यात योग्य किस्मों के लगभग 20,000 गुलाब के पौधे लगाने का विचार है ।

भारतीय प्रशासन सेवा की सूची में प्रथम आने के लिए कुमारी अनुराधा मजूमदार को प्रधान मंत्री द्वारा भेजा गया बधाई पत्र

1518. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने भारतीय प्रशासन सेवा की हाल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम आने वाली कुमारी अनुराधा मजूमदार को बधाई पत्र भेजा था ; यदि हां, तो पत्र का पाठ क्या है ;

(ख) क्या पत्र में लिखे गये ये शब्द कि जनता का भला करने के लिये भारतीय प्रशासन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम है अथवा इसी प्रकार के शब्द प्रधान मंत्री की भारतीय लोक जीवन और प्रशासन में भारतीय प्रशासन सेवा के योगदान से सम्बन्धित धारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं ; और

(ग) क्या वह इस मामले पर पुनर्विचार करेंगी तथा भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवाओं के योगदान के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन लाने और जनता की भलाई करने में जनमत, राजनीतिक संगठनों, श्रेणी संगठनों, युवक संगठनों और जनता के कार्यों के योगदान के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगी ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। संदेश का मूलपाठ साथ लगा है।

(ख) जी हां। भारतीय प्रशासन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिलजुल कर करती हैं। ये उसकी भागीदार भी हैं। हमारी संघ प्रणाली में इसका विशेष स्थान है। सामान्य प्रशासन के अलावा, इस सेवा के सदस्यों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर अमल करने का काम भी सौंपा जाता है। लेकिन इससे किसी भी रूप में, अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं का महत्व कम नहीं हो जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मैं आपकी सफलता पर बधाई देती हूं। भारतीय प्रशासन सेवा की भारी जिम्मेंदारी है क्योंकि यह सेवा हमारे देश के लोगों के जीवन को समुन्नत करने का अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी साधन है।

देश सेवा में लगने वाली आपकी जीवन-वृत्ति के लिये मेरी शुभकामनाएं। यदि आपका उद्देश्य अपनी ओर से देश की सर्वोत्तम जन-सेवा का रहा तो आपको कोई पछतावा न रहेगा।

नेपाल से व्यापार

1519. **श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिंथेटिक यार्न और कपड़े, बने बनाये कपड़े, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन तथा बोतलों में बन्द शराब के आयात के अतिरिक्त तीसरे देश की वस्तुओं का नेपाल से आयात किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इसका कितना आयात होता है ; और

(ग) भारत में इनके आयात को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अन्य देश में बने माल का नेपाल से आयात करना भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा निकाली गई अधिसूचना के अधीन वर्जित है। फिर भी इस प्रकार के माल के भारत में आने की शिकायतें प्राप्त होने के फलस्वरूप सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा निवारक प्रयत्न और भी तीव्र कर दिये गये हैं। भारत में तस्करी से जो सामान आया होगा उसके परिमाण का ठीक-ठीक आकलन करना तो सम्भव नहीं है किन्तु भारत नेपाल सीमा पर पकड़े

गये इस प्रकार के माल का मूल्य नीचे दिया जाता है :

अवधि	रुपयों में कुल मूल्य
1966	3,21,001
1967	5,87,651
1968	24,71,073
1969	47,95,864
1970 (जून, 1970 तक)	23,71,026

इस माल में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त कैमरे, हाथ घड़ियां, चश्में, वस्त्र, ट्रांसिस्टर, शराबें, फाउंटेन पेन आदि शामिल हैं ।

(ग) भारत नेपाली सीमा के आर पार तस्करी रोकने के लिये कुछ मुख्य उपायों में ये निम्नलिखित कार्यवाही शामिल हैं :

(1) सीमा पर अतिरिक्त सीमाशुल्क अमले की नियुक्ति ;

(2) सीमा पर कार्यरत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अन्य प्रवर्तन अभिकरणों का सहयोग लेना ;

(3) समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिये और भारत नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिये केन्द्रीय तथा सम्बद्ध राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन ;

(4) व्यापार के दिशा-परिवर्तन की रोक थाम करने के लिये अपनी ओर से भी उपयुक्त उपाय करने के लिये नेपाल सरकार पर जोर डालने के लिये अन्तः सरकारी संयुक्त समिति का और कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग ; और

(5) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तस्करी के माल को पकड़ना सुकर बनाने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन किया गया है ।

निर्यात लाइसेन्सों का दुरुपयोग

1520. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें विशिष्ट मदों का निर्यात करने के लिये दिये गये निर्यात लाइसेन्सों को, कुछ मदों के लिये आयात लाइसेन्सों में परिवर्तित कर लिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मदों का निर्यात करने के लिये ऐसे समवायों को निर्यात लाइसेन्स दिये गये थे जो न तो इन वस्तुओं के निर्माता थे और जो न ही औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से पंजीकृत थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (घ). निर्यात लाइसेन्सों को आयात लाइसेन्सों में परिवर्तित नहीं किया जाता । माननीय सदस्य कदाचित उन आयात हकदारियों के प्रति निर्देश कर रहे हैं जो पंजीकृत निर्यातकों के लिये निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत, निर्यातों के आधार पर दी जाती हैं और जिनसे एक निर्माता-निर्यातक अथवा निर्माता को, जो किसी पंजीकृत निर्यातक द्वारा नामित हो, उसके आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्स के आधार पर कच्चे माल अथवा संघटकों की उन मदों का आयात करने का, नीति में विहित कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिकार होता है जो उसके वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में आती है । इस नीति के अन्तर्गत कुछ मामलों में व्यापारी निर्यातकों, मान्यता प्राप्त व्यापारी निर्यात सदनों और राज्य व्यापार निगम/खनिज व धातु व्यापार निगम को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने की भी व्यवस्था है चाहे वे निर्यातित उत्पादों के निर्माता न हों । केवल पंजीकृत निर्यातकों द्वारा नामित निर्माता के विषय में ही लाइसेंस प्राधिकारियों को यह मालूम करना पड़ता है कि आ या वह नामित उस माल के उत्पादन में लगा हुआ है जिसके निर्माता के रूप में उसे नामित किया गया है । नामितों को कुछ लाइसेंस, राज्य उद्योग निदेशक द्वारा उनके निर्माण कार्यों के विषय में प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर दिये गये हैं । कुछ लाइसेंसों के विषय में इस प्रश्न पर जांच की जा रही है कि आ या नामित उद्योग निदेशक के यहां पंजीकृत है ।

भारत से निर्यात की गई वस्तुओं की कथित घटिया किस्म

1521. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतों से सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों ने भारत से निर्यात किये गये माल की घटिया किस्म के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) माल की घटिया किस्म के कारण इन देशों के साथ व्यापार में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी-दिसंम्बर, 1970 की अवधि में 95 खेपों के गुण के बारे में और जनवरी-जून, 1970 की अवधि में 46 खेतों के गुण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । ये शिकायतें रासायनिक पदार्थों, वस्त्रों, इंजीनियरी तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में थीं ।

(ग) 1400 करोड़ रु० से अधिक वार्षिक निर्यात, जिसमें दसियों हजारों खेपें भेजी गई थीं, को देखते हुये शिकायतों की संख्या नगण्य है और यह नहीं कहा जा सकता कि इनके कारण भारतीय व्यापार में कमी हुई है।

(घ) सरकार ने लगभग 300 वस्तुओं के लिये अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा/अथवा पोत-लदान पूर्व निरीक्षण लागू कर दिया है।

एक्सपो 70 के एक मण्डप में भारत को गरीबी तथा भूख से पीड़ित दिखाया जाना

1522. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्सपो 70 में एक जापानी फर्म के मण्डप में अन्य देशों की उज्जवल स्थिति के साथ भारत के चित्र में गरीबी तथा भूख के दृश्य अंकित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जापानी फर्म द्वारा भारत का ऐसा चित्र उपस्थित करने के बारे में कोई आपत्ति उठाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां

1523. **श्री समर गुह :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगरतला के 14 जून, 1970 के 'त्रिपुरा टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह रिपोर्ट दी गई है कि पाकिस्तान का मुजाहिद सेना की तीसरी डिवीजन त्रिपुरा की सीमा पर सक्रिय हो गई है तथा पाकिस्तान सशस्त्र सैनिकों के साथ चीनी सैनिक भी देखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है तथा त्रिपुरा की सीमा और पाकिस्तान के साथ लाने वाली अन्य सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना के इस जमाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हाल ही में त्रिपुरा में मीजो-नक्सलवादियों द्वारा मारे गये छापे में इस सेना ने इनकी सहायता की थी ; और

(घ) क्या पाकिस्तान की इन गतिविधियों का भारत सरकार ने विरोध किया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सरकार पूर्वी पाकिस्तान में मुजाहिदों के नाम से अर्धसैनिक दलों के अस्तित्व और चीनी प्रशिक्षकों की उपस्थिति से भी अवगत है।

(ख) त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा समेत पाकिस्तानी सेनाएं हमारी समस्त सीमाओं के साथ साथ नियुक्त की गई हैं। ऐसा भी ज्ञात है की हमारी सीमाओं के पार से हमारी सत्ताभू में कुछ आक्रमणों को उनसे सहायता मिली है।

कुटियाड्डी और कन्हीरपूजा सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य की स्थिति

1524. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुटियाड्डी, कन्हीरपूजा तथा अन्य दूसरी बड़ी सिंचाई योजनाओं पर पहले निर्णयों के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) क्या सरकार केरल राज्य में बड़ी सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केरल सरकार अपनी वार्षिक योजनाओं में वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के लिये जो प्रावधान कर रही है, वे अपर्याप्त हैं। राज्य सरकार ने सिंचाई कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये 1970-71 के दौरान केन्द्र से कुछ विशेष सहायता का अनुरोध किया है।

परियोजनाओं की जो लागतें गत वर्ष बताई गई थीं, उनमें, जैसा कि अब सूचित किया गया है, बहुत वृद्धि हो गई है। राज्य सरकार से कहा गया है कि इस मामले पर अग्रेतर विचार करने से पहले इतनी अधिक वृद्धियों के कारणों की विस्तार से जांच करें और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के साथ परामर्श करके निर्माण के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम में उन परिवर्तनों को अन्तिम रूप दें जो अपेक्षित हों।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत विरोधी वक्तव्य के बारे में भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया जाना

1525. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को 10 जून, 1970 को विदेश मंत्रालय में यह पता करने के लिए बुलाया गया था कि क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत-विरोधी वक्तव्य के सम्बन्ध में हाल ही में पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में छपे समाचार सच हैं ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी उच्चायुक्त से पूछे गये प्रश्नों का संक्षिप्त व्योरा क्या है तथा उनके क्या उत्तर मिले ; और

(ग) पाकिस्तान में निर्बाध रूप से चलाये जा रहे भारत के प्रति घृणा के अभियान का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस अवसर पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को भेजे गये एक नोट में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से यह अनुरोध किया गया था कि वे उन रिपोर्टों के झूठ अथवा सच का पक्का पता लगाएं जिनमें भारत विरोधी टिप्पणी की गई थी और जिनसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जोड़ा गया था ; उनसे इस बात का सुनिश्चय करने का भी अनुरोध किया गया था कि अगर ये खबरें गलत हैं तो यथाशीघ्र इनका प्रतिवाद किया जाय। अभी तक इस नोट का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारत सरकार ने पहले भी अनेक बार पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है। इस प्रकार के प्रचार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार से बराबर आग्रह करती रहेगी। हम ऐसे झूठे और विद्वेषपूर्ण प्रचार का प्रतिवाद आकाशवाणी एवं अन्य प्रचार साधनों तथा राजनयिक माध्यमों से करते रहते हैं।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र तथा (कमान्ड एरिया) का अध्ययन

1526. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों और (कमान्ड एरिया) की आवश्यकताओं का संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वित्तीय आवश्यकताओं और सम्भावित लाभ के सहित इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको कब तक अन्तिम रूप देने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). खाद्य और कृषि मंत्रालय, जो भू-संरक्षण तथा आयाकट विकास कार्यक्रमों का कार्य प्रभारी है, ने बताया है कि बेलारो (तुंगभद्रा कमान क्षेत्र), दोहरीघाट (उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट पम्प नहर क्षेत्र), और पटियाला (पंजाब में भाखड़ा प्रणाली) में स्थित तीन क्षेत्रीय पाइलाट भूमि तथा जल प्रबन्ध परियोजनाएं, इसलिये स्थापित की जा चुकी हैं ताकि इस क्षेत्र के लिये अत्यधिक उपयुक्त शस्य तरीकों तथा सिंचाई पद्धतियों के सम्बन्ध में कृषकों को सलाह देने के उद्देश्य से भूमि स्थितियों तथा जल प्रबन्ध समस्याओं के आवश्यक अध्ययन किये जा सकें। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान में एक-एक करके चार और परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

खाद्य और कृषि मंत्रालय ने चौथी योजना के दौरान चुने हुए कमान क्षेत्रों में समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किये हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे सभी आवश्यक निदेशों तथा सहायक सेवाओं का प्रबन्ध करेगी जैसेकि चकबन्दी, कृषि बीज, खाद्य, किटाणुनाशक, कृषि सम्बन्धी मशीनें, इत्यादि के सम्बन्ध में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना, अनुसंधान सुविधाएं, संसाधन और कृषि उद्योग, नहर आयोजन, भू-गत जल संसाधनों से अनुपूरक सिंचाई, भू-समतलीकरण और भूमि विकास, कृषि सम्बन्धी और मिश्रित फार्मिग कार्य, आदि में विविधता लाना। केन्द्रीय सरकार ग्रामीण संचारों और मार्किट सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में अवसंरचना सुविधाओं को पक्का करने के लिये वित्तीय सहायता दे रही है और इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सेक्टर में चौथी योजना में 15 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना के दौरान प्रत्येक कमान क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों और मार्किट संशलिस्टों के सुधार के लिये इस शर्त पर 1.5 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे कि सम्बद्ध राज्य सरकार उचित प्रशासनिक मशीनरी समेत अन्य सभी अपेक्षित निदेशों और सहायक सेवाओं का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लेगी।

कोसी, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर कमानों में इस ओर शुरुआत की जा चुकी है। 1970-71 के दौरान इस कार्यक्रम में कंसवती (पश्चिम बंगाल), माही, कडाना (गुजरात), कावेरी डेल्टा (तमिल नाडु), राजस्थान नहर (राजस्थान), पौचम्पाद (आन्ध्र प्रदेश) कमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस मामले पर अब खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच विस्तृत स्कीमें तैयार करने के उद्देश्य से पत्र व्यवहार हो रहा है।

खाद्य और कृषि मंत्रालय के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों की 13 नदी घाटी परियोजनाओं के वाह्यक्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिये धन दिया जा रहा है। चौथी योजना के दौरान इस कार्य को जारी रखने का प्रस्ताव है और 8 अतिरिक्त परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जायगा। चौथी योजना में इस उद्देश्य के लिये 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

खाद्य और कृषि मंत्रालय का परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के ख्याल से, जिसमें कार्यान्वयन के लिये विशिष्ट स्कीमें जो शामिल हैं, भारत सरकार राज्य विशेषज्ञ दलों द्वारा संयुक्त रूप से वाटरशैडों और वृहत् नदी घाटी परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

हाल में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे गहन अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना को हाथ में लेकर शुरूआत की जानी चाहिए। सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य कृषि कार्यक्रम को बनाते समय, कमान क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य भू-संरक्षण कार्यक्रमों को बनाते समय जलाशयों के वाह-क्षेत्रों के सुधार को उच्चतम प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव है।

कृषि विद्युतीकरण के लिये बिजली का आरक्षण

1527. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को उत्पादित बिजली में से 50 प्रतिशत विद्युतीकरण

कृषि के लिये आरक्षित और निर्धारित करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में कृषि के लिये कितनी बिजली निर्धारित की गई है तथा कनेक्शन लगाया गया है ; और

(ग) गुजरात में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कृषि सम्बन्धी पम्पिंग के लिये भार विद्युत प्रणाली भार का एक अनिवार्य अंग है। ग्रामीण भार को प्राथमिकता पहले से ही दी जा रही है, पम्प सैटों के ऊर्जन के लिये ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर दिये गये जोर को ध्यान में रखते हुए पम्पिंग तथा अन्य कृषि सम्बन्धी भारों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि विद्युत के किसी भी भाग को कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये विशिष्ट रूप से आरक्षित रखा जाय।

गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा सेवित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी उद्देश्यों के लिये 830 मैगावाट के कुल संबद्ध भार के प्रति मार्च, 1969 के अन्त तक कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये कुल सम्बद्ध भार 204 मैगावाट था। 1969-70 के वर्ष के दौरान गुजरात में कुल बिजली उत्पादन 37050 लाख किलोवाट था जिसमें तारापुर अणु परियोजना से सप्लाई की गई ऊर्जा शामिल है। 1969-70 के दौरान कुल उपभोग 29800 लाख किलोवाट था जिसके प्रति कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये कुल उपभोग 3600 लाख किलोवाट था।

कृषि कार्यों के लिये बिजली के (आपटीमम लोड सेन्टर)

1528. **श्री द० रा० परमार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कृषि कार्यों के लिये बिजली का उपयोग करने हेतु कितने (आपटीमम लोड सेंटर) है ;

(ख) गुजरात में इन केन्द्रों में कृषि कार्यों के लिये बिजली देने के हेतु कितनी ट्रांसमिशन लाइनों में बिजली का भार कम है ; और

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में ऐसा करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मेहसाना बड़ोदा, कैरा, अहमदाबाद बनासंकठा, साबरकंठा, सूरत तथा जूनागढ़ जिले अभीष्टतम कृषि सम्बन्धी विद्युत भार के केन्द्र हैं। कोई भी पारेषण लाइन निम्न-भारित नहीं है क्योंकि इन लाइनों को 1973-74 तक सम्भावित भारों की मांग को पूरा करने के लिये बनाया गया था। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भेजे गये आंकड़ों के आधारों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा नियमित भार-सर्वेक्षण किये जाते हैं।

स्टेनलैस स्टील और कृत्रिम धागे के आयात के लिए नेपाल के साथ व्यापार

1530. **श्री लखन लाल कपूर :** **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का नेपाल से 'स्टेनलैस स्टील' और कृत्रिम धागों का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेनलैस स्टील और कृत्रिम धागों का नेपाल में उत्पादन होता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जिन देशों में इन वस्तुओं का मूलतः उत्पादन होता है, उनसे इन वस्तुओं को नेपाल के माध्यम से मंगाया जाता है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय नेपाल में तैयार किये जाने वाले संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टेनलैस स्टील उत्पादों से है। जहां तक सरकार को पता है, अभी तक नेपाल में संश्लिष्ट धागे/रेशे अथवा स्टेनलैस स्टील का उत्पादन नहीं किया जाता।

2. भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा नेपाल के महामहिम की सरकार के बीच हुई वार्ता में, भारत ने अक्तूबर, 1970 के अन्त तक संश्लिष्ट वस्त्रों तथा स्टेनलैस स्टील उत्पादों के भारत में आयात करने के सम्बन्ध में नेपाल की प्रार्थना पर विचार करने के लिये रजामंदी प्रकट की, बशर्ते कि नेपाल अपना माल भारतीय राज्य व्यापार के माध्यमों द्वारा भेजे।

सेवा निवृति के पश्चात प्रतिरक्षा के उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक वक्तव्य

1531. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत से जनरलों, एयर मारशलों और एडमिरलों ने सेवा निवृति के पश्चात सार्वजनिक वक्तव्य दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना के इन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके वक्तव्यों का सार क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्टों के विवरणों को देखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विचार कुछ सेवा मुक्त सेना के अफसरों ने प्रकट किये हैं नामतः जनरल के० एम० करियप्पा, जनरल पी० पी० कुमारमंगलम, लेफ्टि० जनरल नाथू सिंह, मेजर जनरल जंग समशेर सिंह, मेजर जनरल राविन्दर सिंह "स्प्रो" मेजर जनरल हबीबुल्ला, मेजर जनरल एस० एन० अंटिया, वाइस एडमिरल वी० एस० सोमन तथा रियर एडमिरल चक्रवर्ती। उनके विचारों या विवरणों का सार जो कि प्रेस रिपोर्टों से मिल सके हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(i) **देश में राजनैतिक दशा**

जनरल के० एम० करियप्पा ने सुझाव दिया है कि जिन राज्यों में बहुत समय से गड़बड़ी है उनका प्रशासन अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन, सेना के साथ लागू करें। उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की तानाशाही या सैनिक शासन के पक्ष में नहीं हैं। उनके भाषणों पर सदन में 13 मार्च, 1970 को चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुई थी।

जनरल पी० पी० कुमारामंगलम ने कहा कि प्रजातन्त्र में जनता को सैनिक शासन अंतिम उपाय है, तथा केवल तभी आ सकता है जब राजनीतिज्ञ जनता को प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा विश्वास प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं।

जनरल नाथू सिंह ने देश में सैनिक विद्रोह की सम्भावनाओं को मना कर दिया क्योंकि प्रजातन्त्र की परम्परायें देश में भली प्रकार घर कर चुकी हैं।

मैजर जनरल हबीबुल्ला ने अविभाजित भारत के गैर मुस्लिम नेताओं को भारत के विभाजन का दोषी ठहराया तथा यह बताया कि इसी कारण से मुसलमान भारत में अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं।

(ii) **रक्षा पक्ष**

वाइस एडमिरल बी० एस० सोमन ने कहा कि भारत को अपने देश के क्षेत्र की तथा समुद्र के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिये अवश्य तैयारी पाकिस्तान तथा चीन की धमकियों के विरुद्ध करनी चाहिए।

मेजर जनरल अंटिया ने सैनिक आसूचना संगठन की कुछ कमजोरियों को संदर्भित किया तथा राष्ट्रीय आसूचना प्राधिकार के स्थापना की सिफारिश की इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हों तथा एक सैनिक आसूचना की तमाम रेंज के जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के नियुक्त करने की सिफारिश की।

(iii) **भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण**

मेजर जनरल जंग शमशेर सिंह ने पंजाब और हरियाणा के विवाद ग्रस्त मामलों में भूतपूर्व सैनिकों को खींचे जाने के विषय में खेद प्रकट किया।

मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह "स्प्रो" ने युद्ध में मारे लोगों के आश्रितों के लिये पेंशन वृद्धि तथा रियायतों के लिये जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की लोग भ्रष्टाचार तथा स्वजन पक्षपात के विरुद्ध जनमत तैयार करेगा।

रियर एडमिरल चक्रवर्ती ने भूतपूर्व सैनिकों की एकता के लिये कहा तथा यह सुझाव दिया, गैर-सरकारी संगठनों को भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायता दे सकती हैं।

हिन्द महासागर में अमरीकी तथा रूसी नौसेना यूनिट

1533. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1970 को बम्बई, मिड टाउन के रोटरी क्लब

को एक बैठक में, भारत में समुद्र नौवहन समस्याओं के बारे बोलते हुए वाइस एडमिरल एन० कृष्णन कि इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर में पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाना और अमरीकी तथा रूसी नौवहन यूनिटों का विद्यमान होना ऐसी बात थो जिसके लिये भारत को निरन्तर सतर्कता की आवश्यकता थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) तथा (ख). सरकार ने 17 जून, 1970 को रोटरी क्लब में वाईस एडमिरल कृष्णा द्वारा दिये गये वक्तव्य की लिपि देखी है। उस वक्तव्य में हिन्द महासागर में यू० एस० ए० सहित किसी ऐसे संवर्धन का उल्लेख नहीं किया गया था कि जो पहले से ज्ञात नहीं ।

अपने देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी संवर्धनों के प्रति सतर्कता जारी रहेगी।

केरल की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री तथा केरल के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक

1534. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० हेनरी आस्टिन के वेतृत्व में केरल के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में भूमि, भूख, बेरोजगारी तथा संकटग्रस्त उद्योगों की कठिन समस्याओं की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए उनको एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने केरल के लोगों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिये एक विशिष्ट अनुभाग (सैल) स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). केरल से आये हुए प्रतिनिधि मंडल जिसमें डा० हेनरी आस्टिन भी सम्मिलित थे, ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का एक पत्र दिया जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :

(i) कोचीन पोत कारखाना, अखबारी कागज कारखाना, सूक्ष्म यंत्र परियोजना, वेपुर पत्तन सुधार जैसे पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित करना,

(ii) इस्पात संयंत्र, मोटर टायर विनिर्माण, मुद्रण-यंत्र (छपाई की मशीनें), सामुद्रिक उत्पाद विकास प्राधिकारी जैसे केरल की नवीन परियोजनाओं का स्थान-निर्धारण ।

(iii) औद्योगिक उत्पादन केन्द्र तथा विस्तार केन्द्रों का केरल को स्थानान्तरण; और

(iv) अशोधित (कच्चे) रबड़ के मूल्य का संशोधन ।

(ग) और (घ). पूछी गई समस्त बातों के बारे में नवीनतम स्थिति को सूचित करने वाला उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है । इन मामलों को निपटाने के लिए अलग से एक विशिष्ट अनुभाग (सैल) स्थापित करने की आवश्वकता नहीं है क्योंकि सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा उन्हें प्रभावशाली ढंग से तथा शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अमरीकी पुस्तकालयों के बन्द किये जाने के बारे में अमरीका के राजदूत कीटिंग की टिप्पणी

1535. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1970 के इण्डियन एक्सप्रेस, में "कीटिंग फील्स इंडिया नाट न्यूट्ल" शीर्षक के अंतर्गत छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में कुछ अमरीकी पुस्तकालयों का बंद किया जाना अभी भी भारत अमरीकी संबंधों में बड़ा तनाव पैदा करने वाला सिद्ध हो रहा है और वियतनाम से अमरीकी सेनाओं को वापिस बुलाने के भारत के रवैये को वाशिंगटन में भारत की गुटों से अलग रहने की नीति के अनरूप नहीं माना जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति सर्वविदित हैं और उसे दोहराने की जरूरत नहीं ।

राजघाट बिजली घर दिल्ली के ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन

1536. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे समाचार मिले हैं कि राजघाट बिजलीघर से राख तथा अंगारे हटाने के कार्य के लिये नियुक्त ठेकेदार ने बिजली घर के टिकट सार्वजनिक भूमि में झोपड़ियों की एक बस्ती खड़ी की है तथा उसको किराये पर उठाया है और इस प्रकार ठेके की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राख तथा अंगारे हटाने के अपने कार्य में ठेकेदार ढीला ढाला रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 और 1970-71 के लिए राजघाट बिजलीघर पर राख, सिंडर इत्यादि को बेचने तथा हटाने के लिये ठेके की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को संस्थान की सम्पत्ति पर किसी शामियाने अथवा संरचना को खड़ा करने के वास्ते दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की अनुमति लिखित रूप में लेनी जरूरी है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए पूछ-ताछ कर रहा है कि क्या यह क्षेत्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को पट्टे पर दिये गए क्षेत्र में आता है और उसे अभी तक सीमांकित नहीं किया गया है। यह सूचित किया गया है कि ठेकेदार हटमेंट में रहने वालों से कोई किराया वसूल नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि जहां तक कार्य का संबंध है, ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद रहा है।

सूडान के साथ व्यापार

1537. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा सूडान को किये जाने वाले निर्यात में, 1968 की तुलना में 1969 में कमी हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूडान को निर्यात बढ़ाने के बारे में कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में सूडान को किये गये पटसन के माल के निर्यात का मूल्य कितना है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कैसा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सूडान को भारत के निर्यात 1968-69 में 18.47 करोड़ रु० के थे जो 1969-70 में 19.85 करोड़ रु० के हो गये, इस प्रकार उस देश को हमारे निर्यातों में 1.38 करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). जी हां, जुलाई, 1970 से जून 1971 तक की अवधि के लिये व्यापार प्रबन्ध में हमने सूडान को, गत वर्ष की तत्स्थानी अवधि के 23.58 करोड़ रु० की तुलना में लगभग 29.25 करोड़ रु० के निर्यात करने का आयोजन किया है।

(ङ) 1970 के पूर्वार्द्ध में हमारे पटसन के निर्यात 3.16 करोड़ रु० मूल्य के हुए, जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष की उसी अवधि में लगभग 0.21 करोड़ रुपये के मूल्य के।

राज्यों के केन्द्रीय सहायता के आवंटन के बारे में पंजाब के साथ कथित भेदभाव

1538. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा दिल्ली में दिये गये इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए (ट्रिब्यून दिनांक 25 अप्रैल, 1970) कि राज्यों को केन्द्रीय सहायता के संबंध में इस राज्य के साथ मतभेद किया गया है और राज्य के लोगों की सेवाओं की उपेक्षा की गई है, सरकार ने तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब राज्य से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इस बीच उत्तर मिल चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उसका का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये पंजाब को और अधिक अधिकार देने के लिए मुख्य मंत्री द्वारा किये गये अनुरोध के संबंध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). राज्य सरकार ने प्रकाशित समाचार की एक प्रति भेजी है किन्तु न तो वह उसकी पुष्टि ही कर सकी है और न वह इसे अस्वीकार ही कर सकी है। राज्य सरकार ने अपने पुराने अनुरोधों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो इनसे संबंधित हैं (1) पानी के इकट्ठा हो जाने तथा पानी को निकालने से संबंधित विशेष समस्याओं के लिए अतिरिक्त सहायता तथा (2) राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए भटिण्डा ताप संयंत्र तथा थेइन बांध का अनुमोदन ।

राज्य के चौथी योजना परिव्ययों का निर्धारण करते समय पानी इकट्ठा हो जाने तथा पानी को निकालने से संबंधित विशेष समस्या पर समुचित विचार किया गया है। भटिण्डा ताप परियोजना का अनुमोदन किया जा चुका है तथा थेइन बांध परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।

बार सिलोना में अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नमूना प्रदर्शन (सैम्पल) मेला

1539. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारसिलोना अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नमूना प्रदर्शन मेले में भारतीय मंडप को बड़ी सफलता प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो मंडप को कितने लोगों ने देखा;

(ग) क्या सरकार उसमें प्रदर्शित वस्तुओं को निर्यात के संबंध में कुछ क्रयादेश प्राप्त करने में समर्थ हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य सहित उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय मण्डप लोकप्रिय था और उसने लगभग दस लाख दर्शकों को आकर्षित किया।

(ग) और (घ). मोटरगाड़ी आदि के पुर्जों, हस्तशिल्प तथा हथकरघा की वस्तुओं आदि के निर्यात हेतु लगभग 8.25 लाख रु० के क्रयादेश प्राप्त किये गये। इसके अलावा, मण्डप में हस्तशिल्प एवं हथकरघा की वस्तुओं तथा चाय के पैकटों की परचून बिक्री भी 60,000 रु० की हुई। कम से कम एक लाख रु० प्रति वर्ष के हिसाब से भारतीय हस्तशिल्प की आयात करने हेतु एक निजी फर्म ने एक स्थानीय एजेंट नियुक्त किया। उत्पादों में दिखाई जाने वाली दिलचस्पी को देखते हुए कुछ समय के दौरान पर्याप्त व्यापार बढ़ने की आशा है।

लुधियाना के श्री आर० के० सोनी को दिये गये आयात लाइसेंस

1540. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुधियाना के श्री आर० के० सोनी को किन परिस्थितियों में 1 करोड़ रुपये का आयात लाइसेंस दिया गया था और क्या लाइसेंस बेचे जा सकते थे; और

(ख) लाइसेंस की अन्य शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जिन फर्मों के श्री आर० के० सोनी साझेदार हैं, उन्हें आयात लाइसेंस / निकासी आदेश दिये गये हैं। लाइसेंसों के ठीक-ठीक मूल्यों के विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है। जिन परिस्थितियों में कोई लाइसेंस या निकासी आदेश दिया जाता है, वे उस आयात नीति विशेष पर निर्भर होते हैं जिनके अनुसरण आयात का आवेदन पत्र दिया गया था। आयात लाइसेंस बेचे नहीं जा सकते। विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसों से सम्बन्धित शर्तें आयात व्यापार नियन्त्रण के नियमों तथा प्रक्रिया की हस्त-पुस्तिका 1970 के परिशिष्ट 31 के घोषित की गई है।

मैसर्स आर० के० मशीन टूल्स को 81 एम० एम० बम शैलों की सप्लाई

1541. **श्री फारनेन्डीज** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आर० के० मशीन टूल्स जिसके मालिक श्री आर० के० सोनी हैं को 81 एम० एम० बम शैलों की सप्लाई के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस आर्डर का मूल्य कितना है और यह आर्डर किन परिस्थितियों में इस कम्पनी को दिया गया था;

(ग) आर्डर की शर्तें क्या हैं और क्या इसका निष्पादन कर दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को एक संसद् सदस्य से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त कम्पनी ने ही आर्डर के विशिष्ट विवरण पश्चिम जर्मनी को किसी फर्म को भेज दिये थे; और

(ङ) क्या सरकार हमारी प्रतिरक्षा मामलों की जानकारी दूसरों को देने के बारे में फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इन फर्म को 81 एम० एम० बम्ब शैलों की सप्लाई के लिए ठेका दिया गया है।

(ख) 25,000 बमों की बाडियों के लिए आर्डर की कुल कीमत 12 लाख रुपये है, इस अनुबंध के साथ को सामान के सफलता पूर्वक विकास पर आर्डर लिखा पढ़ी द्वारा नियत कीमत पर एक लाख बमों की बाडियों तक बढ़ाया जा सकेगा। आर्डर रक्षा इन्स्पेक्टरों द्वारा इस फर्म की क्षमता और सामर्थ्य की अच्छी तरह पुष्टि करने के पश्चात् दिया गया था।

(ग) इस फर्म को भेजे गए आर्डरों की शर्तें दूसरी फर्मों को दिए गए इस मद के आर्डरों की शर्तों के समान हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं क्योंकि फर्म इस आरोप से सर्वशः इन्कारी है। सदस्य महोदय को उत्तर पहले ही भेज दिया गया है।

इथोपिया में भारतीय अधिकारी पर अभियोग चलाया जाना

1542. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़लाओं द्वारा प्रबन्धित एथोपियन सरकार के एक मिल, बछडार कपड़ा मिल के दो भारतीय अधिकारियों पर अदिस अबाबा में उच्च न्यायालय में अभियोग चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये हैं ;

(ग) किन परिस्थितियों में इन भारतीय अधिकारियों को मिल के प्रबन्ध के लिये नियुक्त किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में बिड़ला बन्धुओं से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन पर अमानत में खयानत करने, घाटे को छुपाने और लेखा परीक्षकों को घूस देने की कोशिश के आरोप लगाये गये हैं।

(ग) 1964 में इथोपिया सरकार ने 'बिड़ला ब्रदर्स' से कहा था कि वे इस मिल का प्रबन्ध संभाल लें क्योंकि इससे पूर्व उसका प्रबन्ध किसी दूसरी विदेशी व्यापार-संस्था के हाथ में था और मिल को भारी घाटा हो रहा था।

(घ) अदीस अबाबा में भातीय राजदूतावास इस मामले में निकट सम्पर्क बनाये हुए है जिससे कि हमारे नागरिकों को कानून के अन्तर्गत सभी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध हो। बिड़ला ब्रदर्स ने इस मामले के कुछ पहलू सरकार के सामने रखे हैं।

Imported Components for Vijayant Tanks and Fighter Planes

1543. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the percentage of imported components used for manufacturing Vijayant tanks and fighter-planes and the names of the countries from which they are imported ; and

(b) the time by which India is likely to become self-sufficient in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) **Vijayanta Tanks**—The current batches of Vijayanta tanks under production have an import content of about 40 to 45%. The imported items are being obtained from the U. K.

Fighter Aircraft : Fighter Aircraft currently under production at the Hindustan Aeronautics Limited have an import content ranging from 30 to 40% at the final stage of manufacture from raw material. At present the components and materials are being obtained mainly from the USSR and the U. K. A few items are also obtained from West Germany, France and the U. S. A.

(b) In the case of Vijayanta Tanks the targets laid down for progressively increasing the indigenous content are being maintained. The import content will ultimately be reduced to 15% representing proprietory items. As regards the Fighter Planes, it will take considerable time to eliminate the import of components and materials altogether ; but continuous efforts are being made to achieve this aim as early as possible.

Export of Bidis

1544. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the quantity and the value of Bidis exported from Madhya Pradesh during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : The figures of exports, statewise, are not maintained.

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना

1545. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं जबकि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष के उपरान्त भी केवल देश के 20 प्रतिशत गांवों में ही बिजली पहुंची है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि गांवों के लिये बहुत कम बिजली बच रहती है क्योंकि अधिकांश बिजली शहरों में ही खप जाती है ;

(ग) क्या यह भी एक कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के नियम बहुत कठोर हैं और यह आपूर्ति योजना के अनुसार नहीं की जा सकती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). वर्ष 1951 में, आयोजित विकास के आरम्भ से, ग्राम विद्युतीकरण के कार्य में काफी प्रगति हुई है। 1966-67 के आरम्भ से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि उनमें खाद्यान्न वृद्धि के लिये पम्पों और नलकूपों को ऊर्जित करने पर बल दिया जाता है और ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुसंगिक भाग है। 1966-67 से पम्पों/नलकूपों के ऊर्जन कार्य में बहुत प्रगति हुई है। 5.67 लाख कुल ग्रामों में से 5 जुलाई, 1970 तक

88,559 (15.8%) ग्रामों में बिजली दी गई जब कि मार्च, 1951 तक 3,132 ग्रामों (0.6 प्रतिशत) को ही बिजली दी गई थी। मार्च, 1970 के अन्त तक कुल 13,48,842 पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया जब कि मार्च, 1951 तक 18709 पम्प/नलकूप ही ऊर्जित किए गये थे। ग्राम विद्युतीकरण के कार्य में और तेज प्रगति इसलिये नहीं हो रही क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण और वितरण के जाल का विस्तार करने के लिये वित्तीय साधनों की तंगी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को सुगम बनाने के लिए वोल्टता सीमाओं, उप-केन्द्रों की विशिष्टियों, लाइन खम्भों, निम्न वोल्टता लाइनों के लिये कम से कम स्वीकृतियां निम्न वोल्टता और उच्च वोल्टता कन्डक्टरों के बीच गार्डों को खत्म करने और कुछ सुरक्षात्मक तरीकों के विलोपन के संबंध में भारतीय बिजली नियम ढीले कर दिये गये हैं।

ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये राज्यों और संघनीय प्रदेशों की चौथी योजना में 285.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सेक्टर में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों को अतिरिक्त सहायता देने हेतु 50 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ एक ग्राम विद्युतीकरण निगम स्थापित किया गया है।

भारत के आयुध कारखानों में हड़तालें

1546. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में देश के आयुध-कारखानों में कितनी बार हड़तालें हुई थीं और उसके कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने हड़तालों के कारणों को जानने के लिए और यह जानने के लिये कि उनके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे जांच करवाई थी ;

(ग) कितने आयुध कारखानों ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था ; और कितने कारखानों ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है ; और

(घ) इन आयुध कारखानों का सुधार करने तथा उनका विस्तार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि देश शस्त्रों आदि के मामले में आत्म-निर्भर हो सके ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) गत एक वर्ष के दौरान तीन आर्डनेंस फैक्टरियों में कुछ अवसरों पर हड़तालें हुई हैं। उत्पादन हानि का अनुमान किया जा रहा है तथा विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) यद्यपि कोई जांच नहीं की गई थी किन्तु उसके कारण ज्ञात हैं।

(ग) आर्डनेंस कारखानों ने मुख्यतया अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है केवल उन मामलों को छोड़कर जब माल की अस्थाई रूप से कमी तथा विशेषकर इस्पात की मदों में कमी थी।

(घ) अधिक पुरानी आर्डनेंस फैक्टरीज के पुनर्वास/अधुनिकीकरण की अवस्थाओं में किया जा रहा है तथा नई परियोजनाओं को जटिल उपस्करों के उत्पादन के लिए स्थापित किया जा रहा है। हथियारों के विकास तथा उत्पादन, तथा रक्षा के अन्य उपस्करों का विकास क्रम चलता रहा है। इसी आधार के फल-स्वरूप आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

व्यापार सन्तुलन

1547. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968, 1969 तथा 31 मार्च, 1970 को देश की व्यापार संतुलन स्थिति क्या थी ;

(ख) वर्ष 1971 तथा 1972 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) चालू वर्ष के लिये निर्यात लक्ष्य क्या हैं और कौन से मद इसमें अधिकता में हैं तथा क्या सरकार यह महसूस करती है कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार कम से कम अनावश्यक मदों तथा जो यहां पैदा/निर्माण की जाती हैं उनके आयात में कटौती करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है (विवरण-1)।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के लिए 21 मुख्य मदों के निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक और विवरण (विवरण-2) संलग्न है। यह भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है कि निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे परन्तु उनकी प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) सरकार की यह अविरत नीति है कि अनावश्यक मदों के आयात में कटौती की जाये और इस समय जिन मदों का देश में उत्पादन हो रहा है, अथवा जिनका उत्पादन निर्माण अत्यधिक रूप से लागत बढ़े बिना तथा गुणस्तर कम किये बिना निकट भविष्य में किया जा सकता है, उनके आयात को यथा सम्भव सीमित किया जाये।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

मूल्य करोड़ रुपयों में

वर्ष	आयात	पुनः निर्यात सहित निर्यात	व्यापार शेष
1967-68	2007.61	1198.69	(—) 803.92
1968-69	1908.63	1357.87	(—) 550.76
1969-70	1567.49	1413.21	(—) 154.28

विवरण II

मूल्य (करोड़ों रुपयों में)

उत्पाद	1968-69 (वास्तविक)	1969-70	1970-71	1971-72
1. जूट उत्पाद	218.0	230.0	250.0	260.0
2. चाय	157.0	153.2	151.0	153.0
3. सूती कपड़े (मिल निर्मित)	96.0	103.0	109.0	111.0
4. लौह अयस्क	88.0	97.0	98.0	105.0
5. मैंगनीज अयस्क	13.5	11.4	11.8	12.3
6. चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं (जूतों को छोड़कर)	73.0	68.8	76.0	83.0
7. जूते	9.0	12.5	15.0	17.5
8. चमड़ा तथा खालें (कच्ची तथा रंगी हुई)	5.0	5.0	4.0	2.0
9. काजू की गिरी	61.0	60.0	61.0	62.0
10. खली	50.0	47.0	48.0	49.0
11. तम्बाकू (बिना बना)	33.0	30.0	30.0	31.0
12. काफी	18.0	21.0	22.0	23.0
13. काली मिर्च	10.0	10.0	10.0	10.0
14. कपास	11.0	14.0	15.0	15.0
15. अभरक	14.0	16.2	16.8	17.5
16. नारियल जटा का धागा तथा उससे बनी वस्तुएं	14.0	14.0	15.0	16.0
17. इन्जीनियरी की वस्तुएं	85.0	110.0	140.0	165.0
18. लोहा और इस्पात	70.0	80.0	85.0	90.0
19. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	36.7	41.7	49.6	55.7
20. मछली और मछली उत्पाद	23.0	21.0	27.0	34.0
21. जवाहिरात तथा आभूषण	45.0	45.0	55.0	65.0

Completion of Atomic Power Project at Rawatbhata (Rajasthan)

1548. **Shri Bhola Nath Master :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Atomic Power Project at Rawatbhata (Rajasthan) would be completed by next year ; and

(b) whether the Rajasthan Government have laid a network of power lines for utilising the power to be generated therefrom ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) Rajasthan Atomic Power Project consists of two Units each with a capacity af 200 MW. While Unit I is expected to be commissioned in 1971, Unit II is expected to be commissioned in 1974.

(b) The Rajasthan State Electricity Board has taken in hand the work for ensuring the transmission of power from the Atomic Power Station by the time the first unit is commissioned.

श्रीलंका से भारतीयों की परिसम्पत्ति को वापिस स्वदेश लाना

1549. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से भारतियों की परिसम्पत्ति वापिस स्वदेश लाने के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी परिसम्पत्ति वापिस स्वदेश लानी है और उसमें से कितनी परिसम्पत्ति को वापिस लाया जा चुका है ; और

(ग) यदि शेष परिसम्पत्ति को वापिस स्वदेश लाने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) श्रीलंका सरकार के वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन, श्रीलंका छोड़कर जाने वाले सभी एशियाइयों (जिनमें भारतीय भी शामिल हैं) को, 75,000 रु० की सीमा तक की आस्तियों को ले जाने की अनुमति है। इसके अन्तर्गत विशाल संख्या में लोग आ जाते हैं जो भारत आ गए हैं या जिनके भारत आने की सम्भावना है। इस सीमा से अधिक अवरुद्ध आस्तियों के व्यक्तिगत मामले कोलम्बो स्थित भारतीय हाई कमीशन द्वारा उठाए गये हैं । अभी तक जो मामले सामने आये हैं उनमें अभी तक कोई छूट नहीं मिली है।

(ख) और (ग). जब तक प्रत्यावर्तन कार्यक्रम पर कुछ समय तक अमल नहीं किया जाता, तब तक न तो कोई अनुमान लगाया जा सकता है न कोई कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियारों का निर्माण

1550. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में हथियारों के निर्माण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) क्या हथियारों के निर्माण के बारे में किसी उद्योगपति ने कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर भारत में आणविक विद्युत कारखाना स्थापित करना

1551. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणुशक्ति विभाग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर भारत में कहीं एक आणविक विद्युत कारखाना स्थापित करने के बारे में योजना आयोग से प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग उस प्रस्ताव से सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारखाने को स्थापित किये जाने के स्थान, उसकी क्षमता आदि के बारे में कोई निर्णय किया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करने की दिशा में तकनीकी दृष्टिकोण से अध्ययन आरम्भ करने की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी है ।

(ग) जी, नहीं ।

Invitation to participate in the International fair to be held in Israel

1552. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government received an invitation from the Government of Israel for participation in the International fair, which is being held now at Tel-Aviv ;

(b) if so, the nature of our participation there and if not, the reasons therefor ;

(c) the nature of our participation in the International fairs at Damascus and Dar-e-salam; and

(d) the figures of our import-export trade with Egypt, Israel and other Arabian countries during the last three years separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) India's participation in the National Agricultural and Trade Fair at Dar-e-Salam, was arranged through the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions, Bombay. A good number of Indian firms and organisations participated in the Fair. The display was composite comprising of engineering goods, house hold and building material, hard ware, chemical products etc.

The ICTFE will also participate in the forthcoming Damascus International Fair. The display will be composite comprising of Engineering goods, textiles, chemicals with emphasis on engineering goods.

(d) The statement of figures of import/export trade with Israel, Egypt and other Arab countries during the last three years is appended (Annexure 'A').

Statement

ANNEXURE A

Statement of Imports from/Exports to UAR, Israel and other Arab countries during the past three years

Sl. No.	Name of country	1967-68 Imports/Exports		1968-69 Imports/Exports		1969-70 Imports/Exports	
		(Value in Rs. lakhs)					
1.	Aden	62	523	45	773	137	677
2.	Bahrain	18	259	12	319	9	355
3.	Iraq	273	481	313	1149	385	939
4.	Jordan	498	212	626	185	402	320
5.	Kuwait	795	1165	336	1816	419	1687
6.	Lebanon	8	153	2	180	5	141
7.	Libya	Neg.	113	Neg.	145	Neg.	124
8.	Muscat & Oman	18	112	7	127	7	110
9.	Saudi Arabia	2283	589	1[illegible]5	1097	1749	1500
10.	Syria	6	211	Neg.	115	Neg.	242
11.	U. A. R.	2678	2150	4141	2181	2169	3463
12.	Qatar & Trucial Oman	1	438	6	700	573	1007
13.	Yemen	—	4	—	7	1	2
14.	Algeria	58	54	4	20	Neg.	51
15.	Morocco	153	26	168	40	316	91
16.	Sudan	1172	2075	2150	1847	2722	1985
17.	Tunisia	42	200	127	145	Neg.	180
18.	Israel	7	11	15	29	10	76

पेरू के भूकम्प पीड़ितों को सहायता

1553. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में पेरू में आये भूकम्प से पीड़ित लोगों को भारत सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ; और

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त, गैर सरकारी एजेन्सियों ने भी किसी प्रकार की सहायता दी है और यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हाल में पेरू में जो भूकम्प आया था उसके पीड़ितों के लिये प्रधान मंत्री ने एक लाख रुपये मूल्य की राहत सामग्री दी है।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सामान के आलावा भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने 5,000 रुपये के मूल्य के कम्बल भेजे हैं । बम्बई के रोटरी क्लब ने भी एक सौ कम्बल दिये हैं। कुछ गैर सरकारी व्यापार गृहों से भी सहायता दिये जाने की सम्भावनाओं के संकेत मिले हैं।

Red Flag Fluttered over Gun Factory, Calcutta

1554. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the extent to which the P.T.I. news, 'Red Flag fluttering over Calcutta Gun Factory' is correct ;

(b) the arrangements made to prevent the unauthorised entry or the commission of illegal activities after authorised entry in this Ordance Factory and the reaction of the Government regarding the distribution of anti-Indian leaflets of Mao in this Factory ; and

(c) the date on which the red flag was removed from there and the action being taken to apprehend the persons responsible for hoisting the flag ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida) : (a) On the morning of 2nd July, 1970 a Red Flag was noticed flying on the roof of the Drawing Office Building of the Gun and Shell Factory, Cossipore, on one of the lightning arresters.

(b) Security arrangements inside the Factory have been tightened and all posters/slogans pasted on the walls have been removed. In order to avoid recurrence of similar incidents in future, security staff have been warned/instructed to remain alert and vigilant. Extra patrolling by security staff/Durwans inside the Factory has also been introduced.

(c) The red flag was brought down immediately on detection by the security personnel on 2-7-1970. The identity of the culprits could not be established and, therefore, the question of taking action did not arise.

पाकिस्तान और चीन की तुलना में पनडुब्बियों के मामले में भारत की स्थिति

1555. **श्री शिव नारायण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को देखते हुये कि चीन के पास अधिक भारक क्षमता वाले और दूर तक जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों वाली

33 से अधिक पनडुब्बियां हैं और पाकिस्तान नियमित रूप से पनडुब्बी शक्ति को बना रहा है, तो भारत इन पनडुब्बियों का प्रयोग अपने पर होने की स्थिति में इनका सामना करने के लिये कहां तक तैयार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार की चीन और पाकिस्तान से संभाव्य संकट के गुणरूप और गहनता के विषय में ज्ञान है। तल और विमान वाहक दोनों प्रकार की पनडुब्बी विध्वंसक शक्तियों के सशक्तीकरण और सुधार के लिये सभी संभव पग उठाये जा रहे हैं।

हिन्दी में कार्य न करने वाले दूतावासों के नाम

1556. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, मिशनों तथा हाई कमीशनों आदि के नाम क्या हैं जहां कोई भी काम हिन्दी में नहीं किया जाता और वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध होगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों के लिये समूचा सरकारी काम हिन्दी में करना तो अभी सम्भव नहीं है, फिर भी अपेक्षित मात्रा में ऐसा करने की वे कोशिश कर रहे हैं। धीरे-धीरे सभी काम हिन्दी में होने लगे इसके लिये प्रयास जारी रहेगा, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समयावधि निश्चित करना संभव नहीं है।

भारत-फ्रांस सहयोग

1557. **श्री रामकिशन गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और फ्रांस के बीच, विशेषकर आर्थिक व्यापार, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के सरकार द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट तरीके कौन से हैं, जैसा कि पेरिस में जुलाई, 1970 के प्रथम सप्ताह में हुई बातचीत के पश्चात् दोनों देशों के शिष्ट-मंडलों द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है ;

(ख) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार संतोषजनक रूप से बढ़ रहे हैं; और

(ग) दिल्ली में होने वाली ऐसी ही बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जायगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) दोनों सरकारें ऐसे सभी सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों का समर्थन करने को सहमत हो गई हैं जिनसे आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलता हो। कुछ महीने में फ्रांस निर्यात, आयात तथा विनिर्माण संस्थाओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर भेजेगा जो भारत की निर्यात संबन्धी विकासमान क्षमताओं का सर्वेक्षण करेगा। फ्रांस भारत-फ्रांसीसी संयुक्त उद्योगों को भी पहले से अधिक महत्व देने पर

राजी हो गया है। वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देश दूसरी बातों के अलावा इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे अपने प्रोफेसरों, शोधकर्त्ताओं को एक दूसरे के यहां भेजेंगे तथा एक दूसरे के रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे।

(ख) फ्रांस और भारत एक दूसरे को पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं तथा उनमें एक दूसरे के लिये सहानुभूति है ; फ्रांस भारत को सहायता देने की अपनी शर्तों में सुधार करने के लिये राजी हो गया है तथा उसने बहुत से तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग देने की भी पेशकश की है। व्यापार के क्षेत्र में भी रुख आमतौर से संतोषप्रद है।

(ग) द्विपक्षीय संबंधों पर तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर विचार विनिमय किया जाएगा। इस तरह की बैठकों की कार्यसूची को आमतौर से उस बैठक के कुछ ही पहले अंतिम रूप दिया जाता है।

नेपाल द्वारा भारत से आयातित सामान का पुनः निर्यात

1558. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से आयातित सामान का नेपाल द्वारा पुनः निर्यात करने पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) इस प्रकार पुनः निर्यात करने के कितने मामलों का पता लग चुका है और नेपाल द्वारा किन वस्तुओं का पुनः निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) नेपाली निर्यातकों द्वारा सामान के इस प्रकार निर्यात किये जाने पर रोक लगाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को किये गये अनुरोध पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) भारतीय निर्यात व्यापार नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले सामान का, अन्य देशों को भेजने हेतु, नेपाल को चोरी छपे जाना रोकने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सीमा पर अतिरिक्त सीमा शुल्क अमले की नियुक्ति ;

(2) सीमा पर कार्यरत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अन्य प्रवर्तन अभिकरणों का सहयोग लेना ; और

(3) समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिये और भारत नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी को रोकने के लिये उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिये केन्द्रीय तथा संबद्ध राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन।

(4) व्यापार के दिशा-परिवर्तन की रोक थाम करने के लिये अपनी ओर से भी उपयुक्त उपाय करने के लिये नेपाल सरकार पर जोर डालने के लिये अंतः सरकारी संयुक्त समिति का और कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1967 में बकरी-चर्म की 5 खेपें रोक ली गई थीं और वर्ष 1969 में मसूर की दाल की 30 खेपें रोक ली गई थीं।

(ग) भारत-नेपाल अंतः सरकारी संयुक्त समिति की बैठक में चर्चा के दौरान भारत की ओर से अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुझाव दिया गया कि जिन प्रभावित मदों के विषय में नेपाल के मार्ग से अन्य देशों को माल जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके विषय में नेपाल में निर्यात के लिये कितना अधिशेष है इसका पता लगाने के लिये संयुक्त अध्ययन किया जाये। अभी इस सुझाव को नेपाली पक्ष ने स्वीकार नहीं किया है।

माल का आयात

1559. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ माल के आयात की अनुमति देने संबंधी उनके मंत्रालय के सुझाव का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किये गये उनके मंत्रालय के अन्य सुझाव क्या हैं ;

(ग) इन सुविधाओं के कारण व्यापार में क्या सुधार होने की संभावना है ; और

(घ) निर्यात नीति संबन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं और क्या उनको अंतिम रूप दे दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा कतिपय प्रकार के माल के आयात की अनुमति देने के लिये कोई प्रस्ताव मंत्रिमंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) निर्यात नीति संकल्प, 1970 की, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित रूप में, एक प्रति 29-7-1970 को लोक सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) इस संबंध में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना संभव नहीं है परन्तु निर्यात नीति संकल्प में संभावनाओं का उल्लेख किया गया है।

(घ) हाल ही में जारी किये गये निर्यात अभिमुख एककों को औद्योगिक लाइसेंस देने संबन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)।

नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करते समय सरकार ने निर्यात हेतु उत्पादन में वृद्धि के हित में औद्योगिक उपक्रमों को लाईसेंस देते समय उनको दी जाने योग्य सुविधाओं पर विचार किया था। मंत्रिमंडल ने, विदेशी व्यापार मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों की सलाह से औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय द्वारा लाईसेंस समिति को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुमोदन कर दिया है।

2. सरकार की नीति के एक भाग के रूप में यह अभिज्ञात ही है कि निर्यातों के लिये उत्पादन को सुकर बनाने हेतु सचेत तथा विशिष्ट रूप से औद्योगिक क्षमता बनानी होगी मुख्यतः उन मदों के संबंध में जिनके लिये भारत अपेक्षतया लाभकर स्थिति में है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां

अनुकूल प्रवृत्तियां उभर रही हैं। औद्योगिक लाईसेंस के आवेदन-पत्रों पर विचार तथा निपटान करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि निर्यात पूर्तियों के लिये अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित हो सके ताकि लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं के उपक्रमों की निर्यात क्षमता को यथासंभव अधिक सीमा तक विकसित किया जाएगा। उन लघु उद्योग एककों जिनकी मदों को विशिष्ट रूप से निर्यात के लिये सुरक्षित रखा गया, के निर्यात उत्पादन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। वे उपक्रम जो बड़े औद्योगिक सदनों या विदेशी संस्थाओं से संबधित हैं या उनके द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, और नई लाइसेंसिग नीति के अनुसार जिनसे मुख्य तथा भारी निवेश क्षेत्रों में प्रधान रूप से भाग लेने की आशा की जाती है, वे भी नये उपक्रम स्थापित, तथा इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उत्पादन का विस्तार कर सकते हैं बशर्ते वे विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने का उत्तरदायित्व लें। ऐसे मामलों में, नये तथा अतिरिक्त उत्पादन के 60 प्रतिशत या अधिक के निर्यात का न्यूनतम दायित्व तीन वर्षों की अवधि में प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों की जांच करते समय यह भी निश्चित कर लिया जावेगा कि उनके उत्पादन के इतने अधिक मांग की आंतरिक बिक्री की अनुमति न दी जाए कि अन्य उत्पादकों को हानि हो।

3. निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से लघु उद्योग एककों के लिये सुरक्षित मदों के उत्पादन हेतु अन्य एककों को नई क्षमता बनाने तथा विस्तार करने के लिये भी विचार किया जा सकता है यदि वे नये तथा अतिरिक्त उत्पादन, जिसको अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त करना होगा, का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व ले लें। तथापि यह भी विनिश्चित कर लिया जावेगा कि आंतरिक बिक्री के लिये मुक्त किये गये माल का नुपात इतना अधिक नहीं होगा कि जिससे लघु उद्योग एककों को कठिनाई का सामना करना पड़े। इस तथा पूर्व के पैरे में कही गई न्यूनतम प्रतिशतताओं में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर आवश्यक समझी जाने वाली ढील मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ही दी जायेगी।

4. मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि निर्यात अभिमुख एककों के औद्योगिक लाइसेंसों तथा अन्य प्रकार के निपटानों के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी। विदेशी व्यापार मंत्रालय अन्य संबंधित प्राशासनिक मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध तकनीकी प्राधिकारियों की सक्रिय सहायता से विशिष्ट मदों हेतु यथार्थ निर्यात उत्पादन योजनाएं बनाएगा तथा उनको क्रियान्वित करेगा। विदेशी व्यापार मंत्रालय औद्योगिक एककों पर उनके द्वारा स्वीकार किये गये तथा लगाये गये निर्यात दायित्वों को एकरूपता तथा सख्ती से लागू करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था को भी सशक्त बनायेगा।

लोकटक परियोजना की प्रगति

1560. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना में किस-किस प्रकार के कर्मचारी हैं और इस वर्ष कितने कर्मचारी श्रेणी वार भरती किये जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लोकटक पन-बिजली परियोजना की प्रगति संक्षेप में निम्नलिखित है :–

(1) कालोनी और विद्युत नाली के निर्माण के लिये भूमि के अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है ।

(2) कालोनी के निर्माण के लिये निविदाएं जारी कर दी गई हैं ।

(3) कालोनी से बिजलीघर तक पहाड़ी सड़क कटाई में निहित मिट्टी का काम पूरा हो गया है ।

(4) संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ लोकटक पन-बिजली परियोजना के दक्षतापूर्ण, मितव्ययी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिये एक नियंत्रक बोर्ड और एक निर्देशन समिति का गठन किया गया है ।

(ख) अपेक्षित ब्योरा नीचे दिया जाता है :–

लोकटक परियोजना की क्रियान्विति के लिये 1970-71 के दौरान भरती किये गये/किये जाने के लिये प्रस्तावित नियमित परियोजना कर्मचारी (कोटिवार)

क्रम-संख्या	**पद की कोटि**	**पदों की संख्या**
	राजपत्रित कर्मचारी	
1.	मुख्य अभियन्ता	1
2.	अधीक्षक अभियंता	1
3.	कार्यकारी अभियंता	3
4.	सहायक कार्यकारी अभियंता	9
5.	लेखा अधिकारी	1
	अराजपत्रित कर्मचारी	
1.	अधीक्षक	1
2.	पर्यवेक्षक	24
3.	मुख्य लिपिक	3
4.	मंडलीय लेखाकर	3
5.	आशुलिपिक	5
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	15
7.	प्रवर प्रारूपकार	1
8.	निम्न श्रेणी लिपिक/टंकक	10
9.	सहायक स्टोर कीपर	2
10.	अवर प्रारूपकार	3
11.	ट्रेसर	4
12.	चपरासी	9
13.	चौकीदार	2

टिप्पण:—कार्य प्रभारित स्टाफ समय-समय पर कार्यभार को देख कर भरती किया जायगा ।

मनीपुर के लिये योजना को अन्तिम रूप देना

1561. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या उस योजना के प्रारूप को स्थानीय योजना समिति अथवा बोर्ड के समक्ष रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो किस समिति अथवा बोर्ड ने योजना प्रारूप पर विचार किया और यह विचार किस-किस तारीख को किया गया ; और

(घ) योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (घ). जी हां। मनीपुर की चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य व्योरा इस प्रकार है :

विकास शीर्ष		लाख रुपये
कृषि कार्यक्रम	—	310
सहकारिता तथा सामुदायिक विकास		97
सिंचाई तथा बिजली	—	425
उद्योग तथा खनन	—	117
परिवहन तथा संचार	—	1171
समाज सेवाएं	—	825
प्रकीर्ण	—	80
योग :		3025

(ख) तथा (ग). जी हां। मसौदा योजना की पुष्टि राज्य योजना बोर्ड द्वारा 30 अगस्त तथा 2 सितम्बर, 1968 को की गई थी।

मनीपुर के लिये एक अलग विद्युत ग्रिड संगठन

1562. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की बिजली सप्लाई को अलग से आयोजित एक अलग विद्युत ग्रिड में रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संगठन किस प्रकार का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मणिपुर संघीय क्षेत्र में बिजली सप्लाई प्रणाली, जिसमें 33 के० वी० तथा इससे कम के वितरण पथ अनिवार्यतः शामिल हैं, मणिपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन थी। फरवरी, 1970 से मणिपुर सरकार ने मणिपुर में बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में मामले सुलझाने के लिये एक अलग बिजली परिमंडल संगठित किया है। यह परिमंडल स्वतन्त्र परिमंडल के रूप में कार्य कर रहा है जिसका विभागाध्यक्ष एक अधीक्षक अभियंता है।

काफी बोर्ड में काफी क्यूररों की नियुक्ति

1563. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड में काफी क्यूरर के सांविधिक प्रतिनिधि का पद कब से खाली पड़ा रहा और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) दक्षिण कनारा के काफी क्यूररों की इस आपत्ति के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि यह प्रतिनिधि बागान-मालिक अथवा उनका कर्मचारी नहीं होना चाहिये क्योंकि उनके हित क्यूररों के हितों से भिन्न हैं ; और

(ग) चूंकि यह नियुक्ति सांविधिक है अतएव सरकार विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) काफी बोर्ड में काफी क्यूरर के सांविधिक प्रतिनिधि का पद 10 माह से अधिक समय तक खाली रहा।

क्यूरर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की नियुक्ति में देरी प्रशासकीय/कार्यविधि संबंधी कारणों से हुई।

(ख) दक्षिण कनारा के काफी क्यूरर्स से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर राज्य में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती

1564. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, पंजाब तथा अन्य राज्यों के समान, मैसूर राज्य में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों के आरक्षण की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे आरक्षण के लिये राज्य सरकारों को सुझाव देने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के भर्ती करते समय केवल उनकी शैक्षिक अर्हताओं पर ही विचार किया जाता है तथा सेना में प्राप्त की गई अर्हताओं की उपेक्षा कर दी जाती है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में स्थिति क्या है तथा क्या इस बारे में मैसूर राज्य को जानकारी दी गई थी ; और

(घ) मैसूर राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को भूमि संबंधी अनुदान दिये गये, किन क्षेत्रों में दिये गये क्या मैसूर सरकार भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष से अवगत है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह महीडा) : (क) और (ख). मैसूर सरकार ने यह निश्चय किया है कि सेवामुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों और अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों को भर्ती करने के लिये, जो कि ग्रेजुएट है और निर्धारित आयुसीमा के अन्तर्गत है, मैसूर सरकार बहुत से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों को सुरक्षित रखेगी। सीधे भर्ती होने वालों के लिये राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में कुल रिक्त स्थानों का भी 10 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये सुरक्षित की जा रही हैं जिन्होंने कि सैनिक सेवा की हो। मैसूर सरकार ने कहा है कि इसके लिये आदेश शीघ्र ही जारी किये जाने वाले हैं।

(ग) जी नहीं। मैसूर सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सिविल में रोजगार देने के उद्देश्य से आर्मी एजुकेशन सार्टीफिकेट आफ फर्स्ट क्लास, सैकण्ड क्लास और थर्ड क्लास को अपने यहां सिविल में क्रमश: आठवीं, छठी, और चौथी कक्षाओं के समतुल्य माना है। भूतपूर्व सैनिकों के ट्रेडों को अपने यहां समान ट्रेडों के समतुल्य माना है और सभी रोजगार कार्यालयों ने उन्हें मान्यता दी है। सर्विस ट्रेड योग्यताओं को सिविल की योग्यताओं के बराबर माने जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। तथापि सेवामुक्त या सेवा निवृत्त अफसरों को नौकरी देते समय सामान्यतया राज्य सरकारें शैक्षिक योग्यताओं के पूरे होने पर बल देती हैं।

(घ) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और उसके उपलब्भ करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त परिणामों के अनुकूल न होगा।

सूडान से रुई का आयात

1565. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एक नई व्यापार योजना के अधीन इस वर्ष सूडान से लंबे रेशे वाली रुई का आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी तथा कितने मूल्य की रुई का आयात किया जायेगा ; और

(ग) उक्त नई व्यापार योजना की प्रमुख रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार योजना में 180 कि० ग्रा० प्रति गांठ रुई वाली लगभग दो लाख गांठों की व्यवस्था है जिसके पर्याप्त रहने की आशा है।

(ग) व्यापार योजना के अन्तर्गत भारत-सूडान से रुई के अलावा अरबी-गौंद तथा कच्ची खालों एवं चर्म का भी आयात करेगा। भारत सूडान को चाय, पटसन माल, वस्त्र, इंजीनियरी वस्तुओं, रसायनों, मसालों, मसूर और सुगन्धियों का निर्यात करेगा। दोनों देशों के बीच लगभग 3.3 करोड़ पौण्ड मूल्य के कुल व्यापार किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नेपाल से आयात

1566. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के सरकारी समाचार-पत्र "राइजिंग नेपाल" के 25 जून, 1970 के अंक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत ने नेपाल से संश्लिष्ट कपड़े और स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं के आयात पर, इसको 1967-68 के स्तर तक बनाये रखने पर सहमत हो जाने के पश्चात् पूर्णतया रोक लगा दी है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखें हैं।

(ख) नवम्बर, 1968 में काठमाडू में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता के परिणामस्वरूप नेपाल के महामहिम की सरकार भारत को संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से बने माल के निर्यात को 1967-68 के स्तर तक सीमित करने के लिये सहमत हो गई थी। वर्ष 1967-68 के स्तर के निर्धारण के लिये वास्तविक परिमाण पर कोई समझौता न होने के कारण संश्लिष्ट वस्त्रों या अविकारी इस्पात से बने माल का जुलाई, 1969 से कोई आयात नहीं हुआ। भारत-नेपाल अंतः सरकारी संयुक्त समिति की बैठकों में, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सामान्य व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत द्वारा वर्ष 1967-68 के स्तर पर माने गये परिमाण तक उक्त माल के आयात की अनुमति देने की रजामंदी व्यक्त की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, 1970 के अंत तक संश्लिष्ट वस्त्रों और अविकारी इस्पात से बने माल के आयात सम्बन्धी नेपाली अनुरोध पर विचार करने की भी रजामंदी व्यक्त की थी बशर्ते नेपाल भारतीय राज्य व्यापार मार्गों के माध्यम से माल भेजने के लिये सहमत हो।

गंडक परियोजना का पूरा किया जाना

1569. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना की मंजूरी कब दी गई थी तथा 26 जुलाई, 1970 तक इसके कार्य में कितनी प्रगति हुई है और अब तक उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसकी प्रगति में बाधा के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा सिंचाई कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गंडक परियोजना को जुलाई, 1961 में मंजूरी मिली थी। बराजपूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में

नहर प्रणाली का कुछ भाग भी पूर्ण हो चुका है। मई, 1970 तक इस परियोजना पर 97.72 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं जबकि कुल अनुमानित लागत 158.57 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बिहार में खरीफ, 1968 से इस परियोजना की तिरहुत नहर प्रणाली से आंशिक सिंचाई पहले ही की जा रही है। दिसम्बर, 1969 से उत्तर प्रदेश में गंडक नहर प्रणाली की देवरिया शाखा से सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के गंडक परियोजना के सभी इंजीनियरी कार्यों के चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

Chinese Volunteers Fighting in Cambodia

1570. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese volunteers are fighting against **U. S. A.** in Cambodia ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of India have no such information.

(b) Does not arise.

भारत में हुये साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तात द्वारा प्रचार अभियान

1571. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री मीठालाल मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान कई मुसलमान देशों के हस्ताक्षर लेकर सांप्रदायिक दंगों के विषय को लेकर भारत के विरुद्ध एक प्रचार अभियान आरम्भ कर रहा है तथा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने का प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने एक ऐसा विज्ञापन देखा है जिसमें महाराष्ट्र की सांप्रदायिक घटनाओं के सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्रचार किया गया है और जो अमरीका ने कुछ मुस्लिम संगठनों के नाम से रविवार 12 जुलाई, 1970 के न्यूयार्क टाइम्स में छपा था।

(ख) इसका ऐसा ही उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं इस विज्ञापन से ही यह पता चल जाता है कि पाकिस्तान सामान्य माध्यमों से प्रचार करने में असमर्थ है। यह तो

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने के सम्बन्ध में उसी समाचार-पत्र में पहले प्रकाशित एक समाचार की निराश प्रतिक्रिया मात्र प्रतीत होती है। पाकिस्तान की इस चाल का प्रतिवाद करने के लिये राजनयिक तथा अन्य कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं।

नर्मदा परियोजना सम्बन्धी विवाद को हल करना

1572. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग गत दो वर्षों से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य नर्मदा परियोजना संबंधी विवाद को सुलझाने में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विवाद को हल करने में विलम्ब और इसके परिणामस्वरूप परियोजना की कार्यान्वित करने में भारी विलम्ब से राष्ट्र को बड़ी हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस विवाद को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). विभिन्न अवसरों पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ भिन्न-भिन्न स्तरों पर सौहार्दपूर्ण फैंसले के विचार से हुई लम्बी बातचीत के बावजूद, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच नर्मदा जल से संबंधित विवादों को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सका। इसलिए भारत सरकार ने 6 अक्तूबर, 1969 को नर्मदा जल-विवाद के अधिनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। अब अधिनिर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही है।

हलाली बांध परियोजना की निर्माण क्षमता

1573. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हलाली बांध परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और अब तक उस पर कितनी लागत आई है; और

(ख) क्या यह परियोजना अपने प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में विदिशा जिलों के 61,780 एकड़ और रायसेन जिले के 34,500 एकड़ भूमि के लिये सिंचाई संबंधी सुविधायें प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो यह चरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियर परियोजना के पहले प्रस्तावों में संशोधन कर रहे हैं। संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) तथा (ग). इस समय प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की पन-बिजली की क्षमता

1574. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के पास 4500 मैगावाट पन-बिजली की क्षमता है जिसकी प्रजनन लागत तापीय विद्युत शक्ति से बहुत कम है;

(ख) इस समय पन-बिजली पैदा करने की क्षमता का उपयोग कहां तक किया जा रहा है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पन-बिजली पैदा करने की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के किसी भी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश की जल-विद्युत शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर लगभग 4500 मैगावाट है। सामान्यत: जल विद्युत उत्पादन की लागत ताप विद्युत उत्पादन की लागत से कम आती है।

(ख) चम्बल घाटी में जल विद्युत शक्यताओं का विकास मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर कर रहे हैं जिसमें लागत और लाभों में दानों राज्यों का बराबर भाग होगा। गांधीसागर और राणा प्रताप सागर विद्युत केन्द्रों के चालू हो जाने से 162 मैगावाट की कुल शक्यता (जिसमें मध्य प्रदेश का भाग 81 मैगावाट है) विकसित की जा चुकी है। जवाहर सागर विद्युत केन्द्र, जो अभी निर्माणाधीन है, के पूर्ण हो जाने से, कुल 222 मैगावाट की शक्यता (जिसमें मध्य प्रदेश का भाग 111 मैगावाट होगा) विकसित की जाएगी।

(ग) चौथी योजना के अन्तर्गत विद्युत विकास के कार्यक्रम को मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

संयुक्त अरब गणराज्य को वस्तुओं का निर्यात

1575. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री एम० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनका संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या संयुक्त अरब गणराज्य की मंडियों में भारतीय माल की अधिक मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं और गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात की जा रही प्रमुख मदों में से कुछ संलग्न सूची में दी गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) हम मांग को पूरा करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। 1 जुलाई, 1970 से

30 जून, 1971 की अवधि के लिए व्यापार प्रबंध में हमने लगभग 40 से 43 करोड़ रुपये तक के निर्यातों की योजना बनाई है, जबकि 1969-70 की तत्स्थानी अवधि में 38.8 करोड़ रुपये का ही लक्ष्य था। गत दो वित्तीय वर्षों में संयुक्त अरब गणराज्य के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे।

1968-69	21.81 करोड़ रुपये
1969-70	34.63 करोड़ रुपये

विवरण

संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात की जा रही प्रमुख मदों की सूची

1. चाय।
2. पटसन का माल।
3. सूत।
4. ट्रक चेसिस, बसें तथा आटोमोटिव अतिरिक्त पुर्जे।
5. वस्त्र मशीनें।
6. इस्पात की वस्तुएं।
7. डीजल इंजिन, सेंट्रीफ्यूगल तथा टरबाइन पम्प, संघटक तथा सहायक सामान।
8. रेलवे ट्रेक समान।
9. इलैक्ट्रिक कंट्रोल गियर, स्विचगियर, मिटर तथा सहायक सामान।
10. शुष्क बैटरियां।
11. बिजली की फ्लोरेसेंट ट्यूबें, लैम्प फिटिंग्स तथा सहायक सामान।
12. बिजली के तार तथा केबल।
13 रेडियो तथा सार्वजनिक भाषण यंत्र आदि।
14. इलैक्ट्रोड्स तथा वेल्डिंग उपकरण।
15. साइकिलें तथा अतिरिक्त पुर्जे।
16. टायर तथा ट्यूबें।
17. दवाइयां, भेषज तथा बढ़िया रासायनिक पदार्थ।
18. संश्लिष्ट कोलतार रंग।
19. वस्त्र अनुषंगी सामान।
20. सल्फेट तथा फिटकरी।
21. रेजिन, रंजक तथा अन्य रोगन उत्पाद।
22. कागज तथा कागज उत्पाद।

Rehabilitation of Ex-Servicemen

1576. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the ex-servicemen are being rehabilitated according to the scheme of Government of India ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Narendra Singh Mahida): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the details of the schemes undertaken for the rehabilitation of ex-servicemen is attached.

Statement

A brief outline of the schemes/measures which have been undertaken for the rehabilitation of ex-servicemen is given below :

I. Employment and Training

A. Other Ranks

Released Other Ranks, who are interested in re-employment, have their names registered in the Employment Exchanges. Ex-servicemen are included in priority III category by Employment Exchanges in the matter of submission of names against Central Government vacancies. (Priority I consists of employees retrenched as a result of the recommendations of the Economy Unit and Priority II consists of permanent displaced Government servants from NWFP, Sind and Baluchistan). State/District Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards have been specially geared up to hold monthly and quarterly meetings with the Employment Exchange Officers to help ex-servicemen find suitable employment. The service trades of ex-servicemen have been equated to corresponding civil trades to facilitate the selection of suitable ex-servicemen for the right jobs by Employment Exchanges.

Ex-servicemen are given preference for jobs in Defence installations, para-military organisations, Watch and Ward of Railways, etc. where their past training and experience could be useful.

Orders were issued in July 1966 for reservation of 20% of the permanent vacancies in Class IV posts and 10% of the permanent vacancies in Class III posts under the Central Government for ex-servicemen for a period of two years in the first instance. These orders have since been extended upto 30th June 1971 and all temporary vacancies have also now been included in the reservation scheme. An officer in the rank of Lt. Col. has been posted in the Dte. General Employment and Training, Ministry of Labour and Employment to keep a close watch over the implementation of the reservation orders.

Relaxation of age limit and minimum educational qualifications has been given to ex-servicemen for recruitment to certain posts.

Vocational training and stipends have also been arranged for ex-servicemen.

B. Officers

Regular Commissioned Officers seeking re-employment assistance after retirement can register themselves with the Defence Services Liaison Officers in the Directorate General of Resettlement. The Director General Resettlement (Defence Services Liaison Officer) maintains their screened dossiers and depending upon their qualifications and experience, sponsors their names for suitable jobs in the para-military organisations, Central/State Government Departments and Public and Private Sector Undertakings. The number of officers who get re-employment depends upon availability of jobs in the aforesaid avenues of employment. Short re-orientation courses in various aspects of business, industrial, personnel, farms and hotel management are

arranged for a limited number of retiring or retired officers to facilitate their absorption in civil jobs.

II Self-employment

(1) Land and agriculture

Several State Governments accord priority to disabled ex-servicemen or the dependents of those killed in action in the matter of allotment of lands at their disposal. Schemes for settling ex-servicemen in new areas in NEFA, Great Nicobar Islands, Laccadive, Minicoy and Admindive Islands and Tripura have also been finalised and are in the process of implementation.

Temporary surplus military lands are firstly offered to ex-servicemen and their societies for cultivation on lease basis. Where such lands are available for permanent dispoal, ex-servicemen are also one of the priority holders to purchase such lands at rates fixed by the Government.

A certain percentage of imported tractors has been reserved for allotment to serving and ex-service personnel.

(2) Vehicles

Ex-servicemen are entitled to purchase surplus vehicles of the Defence Ministry before they are notified to the Dte. General of Supplies and Disposal for auction. Apart from this, a quota of commercial vehicles (Ambassador Cars, 3-wheeler scooters and Tempos) for priority allotment to ex-servicemen and their co-operative societies has also been reserved.

(3) Small Scale Industries etc.

Efforts are being made to guide and assist ex-servicemen to take advantage of self-employment opportunities in small scale industries. An officer on Special Duty from Small Scale Industry has been posted in the Directorate General Resettlement, Ministry of Defence, to guide and provide technical know-how to ex-service personnel to start Small Scale Industries of their own.

Loans are also given to ex-servicemen either individually or through their co-operative societies from Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of ex-scrvicemen at the Central and State/Union Territory levels, for starting business ventures.

तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में विनियोजन

1577. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लगाई गई पूंजी की प्रतिशतता में कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना जैसी कि अब संशोधित रूप में है उसमें सरकारी क्षेत्र में निवेश तीसरी योजना की अपेक्षा निरपेक्ष रूप में दोगुने से अधिक है और प्रतिशत के रूप में लगभग उतना ही है जितना कि तीसरी योजना में था।

(ख) चौथी योजना में कृषि के लिए वृद्धि की दर 5 प्रतिशत और उद्योग के लिए 8 से 10 प्रतिशत तक अभिधारित की गई है। इस प्रकार की वृद्धि की दर को बनाये रखने के लिये निजी क्षेत्र के आर्थिक कार्य-कलापों की बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं का योजना में यथोचित ध्यान रखा गया है। तीसरी योजना की अपेक्षा निजी क्षेत्र के परिव्यय में अनुमानित वृद्धि का

अधिकांश भाग कृषक समुदाय द्वारा तथा लघु उद्योग और ग्रामोद्योग सड़क परिवहन तथा आवास में किए जाने वाले अधिक निवेश के रूप में होगा इन क्षेत्रों के लिए व्यवस्था मुख्यतया निजी क्षेत्र में होनी है।

कानपुर में मिलों को अपने अधिकार में लेना

1578. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कानपुर कपड़ा मिलों के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनको 8 और 9 जुलाई, 1970 को मिला था और सरकार द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स और लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर, को अपने अधिकार में ले लेने के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सरकार द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 1सितम्बर, 1969 से अपने अधिकार में लिया जा चुका था। तथापि, मिल का पूरा कार्यचालन फिर से प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि मिल कंपनी को दी गई 10 लाख रुपये की आरंभिक ऋण सहायता में भाग लेने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार और आगे वित्तीय दायित्व से मुक्त होना चाहती थी। उस सरकार से बातचीत की गई थी और अब वह मिल कंपनी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भाग लेने के लिये सहमत हो गई है।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स अंशतः चल रही है। इस मिल के प्रश्न पर राज्य उद्योग मंत्री के साथ बातचीत करने का विचार है।

समीक्षकों की सेवा शर्तों और उनके ग्रेडों की जांच करने के लिए समिति

1579 . **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समीक्षकों की सेवा शर्तों और उनके ग्रेडों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या उनको कार्यान्वित कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) इशारा शायद वियअरों की ओर है। यदि ऐसा है तो उत्तर है 'हां'।

(ख) कमेटी की सिफारिशों पर सम्मिलित एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं; मामला विचाराधीन है।

विवरण

आर्डनेंस कारखानों सहित रक्षा स्थापनाओं में नियुक्त वीवरों के ग्रेड संरचना, वेतनमानों और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई तकनीकी समिति की मुख्य सिफारिशों का बिवरण ।

क्रम सं० **सिफारिश**

1. आर्डनेंस कारखानों और निरीक्षणालयों में वीवर औद्योगिक कर्मचारियों के एक अलग वर्ग के रूप में बने रहेंगे । कुछ निरीक्षणालयों में, उदाहरणार्थ, चीफ इन्सपेक्टोरेट आफ अर्मामेंट्स किर्की, चीफ इन्सपेक्टोरेट आफ टेकस्टाइल्स एंड क्लादिंग, कानपुर, चीफ इन्स्पेक्टोरेट आफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव्ज किर्की, इन्सपेक्टोरेट आफ मिलिट्री एक्सप्लोसिवेज, खमारिया, इन्स्पेक्टोरेट आफ मिलिट्री एक्सप्लोसिवज भण्डारा, में किसी भी वीवर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन स्थापनाओं में वास्तविक निरीक्षण कार्य नहीं किया जाता है या फिर जो काम किया जाता है वह वैज्ञानिक प्रांकृतिक होता है ।

2. वीवरों का पदनाम बदल कर इक्जामिनर कर दिया जाए ।

3. आर्डनेंस कारखानों और इन्सपेक्टोरेटों (निरीक्षणालयों) में परिशोधित पदनाम के साथ निम्नलिखित ग्रेड अपनाए जाएं :

इक्जामिनर (सेलेक्शन ग्रेड)	——रु० 175-6-205-7-240
इक्जामिनर ग्रेड 1	——रु० 150-5-180
इक्जामिनर ग्रेड 2	——रु० 110-3-131-4-143-द० रो०-4-155
जूनियर इक्जामिनर	——रु० 35-2-95-3-110-द० रो०-3-128

ए० ओ० सी० में वीवरों को आर्मरर या आर्मरर मेट के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाए । अनुसंधान तथा संगठन में वर्तमान वीवरों को तब तक रखा जाए जब तक वे बने रहते हैं केवल प्रूफ एंड इक्सपेरीमेंटल एस्टाब्लिशमेंट, वालासुर में डी० जी० आई० इन्स-पेक्टोरेट की तरह उन्हें इक्जामिनरों के रूप में समाहृत किया जाए । शूटरों और प्रूफ फायररों को जूनियर इक्जामिनरों के नए ग्रेड में मिला दिया जाए ।

आर्डनेंस कारखानों और इन्सपेक्टोरेटों में काम की जटिल प्रकृतियों की सीमा को देखते हुए उपयुक्त ग्रेड में इक्जामिनरों के अनुपात को निर्धारित करने के लिए एक समिति या समितियां बनाई जांय । डी० जी० आई० के इन्सपेक्टोरेटों में अनुपात पद्धति को समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

तीन वर्ष से अधिक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर इक्जामिनर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की कुल संख्या शक्ति का अधिकाधिक 12 प्रतिशत तक इक्जामिनर (ग्रेड 1) को पदोन्नति देकर इक्जामिनर (सलेक्शन ग्रेड) के रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिए । इक्जामिनर (सलेक्शन ग्रेड) को छोड़ कर अन्य ग्रेडों में रिक्त स्थानों को वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नतियां देकर यथा सम्भवरूप से भरना चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास कर दिये थे । ऐसा न होने पर

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को सीधा भर्ती कर उन रिक्त स्थानों को भरना होगा :—

जूनियर इक्जामिनर	——8वीं कक्षा पास होने के साथ एक वर्ष का कार्यशाला अनुभव।
इक्जामिनर ग्रेड 2	मैट्रिक/आई० टी० आई० के साथ 2 वर्ष का कार्यशाला-अनुभव जो कि ऐसे व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं है जिसने कि दो वर्ष से कम की आई० टी० आई० ट्रेनिंग न की हो।

5. पदोन्नति एक सीधी भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट विशिष्टियों में परिशोधन हो सकता है या उन्हें केन्द्रीय रूप से डी० जी० ओ० एफ० या डी० जी० आई० के संबंधित डाइरेक्टर निर्धारित कर सकता है लेकिन वास्तविक ट्रेड टेस्ट एक ट्रेड टेस्ट बोर्ड ले सकता है जिसमें संबंधित कारखानों/इन्सपेक्टोरेट का एक सदस्य और अन्य कारखानों/इन्सपेक्टोरेट से दो सदस्य होते हैं।

6. कारखानों और इन्सपेक्टोरेटों में काम कर रहे वर्तमान वीवरों को यथाप्रस्तावित रूप में इक्जामिनरों के नए ग्रेड में समायोजित किए जाने चाहिए और जहां आवश्यक हो उनके वेतनमान की संरक्षा की जानी चाहिए।

Decision on the Height of Kadna Dam (Gujarat)

1580. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a final decision regarding the height of Kadna dam Gujarat) ;

(b) if so, the nature of the decision ;

(c) whether it is a fact that Government of Gujarat are not prepared to reduce the predetermined height ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government regarding the loss being suffered by Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The matter is under consideration in consultation with the Governments of Gujarat and Rajasthan.

Ban on Indians to Enter Malawi in (East Africa)

1581. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Malawi (East Africa) has decided to ban the entry of Indian immigrants into their rural areas ; and

(b) if so, the action taken by the Government of India in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. The Malawi Government have brought into effect regulations by which rural areas in Malawi would be reserved for trading purposes exclussively for Malawi citizens.

At present, non-citizen traders of Indian origin in rural areas bordering on Mozambique have been shifted to other trading centres where they would be free to engage in trade. The large majority of these persons are British passport holders.

(b) The above decisions are in the excercise of the sovereign right of the Malawi Government to Africanise trade and commerce in that country. The Indian Mission in Blantyre is in close touch with the situation.

Sanctioned Schemes of Madya Pradesh

1582. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the scheme for which the Central Government have conveyed their sanction to the Madhya Pradesh Government during the last one year, out of those schemes which had been submitted by Madhya Pradesh for the considration of the Central Water and Power Commission ;

(b) the cause of delay in according sanction for the remaining schemes ; and

(c) the stage at which the matter rests in regard to the implementation of Indus River Project in District Shivpuri of Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) In the last one year, Bargoor Project (Seoni District) and Putka Project (Raigarh District) have been accepted by the Planning Commision for inclusion in the developmental plan of Madhya Pradesh.

(b) A statement giving the requisite information is attached.

(c) The State Government have limited that the Sindh Project is under their examination.

Statement

Irrigations and Power Schemes proposed by the Government of Madhya Pradesh and under Examination in the Central Water and Power Commission

Sl. No.	Name of schemes	Estimated cost Rs. lakhs	Benefits	Stage of Examination
	Major Schemes			
1.	Mahanadi Reservoir Stage-I	1548.18	Stage-I is for water supply to Bhilai.	The Project Report has been examined and is being further processed.
2.	Sukta	632.17	0.41 lakh acres irrigation.	Is in Narmada basin for which a Tribunal has been constituted.
3.	Narmada Sagar	11,133.00	6.18 lakh acres irrigation. 248 MW (Initially) at 100% Load factor 90MW (Ultimate) at 100% Load factor.	do.

Sl. No.	Name of scheme	Estimated Cost Rs. lakhs	Benefits	Stage of Examinations
4.	Bargi	6,623.00	8.25 lakh acres irrigation.	Is in Narmada basin for which a Tribunal has been constituted.
5.	Bansagar	12,600.00	6.15 lakh acres irrigation. 405 MW at 100% Load Factor (Initially) 253 MW at 100% Load Factor (Ultimate)	Involves Inter-State aspects with U. P. and Bihar.
	Medium Schemes			
1.	Nahlesara	190.02	0.11 lakh acres irrigation.	Is in Godwari basin for which a Tribunal has been constituted.
2.	Removing shortage in Harsi Irrigation System Sindh diversion weir scheme	443.00	0.59 lakh acres irrigation.	The State Govt. intimated on 25.2.70 that the modified proposals would be sent shortly. These have not so far been received.
3.	Kasiyari	147.71	0.25 lakh acres irrigation.	Concurrence of U. P. Govt. and revised proforma not yet communicated by Govt. of Madhya Pradesh.
4.	Chandora	59.84	0.09 lakh acres irrigation.	Reply to comments as also the revised proforma awaited from the State Government.
5.	Mayana Tank	51.40	0.04 lakh acres irrigation.	Replies to comments awaited from the State Government.
6.	Johilla	44.28	0.055 lakh acres irrigation.	Replies to comments and revised proforma awaited from the State Government.
7.	Bicchia Tank	58.16	0.05 lakh acres irrigation.	Is in Narmada basin for which a Tribunal has been constituted.
8.	Pairi River Scheme	488.27	0.50 lakh acres irrigation.	Under examination C. W. & P. C.
9.	Hallali	420.00	0.73 lakh acres irrigation.	Revised proposals awaited from State Government.

Agreement between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in regard to River valley Hydro-Electric Schemes

1583. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the details of the agreement signed between the Govnrnment of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in regard to River Valley Hydro-electric schemes ;

(b) whether both the State Governments have acted in accordance with the agreements ; and

(c) if not, the details thereof and the reaction of the Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) No signed agreement exists between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh regarding supply of power from River Valley Hydro-electric schemes. However, on the recommendations of the Sachdev Committee appointed by the Central Zonal Council, it was agreed to by the two State Governments that 15% and 33 1/3% of energy available at Rihand and Matatila respectively would be supplied by Uttar Pradesh to Madhya Pradesh.

(b) and (c). While power from Matatila is being supplied to Madhya Pradesh as agreed to, there was some dispute about the Rihand power. At a meeting called by me in April, 1970, an agreement was reached between the representatives of Uttar Pradesh State Electricity Board and the Madhya Pradesh Electricity Board to the effect that Uttar Pradesh State Electricity Board would allow Madhya Pradesh's share of energy at 20 MW at about 60% load factor during 1969-70 subject to 15% of the total available energy. The matter would be reviewed after the 1970—monsoons.

रसायनिक उत्पादों का निर्यात

1584. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें भारतीय रसायनिक उत्पादों का निर्यात किया जाता हैं तथा प्रति वर्ष कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अन्य देशों का, जिन्हें हमारे रसायनिक उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है, पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके रसायनों का हम आयात करते हैं तथा इन रसायनों के बारे में आत्मनिर्भर होने के लिये बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत से, 1967-68 में 221 लाख रुपये, 1968-69 में 329 लाख रुपये तथा 1969-70 में 443 लाख रुपये मूल्य के रासायनिक पदार्थों के निर्यात हुए। भारतीय रासायनिक पदार्थ लगभग 50 देशों को निर्यात किये जा रहे हैं। एक विवरण, जिसमें उन देशों के नाम दिये गये हैं, संलग्न है।

(ख) मूल भूत रसायन औषध तथा साबुन निर्यात सम्बर्धन परिषद् और साथ ही एकाकी निर्यातक अन्य देशों को भी रासायनिक पदार्थों के निर्यात की गुंजाइश का पता लगा रहे हैं।

(ग) जिन देशों से रासायनिक पदार्थों का आयात किया जाता है उनकी एक सूची संलग्न है । देश की चौथी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक पदार्थों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने हेतु पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के लिये यथासंभव औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये जा रहे हैं ।

विवरण

जिन देशों को रसायनिक पदार्थ निर्यात किये जाते है, उनकी सूची

1. आस्ट्रेलिया
2. अफगानिस्तान
3. अर्जेन्टाइना
4. बर्मा
5. बहरीन
6. बल्गारिया
7. कनाडा
8. श्रीलंका
9. चीन गणराज्य
10. चैकोस्लोवाकिया
11. डेनमार्क
12. इथोपिया
13. फ्रांस
14. फिजी द्वीप
15. यूनान
16. हांगकांग
17. इटली
18. ईराक
19. ईरान
20. जापान
21. केन्या
22. कुवैत
23. लेसोथो
24. मलयेशिया
25. मारिशष
26. मस्कत
27. मलावी
28. नेपाल
29. नीदरलैण्ड
30. न्यूजीलैण्ड
31. नाइजीरिया
32. फिलीपीन
33. कतार
34. सिंगापुर
35. सूडान
36. स्विटजरलैण्ड
37. दक्षिण यमन
38. सऊदी अरब
39. स्पेन
40. थाईलैण्ड
41. तंजानिया
42. ब्रिटेन
43. सं० अरब गणराज्य
44. सं० राष्ट्र अमेरिका
45. सोवियत संघ
46. यूगांडा
47. वियतनाम
48. प० जर्मन
49. युगोस्लाविया
50. जाम्बिया

जिन देशों से रासायनिक पदार्थ आयात किए जाते हैं उनकी सूची

1. आस्ट्रिया
2. आस्ट्रेलिया
3. बेलजियम
4. बल्गारिया
5. ब्राजील
6. कनाडा
7. चिली
8. चैकोस्लोवाकिया
9. चीन गणराज्य
10. डेनमार्क
11. पूर्व जर्मन
12. फिनलैण्ड
13. फ्रांस
14. हांगकांग
15. हंगरी
16. इटली
17. इजराइल
18. इंडोनेशिया
19. जापान
20. लेबनान
21. मलयेशिया
22. नीदरलैण्ड
23. नार्वे
24. पोलैण्ड
25. रूमानिया
26. स्वीडन
27. स्विट्जरलैण्ड
28. सिंगापुर
29. सोवियत संघ
30. ब्रिटेन
31. सं० रा० अमेरिका
32. प० जर्मनी
33. युगोस्लाविया

दक्षिण वियतनाम में भारतीयों की आस्तियां तथा आय

1585. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण वियतनाम में इस समय रह रहे भारतीयों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी कुल चल तथा अचल आस्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी औसतन वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 1 अप्रैल, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4714 के उत्तर में यह सूचना सदन में दी जा चुकी है।

सेना के इंजीनियरों द्वारा असम राज्य विद्युत् बोर्ड नियंत्रण कक्ष का कार्यभार अपने हाथ में लेना

1586. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के इन्जीनियरों ने 13 जून, 1970 को असम राज्य विद्युत बोर्ड नियंत्रण कक्ष का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि 13 जून, 1970 को सैनिक इन्जीनियरों ने असम राज्य बिजली बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के कार्य-भार को अपने हाथ में ले लिया। 12 से 20 जून, 1970 तक असम राज्य बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान, सेना के कुछ लाइनमैनों और डीजल चालकों ने असम राज्य बिजली बोर्ड की सहायता की। सभी विद्युत केन्द्रों और ग्रिड उपकेद्रों पर असम राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ही लगे हुए थे।

आपात-कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में कमी

1587. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के कारण, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में कमी कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना में नियमित रूप से नियुक्त किये जाने के बाद आपात कमीशन अधिकारियों को उतनी अवधि से अपनी वरिष्ठता खोनी पड़ी है, जितनी अवधि उनके प्रशिक्षण काल में कम की गई थी, जब स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है हालांकि उनकी प्रशिक्षण अवधि में भी कमी की गई थी ;

(ग) क्या सरकार को यह बात मालूम हुई है कि इसके परिणाम स्वरूप यह असमानता हुई है जो स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों से अन्यथा कनिष्ठ थे अब उनसे वरिष्ठ हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार कौन सी उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) आर्मी मेडिकल कोर और रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर में प्रशिक्षण की अवधि में कोई अन्तर नहीं है। अन्य सेवाओं और कोरों के अफसरों के लिये प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष में दो वर्ष के बीच विभिन्न अवधियां हैं जो इस बात पर निर्भर हैं कि अफसर किस रूप में भर्ती हुआ था अर्थात क्या अफसर सीधे बाहर से भर्ती हुये हैं या नेशनल डिफेन्स अकादमी से या अफसर ट्रेनिंग यूनिट (राष्ट्रीय कैडेट कोर) से भर्ती हुए हैं तकनीकी स्नातक हैं।

(ख) एक आम नियम के रूप में, जब आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को स्थाई कमीशन दिया जाता है तो स्थायी कमीशन में उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उनकी आपाती कमीशन की सेवा में से लगभग 8 महीने की सेवा घटा दी जाती है। रिमाउंट एण्ड वेटरनरी कोर में दूसरे अवसर पर अर्हक परीक्षा पास करने पर स्थाई कमीशन प्राप्त करने को एक वर्ष की वरिष्ठता खो देनी होती है, आर्मी मेडिकल कोर में वरिष्ठता के लिये आपाती कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में की गई सारी सेवा को हिसाब में लिया जाता हो लेकिन पूर्व दिनांक अवधि को उसी प्रकार समंजित किया जाता है जिस प्रकार कि ऐसे आर्मी मेडिकल अफसरों के लिये किया जाता है जोकि स्थाई कमीशंड अफसर के रूप में सीधे भर्ती किये जाते हैं।

(ग) तथा (घ). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अकादमी में प्रवेश संबंधी नियम

1588. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वालों की शिक्षा-अर्हताओं सम्बन्धी नियमों में हाल ही में कोई संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विरोध करने वाले प्रवेशियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कुछ समय तक सरकार द्वारा यह सोचा जाता रहा था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में और आगे परिसोचन किया जाना चाहिये जिससे कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् विज्ञान अथवा मानविकी में स्नातक स्तर की योग्यता प्राप्त करें और सशस्त्र सेनाओं में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक उपकरणों और हथियारों को अच्छी प्रकार संभालने के योग्य हो सकें । ये बातें उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० महाजनी की अध्यक्षता में एक समिति को सौंपे गये थे और समिति ने अगस्त 1969 में अपना काम पूरा कर लिया था । समिति ने मानविकी और विज्ञान दोनों के पाठ्य विवरण को उच्च स्तर का बना दिया । संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रवेश की पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि प्रवेश के लिये 16 से 18 वर्ष की आयु सीमा के साथ कम से कम अर्हक योग्यता बढ़ा कर उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष कर दी जानी चाहिये अथवा वैकल्पिक रूप में यह 15 से 17 वर्ष की आयु सीमा के साथ मैट्रिक अथवा समकक्ष रहे और साथ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में एक वर्ष का आरम्भिक पाठ्यक्रम बढ़ा दिया जाए । सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि कम से कम अर्हक योग्यता उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तक बढ़ा दी जाये और आयु सीमा 16 से 18 वर्ष निर्धारित की गई लेकिन दूसरा वैकल्प उचित नहीं समझा गया ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपयुक्त लाइनों पर अधिसूचना जारी करने के पश्चात् सरकार को कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना, और वायु सेना स्कंधों के लिये होने वाली अगली परीक्षा के लिये निर्धारित 18 वर्ष की उच्चतर आयु सीमा से उन राज्यों के उम्मीदवारों को कठिनाई होगी जहां के लड़के 5/6 वर्ष की आयु में शिक्षा आरम्भ करते हैं और 12 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास करते हैं ।

इन मामलों को स्थान देने के लिये और कुछ समय तक आवश्यक समायोजन करने के लिये सरकार ने उपर्युक्त परीक्षा में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की अधिक से अधिक आयु सीमा को एक वर्ष के लिये 18 से साढ़े 18 वर्ष कर दिया है ।

राज्य व्यापार निगम के गोदाम में आग लगने की घटनायें

1589. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित यूनियन साउथ मिल्स में स्टाक किये गये पटसन के भंडार में, जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का था, अप्रैल में आग लग गई थी तथा इसके फलस्वरूप 50 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम के पटसन के भंडारों में कितनी बार आग लगी तथा कितनी धनराशि की हानि हुई है ;

(ग) इन अग्निकाण्डों के क्या कारण थे ; और

(घ) ऐसे अग्निकाण्डों को रोकने के लिये राज्य व्यापार निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के कलकत्ता स्थित गोदाम में पिछले तीन वर्षों में एक बार, अप्रैल, 1970 में आग लगी है, जिसके फलस्वरूप 50 लाख रुपये से अधिक के पटसन की हानि हुई।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

(घ) सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं और आग बुझाने का प्रबन्ध सुव्यवस्थित किया जा रहा है तथा कम क्षमता के भंडारों को किराये पर लिया जा रहा है ताकि आग लगने पर हानि कम हो।

भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के अंशधारियों द्वारा की गई शिकायतें

1590. **श्री उमानाथ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारती मिल्स, पांडिचेरी के विभिन्न अंशधारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें लेखों तथा कुछ कम्पनियों से रुई के क्रयआदि के बारे में अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत करने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) उस ज्ञापन में लगाये गये आरोपों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस बारे में किसी प्रकार की जांच का अनुरोध किया गया है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) 1. श्री एस० चेनीअप्पा मुदालियर
2. श्री एस० सी० अयावू मुदालियर
3. श्री कृष्णा स्वामी मुदालियर
4. श्री एस० सुन्दरेसन तथा कुछ अन्य

(ग) आरोप मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित है :—

(1) पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा दिये गये कपड़े और धागे के पुराने स्टाक के लेखे में त्रुटि ।

(2) कपास की खरीद में अनियमितताएं ।

(3) मिल कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के पश्चात भी, अभी हानि दिखा रही है, तथा

(4) प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक बुलाने के नोटिस को वापिस ले लिया जाना ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी का परिसमापन

1591. **श्री उमानाथ : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती मिल्स, पांडिचेरी के अधिकृत नियंत्रक ने उक्त कम्पनी के परिसमापन के लिये अदालती कार्यवाही की है ;

(ख) इस निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय परिसमापन संबंधी कार्यवाही की क्या स्थिति है ; और

(घ) अधिकृत नियंत्रक द्वारा इस कम्पनी को अधिकार में लिये जाने के तुरन्त बाद ही तथा इतनी हानि होने से पूर्व ही इस कम्पनी का परिसमापन करने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबंध तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम, 1967 का, जो सरकार को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अंतर्गत अपने नियंत्रण में ली गई सूती वस्त्र मिलों का चालू संस्थाओं के रूप में परिसमापन करने की शक्ति प्रदान करता है, अधिनियमन दिसम्बर, 1967 में ही हुआ था और उस अधिनियम के अंतर्गत प्रश्नाधीन मिल के संबंध में समापन संबंधी कार्यवाही अधिनियमन के उपबंधों के अधीन मामले पर पूर्णरूपेण विचार कर लेने के पश्चात ही शुरू की जा सकी थी ।

विवरण

(ख) सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम की धारा 3 के अनुसरण में श्री भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी के प्राधिकृत नियंत्रक ने सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन पर विचार करके सरकार का इस विषय में

समाधान हो गया कि इस उपक्रम की वित्तीय स्थिति और अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपनी वर्तमान परिसम्पत्तियों से पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अतः सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के उपबंधों के अधीन सितम्बर, 1969 में यह आदेश दिया कि उपक्रम को सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत निर्धारित आरक्षित मूल्य पर चालू संस्था के रूप में बेच दिया जाये और साथ ही साथ उपक्रम का समापन करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाये। तदनुसार, उपक्रम के प्राधिकृत नियंत्रक ने अक्तूबर, 1969 में समापन संबंधी एक आवेदन-पत्र मद्रास उच्च न्यायालय में पेश कर दिया।

(ग) इंडियन बैंक, मद्रास ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रकीर्ण दीवानी याचिका दर्ज की है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि सूती वस्त्र समवाय अधिनियम की धारा 4, 5 तथा 8 के उपबंधों के अधीन समस्त कार्यवाही, जिसमें चालू संस्था के रूप में श्री भारती मिल्स की बिक्री शामिल है, रोक दी जाये। उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक आदेश जारी कर दिया है और प्रत्युत्तरदाता को इसका कारण बताने के लिए भी कहा है कि याचिकादाता के आवेदन को स्वीकार क्यों न किया जाये। रोकने का आदेश अभी वापिस नहीं लिया गया है।

भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के कर्मचारियों को दी गई वित्तीय सहायता

1592. **श्री उमानाथ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के कर्मचारियों को पुराने प्रबन्धकों की ओर से तथा अधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त मिल अपने अधिकार में लिए जाने के समय से पृथक-पृथक, छटनी-मुआवजे, जबरी-छुट्टी-मुआवजे, सेवा निवृति लाभ, बोनस, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य मदों के रूप में कितनी धनराशि दी जानी शेष है ;

(ख) क्या इस भुगतान की व्यवस्था किसी समय संतुलन पत्रों में की गई थी ;

(ग) क्या इस व्यवस्था के अनुसार अदायगी की गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) जिस राशि के लिये परिसमापन का प्रस्ताव है उसके आधार पर कर्मचारियों को कितनी हानि होने की संभावना है ; और

(ङ) कर्मचारियों को देय पूरी राशि की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश के सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण

1593. **श्री सिद्धय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों में लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये सीटों के आरक्षण की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन 1963 में राज्यपालों के बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि इन सम्प्रदायों से सम्बन्धित ऐसे छात्रों को जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में कम से कम अर्हता नम्बर प्राप्त कर लिये हों, प्रवरता सूची में उनके स्थान को ध्यान में न रखते हुए उन्हें सैनिक स्कूलों में प्रविष्ट कर दिया जाए। यह छूट 1973 के अन्त तक बढ़ा दी गई है।

देश के आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

1594. **श्री सिद्धय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों ने उनके लिए आवेदन दिये थे तथा उनमें से कितने लोगों को भर्ती किया गया है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। नियमों के अनुसार निर्धारित कोटा के अनुसार।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पान्डियन पुनोमपुझा परियोजना का कार्यान्वित न किया जाना

1595. **श्री नंजा गौडर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पान्डियन पुनोमपुझा परियोजना की क्रियान्विति को रोक रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना को सम्भवतः कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि सिंचाई के लिये मोयर घाटी में पंडियार-पुन्नापुझा नदी के व्यपवर्तन का प्रश्न जब तक हल नहीं हो जाता तब तक इस स्कीम पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उच्च शक्ति वाले वायु-मार्ग निगरानी राडार

1596. **श्री नंजा गौडर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3.90 करोड़ रुपये के मूल्य के "उच्च शक्ति वाले वायु-मार्ग निगरानी राडार" अप्रयुक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब कि इन्हें काम में लाना आरम्भ किया जायेगा तब तक इन्हें सप्लाई करने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा दी गई गारन्टी की अवधि समाप्त हो जायेगी ;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन राडारों को शीघ्र ही लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी नहीं ।

(ख), से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान द्वारा तीस्ता बांध परियोजना का निर्माण

1597. **श्री नंजा गौडर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के रंगपुर जिले में भारतीय सीमा के ठीक उस पार लाखों रुपये की लागत से तीस्ता बांध परियोजना का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी दें ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पूर्वी नदियों के सम्बन्ध में, मई, 1968 में भारत और पाकिस्तान के बीच विशेषज्ञों के स्तर पर हुई 5वीं बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने यह सूचित किया था कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की तीस्ता बराज परियोजना के लिये अनुमति दे दी है। परन्तु बाद में दिसम्बर 1968 में सचिव स्तर पर हुई बैठक में उन्होंने यह बताया कि 1968 की बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना से सम्बंधित अभिकल्प के कुछ मानदण्डों की पुनः जांच की जा रही है ।

(ख) इसके सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को अवगत कराने के लिये कोई प्रार्थना नहीं आई है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

सायगोन के राजदूत का दिल्ली से प्रस्थान

1599. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडम विन्ह को भारत सरकार के निमंत्रण के विरोध के तौर पर दिल्ली स्थित सायगोन के राजदूत सायगोन चले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वियतनाम गणराज्य के प्रधान कौंसल ने सरकार को यह सूचना दी थी कि मदाम विन्ह की भारत यात्रा की अवधि में उनका विचार भारत से बाहर रहने का है। ऐसा समझा जाता है कि वहां की सरकार ने इस कार्रवाही का समर्थन नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाखड़ा में आणविक विद्युत प्रजनक स्थापित करने का प्रस्ताव

1600. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भाखड़ा में झील का स्तर गत वर्ष जून की तुलना में 72 फिट कम है और कि 19 फुट स्तर के अग्रेतर कम हो जाने से बड़े-बड़े प्रजनक बन्द हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत स्रोत के विकल्प रूप में 1967 में एक आणविक प्रजनक का प्रस्ताव किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) झील में पानी का स्तर 25-6-1970 को निम्नतम हो गया था जो कि गत वर्ष इसी दिन के स्तर से लगभग 77 फुट नीचे था। इसके पश्चात, झील में पानी भरना आरम्भ हो गया।

(ख) उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही कुछ समय से अपने-अपने क्षेत्रों में अणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये कह रहे हैं।

(ग) परमाणु उर्जा विभाग ने उत्तरी क्षेत्र में 3—4 उपर्युक्त स्थलों के लिये वैकल्पिक अध्ययन हाथ में लिये हैं। जब उपर्युक्त विस्तृत अध्ययन पूरे हो जाएंगे तब उत्तरी क्षेत्र में एक नये अणु विद्युत केन्द्र को स्थापित करने के लिये अत्यन्त उपयुक्त स्थल के बारे में फैसला किया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION OT MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मूल्यों में वृद्धि

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following Matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon.

"The recent rise in the prices of various essential commodities such as soap, vanaspati, drugs, steel etc.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बढ़ने से समाज के सब वर्ग, विशेषकर निर्धन वर्ग प्रभावित हुए हैं। कोई भी सरकार वस्तुओं के मूल्यों के तेजी से बढ़ने से सन्तुष्ट नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने 3 अगस्त को लोक सभा में उल्लेख किया था सरकार कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से चिन्तित है और इस बात के लिये दृढ़ संकल्प है कि वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें।

अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले दिनों में स्थिर रही हैं। किन्तु कच्चे औद्योगिक माल की सप्लाई कम होने के कारण थोक मूल्यों की सामान्य मूल्य सूची में कुछ वृद्धि हुई है। मन्दी के समय कुछ कीमतें सामान्य तौर से बढ़ ही जाती हैं। तथापि, वर्तमान मंदी में अब तक (25 अप्रैल से 18 जुलाई, 1970 तक) सामान्य मूल्य सूची में 2.4 प्रतिशत वृद्धि दिखाई गई है जबकि पिछले वर्षों में जो 6 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई है, उसकी अपेक्षा काफी कम है। एक वर्ष पूर्व व्याप्त कीमतों की तुलना में, जबकि 18 जुलाई, 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की जो मूल्य सूची है, वह 3·5 प्रतिशत की है, अनाज की मूल्य सूची में 1·3 प्रतिशत की कमी दिखाई गई है। चावल के सिवाय, जिसमें 1·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चना की कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों की अपेक्षा बहुत कम हैं। हाल ही में वाणिज्यिक पैदावार और विशेषकर तिलहन और कच्ची रुई के उत्पादन में हुई कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई हैं। हाल में कीमतों में जो थोड़ी-सी वृद्धि हुई भी है वह मौसम के कारणों से हुई है।

माननीय सदस्यों ने हाल ही में साबुन, बनस्पति तेल औषधियों, इस्पात आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन वस्तुओं के बारे में वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है :

साबुन

जहां तक साबुन का सम्बन्ध है, इसके लिए एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसमें बड़े पैमाने के साबुन निर्मातओं को कीमतों में परिवर्तन लाने के लिए पेट्रोलियम एवं रसायन तथा खान एवं धातु मंत्रालय के रसायन विभाग से परामर्श लेना पड़ता है। जनवरी, 1970 में साबुन की कीमतों में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध इस आधार पर किया गया कि चरबी की सप्लाई अपर्याप्त और अनियमित है और देशी तेलों की वर्तमान कीमतों में काफी वृद्धि हुई है।

उद्योग के अनुरोध पर सरकार ने विचार किया और बताया कि 100 ग्राम के नहाने के साबुन की एक टिकिया पर 5 पैसे तक की वृद्धि, 150 ग्राम के कार्बोलिक साबुन की एक टिकिया पर 4 पैसे और कपड़े धोने के साबुन के एक किलो पर 14 पैसे की वृद्धि इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये वृद्धियां 20 जुलाई, 1970 से शुरू हुईं, किन्तु इस शर्त पर कि जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा आयातित चरबी तथा खजूर तेल की उपलब्धि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिलने पर इसका पुनरीक्षण किया जाएगा।

बनस्पति तेल

वनस्पति की कीमतों पर वनस्पति तेल उत्पाद (नियन्त्रण) आदेश, 1947 के अधीन सांविधानिक रूप से नियन्त्रण किया जा रहा है। स्थिरता लाने के विचार से वनस्पति की कीमतें साधारण रूप से कम से कम दो महीनों की अवधि के लिए अपरिवर्तित रखी जा रही हैं। मध्यवर्ती अवधि में केवल बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि या तेल की कीमतों में कमी हो जाने से कोई परिवर्तन करने का विचार किया जाता है। वर्तमान वर्ष में वनस्पति की कीमतों में अब तक हर क्षेत्र में चार बार परिवर्तन किया गया है, और अधिकतर रूप से मूंगफली के तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण कीमतों में आद्यतन वृद्धि 23 जून, 1970 को हुई है।

औषधियां

जहां तक दवाइयों की कीमतों का सम्बन्ध है, टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 जारी किया जिसके अन्तर्गत 17 अति आवश्यक बड़ी औषधियों के विक्रय मूल्यों का निर्धारण किया गया और अन्य चीजों में सभी चीजों की कीमतों का पुनः परिकलन करने के लिए एक संशोधित सूत्र तैयार किया गया। मध्यम और बड़े पैमाने के कारखानों ने 1 अगस्त, 1970 तक व्यापारियों को संशोधित मूल्य-सूचियां पेश करनी हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि परिणामस्वरूप व्यापक रूप 40 से 45 प्रतिशत दवाइयों के मूल्य कम कर दिये गये हैं, जबकि और 40 से 45 प्रतिशत दवाइयों के मूल्य अपरिवर्तित रहे हैं।

इस्पात

जहां तक मुख्य उत्पादकों द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न इस्पात उत्पादों के मूल्यों का सम्बन्ध है, उद्योग के संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा सरकार की स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित किया जाता है। चालू वर्ष के आरम्भ से इस्पात मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषणा की गई है। यद्यपि सरकार जागरूक है कि इस्पात उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य खुले बाजार में संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य की तुलना में कम हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार के पग उठाये जा रहे हैं कि वितरण प्रक्रिया को कुछ कड़ा बनाया जाये।

इसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना, स्थानीय उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना और इस कार्य के लिए अतिरिक्त आयात को बढ़ावा देना।

मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से उनमें व्यापक चिन्ता है।

मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में निष्क्रिय नहीं रहेगी। हमारा विचार सभी वस्तुओं और विशेष रूप से जो अनौपचारिक या सांविधिक नियंत्रणाधीन हैं, उन वस्तुओं की मूल्य सीमा का निरन्तर ध्यान रखने का है। जिन आर्थिक और वित्तीय नीतियों का मूल्य सीमा पर प्रभाव पड़ता है, उनके विभिन्न पहलुओं का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

Shri Atal Bihari Bajpayee : The information given by the Hon. Minister of Finance is not correct. The official information regarding the rise in prices of the essential commodities are contradictory to the statement given by the Hon. Minister of Finance in this regard. The Commissioner in Delhi has accepted that the price of rice has not decreased but on the other hand its price has increased. **(Interruption)** There has been an increase in the price of rice before and after the budget. There has been increase of 33% in the price of butter and 7% in in the price of milk and the price of a 500 gram tea packet has increased by 14 to 33 percent. The price of washing soap has increased by 25% and that of bathing soap by 7%. Are these not essential commodities ? It appears that Government do not have any price policy. The Planning Commission has not stated the steps Government would take to control price during the Fourth Five Year Plan. The price of the washing soap before presentation of the budget was Rs. 280 per quintal and now its price is Rs. 303.50 P. per quintal. Similar is the case of steel and drugs. It has been stated that the prices of drugs have been reduced. In fact people are not able to get the drugs on reduced rates. I want to know whether the duty of the Finance Ministry is only to reduce the prices or it is also his duty to see whether the consumers are also able to get those commodities on those reduced prices ?

The arguments behind increasing the prices of soap and vanaspati are that the prices of tallow have been increased. I want to know why the prices of soap and vanaspati were not reduced when the prices of tallow were not raised ?

The Minister of Finance should make available all the essential commodities to the consumers at reasonable rates. It is not enough to express concern in this respect. I want to know whether some experts committee can be formed who can decide the cost of a commodity and the profit that manufacturers should get on those commodities and the reasonable price the consumer should pay for those commodities ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। मैंने यह स्वीकार किया था कि थोक मूल्य-सूचकांक में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अनाज और विशेषतौर पर बाजरा और ज्वार के थोक सूचकांक में कमी हुई है। मैंने इस बात से इंकार नहीं किया कि चावल, सब्जी, खाने के तेल, दूध, आदि के मूल्य में वृद्धि हुई है।

सरकार की मूल्य नीति विभिन्न बातों जैसे कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर, देश में होने वाली बचत आदि पर निर्भर करती है। यह देश में होने वाले निर्यात पर भी निर्भर करता है। (अन्तर्बाधाएं) हमारा मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयास रहता है यह व्यवस्था करना सम्भव नहीं है कि यह देखा जा सके कि जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं वे बाजार मूल्यों के अनुकूल हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ धूर्त लोग स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार तो केवल इतना ही कर सकती है कि वह इस प्रकार की स्थिति पैदा करे कि मूल्यों का स्तर उचित रूप से बना रहे। यह कहना उचित नहीं है कि वनस्पति के मूल्य राजनीतिक कारणों से बढ़ाये गये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : प्रधान मंत्री द्वारा, जो उस समय वित्त मंत्री भी थीं बजट प्रस्तुत करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने नहीं देगी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस्पात का मूल्य जो उस समय 840 से 850 रुपये प्रति टन था अब बढ़कर 1350 से 1400 रुपये प्रतिटन हो गया है।

मूंगफली के मूल्य घटते जा रहे हैं जबकि डालडा के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किन्तु यह किसी भी जनसाधारण की समझ से परे है कि मूंगफली के मूल्यों में कमी होने पर भी डालडा के मूल्य में वृद्धि हो। प्रायः यह कहा जाता है कि मूल्यों में वृद्धि का कारण ऋण-नीति है। परन्तु इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था मूल्यों के स्तर को ऊपर उठाने में कहां तक जिम्मेदार है। क्या यह भी सच नहीं है कि उत्पादन घटा है ? ऐसी स्थिति में मूल्यों को स्थिर करने की बात करना निरर्थक है। मैं यह जानना चाहती हूं कि मूल्यों में वृद्धि के लिये उत्पादन में गिरावट घाटे की अर्थव्यवस्था और ऋण नीति किस-किस हद तक जिम्मेदार हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि ऋण सीमित रूप से जारी किये जायें। यदि ऐसा हो जायेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? आयात-स्थानापन्न की नीति से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह सभा पटल पर एक श्वेत-पत्र रखें, जिसमें यह ब्यौरेवार बताया जाये कि कौन-कौन से आर्थिक पहलू मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं और मूल्य-वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जायेगा। आज केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अन्तरिम सहायता की मांग कर रहे हैं। उन्हें आन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये, क्योंकि स्वयं सरकार यह मानती है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्या ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, किन्तु उनमें से कुछ प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध नहीं हैं मैं पहले ही कह चुका हूं कि मूल्य-स्तर कई बातों पर आधारित होता है। और जब तक हम उन सभी विभिन्न दशाओं में कुछ उपाय नहीं करते तब तक मूल्य-वृद्धि को रोकना सम्भव नहीं है। जहां तक ऋण-नीति का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि ऋण की सुविधाएं कम कर दी गई हैं। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में विस्तार हुआ है। केवल इतना किया गया है कि वायदा व्यापार के लिये जो लोग ऋण नीति का अनुचित लाभ उठाते थे, उनके लिए ऋण नीति कुछ कठोर कर दी गई है। जहां तक वास्तविक उत्पादन का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में ऋण की सुविधाओं में और अधिक विस्तार हुआ है। गत वर्ष की अपेक्षा इस क्षेत्र में इस वर्ष 200 करोड़ रुपये का अधिक ऋण दिया गया है। जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, केन्द्र को पूर्वानुमानित 290 करोड़ रुपये के घाटे की बजाय 58 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसका श्रेय खर्च में कमी और एकत्रित की गई अधिक कर-राशि को जाता है। आरोप यह लगाया गया है कि सरकार की नीतियों के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं इस आरोप का खंडन कर रहा हूं। श्रीमती सिन्हा ने मुख्य रूप से ये ही बातें कहीं थीं जहां तक सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न है, वह इस मामले से सम्बद्ध नहीं है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर): मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य और उनके द्वारा दिये गये उत्तर बड़े धैर्यपूर्वक सुने। उन्होंने कहीं भी मूल्यों में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया है। हर बार सरकार इस प्रश्न से बच निकलती है इस प्रकार से मूल्य-वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। जितना अधिक आप इस प्रश्न से बचना चाहेंगे, व्यापारी लोग, मुनाफाखोर और एकाधिकारवादी लोग उतना ही अधिक दबाव सरकार पर मूल्यों में वृद्धि के लिये डालेंगे। मूल्य-वृद्धि जंगली आग की भांति बढ़ती जा रही है। यदि इसे समय रहते ही काबू नहीं किया गया तो एक दिन इसमें सब कुछ स्वाहा हो जायेगा। मैं सरकार को यह चेतावनी पहले ही दे देना चाहता हूं। इसके लिए आज ही कुछ किया जाये, क्योंकि कल होते ही समय हाथ से निकल जायेगा और वह इस कार्य के लिये उपयुक्त भी न रहेगा।

हर छठे महीने के बाद एक ऐसा ही वक्तव्य दे दिया जाता है कि स्थिति पर विचार किया जा रहा है। किन्तु उसका परिणाम क्या निकलता है? उदाहरण के लिये वनस्पति के मूल्यों को लीजिये। वनस्पति के मूल्यों में चालू वर्ष में अब तक चार बार वृद्धि हो चुकी है। सरकार भलीभांति जानती है कि साबुन बनाने वाले छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग में साबुन पर लागत बड़े साबुन उद्योगों की अपेक्षा 15 प्रतिशत कम आती है परन्तु सरकार फिर भी 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चर्बी के आयात के लिए बड़े साबुन उद्योगों को ही देती है। उपभोक्ता वस्तुओं पर क्या लागत आती है, क्या सरकार ने कभी इस बात का अध्ययन किया है? उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के लिये सरकार की क्या नीति है। कुछ भी नहीं। चाकलेट तथा बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थों पर 57 प्रतिशत लाभ होता है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

जहां तक श्रमिकों की मंजूरी का सम्बन्ध है, आजकल श्रमिकों को उस मजूरी से 47 प्रतिशत मजूरी कम मिलती है, जो उन्हें 1939 में मिलती थी, यद्यपि प्रति श्रमिक उत्पादकता में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने श्रमिकों को बदले में क्या दिया? बदले में मजदूरों को दिये गये—प्रत्यक्ष कर और मूल्यों में वृद्धि। इन समस्याओं को सरकार केवल वक्तव्य देकर नहीं सुलझा सकती। गत चार-पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत में 3.5 प्रतिशत की कमी हुई है और वनस्पति की खपत में 11 से 17 प्रतिशत की कमी हुई है और जबकि मोटरों रेफरीजेरेटरों की खपत में क्रमश: 27 प्रतिशत और 292 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर मुद्रा स्फीति आदि के कारण मूल्यों में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े दिखाये हैं वे वास्तविक स्तर से 20 प्रतिशत कम हैं। सरकारी कर्मचारी अन्तरिम सहायता के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में अखिल भारतीय रेलवे संघ के 50,000 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। सरकार ने कह दिया है कि इस बारे में वेतन आयोग निर्णय देगा किन्तु वह तो पांच छः वर्ष का समय लेगा। तब तक कर्मचारी चुप न रह सकेंगे।

जिस देश में पूंजीवादी लोग जनसाधारण को लूटने में लगे हों वहां श्रमिक वर्ग अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सरकार को कुछ कदम उठाने को बाध्य कर सकता है। अन्यथा सरकार एकाधिकारियों के दबाव में आकर वस्तुओं के मूल्य बढ़ाती रहती है।

श्री बाजपेई की यह बात सही है कि आपकी मूल्यों के बारे में कोई नीति है ही नहीं। सरकार धनी वर्ग को ऋण देती है और बेचारे उपभोक्ता को कोई राहत नहीं दी जाती है। निर्धन किसानों से सस्ते दामों पर अनाज ले लिया जाता है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक भाषण दे दिया है। उसमें कोई भी प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं उत्तर दूंगा। यह ठीक है कि मूल्यों का लोगों के जीवन से सम्बन्ध है। मूल्यों के स्तर पर विचार करते समय हमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैंने इस बारे में कारण बताये हैं। मैंने बताया है कि कपास तथा तिलहन आदि अत्यावश्यक बुनियादी वस्तुएं कम हुई हैं। इसके कारण से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। हमें इनका उत्पादन बढ़ाना होगा

माननीय सदस्य ने साबुन के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के कारण पूछे हैं। वर्ष 1966-67 में इसके मूल्य में कमी भी तो की गई थी। यह कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने की बात भी कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है परन्तु इस समय मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये। दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये गये थे। एक अन्तरिम सहायता के बारे में और एक मूल्यों में वृद्धि के बारे में। हमारा विचार था कि दोनों को जोड़ दिया जायेगा। सभी माननीय सदस्यों ने मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जाये। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The price policy of this Government is that the prices of essential commodities should increase every now and then. This has been happening during the last ten years. This should be checked. The intrinsic value of rupee has come down. It is 58 paise now. If this trend continues it will be only 50 Paise by 1975. It is having a very bad effect on the common man. Our President has said in this regard that "social stability of the country is closely linked with price stability." The money supply has increased by 630 crores of rupees. Now the money is being advanced for consumption purposes rather than for productive purposes.

The entire plan has been upset by rise in price level. The price rise has very adverse effect on the poor man. The rich people receive profit out of this and Government gives protection toem.

Government should ensure that prices of the commodities consumed by common man do not rise. In other countries it so happens that with the increase in taxes the prices come down and savings increase. In our country it is the other way round. With the increase in taxes the price go up and savings also decrease. I would like the Hon. Minister to enquire into this. I want to know whether a commission would be appointed to enquire into taxation, money supply and effect of interest rate on prices during the last twenty years. I feel it is the wrong policies of Government that are responsible for price increase. I want to know whether Government will impose a ceiling on consumption by the families, and whether a scheme would be introduced to issue import licences through auctions ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं जिन पर

विचार किया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं । यह ठीक है धन की सप्लाई में वृद्धि हुई है । हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हो रही है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमने समाज के उपेक्षित वर्गों के सुधार की दिशा में कदम उठाये हैं । अतः धन का विस्तार होना स्वभाविक ही था । इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिये । इसी बात को ध्यान में रखते हुये रिजर्व बैंक ने इस वर्ष जनवरी से ऋण पर अधिक नियन्त्रण आरम्भ कर दिया है । इसके विरुद्ध भी आवाज उठायी जाने लगी है। अतः हमें एक सन्तुलन स्थापित करना होगा । यह हमारा कर्तव्य है कि समाज के निर्धन वर्ग को कठिनाई में न पड़ने दें । अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एक स्तर पर स्थिर रखना होगा । करारोपण के बारे में एक आयोग की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय इस पर निरन्तर ध्यान रखता है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Keeping in view the income there are three types of consumers, so far as the upper class people are concerned, they are not bothered due to price rise. The lower class and middle class people are adversely affected by prise rise. I want to know whether Government will ensure to increase the purchasing power of people alongwith the prise rise.

At the time of Budget Government had stated that price line would be maintained. I want to know why this commitment has not been kept ? I would like to point out that there is a machinary to control the priccs in capitalist as well as communist countries. There are Price Control Boards in U. K. and U. S. A. In view of this I want to know whether Price Control Boards will be established in India also which should see that the prices are not raised in this manner and consumers should not have any difficulty ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मध्य वर्ग के लोगों के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह सही है । मैं इस बात से सहमत हूं कि मूल्य वृद्धि से मध्य वर्ग को अधिक परेशानी होती है क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है । मैंने पहले भी बताया था कि कर प्रस्तावों से मूल्य-वृद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

जहां तक मूल्य नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का सम्बन्ध है मैं इस विचार की निन्दा नहीं करता परन्तु जिन देशों में इस प्रकार के बोर्ड हैं, उन्हें भी मुद्रास्फीति की बुराई का सामना करना पड़ता है । इंगलैंड और अमरीका में मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि अधिक हुई है । इस लिए मूल्य नियंत्रण बोर्ड बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । वस्तुतः इस समस्या का समाधान निम्नलिखित क्षेत्रों पर निर्भर है :—

(1) कृषि उत्पादन

(2) अनाज की वसूली

(3) निर्यात नीति

(4) ऋण नीति

(5) विनियोजन नीति

अतः यदि इन क्षेत्रों में संतुलन स्थापित हो सके और यदि उपर्युक्त नीतियों को हमारी योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाए तो मूल्य वृद्धि की समस्या अपने आप हल हो जायेगी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना (पेंशन) संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 4 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 294 क में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3845/70]**

(2) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (आठवां संशोधन) विनियम, 1970 जो दिनांक 23 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 21-ङ में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3846/70]**

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 2377 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 14th July, 1970 regarding management of the Model Mills Nagpur Limited, Nagpur, under sub-section (2) of section 18A of the industries (Development and regulation) Act, 1951. **[Placed in Library. See No. LT—3847/70]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा 3 अगस्त, 1970 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 20 मई, 1970 को पास किये गये स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना विधि (संशोधन) विधेयक, 1970 से किसी संशोधन के बिना सहमत हुई।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

65 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 65 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री श्रीचंद गोयल (चंडीगढ़) : मैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1908 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

साक्ष्य

श्री श्रीचंद गोयल : मैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर तैंतीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty three minutes past fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री नम्बियर (तिरुचिरापल्लि) : दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : क्या आप इस स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने के लिये सरकार को कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना है। उन्होंने आपकी बात सुन ली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे सुन ही नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके कथन की जांच करवा सकते हैं। इस बात पर उन्हें विचार करना है।

श्री स० मों० बनर्जी (कानपुर) : पश्चिम बंगाल में विधान सभा कार्य नहीं कर रही है। अतः सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले पर वक्तव्य देना चाहिये।

क्लोदिंग फैक्टरी, अवाडी, मद्रास में 22 जुलाई से तालाबंदी है। इससे लगभग 2000 श्रमिक प्रभावित हैं। वे बेरोजगार हो गये हैं। प्रतिरक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए। इसका प्रभाव हैवी व्हीकिल्स फैक्टरी, अवाडी, मद्रास पर भी पड़ सकता है।

श्री श्रीचंद गोयल : चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होंती जा रही है । डाकघरों से चोरी की कई घटनाएं हुई हैं । संग्रहालय से दुर्लभ चित्र आदि चुरा लिये गये हैं । कल एक व्यक्ति से 15000 रुपये लूट लिये गये थे । चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता है, कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन है । सरकार ने जाधवपुर विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी, और अब दुर्गापुर में हुई घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है । यह बात ठीक नहीं है । अब समय आ गया है जब उन्हें इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए ।

संसद् के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरा:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, the Speaker, Deputy Speaker, Chairman and Deputy Chairman are the officers of Parliament. As far as I know when any of them resigns, according to former rules, facilities were being provided to them for the succeeding 15 days. This Bill seeks to provide these facilities for one month instead of 15 days. I strongly oppose this Bill. The former speaker had made this chair a spring board. According to my view no facility should be provided to them even for a single day.

With these words, I oppose this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1953 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक

CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ होगी । हम खंड 5 पर अब विचार करेंगे । इस पर श्री मंडल ने संशोधन संख्या 77 प्रस्तुत किया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री नम्बियार, श्री श्रीचन्द गोयल और श्री शिवचन्द झा ने कई महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं अपनी संशोधन संख्या 77 प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने इस संशोधन के द्वारा केवल सरकारी कर्मचारी शब्द विधेयक में रखना चाहता हूं।

श्री संजीवैया : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 77 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 77 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खंड 6 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 6 to 9 were added to the Bill

(नया खंड 9 क)

श्री शिवचन्द झा : मैं अपनी संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Deputy Speaker, Sir, my amendment seeks to abolish female contract labour. I want that clause 9-A be added after clause 9 with the following text :

"The female contract labour is hereby abolished." The clause 10 of this Bill seeks to abolish the contract labour. Any way one day we will have to abolish this exploitation. But supposing that we could not abolish the contract labour fully, all of a sudden, then at least we must abolish the female contract labour and the resulting exploitation you must make a start somewhere. With this end in view, I have introduced the amendment. This exploitation should come to an end.

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस देश में हजारों की संख्या में महिला श्रमिक काम कर रही हैं, मगर उन्हें प्रतिदिन ज्यादा हो तो आठ आना या चार आना मजूरी के रूप में मिलता है। उन्हें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। अतः यह सभी अर्थों में उचित है कि मेरे माननीय मित्र ने महिला श्रमिकों के सांविधिक श्रम को बंद करने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को कहीं भी काम पर नहीं लगाना चाहिए। उनका मतलब यह है कि सरकार को इसकी शुरूआत करनी चाहिए। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

श्री लोबो प्रभू (उदीपी) : मेरे साम्यवादी मित्र गरीब महिला श्रमिकों को रोजगार के साधनों से वंचित कराने के पक्ष में हैं। ये महिलायें मालिक के द्वारा मजबूर किये जाने पर वहां काम करने नहीं जाती बल्कि अपने आप जाती हैं। मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, India is a poor country. Here both husband and wife work on contract and earn their livelihood. We have given equal status to female. They must also have the freedom to work and earn their livelihood. I won't comply with the opinion that women should not be made to work. It will not be proper to deprive these poor women of their daily earnings. Untill there are some other agencies which may give work to these Ladies, it will be unwise to abolish this. Therefore, I oppose this amendment.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose this amendment on the ground that it seeks to take away the liberty of women to work and earn their livelihood. They must have the liberty to work and earn and thereby cultivate a sense of self-respect in their minds. To-day, more than half of the female power is lying idle. In such a situation if we try to abolish female labour, it will be quite unwarranted. Hence, I oppose the amendment.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, as far as the spirit of this amendment is concerned, I would support it because in our country our women labourers are exploited and no facilities or privileges are given to them which they deserve to get. But on the contrary, if the intention behind it is to deprive the women of their earnings, I would oppose it. My view is that women must also work along with men. They must have the liberty to work and if we try to put a ban on that, it will be undesirable. Therefore I want that the amendment should not be pressed, and that the women labourers should be given all facilities and privileges.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : श्रीमान्, महिला श्रमिक कारखानों में, बागानों में और ऐसे अन्य स्थानों में काम कर रही हैं। अत: उसको बन्द करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्हें अपनी रोजगारी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जेसे श्री नम्बियार ने कहा यह सच है उनकी मजूरी कम है। मगर जब पति और पत्नी दोनों काम करते हैं तो उनकी मजूरी से वे अधिक सुखी जीवन बिता सकते हैं। विधवाओं और अनाथ महिलाओं के लिये काम करना आवश्यक भी होता है। अगर महिलाओं का ठेके का काम बन्द कर दिया गया, तो देश में बेरोजगारी और अधिक बढ़ेगी। अत: मैं इस संशोधक को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री नम्बियार : हमारी बातें आपने ठीक तरह से नहीं समझीं। मैं चाहता हूं कि उन महिलाओं को स्थायी तौर पर काम पर नियुक्त किया जाये न कि ठेके पर।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 2 : विपक्ष में 89
Ayes 2 : Noes 89

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

खण्ड 10

संविद श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

श्री लोबो प्रभु : श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन के अन्तर्गत मैंने दो मुद्दे उठाए हैं : पहला है, क्या संविद श्रमिक विधेयक अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से उचित है और दूसरा है क्या यह तमाम श्रम के ढांचे के लिए उचित है। देश में कुल 18.9 करोड़ श्रमिक काम कर रहे हैं। इनमें दो तिहाई लोग अपना काम करने वाले हैं। करीब 31 प्रतिशत लोग भूमिहीन श्रमिक हैं और वे साल में कुल 196 दिन काम करते हैं। श्रम संख्यिकीय में दिखाया गया है कि श्रमिकों के नौ वर्ग हैं। इसके अनुसार 20 लाख श्रमिक निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अन्य 20 लाख लोगों को खास तौर पर नहीं दिखाया गया। ये संविद श्रमिक हैं और इनके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

अधिक से अधिक 40 लाख श्रमिकों को इस विधेयक से फायदा पहुंचेगा। जो पहले ही नियमित सेवा में है, उनकी संख्या इसमें से कम कर दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि करीब बीस लाख श्रमिक रेलवे, लोक निर्माण विभाग आदि में काम कर रहे हैं। मेरे अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं और यह विधेयक इन दस लाख लोगों पर लागू होता है। बम्बई में जो संविद श्रमिक हैं, उन्हें वर्षा आरम्भ होते ही काम मिलना बन्द होता है। मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि उन्हें श्रम कार्यालयों के जरिए कोई न कोई काम क्यों न दिया जाये। यह विधेयक केवल श्रमिकों के एक छोटे से वर्ग से सम्बन्ध रखता है। भूमिहीन श्रमिक को मजूरी के रूप में केवल 96 पैसा मिलता है। इस विधेयक के अनुमार संविद श्रमिक को करीब 3 से 4 रुपये तक मिलता है। इसका क्या नतीजा होगा ? अगर आप ठेकेदारों को मजबूर करते हैं कि श्रमिक को यह मजूरी दी जाए, तो वह केवल 19 लोगों को ही नियुक्त करेगा। इसको रोकने के लिये आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। आपको इस विधेयक के लागू किए जाने से जो नतीजा होगा, उस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। आप इस विधेयक के द्वारा 3.2 करोड़ श्रमिकों के हित के विरुद्ध केवल 10 लाख श्रमिकों के छोटे से एक वर्ग को लाभ पहुंचा रहे हैं। इन 3.2 करोड़ लोगों में अधिकांश हरिजन भाई हैं। अगर आप उनका भला चाहते हैं, तो भूमिहीन श्रमिकों के हित में जरूर कार्रवाई कीजिए।

दूसरे, अगर सरकार परियोजनाओं की लागत बढ़ा रही है, तो बहुत कम परियोजनायें ही स्थापित की जा सकेंगी। अत: बहुत कम लोगों को ही रोजगार मिलेगा। हो सकता है कि उन्हें ज्यादा मजूरी मिले। जैसे मेरे मित्र श्री नम्बियार ने कहा था, भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जायेगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में जल्दबाजी न करें। हमें इस सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि इस विधेयक के लागू किए जाने से हमारी आर्थिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और दूसरी बात है कि अन्य श्रमिकों के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव न किया जाए। इन शर्तों पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : श्री लोबो प्रभु के भाषण में उन कारखाना मालिकों की आवाज गूंज उठती है जो हजारों श्रमिकों की मजूरी कम कर अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे इसमें आश्चर्य नहीं। कारखानों के मजदूरों को औसत ठेके के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक

मजूरी मिलती है। संविद श्रमिक की मजूरी बढ़ा दी जाती है तो गांवों के खेतिहर मजदूरों पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। असल में खेतिहर मजदूरों में से संविद श्रमिकों को लिया जाता है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि श्रमिकों में एक विशिष्ट वर्ग बनाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि संविद श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि की जाये। अतः श्री लोबो प्रभु की दलील अनुचित है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने श्री लोबो प्रभु का भाषण सुना अगर उनकी दलील को हम स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा ? जब भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी अपेक्षा राज्य सरकारों को कम वेतन दिया जा रहा है। जब राज्य सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि उनकी अपेक्षा निगम के कर्मचारियों को कम वेतन मिल जाता है। यह क्रम इस प्रकार चलता रहेगा। अतः इस दलील से कोई काम नहीं बनेगा। आखिर हमें कहीं तो आरम्भ करना ही है, हमें कोई विधान पास करना है जिसको अन्य सभी औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में जहां कहीं भी वे कार्य कर रहे हैं, चाहे वे भूमिहीन श्रमिक हैं अथवा खेत में कार्य कर रहे हैं एक उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री डी० संजीवैया : श्री लोबो प्रभु द्वारा कही गयी बात इस दृष्टि से संगत है कि जब कभी हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें देश की सामान्य आर्थिक स्थिति अवश्य ध्यान में रखती रखनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि अन्य श्रमिक वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम इस प्रश्न को श्रमिकों के अन्य वर्गों के सन्दर्भ में लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उन वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाये जायें। कृषि श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम भी है और न्यूनतम मजूरी निर्धारित की हुई हैं। किन्तु वे बहुत कम हैं तथा उसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। इस विषय में हमें राज्य सरकारों के साथ विचार करना है कि मजूरी में वृद्धि की जाये ताकि मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सके। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 65 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 65 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill

खंड 12 ठेकेदारों को लाइसेंस देना

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 66 प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन यह है कि जब लाइसेंस की कोई शर्तें रखी जाती हैं तब उपलब्ध बेरोजगार श्रमिकों के हित और अर्थ-व्यवस्था की सामान्य स्थिति को दृष्टि में रखा जाना चाहिये। सभी श्रमिकों के लिये रोजगार बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे यहां आजकल निम्नतम मजूरी दी जाती है। किन्तु रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के कानून को पास करने से पहले राज्य का कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो श्रम कार्य कर सकता है, कार्य दिया जाये। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह न केवल कार्य के अधिकार, निम्नतम मजूरी के अधिकार आदि के विषय में निदेशक सिद्धांतों का परिपालन नहीं करती है बल्कि वह अर्थ-व्यवस्था में भी असफल होती है जिस पर कि वह देश की प्रगति के लिये निर्भर करती है।

महाराष्ट्र में उन लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये एक योजना है जो इसके लिये मांग करते हैं, मेरा सुझाव है कि उस योजना को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का सरकार आश्वासन दे। मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा हूं। मैं तो इस बात पर आग्रह कर रहा हूं कि इस देश में रोजगार के अधिकार को शीघ्र मान्यता दी जाय।

श्री डी० संजीवैया : बेरोजगारी बीमा का उपबन्ध आदर्श उपबन्ध है, यह भी एक प्रश्न है कि हम इस आदर्श को कितनी जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं चालू की गई हैं और हमें आशा है कि यदि हमें धन की कठिनाई न पड़ी तो हम इन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 66 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
Amendment No. 66 was by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत करता हूं।

यह इस बारे में एक छोटा सा संशोधन है कि अधिकारी लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने और उस पर एक महीने के अन्दर आदेश जारी करने के लिये बाध्य है, क्योंकि

ठेकेदार अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अत: बेहतर यह होगा कि निदेश यह दिया जाये कि अवेदन-पत्र एक महीने के अन्दर निपटाया जाये।

श्री डी० संजिवैया : हम सदैव कार्यकारी निदेश के माध्यम से ऐसा करा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 67 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 67 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : समुचित सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मनोनीत किये गये किसी व्यक्ति के बजाय अपीलीय अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसे जिला न्यायाधीशों या इसी पद और दर्जे के अन्य न्यायिक कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाये, क्योंकि न्यायिक कार्य हमेशा न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। कल्पना कीजिये कि किसी विशेष स्थापना का गलत ढंग से रजिट्रीकरण किया जाता हैं या इसे किसी ठोस आधार पर रजिष्ट्रीकरण करने से इन्कार किया जाता है, तो यदि मामले का निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो कोई विधिज्ञ न हो, जिसे कोई न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त न हो या जिसे कोई विधि सम्बन्धी जानकारी न हो, तो वह कोई न्यायिक, निष्पक्ष या तटस्थ विचार व्यक्त नहीं कर सकता है लेकिन उस पर सरकार के विचारों का प्रभाव पड़ सकता है। जिन व्यक्तियों के धारा 7-क, 12 और 14 के अन्तर्गत असन्तुष्ट होने की सम्भावना है उन सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये बेहतर है कि उनके मामले ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्णीत किये जाएं जिनकी निष्ठा और क्षमता के बारे में कोई सन्देह न हो।

Shri Om Prakash Tyagi : In a democratic form of Government, every body has the right to get justice and this justice should be beyond doubt. A provision has been made in this Bill that if a labourer feels aggrieved and he thinks that injustice has been done to him, he can go to an appellate authority, appointed by the Government to seek justice. Now he may or may not get justice from such an authority, who has been appointed by the Government because the entire Government machinary is corrupt. The maximum corruption is in the contract system, There is corruption, malpractice and bribery from top to bottom. In C. P. W. D. and in all other offices, this is the order of the day. Therefore, I request the Hon. Minister to substitute "judicial person" in place of "person".

श्री लोबो प्रभु : यदि एक न्यायिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास हो जायेगा ।

श्री डी० संजिवैया : इस मामले में, खण्ड 15 के अन्तर्गत जब किसी पंजीकरण अथवा लाइसेंस को रद्द किया जाता है तो सम्बन्धित संस्थापन अथवा ठेकेदार अपील करता है । यहां इसमें श्रमिक के किसी हित का प्रश्न नहीं है । दूसरा, यदि एक न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो संपूर्ण सामान्य प्रक्रिया सामने आयेगी । सम्भवत: यह लम्बी बात हो जायेगी । और इससे मामलों को निपटाने में देरी होगी और हम शीघ्र निर्णय चाहते हैं । इन सभी मामलों में हमें यह देखना होगा कि 'सक्षम अधिकारी' की नियुक्ति की जाये । अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इन संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करूं ?

श्री लोबो प्रभु : जी, नहीं पृथक-पृथक प्रस्तुत कीजिये । हम मत विभाजन के लिये कह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया

Amendment No. 12 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 19 : विपक्ष में 93

Ayes 19 : Noes 93

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 और 68 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendment Nos. 49 and 68 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 78 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

Shri Shiva Chandra Jha : This clause is concerned with the welfare and health of contract labourer. They talk of welfare activities for an establishment where in there are one hundred or more contract labourers. This provision is not good, especially when this contract

Act is made applicable to a establishment where 20 labourers work. Therefore, I want that "fifty" should be substituted for "one hundred".

Shri Om Prakash Tyagi : The provision of opening a canteen in establishments which have a minimum of 100 labourers is not justified. Why should not a canteen be started on the strength of 25 workers ? I want that "twenty five" should be substituted for 'one hundred'.

श्री बि० प्र० मंडल : यह बात बड़ी उचित है कि किसी संस्थान में पचास से अधिक कर्मचारी हो जायें, तो ठेकेदार को कैंटीन की व्यवस्था करनी चाहिये, खाने-पीने की व्यवस्था न हो तो कर्मचारी अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। 100 की संख्या बहुत ज्यादा है, 50 की संख्या होने पर कैंटीन की सुविधा होनी चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह बड़ी महत्वपूर्ण सुविधा है। श्रम मंत्री श्रमिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए और यह व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि कर्मचारियों की संख्या 50 है, तो उन के लिये कैंटीन का प्रबन्ध कर देना चाहिये।

श्री डी० संजीवैया : कैंटीन के मामले में 100 की संख्या निर्धारित की गई है।

विश्राम गृह और पीने के पानी की व्यवस्था तो यदि संख्या 21 भी हुई तो हो जायेगी, कैंटीन के मामले में यह भी बात है कि कैंटीन में श्रमिक बहुत कम जाते हैं। अतः 100 की संख्या ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25, 50, और 78 मतदान के लिये रक्खे गये तथा अस्वीकृत हुये,

Amendment Nos. 25,50 and 78 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 17

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill

खण्ड 18--(अन्य सुविधायें)

श्री लोबो प्रभु : में अपना संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं।

यदि ठेकेदार के पास बहुत कम श्रमिक हैं तो वह ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता, आपने खण्ड 16 में उपबन्ध किया है कि संख्या 100 होनी चाहिये। इन सुविधाओं के संबंध में संख्या कम से कम 50 होनी चाहिये, अन्यथा ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करना अवास्तविक होगा।

श्री डी० संजीवैया : संख्या निर्धारित नहीं की जानी चाहिये, यदि संख्या 21 है तो इसे लागू किया जाना चाहिये, लेकिन जहां तक इस बात का सम्बंध है कि कितनी कैंटीने, शौचालय आदि होनी चाहिये, उनका निर्धारण उन नियमों के अनुसार होना चाहिये जो खण्ड 35 के अन्तर्गत बनाये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70 मतदान के लिये रक्खा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 70 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये,

Clause 19 and 20 were then added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 21 पर आते हैं।

खण्ड 21

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to the Bill

खण्ड 22 तब विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was then added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 23 पर आते हैं।

खण्ड 23

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha : The provision of 3 months' imprisonment and a fine upto one thousand rupees has been made. This fine of one thousand rupees is not deterrent enough. Provision should be made for 6 months rigorous imprisonment.

श्री डी० संजीवैया : अधिकांश श्रमिक अधिनियमों में तीन महीने की अवधि ही निर्धारित की गई है। जुर्माने के संबंध में जो उपबन्ध किये गये हैं। वह काफी कठोर हैं। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 और 51 मतदान के लिये रक्खे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 26 and 51 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया।

Clause 23 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 24 पर आते हैं ।

खण्ड 24

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं ।

The term of imprisonment upto three months being provided should be increased to 6 months.

श्री डी० संजीवैया : हम खण्ड 24 पर हैं । वह खण्ड 23 के बारे में बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 मतदान के लिये रक्खा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 27 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 25 पर आते हैं ।

खण्ड 25

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिये रक्खा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 28 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 25 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 26 पर आते हैं ।

खण्ड 26

श्री श्रीचन्द्र गोयल : में अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोधन संख्या 52 और 53 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मेरी समझ में नहीं आता कि सारी बात निरीक्षक के स्वविवेक पर क्यों छोड़ दी गई है, यदि निरीक्षक बईमान हो अथवा कार्य शील न हो तो इस अधिनियम के आधीन कार्य बिल्कुल नहीं हो सकेगा ।

इसीलिये, मैंने कहा है कि मान्यता प्राप्त कार्मिक संधों के पदाधिकारियों को इन शिकयातों को दायर करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : शिकायत करने के लिये आप इस अधिनियम के अन्तर्गत एक निरीक्षक को क्यों नियुक्त करना चाहते हैं ।

निरीक्षक तथा अपराधी के बीच सांठ गांठ हो जाने की पूरी संभावना है । इसीलिये श्रमिक को न्याय नहीं मिल पायेगा, श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कार्मिक संघ को यह अधिकार मिलना चाहिये न कि निरीक्षक को ।

श्री डी० संजीवैया : इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षक को स्थापना के किसी भी स्थान, या ठेकेदार के कार्यालय में प्रवेश करने निरीक्षण करने और रिकार्ड आदि पकड़ने का अधिकार है । वह श्रमिकों के नेता या श्रमिकों, जिनकी कि इन रिकार्डों तक पहुंच नहीं होती, की अपेक्षा न्यायालय में मामले को सिद्ध करने के संबन्ध में अधिक अच्छी स्थिति में होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13, 52 और 53 मतदान के लिये रक्खे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 13, 52 and 53 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 26 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26 was added to the Bill

खण्ड 27

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मैं अपने संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि शिकायत करने की तीन महीने की अवधि को 6 महीने कर दिया जाये

श्री डी० संजीवैया : अधिक समय दिये जाने पर जटिलता पैदा होने की सम्भावना है । तीन महीने की अवधि काफी है ।

उपाअध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 और 15 मतदान के लिये रक्खे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 14 and 15 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 27 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 27 was added to the Bill

खण्ड 28 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 28 to 30 were added to the Bill

खण्ड 31

श्री श्रीचंद गोयल : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस खंड का उद्देश्य कतिपय प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के सीमा-क्षेत्र से छूट देने के अधिकार के बारे में है, इस समय यह अधिकार सरकार के पास है जो इसका प्रयोग मनमाने ढंग से करती है । मेरा सुझाव यह है खण्ड में "यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा सुविधाजनक हो" शब्दों के स्थान पर "आपातकालीन अथवा असाधारण स्थिति में" शब्द रखे जायें । आखिर जब सरकार कतिपय प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के सीमाक्षेत्र से निकालना चाहती है तो इसके लिये कुछ बैध कारण होने चाहियें । यदि ऐसा न होगा तो सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है और राज्य सरकार इस अधिनियम के सीमा-क्षेत्र से कतिपय प्रतिष्ठानों को अलग कर देगी ।

Shri Om Prakash Tyagi: This clause gives so much power in the hands of Government that it can take away the benefits by only a notification. I do not think it a correct way to entrust so much power to the Government. It will not be in the interest of workers as well as to the Government. The sentence "in any extra ordinary sitiuation" must be there.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा था कि ठेके पर मजदूरों को रखने की प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त किया जायेगा परन्तु तब तक यह व्यवस्था वहां विद्यमान रहेगी । कल हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि स्थानीय सरकारों को भी इस विधेयक के अधीन किसी भी प्रतिष्ठान को अपनी इच्छानुसार न लाने का अधिकार है । 35 या 36 वर्ष पूर्व ह्विटले आयोग ने यह सुझाव दिया था कि ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त किया जाये । तब से सरकार इस दिशा में धीमी गति से चल रही है । यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार यहां तक आयी है परन्तु फिर भी ठेके पर मजदूर रखने की बुराइयां विद्यमान हैं । इन बुराइयों को दूर करने के लिये कई खण्डों की व्यवस्था की गई है परन्तु यह एक ऐसा खण्ड लाया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को ठेकेदार अथवा मालिक पर इस बात की कृपा करने का अवसर मिलेगा कि वह उनके प्रतिष्ठान को इसके सीमाक्षेत्र से अलग कर सकती है । इस मामले में यह एक खतरनाक उपबंध हैं । हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में ऐसे उपबंध की आवश्यकता है । परन्तु स्थानीय सरकार को पूर्ण विवेकाधिकार क्यों दिया जाना चाहिए । वह इसको राजपत्र में प्रकाशित करा सकती है । परन्तु बहुत ही कम व्यक्ति उसको पढ़ते हैं तथा विशेषकर उसको कर्मचारी नहीं पढ़ पाते हैं । तो ऐसी स्थिति में क्या कोई शर्त होनी आवश्यक नहीं है । संयुक्त

समिति, मंत्री महोदय आदि ने स्थानीय सरकारों को यह विशेष अधिकार देने का वही तर्क दिया है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्थानीय सरकारें पहले के समान नहीं रही हैं जब कि वहां के अधिकारी इंडियन सिविल सर्विस के लोग होते थे। अब राज्य सरकारें बेईमान मालिकों का पक्ष ले सकती हैं।

हम राज्य सरकारों को यह अधिकार देने को तैयार हैं परन्तु यह सशर्त होना चाहिए। मेरे माननीय मित्र ने आयात स्थिति अथवा असाधारण स्थिति का नाम लिया है। वे कम से कम एक शर्त अवश्य लगायें ताकि उन राजनीतिज्ञयों पर नियंत्रण रहे जो राज्य सरकारें चलाते हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस सम्पूर्ण खंड का विरोध करता हूं। इस सम्बन्ध में दो खण्ड यथा खण्ड 10 और खण्ड 31 हैं। खण्ड 10 में तो ठेका प्रणाली को समाप्त करने की व्यवस्था है और खण्ड 31 में इसे पूर्ण छूट मिली हुई है।

सम्बन्धित सरकार केन्द्रीय बोर्ड अथवा स्टेट बोर्ड के परामर्श से ठेके पर मजदूर रखने की प्रणाली को हटा सकती है परन्तु खण्ड 31 इस अधिकार को श्रमिकों से छीन लेता है। अतएव दाहिने हाथ से जो दिया जाता है उसको बायें हाथ से ले लिया जाता है, श्रमिक को दिया गया अधिकार तो बहुत कम है परन्तु उससे यह छीन ले जाने का अधिकार तो बहुत बड़ा है। इन शब्दों को देखने से यह पता चलता है कि सरकार ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहती। सरकार आपात स्थिति का हवाला देती है परन्तु ऐसी स्थिति में तो सरकार को अथवा राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

खण्ड 31 को सुविधापूर्वक हटाया जा सकता हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। मैं इससे सहमत हूं। यदि उनका ऐसा ही उद्देश्य है तो खण्ड 31 को वहां से हटा दिया जाये, जहां तक खण्डों की पुनः संख्यांकन का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में श्री गोयल के संशोधन को स्वीकार करता हूं कि जो कुछ दाहिने हाथ से दिया जाता है उसे बायें हाथ से नहीं लेना चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : वास्तव में यदि यह धारा विद्यमान रहेगी तो समूचा अधिनियम निरर्थक हो जाता है। आप जानते हैं कि आज राज्यों में ठेकेदार वहां की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। चुनाव के दिनों में उनकी जो भूमिका होती है उसके बारे में जो कुछ कहा जाय कम है। राज्य सरकारें इस अधिकार का सदुपयोग करने के स्थान पर इसका दुरुपयोग करेंगी। मेरा यह कहना है कि उनको ऐसा लोभ या आकर्षण नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि कम से कम 'आपात' शब्द को स्वीकार किया जाये।

श्री डी० संजीवैया : इस खंड को बनाते समय हमने यह विचार किया था कि इसके द्वारा राज्यों को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। मैंने यह विचार किया था कि आपात स्थिति या असाधारण परिस्थितियों में उत्तरदायी सरकारें इस अधिकार का समुचित प्रयोग करेंगी। परन्तु इस सभा के रुख को देखकर मैं यह शब्द "आपात स्थिति में" स्वीकार करना चाहूंगा। यदि मुझे इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये तो मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 15 पंक्ति 5 और 6 में—

(यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा सुविधाजनक हो) शब्दों के स्थान पर (आपात कालीन स्थिति में) शब्द रखे जायें ।

"If in its opinion it is necessary or expedient so to do."

"in the case of an emergency."

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय के संशोधन को देखते हुए श्री गोयल अपना संशोधन वापिस लेगें ?

श्री श्रीचन्द गोयल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

संशोधन संख्या 16 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment No. 16 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब मंत्री महोदय का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 15, पंक्ति 5 और 6 में—

"if in its opinion it is necessary or expedient so to do."

(यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा सुविधाजनक हो) शब्दों के स्थान पर "in the case of an emergency" (आपातकालीन स्थिति में) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं सभा से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 54 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment No. 54 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 31, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 31 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 31 was added to the Bill

खंड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 32 to 34 were added to the Bill

खंड 35 नियम बनाने का अधिकार

श्री हेम राज : मैं अपना संशोधन संख्या 72 वापिस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 35 was added to the Bill

खण्ड 1

श्री डी० संजीवैया : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में,—

"1969" **के स्थान पर** "1970" रखा जाये।

(2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 7 और 8,—

except the state of Jammu and Kashmir (जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर) शब्द हटा दिये जायें।

(3)

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं संशोधन संख्या 6,7,8,9,10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 29 और 32 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोधन संख्या 37,38,40 और 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 56,57,58 और 59 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह वर्तमान विधेयक ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए है जहां 20 व्यक्ति कार्य करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि यह संख्या कम करके 10 व्यक्ति तक कर दी जाये। ऐसे बहुत से लघु उद्योग हैं जहां कम व्यक्ति काम पर रखे जाते हैं। ठेके पर श्रमिक रखने की प्रथा में कई बुराइयां हैं, ये तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक हम ऐसे प्रतिष्ठानों को भी इस विधेयक की सीमा में नहीं लायेंगे जहां 10 व्यक्ति काम पर रखे जाते हैं। अतएव मेरा सुझाव यह है कि इन तीन संशोधनों को स्वीकार किया जाये।

प्रवर समिति के समक्ष जितने भी मजदूर संघों में प्रतिनिधि आये थे, उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि इस विधेयक के अन्तर्गत उन प्रतिष्ठानों अथवा मालिकों को भी लाना चाहिए जो कि 10 व्यक्ति काम पर रखते हैं। मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया है कि चूंकि कारखाना अधिनियम में यह संख्या 20 है अतएव यहां भी सुविधानुसार यह संख्या 20 रखी गयी है, परन्तु कारखाना अधिनियम काफी वर्ष पुराने हैं तथा उस समय परिस्थितियां भी भिन्न थीं, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करेंगे तथा व्यक्तियों की संख्या 20 के स्थान पर 10 रखने के लिए सहमत हो जायेंगे।

Shri Shiv Chandra Jha : This legislation is meant for those establishments and contractors who employ more than twenty persons. Demands are being made to reduce this number to ten. If the intention of the Government is to establish a welfare State then why not bring more persons under the purview of this Act? If the Government intends to abolish this contract system, why do they not accept this amendment purporting to reduce the number to ten?

The clause 1(5)A says that this Bill will not apply to those establishments where the nature of the work is of Entertainment or casual so my amendment number 20 is for replacing the word 'not' by 'also'. In the explanation it has been said that if the entertainment period in an establishment is more than 120 days in a year then the Act will apply to it. My amendment number 21 is to reduce the number of days to 60 so that the Act may become meaningful.

श्री नम्बियार : मेरे तीन संशोधन हैं, पहला कि 20 की संख्या को कम करके 10 कर दिया जाये, उप खंड (5), जो कि संयुक्त समिति ने संशोधित किया था, इस खंड में कोई सुधार नहीं करता है ।

प्रश्न यह है कि यदि कोई कार्य नैमित्तिक स्वरूप का है तो मालिक मजदूरों को काम पर रखकर उनको वेतन दे सकता है । इसमें ठेकेदार को बीच में क्यों आना चाहिए ? उदाहरण के तौर पर एक चीनी मिल है, जब गन्ना उपलब्ध होता है तो इसको पेरने के लिए आदमियों को रखा जाता है । जब इसका मौसम नहीं रहता है तो उस समय कोई कार्य नहीं होता है, अतएव मालिक उन्हें 6 महीने के लिये कार्य पर रखकर वेतन देता है । परन्तु आप ठेकेदार को यहां बीच में कैसे लाते हैं ? चाहे वह नैमित्तिक कार्य हो या अन्य कार्य हो, मजदूर को ठेकेदार अथवा किसी मालिक के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है, परन्तु आप ठेकेदार को क्यों लाते हैं । उससे मजदूरों को कम वेतन मिलता है ।

अतएव नैमित्तिक कार्य के अन्तर्गत यह और भी आवश्यक हो जाता है कि बिचौलियों को हटाया जाये, अतएव यह खंड, संयुक्त समिति द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, स्थिति को नहीं सुधारता है अपितु यह इसको वैध बनाता है, आप क्यों नहीं 5 (क) को हटाते हैं ? इससे श्रमिकों में यह भावना आयेगी कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है, आप "विरामी या नैमित्तिक स्वरूप" की शर्त न रखिये । यह समस्त स्थिति को अस्पष्ट कर देगा और ठेकेदार को श्रमिक को मिलने वाले लाभ को हड़पने का मौका मिलेगा, आप कृपया इस ठेकेदार "शब्द" को यहां से निकालिये, हम उन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 99.9 प्रतिशत हैं न कि उनका जो 0.1 प्रतिशत है ।

Shri Om Prakash Tyagi: According to the hon. Minister the Bill will apply in that case where the minimum number, of workers is 20. By doing this you have provided such a loophole that workers would not be benefited at all by this. I want to ask why it is not applied in those cases where the number is less than 20. After all, they are also human beings. I agree with this point that the number should be 10. In the explanation it has been said that if the work was performed for more than one hundred and twenty days then the Bill will be applicable. This sort of thing is injustice to the workers. This period should be reduced to one month so that the workers may be benefited from it. I thank you for having introduced this Bill but be liberal in giving benefits to workers.

श्री लोबो प्रभु : हम सबका यह प्रयत्न रहा है कि श्रमिक के हितों की रक्षा की जाए, यदि आपका विचार श्रमिकों की संख्या 20 से 10 करने को है तो आपको इसके साथ आने वाली जटिलताओं की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, यदि इसको अत्यधिक जटिल बना दिया जाये तो क्या आप इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं ? यदि आप इस पहलू पर विचार न करें तो इससे समूचा अधिनियम निरर्थक बन जायेगा ।

मैं अब ठेकेदारों की बात कहूंगा । ऐसा सोचा जाता है कि प्रत्येक ठेकेदार अमीर होता है, यदि आप ठेके के लिए आमंत्रित करते हैं तो टेंडर देने वालों की संख्या 10 से 20 होगी तथा उनमें भी भारी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ न्यून रह जाता है, आप इस तथ्य को ध्यान में रखिये।

अब मैं अपने एक महत्वपूर्ण संशोधन पर कहूंगा, 20 श्रमिकों की संख्या के बारे में "गत वर्ष के किसी दिन भी" वाक्य का प्रयोग हुआ है, इसके स्थान पर "औसत बीस" रखा जाये। इसका कारण यह है कि ठेकेदार किसी एक दिन 20 से अधिक श्रमिक रखता है तो अन्य दिनों वह 5 अथवा 10 श्रमिकों को रख सकता है, यह एक बड़ा उचित संशोधन है कि यह औसत 20 श्रमिक होना चाहिए, क्योंकि यदि यह अधिनियम सफल होता है और यदि अधिक ठेकेदार और अधिक श्रमिक होते हैं तो इससे सरकार के लिये कोई कठिनाई उत्पन्न न होगी परन्तु इसको इस प्रकार आरम्भ न करिये जिससे समूचा अधिनियम निरर्थक बन जाए, मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं इतना ही कहूंगा कि अधिनियम इस प्रकार होना चाहिए जिससे श्रमिक लाभान्वित हो सकें ।

श्री डी० संजीवैया : कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्तियों की संख्या को 20 से घटाकर 10 करने के बारे में संशोधन पेश किया है । श्री लोबो प्रभु ने इसका बहुत अच्छी प्रकार से उत्तर दे दिया है । इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् इसकी कार्यान्विति उचित रूप में है इसका महत्व बहुत अधिक है । यदि कम सदस्य रहेंगे तो काम देर से होगा इसलिये यह उचित ही है कि हम 20 व्यक्ति रखें । अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नम्बियार के संशोधन का आशय खण्ड 1 के उपखण्ड (5) को समाप्त करना है । वास्तव में यह खण्ड संयुक्त समिति के सुझाव पर रखा गया था । मेरे विचार में इसे बनाये रखा जाना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह स्वयं श्रम सचिव रहे हैं और जानते हैं कि किसी कारखाने में 20 कर्मचारी होने पर फैक्टरी एक्ट स्वयं लागू हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 और 3 जो कि श्री संजीवैया के हैं, मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में

"1969" के स्थान पर "1970 रख दिया जाये" (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"पृष्ठ 1, पंक्तियां 7 और 8 में

"except the State of Jammu and Kashmir"

[जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़कर] शब्द हटा दिये जायें । (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अन्य संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "Twentieth" ["बीसवां"] के स्थान "Twenty-first" ["इक्कीसवां"] रखा जाये ।

(श्री डी० संजीवैया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं । इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के नाम में से विनियमन शब्द हटा दिया जाय और विधेयक का नाम केवल संविद श्रम उत्सादन विधेयक रहने दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill

श्री डी० संजीवैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

दिल्ली दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक
DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित किया गया था । इसके अन्तर्गत दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों में लगे व्यक्तियों के कार्य के घन्टों, मजूरी के भुगतान, छुट्टियों के देने तथा सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन है । इसे दिल्ली प्रशासन के द्वारा समूचे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू किया गया है । मई, 1961 में संसद् ने इस अधिनियम का संशोधन किया था ।

अधिनियम के लागू किये जाने में कुछ कठिनाइयां महसूस हुई हैं । इस विधेयक के द्वारा उन्हें समाप्त करने का विचार है । विधेयक में दिये गये संशोधनों का महानगर परिषद् तथा कार्यकारी परिषद ने भी अनुमोदन कर दिया है ।

मैं संक्षेप में इस विधेयक के बारे में बताऊंगा इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि कमीशन लेकर काम करने वाले नियुक्त व्यक्तियों और प्रशिक्षुओं पर भी यह अधिनियम लागू हो । मजूरी के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में एक कर्मचारी की ओर से कार्मिक संघ का एक अधिकारी दावे का आवेदन कर सकेगा । दावा दायर करने की अवधि भी बढ़ाकर 12 महीने की जा रही है । अब सेवा की अवधि के अनुपात में नैमित्तिक छुट्टी की भी व्यवस्था की जा रही है ।

इस प्रकार यह एक साधारण विधेयक है । मैं इस पर विचार करने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को विचार करने के लिये सौंपा जाये ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : दिल्ली दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1954 में पारित हुआ था और तभी से यह लागू है ।

अब इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न दुकानों तथा स्थापनाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। इस कानून के कार्यान्वियन से तीन पक्षों का सम्बन्ध है। एक है कर्मचारी, दूसरे है व्यापारी और तीसरे है सामान्य जनता। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि दिल्ली महानगर परिषद ने इसका अनुमोदन कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त तीन पक्षों की राय भी जान ली गई है ?

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal in the Chair]

यह अच्छा होता यदि सरकार इस क़ानून द्वारा प्रभावित होने वाले लोगों की सलाह लेती। इस अधिनियम के सम्बन्ध में जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें 'वाणिज्यिक स्थापना' शब्द कहा गया है। अब इसका एक बड़ा अर्थ लिया जा सकता है। अब सरकार इसकी आड़ में किसी छोटी बड़ी दुकान को इस कानून के अन्तर्गत ला सकती है। इससे उन दुकानदारों को बहुत कठिनाई होगी।

यह अच्छा होगा यदि यह कानून उन स्थापनाओं पर लागू किया जाये जहां नियमित रूप से कर्मचारी रखे गये हों। अतः मेरा अनुरोध है कि छोटी दुकानों को इस कानून के अन्तर्गत न लाया जाये। इसको प्रशिक्षुओं के मामले में भी लागू किया जा रहा है हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह लोग कार्य सीखने के लिये दुकानों आदि में आते हैं। अब जब ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो दुकानों के मालिक कम से कम प्रशिक्षु अपने ही रखेंगे। कानून की ऐसी शर्तें उसके सम्बन्ध में नहीं लागू की जानी चाहिएं।

कुछ कर्मचारी कमीशन के आधार पर कार्य करते हैं। वे नियमित कर्मचारी नहीं माने जा सकते। क्या उन्हें भी इस कानून के अन्तर्गत लाया जायेगा ? इससे अनेक कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी। फिर कई वाणिज्यिक स्थापनाओं के अन्य स्थानों पर अपने कमीशन एजेन्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस कानून के अन्तर्गत लाना भी मुश्किल होगा।

इस विधेयक के द्वारा एक और बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। वह दुकान आदि के बन्द करने के दिनों के बारे में है। पहले तो दुकानदार अपनी सुविधा के अनुसार दुकान बन्द रख सकते थे, अब सरकार को अधिकार मिल जायेगा और यह दुकानदारों को जिस दिन चाहेगी उसी दिन दुकान बन्द करने को बाध्य करेगी। इससे जनसाधारण को बहुत कठिनाई होगी। अत: मेरा अनुरोध है कि दुकानें बन्द करने की वर्तमान प्रणाली को बनाये रखा जाये।

हम मजदूरों और कर्मचारियों को अधिकाधिक सुविधाएं दिये जाने के पक्ष में हैं। अब इस विधेयक में छुट्टी आदि के बारे में प्रावधान किया जा रहा है। दुकानों के कर्मचारियों की सेवा निवृति के बाद उन्हें पेंशन मिलनी चाहिये। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (Khargon) : I support this Bill. The big shop keepers employ a large number of employees on very small salary. The employees are required to work for long hours. Now Government has brought forward this Bill to curb the excesses of big shop keepers. It is a good Bill. I know that in certain clubs of Delhi, poor workers are required to work late at

night. The big people who go there do not care for the small employees. They are not allowed to form a union even. Steps should be taken to safeguard their interests.

I request that those categories of employees who are not covered by this Bill should also be brought under it. The domestic servants have to work from early morning to night. But they are not paid their due. An Act should be passed in this regard also.

There are certain people who work with political organisation, who are not paid regularly. This should be looked into. I feel that the casc of these people should also be considered.

I want to mention some difficulties of workers. They work from morning to evening. They are appointed on a small commission. They are also members of society. They should be allowed to lead a decent life. All these people should be brought under this Bill.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): I welcome this progressive Bill. I thank the Delhi Administration for having shown sympathy to the workers through this Bill. The Delhi Administration has sent so many other good Bills also and I request that they may also be passed.

It is not only in Delhi but in many big cities of India that the working conditions of shop workers are very deplorable. The Act of 1954 had brought some relief. Then it was found that there were certain defects in that Act. Now they are being removed.

It is the duty of Government to see that shops work according to certain norms. It is very good that certain more categories of employees are also being brought under the purview of this Act.

I want to inform the hon. Members that Delhi Administration had consultations in detail with concerned people before this Bill was passed by Metropolitan Council.

Now under this law the opening and closing of shops would also be regulated. The shop keepers would be compelled to lead a decent life. Now they will find time to go to religious places.

It is a matter of gratification that it is being made applicable on apprentices also. Now these poor people are being exploited. The Delhi Administration had received complaints in this regard.

It has been suggested that domestic servants should also be brought under this Bill. Shri Shashi Bhushan has said something about R. S. S. shakhas. I want to know how far is it justified to engage casual labour for welcoming a personality and shouting slogans. They should also be looked after. I support this Bill.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): I welcome this Bill. We must admit that there are two views in regard to labour problems in our country. We must realise this fact. This piecemeal legislation is not going to solve the problem of labourers.

But the position is that the domestic servants are not being paid their salaries. If they form their union, then these servants belonging to the Union are termed quarrelsome and they do not get jobs. Otherwise, they are treated very badly. So, there is no way out except that either their Union should fight for them or the Government should frame some rules for them.

Then there are a number of immoral trades going on in the country. There are nude dances in the Hotels and our leaders and high officers enjoy these dances. Poor people have no approach to these places.

Thus the law makers are themself the law breakers and the laws are made perhaps only to be breached. There are certain prohibition days but every where the wine is sold. No body cares for the law. So, what is the need of making such laws which are not abided by?

No doubt it is a good thing that the Government propose to make amendment in this Act so as to cover these domestic servants also. But laws should also be made for lakhs of our poor porters, bearers and labourers of this category. It is a curse that even after 22 years of our independence people are forced to work as jamadars or coolies etc. Let every body work for himself as is done in Europe. But how can it be done in India where the poor workers are sucked and badly exploited by the richer classes for their own monetary ends. Thus the rich are growing richer and richer by exploiting the poor class. That is why we Communists do not consider them human beings. But still Shri Tyagi is the admirer of the Birla, Tata, Dalmias and Singhanias and he abuses the Naxalites.

Our demand is that there should be basic changes in the country, and this exploitation by the richer should be no more. Little changes or laws will not do. Let there be a comprehensive Bill to safeguard the interest of the poor ill-fated and the aggrieved labour, and also there should be firm hand to get such a law implemented. These laws cannot be implemented in bureaucratic way. The bureaucrats will not be able to get these laws executed, they would rather find avenues for extra income. So, we do not object to what the Government has brought here but we want that the scope of this Act should be broadened and the domestic servants as well as other labour should also be covered there under and they should be allowed to have their unions. The Government have provided that this Act would be effective to those concerns who have 10 permanent employees. But these concerns do not make their employees permanent and keep them temporary only. They also do not keep their record in the office. So, we demand that the Government should bring forward a comprehensive legislation and also take effective steps to implement that legislation purposefully. This would help a lot in bringing about Socialism in the country.

Shri Mohd. Ismail (Barrakpore) : Mr. Chairman, Sir, Experience shows that wherever this Act was made effective, the corruption started from that very place. The Chief Inspectors and the Inspectors are paid some amount on monthly basis by the owners of the shops or establishments and there after they behave with their workers in the way they chose. Secondly, although this Act provides for certain safeguards and benefits to the domestic servants and other workers in the shops, hotels, and other establishments, but there is no Act for the private drivers truck drivers and truck coolies who are lakhs in number. They are deprived of their salaries and holidays and also they are treated inhumanly. Besides that, the condition of domestic servants and maid servants is very deplorable and they are being treated like slaves even after 22 years of our Independence. They are beaten up, kicked away from the job and not given their salaries. The Delhi Administration has done nothing for them.

Mr. Chairman : You please continue your speech tomorrow. Now it is 5-30 P. M., and we will take up a half-an-hour discussion.

*अयस्क के निर्यात के लिये जापान से करार

**CONTRACT WITH JAPAN FOR ORE EXPORT

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर): श्रीमान क्योंकि मुझे अपने 17 अप्रैल, 1970 वाले अल्प सूचना प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं मिला था इसलिये मैंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर यह आधे घण्टे की चर्चा यहां आरम्भ की है।

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half an hour discussion.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अगले 10 वर्षों में अर्थात वर्ष 1980 तक जापान को 710 लाख टन अयस्क एक निश्चित दर पर सप्लाई करने का करार किया गया है। लौह अयस्क के निर्यात के बारे में यह एक बहुत ही बड़ा करार है परन्तु यदि हम इस करार की शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता लगता है कि इस करार से जापान को ही लाभ होगा हमें नहीं। हमने 180 लाख टन अयस्क वर्ष 1974 तक सप्लाई करना है तथा शेष बड़ी मात्रा उससे अगले 6 वर्षों में। क्या यह व्यापारिक दृष्टि से न्यायोचित है या लाभ प्रद है कि आज के मूल्य पर हम वर्ष 1974 के बाद अपना माल बेचें ?

दूसरे उक्त निगम ने जो आंकड़े दिये हैं उनमें यह नहीं बताया गया कि किन मूल्यों पर अयस्क सप्लाई की जायेगी यद्यपि इन आंकड़ों से हिसाब लगा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा का मूल्य 535 करोड़ रुपये होगा तथा इस प्रकार प्रतिटन मूल्य 74 रुपये होगा और इस समय मूल्य 94 रुपये प्रतिटन हैं। इस प्रकार हम 10 वर्ष की लम्बी अवधि तक यह अयस्क कम मूल्यों पर सप्लाई करेंगे। क्या ऐसे ही व्यापार होता है ? ऐसा क्यों किया गया है।

तीसरे, हमने इस सम्बन्ध में मांग, सप्लाई तथा मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा है। लोह अयस्क की मांग बढ़ती जा रही है और जापान को ही 800 लाख टन अयस्क की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। अगले दस वर्षों में उनका इस्पात उत्पादन बढ़ेगा और इसी प्रकार उनकी लोह अयस्क की मांग भी बढ़ेगी तथा शायद 1500 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। अतः मांग में वृद्धि की संभावना को देखते हुए भी क्या अग्रिम वायदे करना बुद्धिमानी है ? साथ ही अन्य देशों में भी यह मांग बढ़ती ही जा रही है। मैं जानना चाहता हूं किस आधार पर सरकार ने यह इतना बड़ा और इतनी लम्बी अवधि का करार किया।

एक बात यह भी है कि लोह अयस्क इस्पात के लिये आधार भूत सामग्री है तथा इस्पात की सप्लाई कम है। गत 8 महीनों में इस्पात के मूल्यों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा और भी वृद्धि होगी इनके फलस्वरूप आधारभूत कच्चे माल के मूल्यों में भी वृद्धि होगी परन्तु सरकार ने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा जबकि इस्पात का मूल्य बढ़ रहा है हम विश्व मण्डी के मूल्यों से कम मूल्यों पर बेच रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि इस माल की लागत भाड़ा बीमा पर भेजने का करार किया गया है जिससे कि हमारे लिये और अधिक उत्तरदायित्व और खतरे की सम्भावना रहती है। ऐसा क्यों किया गया मंत्री महोदय इसका उत्तर स्पष्ट रूप से दें। इसके क्या लाभ हैं।

पिछली बार इस श्रेणी के अयस्क को अस्वीकृति प्रतिशतता 58 से 60 प्रतिशत थी परन्तु अब इसे बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया। इस शर्त को भारत ने क्यों स्वीकार किया ? यह तो हमारे लिये हानिकर है।

खानों में उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। इससे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कितनी हानि होगी ? वर्ष 1980 में उत्पादन लागत क्या होगी ? न जाने इन सब बातों का किस प्रकार हिसाब लगाया गया है। क्योंकि ज्यों हम खानों में गहरी खुदाई करते हैं उत्पादन लागत

में वृद्धि होती चली जाती है। इससे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पर जो कि उत्पादन-कर्त्ता न होकर कमीशन एजेन्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा ? उसके सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ? हम देखते हैं कि इस निगम को विशेषरूप से गत 4-5 वर्षों से निरन्तर हानि हो रही है। वर्ष 1967-68 में उसे 1.589 करोड़ रुपये की तथा वर्ष 68-69 में 1.653 करोड़ रुपये हानि हुई। लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण यह निगम कब तक हानि उठाता रहेगा ?

जब खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अयस्क के निर्यात के कार्य को संभाला, तब अनेक यूरोपियन देश हमारे अयस्क के खरीदार थे । उन देशों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं । उन देशों के रूस की ओर से सप्लाई के स्रोतों पर कुप्रभाव पड़ा है। अतः जापान को एक निश्चित मूल्य पर इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करने का वायदा करने के बजाय पूर्व यूरोपीय देशों के इन विशाल मण्डियों पर कब्जा करने के प्रयास सरकार ने क्यों नहीं किये ? सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया ही नहीं, केवल जापान से ही आसान शर्तों पर इतना बड़ा करार कर लिया ।

इस अयस्क का निर्यात करने से हमारे मैंगनीज के अयस्क के निर्यात में बाधा पड़ी है। मैंगनीज की खाने बन्द हो गयीं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये। मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये ? जापान भी तो मैंगनीज अयस्क का आयात करता है । यह करार करते समय सरकार ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में भी बात चीत क्यों नहीं की ? इस अयस्क को भी 10 वर्षीय करार के अधीन निर्यात करने पर जोर दिया जाना चाहिये था।

यदि इस तरह का करार किसी तीसरी पार्टी ने किया होता तो कितनी ही दलीलें पेश की जातीं। सरकार कारण बताये कि उसने निश्चित मूल्य पर 10 वर्ष तक का इतना बड़ा करार क्यों किया। दूसरे सरकार ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात की उपेक्षा क्यों की ? उन्होंने 710 लाख टन लौह अयस्क के साथ केवल $2\frac{1}{2}$ लाख टन मैंगनीज अयस्क भी निर्यात करने की बात पर जोर क्यों नहीं दिया ? यदि ऐसा किया जाता तो हमें कुछ लाभ हो सकता था।

अब मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न करता हूं जिनका मंत्री महोदय विशिष्ट रूप से उत्तर दें। क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम के भीतरी हार्बर से निर्यात होने वाले लौह अयस्क का मूल्य बाहरी हार्बर से निर्यात होने वाले लौह अयस्क के मूल्य से कम है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? बाहरी हार्बर के तैयार हो जाने की निर्धारित तिथि क्या है ? यदि यह समय पर तैयार न हुई तो इसके लिये क्या दण्ड निश्चित किया गया है ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह हार्बर निश्चित अवधि तक तैयार हो जायेगी तथा इसके लिये कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा ? इस समय लौह अयस्क के निर्यात में प्रतिटन कितनी हानि हो रही है तथा इस हानि को विभिन्न मदों में किस प्रकार वितरित किया जाता है ? इस सम्बन्ध में रेल भाड़े में कितनी राज सहायता दी जाती है ? क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी इस हानि में भागीदार बनता है, यदि हां, तो किस सीमा तक ? क्या मंत्री महोदय को मालूम

है कि दमन भट्टियों के ढांचों तथा डिजाइनों का तकनीकी विकास हो रहा है तथा अब लौह अयस्क का निर्यात करने की बजाय हम तैयार माल का निर्यात कर सकते हैं ? अतः इस सम्बन्ध में लाभ उठाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री महोदय ने इस विकास की ओर ध्यान दिया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ।

मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय बड़े योग्य व्यक्ति हैं तथा वे इस करार से देश को लाभ प्राप्त कराने के लिये देश के हित में न कि क्रयकर्त्ता के हित में कार्यवाही करेंगे ।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : माननीय सदस्य श्री दामानी ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है मैं उनके एक-एक प्रश्न का उत्तर न देकर विस्तृत रूप से उत्तर दूंगा कि भारत को इस करार से क्या लाभ हुआ है ।

यह करार हमारे लिये बड़ा लाभप्रद है माननीय सदस्य ने 94 रुपये मूल्य बताया है । यह सही नहीं है । मैं इस मूल्य के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि यह देश के हित में नहीं होगा । इसका रहस्य खोलने से दूसरे देशों के साथ हमारी बातचीत पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

जहां तक यूरोपियन देशों का संबंध है हमें इनकी ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं तथा हमने रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुलगारिया तथा पोलैंड जैसे पूर्व यूरोपीय देशों के साथ करार किये हैं । रूमानिया के साथ हमने 11 वर्षीय करार किया है ।

वस्तुतः जापान के साथ इतनी लंबी अवधि का करार करना आवश्यक था । माननीय सदस्य यह समझें कि आज लोह अयस्क से बारे में बाजार विक्रेता के हाथ में नहीं वल्कि क्रय कर्ता के हाथ में है । परिवहन की सुविधा के कारण अनेक अन्य देश, यहां तक की लातीनी अमरीकी देश भी इस क्षेत्र में आ गये हैं । अतः हमें भी यह देखना था कि जापान हमें कितना मूल्य दे सकेगा । जो मूल्य तथा शर्तें खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने प्राप्त की हैं वे निश्चित रूप से भारत के अत्यधिक हितों में हैं तथा इस कार्य के लिये मैं इस निगम के अध्यक्ष तथा अन्य लोगों की प्रसंशा करूंगा । वास्तव में उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है ।

जहां तक मूल्यों में वृद्धि की संभावना हो सकती है वहां यह भी तो हो सकता है कि मूल्य घट जायें । सारे विश्व में हो रहे विकास को देखकर हमारा अनुमान है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी अतः निगम ने मूल्यों में वृद्धि संबंधी खण्ड न रख कर गलत कुछ नहीं किया ।

इस करार से हमें पहला लाभ तो यह हुआ है कि हमारा निर्यात निश्चित हो गया है और प्रति वर्ष की बातचीत से बच गये हैं, दूसरे इससे हम एक नई अतिरिक्त खान खोलने पर धन लगाने का निश्चय कर सके हैं । तथा एक बड़ी आधुनिक हार्बर के निर्माण का निर्णय हमने किया है । तीसरे, अन्य क्रय कर्त्ताओं के साथ बात चीत में हमारी स्थिति और दृढ़ हो गई है और इससे अन्य देशों से उपयुक्त मूल्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है चौथा लाभ यह है कि हम मूल्यों में गिरावट के प्रभाव से बच गये हैं क्योंकि अनुमान यह है कि यह माल आगे आने वाले समय में आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध होगा । पांचवें इससे जापानी इस्पात मिलों के साथ हमारी सौदा करने की

क्षमता बढ़ी है, छठा लाभ यह है कि बाजार में गिरते हुये मूल्यों से क्रयकर्ता को लाभ होता है परन्तु हमारे मूल्य निश्चित हो चुके हैं। सातवें यह करार ऐसे मूल्यों पर पूरा हुआ जो कि वर्तमान मूल्यों से अधिक हैं तथा इससे विक्रेताओं के हितों में बाजार मूल्य दृढ़ होंगे इसके अतिरिक्त करार में किये गये उपयुक्त उपबंधों से भारतीय नौवहन के हितों की भी पूरी रक्षा हुई है पहली व्यवस्था तो यह है कि यदि उपयुक्त आकार के जलयान उपलब्ध हो सके तो 15 प्रतिशत माल भारतीय जलयानों द्वारा भेजा जायेगा।

दूसरे किसी तीसरे देश के जहाज के स्थान पर भारतीय जहाज को प्राथमिकता दी जावेगी भाड़ा मूल्यों में स्थिरता आने पर हम लागत बीमा भाड़ा का प्रस्ताव भी कर सकेंगे तथा जापानी उस पर यथोचित विचार करेंगे।

हमने जो मूल्य तय किये हैं वे हमारे पिछले मूल्यों से काफी अधिक हैं तथा इससे विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी तथा किसी प्रकार की हानि की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है मूल्य निश्चित करके तो हमने मूल्यों में आगे संभावित गिरावट के खतरे से स्वयं को बचाया है।

इस करार के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करना खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा सार्वजनिक हितों के विरुद्ध होगा परन्तु हम इस करार से पूर्णतया संतुष्ट हैं।

लम्बी अवधि के करारों में निश्चित मूल्य के सिद्धांत को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा महत्व दिया जाता है।

भीतरी तथा बाहरी हार्बर अवधि के मूल्यों को जापानी लोगों ने वर्ष 1958 के लम्बी अवधि वाले किरिबिरू तथा 1961 के बेलाडिला करार के ऐतिहासिक वायदों की दृष्टि से स्वीकार किया है।

अतः भारत को इस करार से कभी कोई पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा।

श्री एस० आर० दामानी : मैं सिद्ध कर सकता हूं कि हमारे प्राप्त मूल्य अन्य देशों द्वारा प्राप्त मूल्यों से कम हैं। इसके अतिरिक्त अस्वीकृत प्रतिशतता को 58 से बढ़ाकर 63 क्यों किया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया है वह यह है कि मैंगनीज के निर्यात पर जोर क्यों नहीं दिया गया।

श्री ल० ना० मिश्र: प्राप्त मूल्यों के बारे में माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है हमें वस्तुतः ही पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य मिले हैं। यह करार अन्य पहले करार से अधिक लाभप्रद रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1976 के लिये तीन लाख टन मैंगनीज अयस्क के निर्यात का करार भी जापान के साथ किया गया है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 6 अगस्त, 1970/15 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 6, 1970/Sravana 15, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—24-1-71—340